शुक्रवार, 29 मार्च 1985

6 चैत्र, 1907 (शक)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र
(आठवीं लोक सभा)



PARLIAMENT LIBRARY
Acc. No.
Date

(खण्ड 2 में अंक 1 से 10 तक है)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

शुक्रवार, 29 मार्च, 1985/8 चैत्र, 1907 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ 1, पंक्ति 6, ता0प्र0संख्या 243 के शीर्षक में "दिल्ली" के ऊपर बाईं ओर "(अनुवाद)" पढ़िये।

पृष्ठ 22, पंक्ति 11, "(व्यवधान)" को तारांकित रूप में "(व्यवधान)*" पढ़िये

पृष्ठ 27, पंक्ति 5 और 6 के बीच बाईं ओर "(अनुवाद)" अंत:स्थापित करिये

पृष्ठ 64, नीचे से पंक्ति 13, "गुराडी" के स्थान पर "गुरड्डी" पढ़िये।

पृष्ठ 86, पंक्ति 13 तथा पृष्ठ 144, पंक्ति 2, "श्री योगेश्वर प्रसाद" के पश्चात् "योगेश" अंत:स्थापित करिये।

पृष्ठ 96, पंक्ति 7, "को" के स्थान पर "का" पढ़िये।

पृष्ठ 112, नीचे से पंक्ति 2, "ाद्वरा" के स्थान पर "द्वारा" पढ़िये।

पृष्ठ 161, नीचे से पंक्ति 5, "अधिसूचनादें।" के स्थान पर "अधिसूचनायें," पढ़िये।

पृष्ठ 174, पंक्ति 11, "दामो" के स्थान पर "दाभो" पढ़िये।

पृष्ठ 182, पंक्ति 9 को "(हिन्दी)" का लोप करते पंक्ति 11 और 12 के बीच "(हिन्दी)" पढ़िये।

पृष्ठ 184, पंक्ति 25, "(हिन्दी)" के स्थान पर "(अनुवाद)" पढ़िये।

पृष्ठ 204, नीचे से पंक्ति 2 के ऊपर "श्री राम प्यारे पानिका: पहले भी थो (... व्यवधान)..." अंत:स्थापित करिये।

पृष्ठ 207, पंक्ति 19, "(कोरापुर)" के स्थान पर "(कोरापुट)" पढ़िये।

पृष्ठ 215, पंक्ति 19, "3·32म0प्र0" के स्थान पर "3·32म0प0" पढ़िये।

पृष्ठ 227, नीचे से पंक्ति 10 "(अनुवाद)" का लोप करें।

अष्टम माला, खंड 3, दूसरा सत्र, 1985/1907 (शक)
अंक 15, शुक्रवार, 29 मार्च, 1985/8 चैत्र, 1907(शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—21
*तारांकित प्रश्न संख्या : 243, 244, 246, 248 और 249	
अल्प सूचना प्रश्न : 1	22—26
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	
तारांकित प्रश्न संख्या : 245 247 और 250 से 262	27—36
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1433, 1434, 1436 से 1463, 1465 से 1537, 1539, 1540, 1542 से 1558 और 1560 से 1578	37—156
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	159—162
राज्य सभा से संदेश	163
अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण	164—183
विदेशी बैंकों में जमा कराने हेतु आशयित बहुत सारे अमरीकी डालरों और ट्रेवलर चैकों के बंबई हवाई अड्डे पर सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा जब्त किए जाने का समाचार	
प्रो॰ मधु दण्डवते	
श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह	
श्री राम बहादुर सिंह	
श्री जैनुल बशर	
समाचार-पत्र संस्थानों के असंबद्ध पत्रकारों और गैर-पत्रकार कर्मचारियों के लिए मजूरी बोर्डों के गठन के बारे में वक्तव्य	184
• श्री टी॰ अंजैया	

किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय पृष्ठ

नियम 377 के अधीन मामले 185—188

(एक) विभिन्न रोगों से बचाव के लिए बच्चों को टीके लगाने के लिए पर्याप्त धन आबंटित करने की आवश्यकता

श्रीमती माधुरी सिंह

(दो) श्रमिकों को भुखमरी से बचाने के लिए फुलवाड़ी काटन मिल्स, पटना (बिहार) को पुनः चालू करने की आवश्यकता

श्री सी० पी० ठाकुर

(तीन) बाहरी दिल्ली में 1981 से पहले बने अनधिकृत मकानों में रहने वाले लोगों को बिजली के कनेक्शन देने की आवश्यकता

श्री भरत सिंह

(चार) पश्चिम बंगाल के, विशेष रूप से हावड़ा के, रुग्ण और बंद पड़े कारखानों को फिर से चालू करने के लिये तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी

(पाँच) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली नौकाओं से कम गहरे पानी में मछली पकड़े जाने से निर्धारित कानूनों का उल्लंघन तथा उनके द्वारा मछली पकड़ने के कार्य को 200 मीटर से अधिक गहराई वाले क्षेत्र तक सीमित करने की आवश्यकता

श्री सोमनाथ रथ

(छः) सांगोद (कोटा) में टेलीफोन आपरेटरों का अभद्र और उपेक्षापूर्ण व्यवहार तथा उपभोक्ताओं की शिकायतों को दूर करने तथा राष्ट्रीय कोष को नुकसान न होने देने की आवश्यकता

श्री शान्ति धारीवाल

(सात) पश्चिम बंगाल में विद्युत संकट तथा पश्चिम बंगाल की कलकत्ता विद्युत पूर्ति निगम और रमन पन–बिजली परियोजना के लिए ब्रिटेन और हंगरी द्वारा टी० जी० यूनिटों तथा टर्बो जेनरेटरों की आपूर्ति के प्रस्ताव पर विचार किये जाने की आवश्यकता

श्री बसुदेव आचार्य

संघ लोक सेवा आयोग के 32वें तथा 33वें प्रतिवेदनों तथा उनमें उल्लिखित आयोग की सलाह को न मानने के मामलों के संबंध में सरकार के ज्ञापन संबंधी प्रस्ताव (चर्चा जारी – असमाप्त) 189—194

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी

श्री सोमनाथ रथ

श्री लंका की स्थिति के बारे में वक्तव्य 195—196

श्री खुर्शीद आलम खां

संघ लोक सेवा आयोग के 32वें तथा 33वें प्रतिवेदनों तथा उनमें उल्लिखित आयोग की सलाह को न मानने के मामलों के संबंध में सरकार के ज्ञापन संबंधी प्रस्ताव (चर्चा जारी – असमाप्त) 197—214

श्री एन० टोम्बी सिंह

श्री सुधीर राय

श्री राम सिंह यादव

श्री राम प्यारे पनिका

श्री गिरिधर गोमांगो

श्री के० आर० नटराजन

श्री मूलचंद डागा

श्री विजय एन० पाटिल

विधेयक—पुरः स्थापित

संविधान (संशोधन) विधेयक 215

(नए अनुच्छेद 16क का अन्तःस्थापन, आदि)

संविधान (संशोधन) विधेयक 216—235

(अष्टम अनुसूची में संशोधन)—(अस्वीकृत)

विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव

श्री के० डी० सुल्तानपुरी

श्री नारायण चौबे

श्री एन० टोम्बी सिंह

श्री ए० के० सेन

श्री सत्यगोपाल मिश्र

विषय	पृष्ठ
संविधान (संशोधन) विधेयक	236—254
(अनुच्छेद 44 का लोप) (चर्चा असमाप्त)	
विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव	
श्री जी० एच० बनातवाला	
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	
श्री मूलचन्द डागा	
श्री बाई० एस० महाजन	
श्री मौहम्मद अयूब खाँ	
कुमारी ममता बनर्जी	

लोक सभा

शुक्रवार, 29 मार्च, 1985/8 चैत्र, 1907 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

दिल्ली हवाई अड्डे पर सामान का पकड़ा जाना

*243. श्री अनंत प्रसाद सेठी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान दिल्ली हवाई अड्डे पर वर्ष-वार (आज की तारीख तक) कितने मूल्य का तस्करी का सामान पकड़ा गया ; और

(ख) इस संबंध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये और इनमें से कितने व्यक्ति इंडियन एयर लाइन्स/एयर इंडिया या सरकार के अन्य विभागों के कर्मचारी हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) वर्ष 1983, 1984 और (25.3.85 तक) 1985 के दौरान, दिल्ली हवाई अड्डे पर पकड़े गए तस्करी के माल का कुल मूल्य तथा तस्करी की गतिविधियों के सिलसिले में गिरफ्तार किए व्यक्तियों की संख्या और उनमें से जो व्यक्ति इंडियन एअरलाइंस/एअर इंडिया अथवा अन्य सरकारी विभागों के कर्मचारी हैं उनकी संख्या इस प्रकार है :—

(मूल्य : लाख रुपयों में)

वर्ष	पकड़े गये माल का मूल्य	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की कुल संख्या	इंडियन एअरलाइंस/एअर इंडिया अथवा अन्य सरकारी विभागों के कर्मचारियों की संख्या
1983	131	129	1
1984	464	196	1
1985 (25. 3. 85) तक	90*	36	शून्य

*इसके अलावा 3 किलोग्राम हिरोइन पकड़ी गई।

श्री अनंत प्रसाद सेठी : महोदय, बाजार में तस्करी का काफी सामान उपलब्ध है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि वे कौनसी वस्तुएं हैं जिनकी भारत में अधिकांशतः तस्करी की जाती है और किन देशों से की जाती है ? इस तस्करी को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जानी है ? मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या इस प्रयोजन के लिए कोई विशेष दस्ता लगाया गया है अथवा लगाये जाने का प्रस्ताव है ?

श्री जनार्दन पुजारी : अधिकांशतः तस्करी की वस्तुएं भारत में मध्य-पूर्व देशों, अरब देशों, सिंगापुर तथा हांगकांग से आती हैं। तस्करी को रोकने के लिए किये गये उपायों के बारे में हमने निरोधक तन्त्र को मजबूत कर दिया है। इसके अतिरिक्ति दण्डात्मक उपाय भी किये जा रहे हैं। हमने एक्स-रे जांच पद्धति को भी चुस्त बना दिया है हम गुप्तचर एवं निरोधक यन्त्र को भी और मजबूत बनायेंगे और इसके लिए आवश्यक जनशक्ति एवं उपकरणों में वृद्धि की जाएगी। हमने प्रतिबन्ध एवं सतर्कता बढ़ा दी है। हमने सूचना देने वालों के लिये प्रोत्साहन देने के लिये इनामों की पद्धति को भी उदार बना दिया है।

हमने इन कार्यवाइयों के दौरान मारे गये अथवा घायल हुए अधिकारियों के परिवारों के कल्याण हेतु तीन निधियों की स्थापना की है। उनके परिवारों को पूर्ण सुरक्षा दी जाएगी। तस्करी-निरोधक उपकरण लेने के लिए भी एक विशेष निधि की स्थापना की गई है।

इसके अतिरिक्त मैं यह बताना चाहता हूँ कि तस्करी को केवल निरोधक एवं दण्डात्मक उपायों से ही नहीं रोका जा सकता है। हमें इस सम्बन्ध में कतिपय आर्थिक उपाय भी करने होंगे। हमने औद्योगिक नीति और आयात नीति को उदार बना दिया है। कतिपय और प्रोत्साहन दिये गये हैं। हमने कतिपय इलैक्ट्रानिक वस्तुओं के सम्बन्ध में सीमा शुल्क की दरों में भी कमी कर दी है। हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि विदेशी वस्तुओं का मोह कम हो। विदेशी वस्तुओं के मोह को कम किया जा सकता है इसके लिये हमें यहां भी ऐसी क्वालिटी वस्तुओं का उत्पादन करना होगा जो तस्करी से लाई जा रही वस्तुओं की है। इसके लिए हम कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री अनंत प्रसाद सेठी : माननीय मन्त्री जी के उत्तर के अनुसार तस्करी की गतिविधियों के सिलसिले में 1983 में एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया और 1984 में भी एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया था। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि यह कर्मचारी किस मन्त्रालय के थे तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई अथवा करने का विचार है।

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, वर्ष 1984 में इंडियन एयरलाइन्स का एक कर्मचारी श्री प्रकाश राम तस्करी की गतिविधियों के सम्बन्ध में पकड़ा गया था और उसके विरुद्ध मुकदमा चलाया गया है। भारतीय हवाई पत्तन प्राधिकरण के तीन कर्मचारी स्काच व्हिस्की की तीन बोतलें एवं 74 डालर ले जाते पकड़े गये थे। इन कर्मचारियों के नाम हैं केसर सिंह, सत्यनारायण तथा रघुवीर चन्द। एयर इंडिया से सुदर्शन कुमार, सुन्दर सिंह तथा प्रेम कुमार नामक कर्मचारी

तस्करी की गतिविधियों के सिलसिले में पकड़े गये थे। इनसे 1,22,020 रुपये के मूल्य की वस्तुऐ पकड़ी गई थीं। एक व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया और दूसरे को कोफेपोसा के अन्तर्गत नजरबन्द रखा गया तीसरा कर्मचारी प्रेम कुमार था, इसके विरुद्ध गिरफ्तारी आदेश जारी कर दिया गया है किन्तु वह अभी तक पकड़ा नहीं गया है।

प्रो० के. वी. थामस : मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि पकड़ी गई तस्करी की वस्तुओं का निपटान किस तरीके से किया जाता है। तस्करी की इन वस्तुओं की बिक्री के लिये सहकारी भंडारों को चुना गया था। किन्तु आजकल सीमा शुल्क विभाग द्वारा विभिन्न हवाई अड्डों तथा पत्तनों पर जब्त की जा रही वस्तुओं को सहकारी समितियों को पहले की तरह बिक्री के लिये नहीं दिया जा रहा है। अन्य एजेन्सियों को यह कार्य सौंपा जा रहा है। सहकारी उपभोक्ता भंडारों की सहायता करने के लिए इन वस्तुओं को बिक्री के लिये उन्हें दिया जाता था अब इन वस्तुओं को भिन्न-भिन्न मूल्यों पर बेचा रहा है और इनकी बिक्री भी सही ढंग से नहीं की जा रही है। प्रोत्साहन देने की दृष्टि से इन वस्तुओं की बिक्री इनके माध्यम से करेंगे तथा उनके सामान्य कारोबार के लिए उनके लिये सस्ती दर पर धन की व्यवस्था भी करेगें ? क्या सब व्यवस्था सभी शहरों में की जाएगी ? मुझे पता चला है कि इस उद्देश्य के लिए अब केवल कतिपय शहर ही हैं। मैं मन्त्री महोदय से जानना जाहता हूँ कि क्या इन वस्तुओं को इस योजना के अन्तर्गत शामिल किया जाएगा क्योंकि सीमा शुल्क गोदामों में बहुत माल जमा हो गया है। क्या मन्त्री महोदय इस सुझाव पर विचार करेंगे ?

श्री जनार्दन पुजारी : माननीय सदस्य ने इस सम्बन्ध में बहुमूल्य सुझाव दिये हैं हमने इन्हें नोट कर लिया है और उन पर विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री मदन पाण्डे : क्या एयर लाइंस के कर्मचारी स्मगलिंग में भाग लेते हैं और अगर लेते हैं तो उनको रोकने के लिए क्या उचित कदम उठाए गए हैं और क्या सख्त कदम उठाए गये हैं, जिससे वे स्मगलिंग में भाग न लें।

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी : जब भी ऐसे कर्मचारी पकड़े गये हैं हमने उनके विरुद्ध कार्यवाही की है और हमने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है, मैंने उसके बारे में एक विवरण सभा पटल पर रख दिया है।

श्रीमती फूलरेणु गुहा : महोदय, क्या मैं यह जान सकती हूँ कि कौन-सी वस्तुओं की अधिकांशतः तस्करी की जाती है और किन देशों से की जाती है ?

श्री जनार्दन पुजारी : सोना, घड़ियां, सेन्थेटिक कपड़े आदि वस्तुओं की अधिकांशतः तस्करी की जाती है। जिन देशों से तस्करी की जाती है, उनके नाम मैं पहले ही बता चुका हूँ।

श्रीमती फूलरेणु गुहा : अधिकांशतः किन देशों से तस्करी की जाती है ?

उपाध्यक्ष महोदय : वे पहले ही बता चुके हैं कि इन वस्तुओं की तस्करी अधिकांशतः खाड़ी देशों से की जाती है।

कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण

*244 **श्री मूलचन्द डागा** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला उद्योग का प्रथम बार राष्ट्रीयकरण किस तारीख को किया गया था;

(ख) अंतिम कोयला कम्पनी का राष्ट्रीयकरण किस तारीख को किया गया था;

(ग) क्या संगठनात्मक और कार्य-चालन संबंधी कठिनाइयों के कारण कुछ खानों का परित्याग कर दिया गया है और वहां कार्य बंद कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त कोयला खानें कार्य-चालन के लिए अब गैर-सरकारी क्षेत्र को दी जा रही हैं; और

(च) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) और (ख) कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण दो चरणों में किया गया था। पहले तो जो कोककर कोयला खानें मालूम थीं उनका कोककर कोयला खान [राष्ट्रीयकरण] अधिनियम 1972 के अधीन 1.5.1972 से राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसके बाद जो अन्य सारी कोयला खानें थीं उनका कोयला खान [राष्ट्रीयकरण] अधिनियम, 1973 के अधीन 1.5.1973 से राष्ट्रीयकरण किया गया।

(ग) और (घ) ईस्टर्न कोल्फील्ड्स लि० के शंकरपुर पिट, भूमिगत आग लग जाने के कारण खनन कार्य में जो कठिनाई होने लगी उसकी वजह से खनन कार्य रोकना पड़ा था। सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० की सेमरा, गिधानियां, रौता तथा मायल कोलियरीज में खनन कार्य बंद कर दिया जिसका कारण यह था कि इन खानों में खनन कार्य लाभप्रद नहीं था।

(ङ) : जी, नहीं।

(च) प्रश्न ही नही उठता।

[हिन्दी]

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी हिम्मत के साथ "नहीं-नहीं" कह दिया है।

इतनी सारी खबरें छप रही हैं। उनमें से एक 4 जनवरी 1984 को "इकोनामिक टाइम्स" में छपी है। उस खबर की ओर मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं:

[अनुवाद]

["बिहार का राज्य प्रशासन बिहार राज्य खनिज विकास निगम की एक योजना के अन्तर्गत इस सन्दर्भ में महत्वपूर्ण बन गया है। राज्य सरकार का एक उपक्रम उन खानों में खनन कार्य के लिये निजी पार्टियों की सेवाएं उपलब्ध करेगी जिनका परित्याग कर दिया गया था तथा जिनमें कोल इंडिया ने कार्य-चालन कठिनाईयों के कारण खनन-कार्य बन्द कर दिया था"]

[हिन्दी]

एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि बंगाल, बिहार, आसाम और अन्य प्रदेशों में इल्लीगल माइनिंग होती है और खुले रूप में हो रहा है। क्या यह सरकार के ध्यान में है या नहीं और इस पर सरकार ने कुछ कार्यवाही की है या नहीं; अगर की तो कब की और उसका क्या परिणाम निकला ?

[अनुवाद]

श्री बसन्त साठे : जहां तक बिहार का सम्बन्ध है, बिहार राज्य ने फरवरी, 1985 में सूचित किया था कि वे जागेश्वर, खास जागेश्वर (हजारीबाग और गिरिडीह जिले) पुअर मुरली डीह तथा खास पिपरा टेंड (धनबाद जिले) में चार कोयला खानों में खनन कार्य करना चाहते हैं, उन्होंने बताया कि यह खनन कार्य बिहार राज्य खनिज विकास निगम द्वारा (अपनी एक सहायक कम्पनी के माध्यम से किया जाएगा जिसमें बिहार राज्य खनिज विकास निगम की शेयर-पूंजी 51 प्रतिशत होगी और शेष 49 प्रतिशत शेयर गैर-सरकारी कम्पनी के होंगे और उनके अनुसार उच्चतम न्यायालय ने उन्हें इन चार कोयला खानों में खनन कार्य की अनुमति दे दी है और उच्चतम न्यायालय के आदेशों के सन्दर्भ में सरकारी कम्पनी के माध्यम से इनमें खनन कार्य के लिये भारत सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

बिहार की राज्य सरकार को केन्द्र सरकार ने सूचित किया है कि खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 5(2) के अनुसार केन्द्र सरकार के पूर्वानुमोद के बिना कोयले के खनन-कार्य के लिये खनन पट्टे के लिए लाइसेंस नहीं दिया जा सकता है। उन्हें यह भी कहा गया है कि वह बिहार राज्य खनिज विकास निगम को यह सलाह दें कि वे कानून के उपबन्धों का अनुपालन किये बिना कोयले का खनन-कार्य आरम्भ न करें।

कोयला खदानों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात, किसी भी गैर-सरकारी पार्टी द्वारा प्रत्यक्ष अथवा सहायक कम्पनी के रूप में किसी राज्य एजेन्सी के माध्यम से बेनामी ढंग से कोयले के खनन-कार्य का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि इससे तो राष्ट्रीयकरण का वास्तविक उद्देश्य ही परास्त हो जाएगा। हम समझते हैं कि कानूनी स्थिति भी यही है और इसलिए, बिहार की राज्य सरकार को हमने अपना निर्णय सूचित कर दिया है। (व्यवधान) जैसा कि मैंने कहा है कि

यदि कोई गैर-सरकारी कम्पनी खनन-कार्य करती है यह गैर-कानूनी खनन-कार्य होगा। हमें पता नहीं चला है कि किसी राज्य विशेष में व्यक्तिगत आधार पर खनन-कार्य हो रहा है यदि इस प्रकार का कार्य हमारे ध्यान में लाया जाए तो हम कार्यवाही करेंगे तथा हम इसकी सूचना देंगे। अन्ततः तो हम राज्य सरकार से ही कह सकते हैं कि कानून के अन्तर्गत गैर-कानूनी खनन-कार्य रोकने का दायित्व राज्य सरकार का है। जहां तक राज्य निगम का संबंध है, अगर यह बंगाल तथा असम की भांति है जहां पर हमने इसकी अनुमति दे दी है, अर्थात अगर एक किसी खान का कार्य स्वयं चलाना चाहती है जिसे हम नहीं चला सकते या हम इसे चलाना व्यवहार्य नहीं समझते तो ऐसे मामलों में हम सभी तरह की सहायता करने के लिये तैयार हैं, परन्तु सीधे एक निगम को ही।

[हिन्दी]

श्री मूलचन्द डागा : मेरे प्रश्न का आपने ठीक उत्तर दिया लेकिन क्या आप स्पष्ट करेंगे कि आपने बिहार गवर्नमेंट को इस बात के लिए कब आगाह किया, कौन सी तारीख को आपने लिखा और इसके बाद अभी भी इल्लीगल माइनिंग का कार्य चालू है या बंद हो गया है।

श्री बसंत साठे : उनको फिलहाल ही लिखा गया है, वर्ष 1984 के दौरान ही इन्टीमेट किया गया है लेकिन हमारे पास अभी कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि बिहार गवर्नमेंट यहां इल्लीगल माइनिंग करा रही है।

[अनुवाद]

श्री आनन्द भट्टपति राजू : कोयला उद्योग में काफी पैसा खर्च किया जा चुका है। कोयला उद्योग को युक्तिसंगत बनाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं; अगर ऐसा है तो क्या इस पर श्वेत प्रत्र जारी करने वाले हैं? काफी वर्षों से इस कोयला उद्योग का उत्पादन रुक गया है। उत्पादन में कोई समुचित वृद्धि नहीं हुई है। क्या इस दिशा में कुछ ध्यान दिया जायेगा?

श्री बसंत साठे : यह सच नहीं है कि कोयला उद्योग का उत्पादन रुक गया है। सच तो यह है कि इसमें वृद्धि हो रही है। हमने लगभग 1470 लाख टन लक्ष्य की पूर्ति कर ली है। कोयले को उठाया नहीं जा रहा है। परिवहन की दिक्कत के कारण से 270 लाख टन कोयला गुहाने पर पड़ा हुआ है हम इस दिक्कत को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक उत्पादन का संबंध है, कोई कमी नहीं है; और देश में अधिक कोयला उत्पादन करने की योजना हमारे पास है। और हम इसे तकनीकी औद्योगिकी तथा प्रबंधकीय दृष्टि से युक्तिसंगत बना रहे हैं। अतः मैं समझता हूं कि कोयला खनन के संबंध में हम देश में अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं। जहां तक श्वेत पत्र का संबंध है, आखिरकार कोयला तो काला ही है श्वेत प्रत्र की क्या आवश्यकता है?

[हिन्दी]

श्रीमती प्रभावती गुप्ता : मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि जैसा अभी इन्होंने कहा कि किसी प्राइवेट पार्टी को लीज देने से पहले.....

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्या पहले से ही बोल रही हैं। कृपया बैठ जाइये।

श्री आनन्द गजपति राजू : उन्हें इस बात को इतने हल्के रूप में नहीं लेना चाहिये।

श्री बसन्त साठे : मैंने इसे लापरवाही से या हलके रूप में नहीं लिया है।

[हिन्दी]

श्रीमती प्रभावती गुप्ता : मैं जानना चाहती हूँ कि क्या बिहार सरकार के माइनिंग विभाग के पास इतनी भी टैक्निकल जानकारी नहीं है। दूसरे, आपने पूर्व अनुमति नहीं दी और उसके बावजूद भी सैटलमेंट हो गया, क्या इसको देखते हुए, केन्द्रीय सरकार उसे कैन्सिल कराने का विचार रखती है।

श्री बसंत साठे : सैटलमैंट कहां हुआ है, अभी कोई सैटलमैंट नहीं हुआ है।

श्रीमती प्रभावती गुप्ता : लेकिन आपने कहा कि आपकी पूर्व अनुमति ली जानी चाहिए थी और बगैर अनुमति के कोल माइनिंग का कार्य शुरू कर दिया गया। क्या इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि बिहार सरकार का माइनिंग विभाग इतने गैर-जिम्मेदाराना तरीके से काम करता है ?

श्री बसंत साठे : यहां टैक्निकल जानकारी का प्रश्न नहीं है बल्कि गलतफहमी का है। वेरी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मतलब निकालने में हुई और उसके मुताबिक तथा कानून के अनुसार, जहां हम इजाजत देते हैं, वहां स्टेट गवर्नमैंट कोल माइनिंग कर सकती है परन्तु वह कार्य स्टेट गवर्नमैंट को अपनी कारपोरेशन के जरिए कराना चाहिए किसी प्राइवेट पार्टी, ज्वाइन्ट सैक्टर या किसी अन्य तरीके से नहीं। यह बात हमने स्टेट गवर्नमैंट के ध्यान में लाई है...

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो. के.के. तिवारी : यह कार्य वह पहले ही कर चुके हैं। उनके तथा गैर-सरकारी पार्टी के बीच समझौता हुआ है।

[हिन्दी]

श्री वसंत साठे : मैंने पहले कहा कि यह काम स्टेट गवर्नमैन्ट किसी प्राइवेट पार्टी को नहीं दे सकती और जहां तक हमारी जानकारी है अभी तक उन्होंने किसी पार्टी के जरिए यह काम शुरू नहीं कराया है। वैसे हमने चीफ मिनिस्टर को लिख दिया है।

(व्यवधान)

श्रीमती प्रभावती गुप्ता : यदि ऐसा हुआ होगा तो क्या उसको कैंसिल करवा दिया जायगा।

श्री वसंत साठे : यदि गैर-कानूनी कोई बात पाई जायगी तो वह रुक जायगी।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : माननीय मंत्री जी के यह कहने के बावजूद कि अवैध खनन का कोई भी मामला उनकी जानकारी में नहीं है मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगा कि मेरे विचार से पिछली लोक-सभा में कई दफे इसी सदन मे यह स्वीकार किया गया था कि बिहार के हजारी बाग तथा गिरिडीह क्षेत्रों में सतह पर ही बहुत बड़ी मात्रा में कोयले का भण्डार जमा पड़ा है चाहे यह उच्च किस्म का भले ही न हो परन्तु यह सतह पर ही जमा पड़ा है। एक तरह से खुली हुई खानें हैं जिनमें सार्वजनिक क्षेत्रों द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया गया है। और इन स्थानों पर गैर-सरकारी कम्पनियां ठेके पर मजदूरों को लगा रही हैं और अपनी लारियों तथा अन्य परिवहन साधनों से बड़ी मात्रा में कोयले को उठा रहे हैं। यहां पर यह कहा गया था कि इस कार्य को रोकने के लिए कदम उठाये जाऐंगे। मुझे इस सम्बन्ध में स्थिति से अवगत कराया जाये।

श्री वसंत साठे : मेरे विचार से माननीय सदस्य ने उसी क्षेत्र के बारे में उल्लेख किया है। मैं यह जरूर कहूंगा कि हम इस बारे में सशंकित हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरे विचार से आपने धनबाद के बारे में कहा है।

श्री वसंत साठे : उत्तरी भाग में हजारीबाग, गिरिडीह तथा जोगेश्वर खास वही क्षेत्र हैं। हमें आशंका है कि कुछ गैर-सरकारी लोग जो इस कार्य में लगे हुए हैं संभवतः अब वे शायद इस बहाने से बिहार राज्य खनिज विकास निगम के साथ संयुक्त क्षेत्र ग्रुप के साथ मिलकर 49 प्रतिशत भागीदारी के साथ इस खनन कार्य को करना चाहते हैं जो कि हमारे अनुसार वास्तव में अवैध होगा हमने बिहार सरकार को सूचित कर दिया है मैंने मुख्य मंत्री को इसकी जांच करने के लिए लिख दिया है और मुझे विश्वास है कि हम इस अवैध खनन कार्य को न करने देने के लिए बिहार सरकार को राजी करने में समर्थ होंगे।

श्री खगनाथ राव : राष्ट्रीयकरण के पश्चात कोयले का उत्पादन मूल्य सौ गुना बढ़ गया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि कोयले का मूल्य बढ़ता, जा रहा है और उसके परिणाम

स्वरूप इस्पात के मूल्य में भी वृद्धि होती जा रही है। कोयले की कीमत तथा उत्पादन लागत को कम करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ताकि इनका विक्रय मूल्य उचित स्तर तक रहे ?

श्री बसंत साठे : कोयले का उत्पादन मूल्य अन्य खनिजों की भाँति बिभिन्न निवेशों पर निर्भर करता है। अब अगर बिजली, तेल, डीजल, श्रम, मजदूरी आदि में वृद्धि होती रहेगी तो आप यह आशा नहीं कर सकते कि कोयले की कीमतें कम हों और इसके परिणामस्वरूप इस्पात की कीमत भी बढ़ेगी। सभी चीजों पर असर होगा। मैं ना नहीं कर रहा हूँ। मैं माननीय सदस्य से सहमत हूँ कि अगर हमारे यहाँ ज्यादा उत्पादन होगा वह इधर उधर ले जायगा तो इसका कीमतों पर प्रभाव पड़ सकता है।

श्री अमल दत्त : माननीय वित्त मंत्री के बजट भाषण में हमने देखा कि कोयले की अधिष्ठापित क्षमता प्रति वर्ष 2100 लाख मीट्रिक टन है। और अभी-अभी माननीय मंत्री जी ने बताया है कि हम 1400 लाख टन कोयले का उत्पादन करने जा रहे हैं और उनके अनुसार यह वृद्धि है। परन्तु उत्पादन में अधिष्ठापित क्षमता को प्राप्त करने में दिक्कत क्या है ? अगर ऐसा किया भी जाये, जो कि विद्यमान जनशक्ति के द्वारा मुमकिन है, तो भी कोयले की कीमतें कम नहीं होगी ?

श्री बसंत साठे : मैं नहीं समझता कि उत्पादन में वृद्धि होने से कोयले की कीमतों में भी कमी आयेगी। जैसा कि मैंने अभी-अभी बताया है कि खानों के मुहाना पर 270 लाख टन कोयला पड़ा हुआ है उसमें से कुछ तो जल रहा है कीमतों का हाल तो आप देख रहे हैं, क्योंकि अन्ततः मुख्य उपभोक्ता बड़ी-बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ हैं जैसे कि विद्युत संयंत्र, इस्पात संयंत्र तथा अन्य संयंत्र, आदि। अतः ऐसा नहीं है कि कीमतों पर मात्र उत्पादन से तब तक कोई प्रभाव पड़ेगा जब तक कि कोयले के लाने ले जाने और कोयले की उपलब्धता में सुधार नहीं होता मैं समझता हूँ कि इसका प्रत्यक्ष रूप में कीमतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं कोयलें के उत्पादन में वृद्धि कर सकता हूँ, परन्तु अगर मैं कोयले के उत्पादन में वृद्धि करता हूँ तो हम उसका क्या करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : श्री मोहनलाल पटेल। अनुपस्थिता श्री अजय विश्वास।

छोटे और सीमान्त किसानों द्वारा बैंकों से लिए गये ऋणों को बट्टे खाते डाला जाना

*246. **श्री अजय विश्वास** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का छोटे और सीमान्त किसानों द्वारा देश के विभिन्न बैंकों से लिए गए ऋणों को, जो काफी वर्षों से बकाया है, बट्टे खाते डालने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग). एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) : जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के ढांचे के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक जमा राशियां जुटाते हैं और उनका एक भाग ऋणकर्त्ताओं को उधार के रूप में देते हैं। अग्रिमों के ब्याज की दर, जो प्रत्येक वर्ग के लिए अलग-अलग होती है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित की जाती है। छोटे और सीमांतिक किसानों को दिये जाने वाले अग्रिम अपेक्षाकृत कम ब्याज दरों पर दिये जाते हैं।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए बड़े पैमाने पर उन ऋणों को बट्टे खाते डालना संभव नहीं है, जो जमाकर्त्ताओं से जुटाई गयी रकमों में से दिये जाते हैं।

यदि ऐसा हो जाए, तो जमा राशियां जुटाना और किसानों तथा अन्यों को और ऋण देना मुश्किल हो जाएगा।

श्री अजय बिस्वास : सरकार ने प्रश्न के उत्तर में बताया है कि छोटे तथा सीमान्त किसानों द्वारा सरकारी बैंकों से लिए गए ऋणों को बट्टे खाते डालना असंभव है। परन्तु सरकार ने 30 करोड़ रुपये की आयकर की बकाया राशि को बट्टे खाते डाल दिया है। कुल परिचालन जोनों का 77 प्रतिशत सीमान्त एवं छोटे किसानों के पास है। उन के पास कम जोत होने के कारण कभी कभी वे ऋण की किश्तें देने में भी असमर्थ होते हैं। इस प्रकार उस ऋण पर ब्याज जमा होता चला जाता है। ऐसे मामलों में बैंक इन किसानों को और ऋण नहीं देते हैं। इसलिये जो लोग ऋण की अदायगी असमर्थता के कारण नहीं कर पाते और जो लोग जानबूझ कर चूक करते हैं इन दोनों में फर्क होना चाहिये। क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि छोटे और सीमान्त किसानों को ब्याज की अदायगी से मुक्त कर दिया जाये और इस राशि को भारत सरकार; राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा संबंधित बैंकों द्वारा समान अनुपात में बांट लिया जाये जैसा कि सन् 1979 में उत्तर प्रदेश में सूखा, प्रभावित क्षेत्रों के लिये किया गया था।

श्री जनार्दन पुजारी : बैंक में जमा रुपया देशवासियों का है। उत्पादक कार्यों के लिये छोटे, सीमान्त तथा अन्य किसानों को ऋण दिया जाता है। जहां तक छोटे तथा सीमान्त किसानों का संबंध है, हम उन्हें राज सहायता दे रहे हैं। इसके लिये समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम है। सीमान्त किसानों के लिये राज सहायता की रकम 33.1/3 प्रतिशत है, छोटे किसानों के लिये यह राशि 25 प्रतिशत है तथा जनजातीय किसानों के लिये 50 प्रतिशत है। बैंकों में पैसे

का परिचालन होना चाहिये। जब तक छोटे तथा सीमान्त किसान उस ऋण की राशि को लौटा नहीं देते तब तक इसका परिचालन नहीं किया जा सकता और नहीं समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को ही दिया जा सकता है। प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़, सूखे आदि की विशेष स्थिति में अगर किसान ऋण की अदायगी करने में असमर्थ हैं तो ऐसे मामलों में हम इसकी अदायगी की अवधि पुनः निर्धारित कर रहे हैं। कुछ मामलों में जहाँ पर यह अदायगी करना छोटे तथा सीमान्त किसानों की क्षमता से परे हैं तो इसके लिये जमा बीमा तथा ऋण निगम है। जब यह पाया जाता है कि ऋण की वसूली नहीं की जा सकती तो संबंधित बैंक इस निगम के पास जाते हैं जिसमें ऋण की 70 अथवा 75 प्रतिशत राशि का बीमा होता है। परन्तु माननीय सदस्य ने यह सुझाव दिया है कि ऋण राशि अथवा ब्याज की राशि को बट्टे खाते डाल दिया जाये तो ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष नहीं है।

श्री अजय बिश्वास : अगर उनके ऋणों को राशि के भुगतान की अवधि को पुनः निर्धारित नहीं किया जाता है तो निश्चित रूप में उन्हें साहूकारों और बड़े भू-स्वामियों के पास जाना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में यह एक गम्भीर समस्या है। हाल ही में हुए अध्ययन से यह पता चलता है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों में छोटे तथा सीमान्त किसानों से संबंधित कृषि सम्बन्धी लेख की संख्या सिर्फ 10 प्रतिशत है। इससे यह पता चलता है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों का पैसा बड़े किसानों तथा भूस्वामियों के पास जा रहा है और राष्ट्रीयकृत बैंकों ने इस समस्या को मात्र छुआ ही है। बड़े किसानों तथा साहूकारों का बैंकों के साथ काफी घनिष्ट संबंध है। ये लोग छोटे तथा सीमान्त किसानों पर अपना नियन्त्रण बनाये रखने के लिये बैंकों से फायदा उठाने के लिये उन्हें निरुत्साहित करते हैं। अतः मेरा स्पष्ट प्रश्न यह है कि क्या सरकार छोटे तथा सीमान्त किसानों को ऋण तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिये योजना को उदार बनाएगी, ताकि राष्ट्रीयकृत बैंकों से उन्हें ज्यादा लाभ मिल सके।

श्री जनार्दन पुजारी : समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए बजट में भी प्रावधान है। इसके अलावा विशेषी ब्याज दर योजना भी है। जिसके तहत हम 4 प्रतिशत की दर पर ऋण दे रहे हैं। महोदय जैसा कि आप जानते हैं और सदन भी जानता है कि अगर हमारे पास पाँच वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पैसा जमा किया जाता है तो हमें 11 प्रतिशत की दर से ब्याज देना पड़ता है। फर्नीचर, संबंधित वस्तुओं, तनख्वाह, आदि पर दो से तीन प्रतिशत का खर्चा आता है। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक सौ रुपये पर हमें ब्याज समेत लगभग 13 से 14 रुपये का खर्चा आता है। कमजोर वर्गों तथा छोटे और सीमान्त किसानों को हम समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत 10 प्रतिशत की दर पर तथा डी० आर०, आई० के योजना के तहत 4 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण देते हैं। माननीय सदस्यों को इस बात की जानकारी है। इस सदन में कई दफा कहा गया है कि हमें सांविधिक नकदी अनुपात के लिए कुछ धन की व्यवस्था करनी पड़ती है तथा नकद आरक्षित अनुपात के लिए भी विकास कार्यकलाप हेतु कुछ धन की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके पश्चात जो कुछ भी राशि बचती है इसका 40 प्रतिशत हिस्सा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को मिलना चाहिए।

अतः अन्य क्षेत्रों को ऋण देने के लिए शेष राशि पर्याप्त नहीं है। जहाँ तक आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों का संबन्ध है "आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग" इस शब्द को पुनः परिभाषित

किया गया है और अब संविधिक नकदी अनुपात तथा नकद जमा अनुपात के लिए प्रावधान करने के बाद कुल अग्रिम राशि का 10 प्रतिशत या प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दी जाने वाली 40% धनराशि का 25% आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों को दिया जाना होगा। अतः इस समय हम योजना को उदार बनाने की स्थिति में नहीं हैं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : मैं जानना चाहता हूँ स्माल और मार्जिनल फार्मर्स को जो लोन दिया जाता है और उसमें आपने बताया कि सब्सिडी वगैरह भी होती है, जब उसे रिटर्न करने की बात होती है तो जो एक साल में तीन हजार रुपया दिए होते हैं, वही पाँच या छः साल के बाद 15 हजार रुपये के रूप में वापस वसूल किया जाता है, उसके अलावा नोटिस देने का खर्चा भी उनसे वसूल किया जाता है और मोटर वहिकिल वगैरह लेकर जाते हैं वसूल करने के लिए तो उस का खर्चा भी उसी से वसूल होता है। इस तरह से इतना बड़ा एमाउंट करके उन स्माल और मार्जिनल फार्मर्स की जमीन वगैरह नीलाम की जाती है। तो एक तरफ तो सरकार की यह पालिसी है कि हम बिलोपावर्टी लाइन के लोगों को ऊपर लाएं और दूसरी तरफ इस तरह से उन की जमीन नीलाम करके उन को बर्बाद किया जाता है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप जो पाँच गुना वसूल कर रहे हैं उसके बजाय जैसे कि सिविल प्रोसीजर कोड में व्यवस्था है कि दुगुने से ज्यादा पैसा वसूल नहीं कर सकते, उसी तरह से क्या आप इसके सम्बन्ध में भी विचार करेंगे कि स्माल और मार्जिनल फार्मर्स इस तरह से कैलेमिटीज के कारण टाइम पर पैसा नहीं लौटा सके, उनसे इतनी ज्यादा वसूली न की जाय ?

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी : आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों को ऋण देने के लिए रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा मार्गदर्शक सिद्धांत जारी किये गये हैं। यदि कोई उनका उल्लंघन करता है तो इसकी ओर हमारा ध्यान दिलाया जाये। हम उसके खिलाफ जरूर कार्यवाही करेंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न पर 10 मिनट पहले ही गए हैं।

श्री वी. सोमना द्वीसवरा राव : हमें बोलने क्यों नहीं दे रहे ? हम यहाँ आए किसलिए हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : और बहुत से विषय हैं जिन पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरे पास बहुत से प्रश्न हैं।

श्री वी. सोमना द्वीसवरा राव : आप हमें मौका क्यों नहीं देते ?

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है। मुझे सभी को मौका देना है।

श्री वी. सोमना ईसवरा राव : आपने हमें बोलने का मौका नहीं दिया, ऐसा करना उचित नहीं है..... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको किसी और प्रश्न पर बोलने की अनुमति दूंगा।

श्री वी० सोमना ईसवरा राव : आप औरों को भाषण देने की अनुमति देते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इसीलिए मैं सभी पर नियंत्रण रख रहा हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। कृपया सभी बैठ जाइए। मैं सभी से बैठने के लिए कह रहा हूं पहले आप बैठें। तब मैं आप को अनुमति दूंगा। कृपया सभी सदस्य मुझे अपना सहयोग दें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैं आप सभी को बैठने के लिए कह रहा हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं।

(व्यवधान)

वित्त वाणिज्य तथा पूर्ति मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : महोदय, मेरे सहयोगी ने प्रश्न का विस्तार से उत्तर दिया है। उन्होंने बतलाया है कि प्राथमिक क्षेत्र को आबंटित 40 प्रतिशत धनराशि में से 1/4 अर्थात 25 प्रतिशत सीमांत तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित है हम यह प्राथमिकता दे रहे हैं उन्होंने यह भी बताया है कि सूखा आदि के लिए रियायतें दी जाती हैं। माननीय मंत्री ने एक तर्कसंगत मुद्दा उठाया है कि ऋण रकम से चारगुनी या पांचगुनी अधिक वसूली क्यों की जाती है। यह ऋण सूखों, बाढ़ ब्याज पर कुछ रियायतों आदि के लिए है। अगर ऋण राशि नहीं लौटायी जाती है तो कुछ अन्य गरीब लोग जोकि ऋण प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं वे इससे वंचित रह जाएंगे। ऋण की वसूली न किए जाने पर इन लोगों को ऋण नहीं मिल सकेगा क्योंकि सारा काम ही ठप्प पड़ जाएगा। इसलिए यदि वह ऋण की रकम से चार या पांच गुना अधिक भुगतान करने से बचना चाहता है तो उसके पास यही उपाय है कि वह समय पर ऋण लौटा दे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं किसी और प्रश्न पर मौका दूंगा।

(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यदि सभी सदस्य एक साथ प्रश्न पूछेंगे तो मैं जवाब नहीं दे सकूंगा। यदि एक सदस्य प्रश्न पूछे तो मैं जवाब दे सकता हूँ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ को सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यदि प्रश्न उचित ढंग से पूछा जाता है तो मैं उत्तर दे सकता हूं।

श्री वी० सोमना ईसवरा राव : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि लघु और सीमांत किसानों के, बहुत समय से देय, ऋणों को बट्टे खाते में डालने की मंजूरी नहीं दी है, क्या यह सच नहीं है कि कुछ राष्ट्रीयकृत बैंक उद्योगपतियों को वसूल न हो सकने वाले ऋण के अन्तर्गत दिये ऋणों को बटटे खाते में डाल रहे हैं। क्या यह सच नहीं है ? तो फिर यह भेदभाव क्यों ? क्या वह असंवैधानिक नहीं है ? अत : क्या सरकार लघु और सीमांत किसानों के प्रति अपनाए गए रवैये पर दोबारा विचार करेगी और उन ऋणों को बट्टे खाते में डालेगी जिनका भुगतान बहुत अरसे से नहीं किया गया है ?

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय मैंने जो उत्तर दिया है उसे दुर्भाग्य से माननीय सदस्य ने ठीक से समझा नहीं है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं एक जमा बीमा तथा गारंटी निगम है। किसी ऋण का भुगतान करने की यदि किसी व्यक्ति में सामर्थ्य नहीं होती और मालूम हो जाता है कि उसने ऋण का भुगतान जान बूझ कर नहीं रोका है तो 75 प्रतिशत ऋण को चुकाने की जिम्मेदारी बीमा निगम ले लेता है।

श्री वी. सोमना ईसवरा राव : बीमा कहां है ? वह तो बस कागजों पर है।

श्री जनार्दन पुजारी : इस निगम ने पहले भी वसूल न हो सकने वाले ऋण बट्टे खाते में डाले हैं और हर वर्ष ऋणों को बट्टे खाते में डाल रहा है। देय ऋणों को बट्टे खाते में डालना सरकार का काम नहीं है। मैंने यह बात बहुत स्पष्ट कर दी है वह संस्था इसे बट्टे खाते में डालती है। यदि आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों से ऋण की वसूली नहीं की जा सकती तो जमा बीमा तथा गारंटी निगम उस ऋण का 75 प्रतिशत माफ कर देता है एक और बात है जब विशेष कारणों से ऋण की वसूली नहीं की जा सकती हो तथा वह उन्हें लौटाने की स्थिति में न हो और उसने जान बूझ कर ऋण का भुगतान नहीं रोका हो तो ऐसे मामलों में ऋण को बट्टे खाते में डालने की व्यवस्था है। अतः जब बैंकों को लगता है कि विशेष तथा विश्वसनीय कारणों से ऋण

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

की वसूली नहीं की जा सकती तो उन मामलों में बैंक द्वारा ऋण को बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

श्री बी० सोजना ब्रीसवरा राव : किसानों के मामले में ऋणों को बट्टे खाते में क्यों नहीं डाला जाता ?

श्री विश्वनाथ प्रतापसिंह : हम ग्रामीण क्षेत्रों के मामले भी ऋणों को बट्टे खाते में डालते हैं। उन्होंने यह बताया है

उपाध्यक्ष महोदय : अब, अगला प्रश्न, श्री शिवेन्द्र बहादुरसिंह।

श्री बृजमोहन महन्ती : महोदय, हम अनुशासित व्यक्ति हैं इसलिए हमें प्रश्न पूछने के अवसर से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि यह विषय इतना महत्वपूर्ण है तो आप प्रस्ताव की सूचना दे सकते हैं और उसके बाद हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। प्रश्न काल का समय इस मामूली विषय पर क्यों लिया जाए, अन्य सदस्य प्रश्न पूछने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

सातवीं योजना के दौरान सेन्ट्रल कोलफील्डस लिमिटेड की वृद्धि दर

*248 **श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना में सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० द्वारा 14 प्रतिशत की रिकार्ड वृद्धि दर उपलब्ध करने की संभावना है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) कोल इंडिया लिमिटेड के अधिकारियों को इसके लिए क्या प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) और (ख) जी, हां।

योजना आयोग ने कोयला और लिग्नाइट पर जो कार्यकारी ग्रुप स्थापित किया था उसकी रिपोर्ट के अनुसार सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० में कोयले के उत्पादन को बढ़ाने का विचार है तथा वह 1984-85 (छठी योजना का अंतिम वर्ष) के 38.5 मिलियन टन से बढ़कर 1989-90 (सातवीं योजना का अंतिम वर्ष में 70.2 मिलियन टन हो जाएगा। वर्ष) 1985 से 1990 की अवधि में उत्पादन में वृद्धि की जो दर सोची गई है वह 16 प्रतिशत से अधिक है।

(ग) सेन्ट्रल कोलफील्ड्स में काम करने वाले अधिकारियों के लिए कोई निश्चित प्रोत्साहन योजना अभी नहीं बनाई गई है। परन्तु कोयला कम्पनी में विकास की जो कुल संभावना

है उसके परिणामस्वरूप अधिकारियों तथा गैर-अधिकारी पदों पर काम करने वाले लोगों दोनों को ही जल्दी-जल्दी तरक्की मिल सकेगी और नौकरी में उनकी उन्नति होगी ।

श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सिंगरौली कोयला खानों को सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड में शामिल किया गया है या नहीं ।

श्री बसंत साठे : मध्य प्रदेश की सिंगरौली कोयला खानों को शामिल किया गया है ।

श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह : मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकारी क्षेत्र के अधिकारियों, खासकर कोल इन्डिया लिमिटेड के अधिकारियों को इसमें वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रोत्साहन दिए गए हैं । अगर उन्हें एक बार प्रोत्साहित किया जाता है तो मेरा विश्वास है कि जनता भी संतुष्ट होगी तथा भ्रष्टाचार समाप्त किया जा सकेगा ।

श्री बसंत साठे : जैसा कि मैं बता चुका हूं सेवा शर्तों में पदोन्नति तथा अन्य सुविधाओं के रूप में अधिकारियों के लिए प्रोत्साहन की व्यवस्था है । मैं नहीं समझता कि मेरे मित्र के मन में कौन से प्रोत्साहन हैं । यदि उनके विचार से अधिकारियों को वही प्रोत्साहन मिलने चाहिए जो आम श्रमिकों को दिए जाते हैं तो यह एक अलग मामला है । हम इन सभी बातों पर विचार करेंगे ।

[हिन्दी]

श्री योगेश्वर प्रसाद : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ । 1983 में ईस्टर्न कोलफील्ड में चापापुर कोलियरी में लोग इल्लीगल-माईनिंग में इन्डल्ज थे, वहां पर एक्सीडेन्ट हुआ और उसमें दर्जनों मजदूर मारे गये । उसके बाद कुछ भी पता नहीं लगा कि जो अधिकारी इल्लीगल माईनिंग में लगे हुए थे, उनको कौन सी सजा दी गई तथा उनके प्रति कैसा व्यवहार किया गया ?

श्री बसंत साठे : यह क्वेश्चन किसी स्पेसिफिक माइन के बारे में है, जिसके लिये मुझे नोटिस चाहिये । अगर मुझे लिखेंगे तो मैं जानकारी ले सकूंगा ।

श्री सी० जंगा रेड्डी : 14 प्रतिशत उत्पादन को दृष्टि में रखते हुए सरकार आन्ध्र प्रदेश की भोपालपल्ली कोल माइन्ज के लिये कुछ पैसा सातवें प्लान में देने जा रही है, मैं जानना चाहता हूं कि वह कितना है ?

[अनुवाद]

श्री बसंत साठे : यदि आप आंध्र प्रदेश की कोयला खानों के बारे में विशेष प्रश्न का नोटिस मुझे दें तो मैं उत्तर दे सकता हूँ । बहुत सी कोयला खानें हैं । मैं हर खान के बारे में नहीं बता सकता कि उसमें कितना उत्पादन होता है ।

[हिन्दी]

श्री रामस्वरूप राम : उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार की यह नीति रही है कि जो लोग रिटायर हो जायेंगे उन को पुनः एक्सटेन्शन नहीं दिया जायगा। कोल इण्डिया के चेअरमैन श्री गुजराल जो सर्विस से रिटायर हो चुके थे, उनको एक्सटेन्शन दिया गया । क्या भविष्य में भी उनको एक्सटेन्शन देने का मंत्री महोदय का विचार है ?

श्री बसंत साठे : एक्सटेन्शन देना इस बात पर अवलम्बित रहेगा कि आफिसर कैसा है, उपयुक्त है या नहीं है।

श्री रामस्वरूप राम : सरकार की नीति है कि एक्सटेन्शन न दिया जाए।

श्री बसंत साठे : सरकार की जो नीति है, उसीके मुताबिक हम चलेंगे ।

[अनुवाद]

होस्पेट, कर्नाटक में विजय नगर इस्पात संयंत्र की स्थापना

*249. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने लगभग नौ वर्ष पूर्व होस्पेट, कर्नाटक में विजयनगर इस्पात संयंत्र का शिलान्यास किया था ;

(ख) यदि हां, तो उक्त संयंत्र पर अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है ;

(ग) संयंत्र के चालू होने के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता है ;

(घ) क्या सरकार का आने वाले वर्षों में और धनराशि उपलब्ध कराने का विचार है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, हां। अक्तूबर 1971 में शिलान्यास किया था।

(ख) अब तक लगभग 8.5 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं ।

(ग) अक्तूबर 1984 में "मेकन" द्वारा सीधी अपचयन प्रौद्योगिकी पर आधारित प्रस्तुत की गयी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार कारखाने (गृहीत विद्युत संयंत्र भी शामिल है) के प्रथम चरण की अनुमानित पूंजीगत लागत 422 करोड़ रुपए है।

(घ) और (ङ) सरकार द्वारा अभी तक इस परियोजना के बारे में पूंजी-निवेश संबंधी निर्णय नहीं लिया गया है ।

श्री बी० एस० कृष्णा अय्यर : महोदय यह बहुत निराशाजनक उत्तर है ! इस इस्पात संयंत्र की आधार शिला तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 1971 में रखी थी आपने इस पर पहले ही लगभग 8.5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं । कर्नाटक के लोग इससे बहुत क्षुब्ध हैं । उनके लिए यह जीवन और मरण का सवाल है । राज्य की आर्थिक सम्पन्नता के लिए इस्पात संयंत्र जरूरी है ! मैं सरकार से साफ-साफ उत्तर चाहता हूं कि क्या वह इस संयंत्र को लगाना चाहती है ! माननीय इस्पात मंत्री को इस बारे में एक निश्चित उत्तर देना चाहिए कि क्या वह इस इस्पात संयंत्र पर कार्य शुरू करने जा रहे हैं !

श्री के० नटवर सिंह : मेरे प्रतिष्ठित वरिष्ठ साथी श्री वसंत साठे ने उस दिन एक प्रश्न का उत्तर दिया था और उन्होंने कहा था कि हमारे विभाग ने योजना आयोग से 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है !

(व्यवधान)

श्री नारायण चौबे : लेकिन आधारशिला बहुत पहले रखी गयी थी ।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें उत्तर देने दो ।

श्री के० नटवर सिंह : यदि आप मेरी बात सुनो, तो आपको उत्तर मिल जाएगा ।

वित्त और वाणिज्य तथा पूर्ति मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यथार्थ रूप में समस्या तो यही है ।

श्री के० नटवर सिंह : मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कर रहा हूं । उत्तर यह है कि सातवीं योजना में आवंटन किए जाने के बाद हम आगे कार्यवाही करेंगे ।

यदि आप ब्योरों के बारे में जानना चाहते हैं कि अब तक क्या कार्य किया गया है तो हम आपको यह बता सकते हैं । लेकिन जब तक सातवीं योजना में आवंटन नहीं किया जाता है तब तक कोई निश्चित जवाब देना हमारे लिए सम्भव नहीं है । (व्यवधान)

श्री बी० एस० कृष्णा अय्यर : महोदय, उनका उत्तर स्पष्ट नहीं है या संभवतः मैं नहीं समझ पाया हूं । क्या सातवीं योजना मे कोई निधि की व्यवस्था की गई है ? क्या उन्होंने सातवीं योजना में इसकी सिफारिश की है । इसे स्पष्ट करें ! कच्चा इस्पात मंत्रालय ने योजना आयोग को सातवीं योजना में कतिपय निधि की व्यवस्था की सिफारीश की है ।

श्री के० नटवर सिंह : हमने योजना आयोग को सिफारिश की है ?

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : उपाध्यक्ष महोदय, यह कर्नाटक के लोगों की 14 वर्षों

से इच्छा है कि उनके राज्य में यह संयंत्र है। लेकिन मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ कि क्या 1977-79 के दौरान जब केन्द्र में जनता सरकार थी तो क्या उसने इस संयंत्र पर कोई कारवाई इसलिए नहीं की क्योंकि सहयोगी उसे समुद्र तट पर लगाने के लिए अधिक महत्व देते थे। यदि हाँ, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? मैं वर्तमान सरकार से पक्का उत्तर चाहता हूँ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप हास्पेट संयंत्र के बारे में जानना चाहते हैं? क्या मंत्री जी कोई टिप्पणी करना चाहते हैं?

श्री के० नटवर सिंह : जनता सरकार के बारे में मेरे अपने विचार है। लेकिन इस समय मैं उन्हें अपने तक ही सीमित रखना चाहता हूँ।

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ। मैं संक्षिप्त प्रश्न पूछना हूँ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अन्य माननीय सदस्य कृपया शांत रहें। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप विशेष रूप से क्या जानना चाहते हैं?

[हिन्दी]

श्री नारायण चौबे : जनता गवर्नमेंट तो 1979 में चली गई। आप जनता गवर्नमेंट की बात बार-बार क्यों कहते हैं? (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नारायण चौबे, कृपया बैठ जाइए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह जानना चाहता हूँ कि वह वास्तव में क्या जानना चाहते हैं? मैं उनको सुनना चाहता हूँ। मुझे उनको सुनने की अनुमति दो? आप सभी इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हैं?

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : 1977-79 की अवधि में केन्द्र में जनता सरकार थी और एक विशेष मंत्री ने इस प्रस्ताव पर इस कारण कोई कार्यवाही नहीं की क्योंकि सहयोगी इस संयंत्र को समुद्र तट पर लगाना अधिक पसंद करते थे। कर्नाटक के लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। (व्यवधान) सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या इस पर मंत्रीजी कुछ कहना चाहते हैं? क्या प्रस्ताव को ताक पर रख दिया गया था?

श्री के० नटवरसिंह : इस प्रश्न पर मैं कैसे राय प्रकट कर सकता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस अवधि के दौरान क्या परियोजना पर कोई कार्रवाई नहीं की गई ?

श्री के० नटवर सिंह : परियोजना में किसी भी तरह की कोई प्रगति नहीं हुई।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपके लिए कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ। आप तकलीफ क्यों उठा रहे हैं, मंत्रीजी, क्या आपके पास कुछ जानकारी है ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहें ? कृपया बैठ जाइए।

श्री के० नटवर सिंह : मैं आपको जानकारी दूंगा। भारतीय इस्पात प्राधिकरण ने रिपोर्ट दी थी, इसे 1975 में शुरू किया गया था और 1977 में "एम.ई.सी.ओ.एन" द्वारा प्रस्तुत किया गया था डी. पी. आर. पर भारतीय रायल प्राधिकरण लि० द्वारा विभिन्न तकनीकी समितियां स्थापित की गई थी और मानदण्डों तथा उत्पादमिश्र में कतिपय परिवर्तन के लिए कहा गया था। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. बोर्ड ने डी.पी.आर. के अगस्त 1981 में अनुमोदित किया। अतः 1977 से 1980 तक वहां किसी प्रकार की प्रगति नहीं हुई। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : बस कृपया बैठ जाइए।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, संयंत्र की आधार शिला 1971 में रखी गयी थी अब 14 वर्ष बीत गए हैं। जनता सरकार दो वर्ष के लिए सत्ता में आई थी। अतः शेष 12 वर्षों में कांग्रेस सरकार ने क्या किया ? **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप क्या कहना चाहते हैं ? आप किस प्रकार का प्रश्न पूछना चाहते हैं ?

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ। **(व्यवधान)**

आधारशिला 1971 में रखी गई थी तब से अब तक 14 वर्ष बीत गये हैं। जनता सरकार केवल ढाई वर्ष के लिये आई थी। हास्पेट में विजय नगर इस्पात संयंत्र के बारे में किसी प्रकार की प्रगति को प्राप्त करने के लिए कांग्रेस (आई)सरकार ने शेष साढे ग्यारह वर्षों में क्या किया ?

श्री वसंत साठे : कांग्रेस सरकार ने इन वर्षों में जो कुछ किया था उसे जनता सरकार ने 2 वर्षों में समाप्त कर दिया। **(व्यवधान)**

प्रो. मधु दंडवते : हमने स्वतंत्रता संग्राम के 150 वर्षों में जो कुछ प्राप्त किया था वह उन्होंने आपातकालीन के दो वर्षों में नष्ट कर दिया था।

श्री वसंत साठे : किसी चीज को बनाने के लिये समय लगता है। नष्ट करने के लिए कुछ समय नहीं लगता **(व्यवधान)** जब चिड़िया चुग गई खेत तब पछताये क्या होता है। आप इन 14 वर्षों के बारे भूल में जाइए।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : आप चाहते हैं कि मैं केवल दो वर्ष याद रखूं।

श्री वसंत साठे : मैंने उन दो वर्षों को भी इन 14 वर्षों में शामिल किया है ताकि आप उसको भी भूल जाएं।

यदि आप यह जानना चाहते हैं कि विजय नगर इस्पात संयंत्र के बारे में क्या हो रहा है तो मैं आपको बताऊंगा कि वहां क्या हो रहा है, जहां तक विजय नगर इस्पात संयंत्र का संबंध है, मूल रूप से यह सोचा गया था कि इसे तत्कालिक उपलब्ध प्रौद्योगिकी जो कोककर कोयले पर आधारित है, पर आधारित होगी। इस समय उस क्षेत्र में कोककर कोयला उपलब्ध नहीं है। देश में कोककर कोयले की कम सप्लाई है। इसके बाद यह पाया गया कि कोककर कोयले पर आधारित कोई प्रौद्योगिकी लालपुर किफायती और व्यावहारिक नहीं होगी। इसलिए एम.ई.सी.ओ.एन. से कहा गया कि वह यह पता लगाये कि किसी अन्य प्रौद्योगिकी के संयंत्र पर कार्य शुरू किया जाना है। यह एक वादा था और हम इसे निभाना चाहते थे—उपयोग किया जा सकता है। यह पता लगा कि डी. आर. (डायरेक्टर रीडक्शन) नामक एक प्रौद्योगिकी है जिसके द्वारा बिजली सहित स्पंज लोहे को आप इस्पात में बदल सकते हैं। हमने इस प्रौद्योगिकी का उपयोग भी किया। हमारे पास स्पंज लोहा हो सकता है तथा इस्पात का उत्पादन कर सकते हैं।

इस समय केवल एक ही प्रश्न है कि हमारे पास बिजली की सप्लाई सुनिश्चित होनी चाहिए। दुर्भाग्यवश कर्नाटक के साथ हमारा अनुभव कुद्रेमुख जैसे संयंत्र के लिये भी.....

श्री एस. जयपाल रेड्डी : कब से !

श्री वसंत साठे : आप 'कब' के बारे में भूल जाइये। आप परिणाम जानने में दिलचस्पी लेते हैं या कमियां निकालने में दिलचस्पी लेते हैं। मैं आपको स्थिति बता रहा हूं। कर्नाटक सरकार आज भी बिजली देने के लिये आश्वासन नहीं दे सकती है। जब हमने कुद्रेमुख परियोजना के लिये 70 करोड़ रुपये दिये हैं तब भी उन्होंने बिजली नहीं दी। विश्वेसर्या इस्पात जैसे अपने इस्पात संयंत्रों के लिए कर्नाटक में बिजली उपलब्ध नहीं है। मेरे माननीय दोस्त को यह जानना चाहिए कि जब तक विद्युत की सप्लाई सुनिश्चित नहीं की जाएगी तब तक यह इस्पात संयंत्र काम नहीं कर सकता।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : क्या उन्हें इस विद्युत के बारे में जानकारी है जिससे कर्नाटक के लोगों को वंचित किया गया है ।

श्री वसंत साठे : आप विद्युत का आश्वासन दें और मैं आपको संयंत्र का आश्वासन देता हूँ ।

श्री के एच. रंगनाथ : क्या यह सही नहीं है कि जब जार्ज फर्नांडिज उद्योग मंत्री थे तो उन्होंने सुझाव दिया था कि तट पर आधारित परियोजना अधिक अच्छी थी और फलस्वरूप उन्होंने विजय नगर इस्पात संयंत्र के निर्माण का विचार छोड़ दिया । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ । समय नहीं है, कृपया बैठ जाइए ? आप अपना प्रश्न लिखित में दें । मैं प्रो. के. के. तिवारी के अल्प सूचना प्रश्न को पढ़ता हूँ ।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ शामिल नहीं किया जाएगा । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : समय समाप्त हो गया । आप अपना प्रश्न माननीय मंत्रीजी को लिखित रूप में दें जो आपके प्रश्न का उत्तर देंगे । कृपया बैठ जाइए । आप मेरे अधिकार को चुनौती नहीं दे सकते ?

प्रश्नकाल समाप्त हुआ । अब हम अल्प सूचना प्रश्न लेंगे । प्रो० के०के० तिवारी

अल्प सूचना प्रश्न

12.02 म० प०

भोपाल में गैस रिसाव पर यूनियन कार्बाइड कार्पोरेशन, यू. एस. ए. द्वारा एक तकनीकी रिपोर्ट जारी करने की सूचना

[अनुवाद]

1. **प्रोफेसर के०के० तिवारी** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान यूनियन कार्बाइड कार्पोरेशन, यू. एस. ए. द्वारा भोपाल स्थित अपने संयंत्र से जहरीली गैस रिसाव के कारणों पर जारी की गई तकनीकी रिपोर्ट

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

तथा उस कार्पोरेशन के अध्यक्ष और अन्य अधिकारियों के उन वक्तव्यों की ओर आकर्षित किया गया है जिनमें भीषण दुर्घटना के संबंध में उन्होंने यूनियन कार्बाइड कार्पोरेशन, यू. एस. ए. के उत्तर-दायित्व अथवा दायित्व से इंकार किया है और सभी उत्तरदायित्व पूर्ण रूप से उक्त संयंत्र के भारतीय प्रबन्धकों और आपरेटरों पर डालने का प्रयत्न किया है,

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ।

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां ।

(ख) यूनियन कार्बाइड कार्पोरेशन, यू.एस.ए. की तथा कथित तकनीकी रिपोर्ट में सूचित निष्कर्ष स्पष्टतः अपर्याप्त साक्ष्य पर आधारित है और इसलिए काल्पनिक हैं । इसके अतिरिक्त तथाकथित तकनीकी रिपोर्ट जारी करते समय यूनियन कार्बाइड कार्पोरेशन, यू. एस. ए. के अधिकारियों द्वारा दुर्भाग्यपूर्ण रिसाव के लिए उत्तरदायित्वों के बारे में प्रेस में दिए गए वक्तव्य अवांछित और अनुचित हैं अपर्याप्त आंकड़ों के आधार पर तकनीकी रिपोर्ट का प्रकाशन और उसके आधार पर कार्पोरेशन के अधिकारियों के वक्तव्य, इसलिए अभिप्रेरक प्रतीत होते हैं ।

भोपाल गैस भीषण दुर्घटना के लिए यूनियन कार्बाइड कार्पोरेशन, यू०एस०ए० की सदोषता सिद्ध करने के लिए, विश्वसनीय रूप में, पर्याप्त साक्ष्य है । तथापि, सरकार इस अवस्था में आम बहस नहीं कर सकती क्योंकि मामला न्यायाधीन है, परन्तु उचित मंच पर इस संबंध में सभी तथ्य प्रस्तुत करेगी ।

प्रो. के. के. तिवारी : महोदय, यूनियन कार्बाइड की रिपोर्ट एक अनोखा दस्तावेज है और इससे यह पता चलता है कि वह अपनी पूरी जिम्मेदारी से बच निकलने की कोशिश में है । औद्योगीकृत दुनिया के इतिहास में भोपाल की यह दुर्घटना अद्वितीय है । हजारों लोग मारे गए और हजारों असहाय हुए हैं । उनमें से कुछ अपंग हो गए हैं । इस भयंकर दुःखद घटना को देखते हुए सरकार ने गैस पीड़ितों के पुनर्वास के कई कदम उठाए और तब वहां गतिविधियों की हलचल शुरू हो गई । कई अमरीकी एडवोकेट अचानक भोपाल आए और हमने सुना कि इस गैस संकट और दुःखद घटना के पीड़ितों को उपयुक्त क्षतिपूर्ति देने के लिए मामलों को तैयार किया जा रहा है, यह सब कुछ होने के बाद अब हम यूनियन कार्बाइड से सुनते हैं कि अपराधी बहु-राष्ट्रीय कम्पनी किसी मामले में अन्तर्ग्रस्त नहीं है और भारतीय प्रबन्धकों तथा वहां काम कर रहे कुछ भारतीयों पर जान बूझकर दोष लगाने का प्रयास किया जा रहा है, यूनियन कार्बाइड की यह बहुत गंभीर साजिश है । इस दुर्घटना के पीड़ितों को मुआवजा देने की सारी जिम्मेदारियों से यह पूरी तरह छुटकारा पाने की कोशिश में है ।

इसलिए मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि वह इस मामले को अत्यधिक गंभीरता से ले और सदन तथा देश को यह बताए कि सरकार द्वारा क्या सही कदम उठाए जा रहे हैं जिससे न केवल इस तरह की दुर्घटना को पुनः होने से रोका बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पीड़ितों को क्षतिपूर्ति भी दी जाए । जो लोग मर गये हैं वे तो मर गए । लेकिन इस

दुर्घटना का बहुत दूर काफी प्रभाव होगा। जो लोग अशक्त हो गए हैं उनका पुनर्वास किया जाना होगा।

डाक्टरों ने बताया है कि इस विभीषिका का प्रभाव अजन्मे बच्चों पर भी पड़ेगा। यह बहुत गंभीर अपराध है। इसके लिए ऐसी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए जिससे अपराधियों को दंड दिया जा सके।

एक माननीय सदस्य : उपाय क्या है ?

प्रो. के. के. तिवारी : आप क्या उपाय बताएंगे जब वही लोग जिम्मेवारी से बच रहे है जिन्हें इसकी कैफियत देनी है **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करिए।

प्रो. के. के. तिवारी : ऐसा लगता है कि इस निगम ने उन सभी जिम्मेवारियों से बचने का प्रयास किया है जो इस विभीषिका के कारण सामान्यतः उस पर आती। इस बात को मद्दे नजर रखते हुए मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि इस रिपोर्ट के आने पर इस तकनीकी रिपोर्ट के आने पर जैसा कि वह कहते हैं निगम के अधिकारियों द्वारा इसकी घोषणा किये जाने पर अमेरिका स्थित हमारे दूतावास ने इस रिपोर्ट पर क्या कोई कारवाई की थी।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मेरी जानकारी के अनुसार अमेरिका के यूनियन कारबाइड निगम ने यह रिपोर्ट प्रस्तुत की थी तथा इसका उक्त निगम के अध्यक्ष द्वारा 20 मार्च 1985 को अमेरिका में इसे जारी किया गया। माननीय सदस्य ने भारतीय दूतावास की प्रतिक्रिया जाननी चाही है। हमें भारतीय दूतावास से रिपोर्ट प्राप्त हुई है। उसके अनुसार दूतावास ने प्रेस को निम्नलिखित वक्तव्य जारी किया है :

"भारत सरकार, यूनियन कार्बाइड निगम के भोपाल संयंत्र में हुई दुर्घटना के संबंध में निगम के उत्तरदायित्व तथा देयता के प्रश्न पर बड़ी सर्तकता से कार्यवाही कर रही है। हमें आशा थी कि यूनियन कार्बाइड इस संबंध में सावधानी बरतती हमें दुःख है कि कम्पनी ने न केवल तथाकथित रिपोर्ट को प्रकाशित किया बल्कि, जैसा कि उसने स्वयं स्वीकार किया है, रिपोर्ट को दुर्घटना के बारे में तथ्यों की सही जानकारी प्राप्त किये बिना तैयार किया गया है और उसमें दावे के साथ ऐसे निहितार्थ वाले शब्दों को भी शामिल किया गया है जो अनुचित तथा अस्वीकार्य है। तकनीकी रिपोर्ट पर पूरी टिप्पणी भारत में संबंधित विशेषज्ञों द्वारा जारी की जा रही है।

प्रो. के. के. तिवारी : मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न इस बहु राष्ट्रीय कम्पनी की तुलना में इस संयंत्र की भूमिका के बारे में है क्योंकि वह अब अपनी जिम्मेवारी स्थानीय प्रबंधकों पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ कि क्या संयंत्र का डिजायन तथा तकनीकी सेवा अमरीका की यूनियन कार्बाइड ने प्रदान किया था। यह भी स्पष्ट करें कि यूनियन कार्बाइड के भोपाल स्थित भारतीय संयंत्र तथा अमेरिका में यूनियन कार्बाइड के मुख्य कार्यालय के बीच क्या संबंध है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि इस स्तर पर सरकार के पास उपलब्ध तथ्यों की सूचना देना लोकहित में नहीं होगा। बहरहाल अमेरिका की यूनियन कार्बाइड निगम के यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड में 50.9 प्रतिशत शेयर हैं अतः इसका इस पर अधिक नियंत्रण हैं। यूनियन कार्बाइड अमेरिका ने ही भोपाल संयंत्र के लिए डिजायन तथा तकनीकी सेवाएं प्रदान की थीं।

प्रो० मधु दंडवते : क्या यह सच है कि भोपाल में इस दुर्घटना से प्रभावित लोगों में यह भावना घर करती जा रही है कि सरकार यूनियन कार्बाइड निगम के साथ इस समस्या को न्यायालय के बाहर निपटाना चाहती है। यदि ऐसा है तो न्यायालय के बाहर इस समस्या को निपटाने के प्रयास में कुछ कठिनाईयां समक्ष आयेंगी अगर अमरीका में इस तरह की दुर्घटना होती तो वहां की दशाओं के अनुरूप अमरीकी न्यायाधीश प्रत्येक क्षति के लिए 50,000 से 10,000 डालर तक की न्यूनतम क्षतिपूर्ति का देते हैं और प्रत्येक मृत्यु के लिए इससे भी अधिक मुआवजा देने के लिए कहते लेकिन यूनियन कार्बाइड की परिसम्पत्तियां इतनी नहीं है कि वह इतने बड़े उत्तरदायित्व को निभा सके अतः न्यायालय से बाहर मुआवजे की समस्या को सुलझाने का प्रयास भोपाल में गैस दुर्घटना से प्रभावित लोगों के हित में नहीं होगा। अतः क्या आप सदन को आश्वासन देंगे कि मामले को न्यायालय के बाहर नहीं निपटाया जाएगा।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : सदन में इस पर हाल ही में चर्चा हुई है तथा विधेयक पर विचार करने समय मैंने स्पष्ट कर दिया था कि विधेयक भारत सरकार को शक्तियां देता है तथा इसकी व्यवस्थाओं के अनुसार भारत सरकार के समक्ष तीन विकल्प हैं। पहला विकल्प है मामले को अमरीकी न्यायालय में दायर करना, दूसरा विकल्प है मामलों को भारतीय न्यायालयों में दायर करना तथा तीसरा विकल्प है न्यायालय के बाहर मामले को निपटाना। भारत सरकार के समक्ष ये तीन विकल्प हैं। मैंने यह बहुत स्पष्ट कर दिया है कि इस तीन में से किसी भी एक विकल्प को गैस पीड़ितों के सर्वोत्तम हित को ध्यान रखकर ही, स्वीकार किया जाएगा। मान लीजिए कोई प्रस्ताव आता है—कम्पनी से हमें कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है—और वह प्रस्ताव अगर पीड़ितों के सर्वोत्तम हित में हो तो हम निश्चय ही उस पर विचार करेंगे और यदि प्रस्ताव गैस पीड़ितों के सर्वोत्तम हित में नहीं होगा तो हम उस पर विचार नहीं करेंगे और सरकार पर किसी प्रकार का दबाव डालने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

श्री हरभाई मेहता : क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि क्या भारतीय जांच के निष्कर्षों के अनुसार गैस-रिसाव से कम से कम तीन दिन पूर्व संयंत्र के तकनीशियनों को मालूम था कि टैंक नं० 610 में कुछ खराबी है तथा अमेरिका में भी उच्च पदाधिकारियो को इसकी जानकारी थी फिर भी वह पता लगाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई कि टैंक नं० 610 में क्या गड़बड़ी है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : माननीय सदस्य श्री तिवारी जिन्होंने इस प्रश्न को रखा है तथा जिस रिपोर्ट का उन्होंने हवाला दिया है वह रिपोर्ट नहीं है वह तो अमेरिका की यूनियन कार्बाइड निगम द्वारा प्रस्तुत की गई है। माननीय सदस्य श्री तिवारी उस रिपोर्ट पर सरकार की प्रतिक्रिया तथा उस पर यूनियन कार्बाइड के पदाधिकारियों द्वारा दिए वक्तव्य के बारे में जानना चाहते हैं।

इसलिए यह प्रश्न हमारी रिपोर्ट तथा उस पर टिप्पणी से संबंधित नहीं है। यह रिपोर्ट उनके द्वारा प्रस्तुत की गई है। उन्होंने उस पर टिप्पणी की है अमेरिकी प्रचार मांध्यमों में उसका व्यापक प्रचार हुआ है। माननीय सदस्य भारत सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहते थे और मैं उस बारे में बता चुका हूँ।

श्री ई० अय्यापु रेड्डी : यूनियन कार्बाइड के उच्च अधिकारी के खिलाफ दर्ज फौजदारी मामले का क्या हुआ ? उसे अग्रिम जमानत पर छोड़ दिया गया। पहले उसे जमानत नहीं दी गई थी और बाद में उसे जमानत पर छोड़ दिया। क्या जांच पूरी हो चुकी है तथा क्या सरकार का विचार उसके खिलाफ आरोप-पत्र जारी करने का है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मामला मध्य प्रदेश सरकार ने दायर किया है। मामला दर्ज कर लिया गया है तथा जांच का काम केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौप दिया गया है। वह मामले की जांच कर रहा है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सरकार द्वारा तैयार तीन विकल्पों में से एक विकल्प मामले को अमेरीकी न्यायालयों में। दूसरा विकल्प भारतीय न्यायालयों में दायर करना है। यह व्यक्तिगत देयता का सवाल नहीं है। यह तो सम्मिलित सामूहिक अपराध का प्रश्न है। यदि जांच के दौरान पता चलता है कि यूनियन कार्बाइड लिमिटेड, अमेरिका दोषी पक्ष है तो मेरे ख्याल से मामले अमेरिकी न्यायालयों में दायर किए जाने चाहिए लेकिन ऐसा करने से यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड जोकि एक नियंत्रित कम्पनी है, का अपराध स्वत: खत्म नहीं हो जाएगा। इस प्रकार यह दोनों विकल्प परस्पर अलग नहीं हैं इस संबंध में सरकार का क्या मत है ? दोनों देशों के न्यायालयों में अर्थात् अमेरिकी न्यायालयों तथा भारतीय न्यायालयों में मामले दायर करना जरूरी हो सकता है। इस मामले में दो सम्मिलित निकाय शामिल हैं। मुझे मालूम है कि अमेरिकी किसी और पर इसकी जिम्मेवारी डालने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन इससे यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के निर्देशकों को स्वत: मुक्ति नहीं मिलेगी। आशा है सरकार इस संबंध में समुचित पूर्वोपायों की व्यवस्था करेगी तथा सम्मिलित दायित्व के मामले में किसी भी अपराधी को तकनीकी आधार पर नहीं छोड़ा जाएगा।

महोदय, हमें पहली बार पता चला है कि इस यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड को 50 प्रतिशत—59 प्रतिशत—विदेशी सामान्य शेयरों की मंजूरी दी गई थी। मैं जानना चाहूँगा कि ऐसा कैसे हुआ और किस आधार पर इसकी मंजूरी दी गई।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : पीछे चर्चा के दौरान मैंने स्पष्ट किया था तथा मैं माननीय सदस्य को भी यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि भारत सरकार अमरीका के यूनियन कार्बाइड निगम के खिलाफ मुकदमा चलाना चाहती है। क्योंकि चाहे वह नियंत्रित कम्पनी है फिर भी इस कम्पनी के 50% से अधिक शेयर हैं। अत: वे अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। हम इन सभी विकल्पों की खासकर प्रथम दो विकल्पों की जांच कर रहे हैं कि मामला अमेरिकी न्यायालय में अथवा भारतीय न्यायालय में दायर किया जाये। मैंने पीछे चर्चा के दौरान सदन को सूचित किया था कि जहां तक इन मामलों को अमेरिकी न्यायालय में दायर करने का संबंध है, समय बहुत कम है और हमें इस सम्बन्ध में बहुत जल्दी निर्णय ले लेना चाहिए। हमने कानूनी सलाह देने

वाली फर्मों की नियुक्ति की है । न्यायवादी भी है । वे संयंत्र का दौरा करने जा रहे हैं । यदि हम मामले दायर करने चाहते हैं तो एक या दो सप्ताह में हमें निर्णय लेना होगा । सरकार गैस पीड़ितों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है तथा सभी जरूरी कदम उठाने के लिए तैयारी कर रही हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

सीमेंट का आयात

*245. **श्री मोहनलाल पटेल** : क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984 के दौरान सीमेंट की कितनी मात्रा का आयात किया गया और इस पर कितना व्यय हुआ ;

(ख) उक्त आयात किस दर पर तथा किस देश से किया गया;

(ग) वर्ष 1985 के दौरान सीमेंट की कितनी मात्रा का निर्यात किये जाने की आवश्यकता है; और

(घ) विदेशी मुद्रा बचाने के लिए भविष्य में देश में सीमेंट का अधिक उत्पादन करने और सीमेंट का आयात कम करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) राज्य व्यापार निगम द्वारा 1984 के दौरान सी.एण्ड एफ.आधार पर 23.85 करोड़ रुपये मूल्य की 4.59 लाख एम०टी० सीमेंट की मात्रा का आयात किया गया ।

(ख) देशों के नाम तथा वे दरें जिन पर आयात किया गया निम्न प्रकार हैं :

देश का नाम	सीमेंट की किस्म	प्रति मे. टन दर
पोलैंड	साधारण ग्रे पोर्टलैंड सीमेंट	यू०एस० डालर 30 प्रति मे० टन एफ०ओ०बी०
जी०डी०आर०	,,	310.40 रुपये प्रति मे० टन एफ० ओ० बी०
रुमानिया	,,	315 रुपये प्रति मे० टन एफ०ओ०बी०
दक्षिणी कोरिया	सल्फेट रेसिस्टेंस सीमेंट	यू०एस०डालर 48 प्रति मे०टन एफ०ओ०बी०
युगोस्लाविया	सफेद सीमेंट	यू०एस०डालर120.50 प्रति मे० टन बी० एण्ड एफ०

(ग) 1985 के दौरान सीमेंट के आयात की कुल मात्रा के सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(घ) अधिक सीमेंट का उत्पादन करने के लिये अतिरिक्त क्षमता प्रस्थापित करने का अनुमोदन किया जा चुका है। यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि विद्यमान एककों की बेहतर उपयोग क्षमता हो।

पश्चिम बंगाल में बैंकिंग सेवा

247. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि पश्चिम बंगाल में बैंकिंग सेवायें विशेष रूप से शीर्ष (लीड) बैंकों की सेवायें, बहुत खराब हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वहां पर बैंकों के कार्यकरण में सुधार लाने हेतु सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) कुछ समय से पश्चिम बंगाल राज्य में बैंकों के कार्यों में सुधार होने लगा है। राज्य में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमा राशि दिसम्बर 1979 में 3579 करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च 1984 में 6792 करोड़ रु० हो गई। इसी अवधि में अग्रिमों की राशि भी 2302 करोड़ रुपये से बढ़कर 3889 करोड़ रुपये हो गई। 31 मार्च, 1982 को राज्य में 23 हजार की औसत जनसंख्या के पीछे एक शाखा कार्यालय था। 31 दिसम्बर, 1984 को 19 हजार की आबादी के पीछे एक कार्यालय हो गया। दिसम्बर, 1979 के अन्त में राज्य में सरकारी क्षेत्र के बैंक द्वारा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को दिए गये अग्रिमों की राशि 409.39 करोड़ रुपये थी जो दिसम्बर, 1983 के अन्त में बढ़कर 766.4 करोड़ रुपये हो गई। वर्ष 1980-81 में राज्य में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 2.57 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की गई थी। 1983-84 में बढ़कर 30.42 करोड़ रुपये हो गई। स्थानीय लोगों के लाभ के लिए राज्य में बैंकिंग सेवाओं में और सुधार करने के वास्ते लगातार प्रयत्न किये जा रहे है।

शेयर बाजार सम्बन्धी सुधार

*250. **श्री बी०बी० देसाई** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार, पूंजी बाजार से अधिक धन एकत्र करने के उद्देश्य से गैर अधिकारी क्षेत्र में सांझी-निधि स्थापित करने के लिए, समय-समय पर दिये गये प्रस्तावों पर, शेयर बाजार सुधारों सम्बन्धी जी०एस०पटेल समिति के विचार जानने पर सहमत हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो शेयर बाजार की कार्यप्रणाली में किस सीमा तक सुधार किए गये हैं;

(ग) क्या पटेल समिति के विचार प्राप्त हो गये थे; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त तथा वाणिज्य और पूर्ति मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रतापसिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए ये सवाल पैदा नहीं होते।

राउरकेला इस्पात संयंत्र में घटिया किस्म के इस्पात का उत्पादन कम करने के लिए कदम

*251. **श्री विजय एन. पाटिल** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राउरकेला इस्पात संयंत्र का निर्माण प्रक्रिया में कारखानों द्वारा घोषित किया गया (घटिया किस्म के) इस्पात का उत्पादन वर्ष 1983-84 की तुलना में वर्ष 1984-85 में अधिक हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में घटिया किस्म के (रद्दी घोषित किये गये) इस्पात का उत्पादन कम करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) राउरकेला इस्पात कारखाने में इस्पात की क्वालिटी में सुधार करने के लिए उठाये गये कदमों में, विगंधकीकरण की सुगंविधाओं की स्थापना, एल० डी० कन्वर्टरों तथा गौण इस्पात बनाने के लिये प्रोसेस कन्ट्रोल कम्प्यूटरों की स्थापना शामिल है। उठाये गये इन कदमों के परिणाम प्राप्त हुए हैं।

राउरकेला इस्पात कारखाने के प्रोद्यौगिकीय उन्नयन के प्रस्ताव में आदान के रूप में प्रयुक्त होने वाली कच्ची सामिग्री में सुधार करने की आवश्यकता पर बल दिया जायेगा।

कारखाने की सिन्टर उत्पादन की क्षमता में भी वृद्धि की जायेगी। एल० डी० कन्वर्टरों में टाप तथा बाटम ब्लोईंग सुविधाओं की स्थापना करके इस्पात बनाने की एल० डी० प्रक्रिया में नवीनतम प्रौद्योगिकी का समावेश किया जायेगा। आशा है इन प्रयासों से घटिया क्वालिटी के इस्पात का उत्पादन कम किया जा सकेगा।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा वाणिज्यिक तथा सहकारी भूमि विकास बैंकों को जारी किए गए दिशा निर्देश

252. **श्री के. राममूर्ति** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों द्वारा सभी वाणिज्यिक बैंकों तथा राज्य सहकारी भूमि विकास बैंकों को जारी किए गए दिशा निर्देशों का ब्यौरा क्या है जिसमें यह कहा गया है कि वह 35 अश्व शक्ति से अधिक के ट्रैक्टरों की खरीद के लिए दिए गए ऋणों के पुनः वित्तपोषण में बहुत कड़ाई से काम लेगा; और

(ख) इस प्रकार का कदम उठाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा सितम्बर 1984 को वाणिज्यक बैंकों के नाम दिशा-निर्देश जारी किये गये थे कि वे 35 हार्स पावर से अधिक की शक्ति वाले ट्रैक्टरों की खरीद का पुनर्वित्त करने की योजनाओं की आवश्यकता और अर्थक्षमता पर ध्यान पूर्वक विचार करें। ऐसे दिशा निर्देश जारी किये जाने का मुख्य कारण यह था कि अधिक हार्स पावर के ट्रैक्टर प्रायः हिताधिकारियों के वास्तविक कृषि कार्यों के लिये नहीं होते और उनकी आम तौर पर आवश्यकता भूमि को आकार (लैंड शेपिंग) जैसे हैवी ड्यूटी कार्यों के लिये होती है। फिर भी, विभिन्न पक्षों से अभ्यावेदन प्राप्त होने पर फरवरी 1985 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास—बैंक ने एक और परिपत्र जारी किया है जिसमें बैंकों को, अलग योजनाओं की अर्थक्षमता के आधार पर 50 हार्स पावर से अधिक के ट्रैक्टरों का वित्तपोषण करने का परामर्श दिया गया है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में डकैतियां

253. **श्री सी. डी. गामित** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान पंजाब, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में राष्ट्रीयकृत बैंकों में कितनी डकैतियां हुई हैं ; और

(ख) इस सिलसिले में अब तक कितने लोग गिरफ्तार किये गये हैं और कितनी धनराशि बरामद हुई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) प्राप्त सूचना के अनुसार 1.1.84 से 31.12.84 की अवधि के दौरान पंजाब, राजस्थान, गुजरात के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में बैंकों में हुई बैंक लूटपाट/डकैती की वारदातों की संख्या गिरफ्तार किए गए/हिरासत में लिए गए व्यक्तियों की संख्या और बरामद की गई राशि नीचे दी गई है :—

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	बैंक लूटपाट/ डकैतियों की संख्या	गिरफ्तार/हिरासत में लिए गए व्यक्तियों की संख्या	बरामद की गई राशि (लाख रुपए)
पंजाब	11	5	0.26
राजस्थान	5	5	—
गुजरात	1	शून्य	शून्य
दिल्ली	7	5	3.27

भारत-पाक सीमा पर जब्त किए गए मादक पदार्थ

[हिन्दी]

*254. **श्री रामप्यारे पनिका** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-पाक सीमा पर तस्करी करने वालों से गत दो महीनों के दौरान कुछ मादक पदार्थ पकड़े गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका मूल्य कितना है और इस संबंध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं ;

(ग) क्या सरकार इस प्रकार की तस्करी को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठा रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सरकार को मिली रिपोर्टों से यह पता चलता है कि जनवरी और फरवरी 1985 के दौरान भारत-पाकिस्तान सीमा पर लगभग 77,642/–रुपये मूल्य के मादक-द्रव्य, अर्थात् शराब की 1872 बोतलें पकड़ी गई थीं। इस सिलसिले में कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया गया था।

(ग) और (घ) तस्करों के खिलाफ चलाए गए अभियान को तेज कर दिया गया है। इस क्षेत्र में सीमाशुल्क विभाग के निवारक और गुप्तचर्या तन्त्र को, कर्मचारी और उपकरण उपलब्ध कराकर सुदृढ़ बना दिया गया है। इसके अतिरिक्त, तस्करी के रुख और तरीके की लगातार समीक्षा की जाती है तथा केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के सम्बन्धित अधिकारियों के साथ घनिष्ठ ताल-मेल बैठाकर तस्करी-निवारण हेतु अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों प्रकार के उचित उपाय किए जाते हैं।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में समान वेतनमान और सेवा शर्तें

*255. **श्री दिलीपसिंह भूरिया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में उनके राष्ट्रीयकरण के पन्द्रह वर्ष बाद समान वेतनमान और सेवा की शर्तें लागू करने के अपने वायदे में सफल हुई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इतनी लम्बी अवधि के पश्चात् भी सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिये समान वेतनमान और सेवा की शर्तें लागू न किये जाने के क्या कारण हैं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) :(क) और (ख) सभी 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मकारों तथा अधिकारियों के वेतनमान, भत्ते और सेवा की शर्तें एक समान हैं।

भारतीय स्टेट बैंक की कतिपय विशेषताओं के कारण, 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारतीय

स्टेट बैंक में वेतन, भत्तों तथा लाभों के मामलों में कुछ भिन्नतायें हैं। अलबत्ता, भारतीय स्टेट बैंक के सात अनुषंगी बैंकों में वेतनमान, भत्ते तथा अन्य सेवा शर्तें राष्ट्रीयकृत बैंकों के समान हैं।

कच्चे पटसन की कमी के कारण पटसन मिलों का बन्द किया जाना

[अनुवाद]

*256. श्रीमती गीता मुखर्जी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त : } क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कलकत्ता की पटसन मिलों के मालिक कच्चे पटसन की कमी की दलील देकर पटसन मिलों को बन्द कर रहे हैं और इसके परिणामस्वरूप 12 पटसन मिलों के 50,000 कामगार बेरोजगार हो गये हैं;

(ख) क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि यह कमी 'काले' धन का धंधा करने वाले बेईमान पटसन मिल मालिकों की सांठ-गांठ से कच्चे पटसन की जमाखोरी करके कृत्रिम रूप से पैदा कर रहे हैं ;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी भी है कि पश्चिम बंगाल में आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस और सेंटर फार इंडियन ट्रेड यूनियन सहित विभिन्न मजदूर संघों ने मांग की है कि केन्द्रीय सरकार पटसन मिल मालिकों की पटसन मिलों को खोलने के लिये तत्काल आदेश जारी करे और यदि वे ऐसा नहीं करते, तो इन मिलों को अपने हाथ में ले लें ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी०ए० संगमा): (क) हाल में पटसन मिलों को बंद किये जाने के सम्बन्ध में सामान्यत : जो कारण हैं वह औद्योगिक विवाद है। कच्चे पटसन की कमी तथा उसकी ऊंची कीमतें एवं मिलों को वित्तीय अभाव। मिल बंद होने के सहयोगी कारण बताए जाते हैं। इस समय पश्चिम बंगाल में 14 पटसन मिलें, जिनसे 50,200 कामगार प्रभावित हैं, बन्द पड़ी है (3 स्थायी रूप से बन्द पड़ी मिलों को छोड़कर) जिसमें से 11 मिलों की 1985 के आरम्भ से बन्द कर दिया गया, इससे लगभग 42,400 कामगार प्रभावित हैं।

(ख) पटसन की लगातार चार फसलें कम होने के कारण परिणामस्वरूप, देश में कच्चे पटसन की कमी है।

(ग) तथा (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

बंगाल चटकल मजदूर संघ की केन्द्रीय कार्यकारी समिति की 16 फरवरी, 1985 को हुई बैठक में पारित किये गये संकल्प तथा पश्चिम बंगाल सरकार के श्रम मंत्री की अध्यक्षता में 26

फरवरी, 1985 को हुई त्रिपक्षीय बैठक में श्रमिक संघ के प्रतिनिधियों ने अन्य बातों के साथ-साथ यह मांग की कि सभी बंद पड़े तथा तालाबन्दी किए गए पटसन मिलों को पुनः खोल दिया जाना चाहिए, ऐसा न करने पर भारत सरकार को उन्हें तत्काल अधिग्रहण कर लेना चाहिए। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि बंद किया जाना है। तालाबंदी औद्योगिक विवाद अधिनियम के कार्यक्षेत्र में आती है और राज्य सरकार औद्योगिक विवादों से सम्बन्धित मामलों पर कार्यवाही करने सम्बन्धी समुचित प्राधिकरण हैं। अतः यह पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार का काम है कि वह इस विषय में समुचित कार्यवाही करे।

किसी उद्योग का अधिग्रहण करना रुग्ण एककों को पुनः चालू करने का आखिरी सहारा है। सरकार की भूमिका मुख्य रूप से ऐसे उपायों को मानीटर करना तथा समन्वित करना है जिनका लक्ष्य रुग्ण एककों को पुनः चालू करना तथा साथ ही साथ बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थानों से सहायता लेना है जो कि उद्योग के पुनर्जीवित करने के लिए एककों का वित्तीय तथा प्रबन्धकीय पुनर्गठन सहित उपचारात्मक उपाय करने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है।

उड़ीसा में दूसरा इस्पात संयंत्र

*257 **श्री वृज मोहन महंती** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान उड़ीसा में एक दूसरा इस्पात संयंत्र स्थापित किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस संबंध में विदेशी सहयोग के लिए बातचीत चल रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) और (ख) उड़ीसा में देत्तारी के स्थान पर इस्पात कारखाना लगाने के संबंध में सरकार के निर्णय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। पूंजी-निवेश सम्बन्धी निर्णय लेने के पश्चात् ही कारखाना लगाने की संभावित समय-सूची का पता चल सकेगा। पूंजी-निवेश संबंधी निर्णय अभी लिया जाना है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय सरकार की जमा राशि में कमी

*258. **श्री चन्नण पासस** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दो महीनों, जनवरी और फरवरी 1985 के दौरान केन्द्रीय सरकार की जमा राशि में गिरावट आयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय पूल से बैंकिंग प्रणाली को संसाधनों के इतने भारी अन्तरण के क्या कारण हैं ?

वित्त तथा वाणिज्य और पूर्ति मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) रिजर्व बैंक के साथ ऐसी व्यवस्था है कि जब केन्द्रीय सरकार की रोकड़-बाकी बहुत अधिक हो जाय तो इसे रिजर्व बैंक द्वारा धारित राजकोषीय हुंडियों को परिपक्वता से पहले ही रद्द करके कम किया जाना चाहिए। इस व्यवस्था के द्वारा उस बेकार पड़ी अधिशेष रोकड़-बाकी का उपयोग, जिस पर कोई ब्याज प्राप्त नहीं होता, रिजर्व बैंक के प्रति सरकार की ब्याजू देनदारी को कम करने के लिए किया जाता है। इसका अर्थ केन्द्र के साधनों का, बैंकिंग प्रणाली को अंतरण किया जाना नहीं है। राजकोषीय हुंडियों का रद्दकरण संसद द्वारा स्वीकृत विनियोग के अन्तर्गत किया जाता है।

जम्मू और कश्मीर में भारतीय जीवन बीमा-निगम के मंडलीय कार्यालयों की स्थापना

*259. **प्रो॰ सैफुद्दीन सोज** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम ने भारत के सभी बड़े नगरों में मंडल कार्यालय खोले हैं;

(ख) क्या उनको यह जानकारी भी है कि जम्मू और कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों की राजधानियों में भारतीय जीवन बीमा निगम के मंडल कार्यालय खोले गए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या निकट भविष्य में श्रीनगर और जम्मू में भी मंडल कार्यालय खोले जायेंगे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं। जीवन बीमा निगम के केवल 43 शहरों में ही डिवीजनल कार्यालय हैं।

(ख) 9 राज्यों की राजधानियों में जीवन बीमा निगम का कोई डिवीजनल कार्यालय नहीं है।

(ग) जीवन बीमा निगम द्वारा श्रीनगर तथा जम्मू में डिवीजनल कार्यालय खोलने के सवाल पर निर्णय गुणावगुण के आधार पर लिया जाएगा।

जीवन रक्षक श्रेणी के अन्तर्गत नेत्र ज्योति रक्षक उपकरणों का आयात

*260 **श्री आनन्द पाठक**
श्री रेणुपद दास : क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशिया प्रशान्त नेत्र विज्ञान अकादमी परिषद ने सरकार से नेत्र ज्योति रक्षक उपकरणों का शुल्क मुक्त आयात करने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की उक्त प्रस्ताव पर क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) यदि इस प्रकार की कोई रियायत देने का विचार नहीं है तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) परिषद का अनुरोध विचाराधीन है।

हीरों का निर्यात

*261. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके पास हीरे के निर्यात संबंधी प्रयासों में सहायता करने के लिए अपरिष्कृत हीरों का भण्डार बनाने की कोई योजनायें हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या तराशे हुए हीरों का निर्यात बढ़ाया जा रहा है ;

(ग) क्या हीरे व्यापार पर अन्तर्राष्ट्रीय एकाधिकार कम्पनियों का नियंत्रण है ; और

(घ) यदि हां, तो भारतीय हीरा निर्यात को इन कम्पनियों के चंगुल से बचाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) हिन्दुस्तान डायमंड कम्पनी लि० तथा भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम लि० कटे हुए व तराशे हुए हीरों के निर्यात उत्पादन के लिए हीरों के पात्र व्यापारियों को स्टाक और बिक्री के लिए अपरिष्कृत हीरों की खरीदारी करते हैं।

(ख) कटे हुए तथा तराशे हुए हीरों के निर्यात को निरन्तर प्रोत्साहित किया जाता है।

(ग) ऐसा बताया गया है कि डायमंड ट्रेडिंग कम्पनी अपरिष्कृत हीरों के खनन और विपणन के महत्वपूर्ण भाग को नियंत्रित करती है। कटे हुए तथा तराशे हुऐ हीरों के लिये ऐसी कोई व्यापारिक कम्पनी नहीं है।

(घ) कटे हुए तथा तराशे हुए हीरों के व्यापार के महत्वपूर्ण भाग को नियंत्रित करने वाली कोई व्यापारिक कम्पनी न होने से भारत से निर्यात की सामान्यत: व्यवस्था भारतीय व्यापारियों द्वारा सीधी ही की जाती है।

उचित मूल्य पर चाय उपलब्ध कराना

* 262. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने उचित मूल्यों पर चाय उपलब्ध कराने के लिए कोई कार्यवाही की है ;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए नीलाम की जाने वाली चाय का कुछ भाग अलग रखा जायेगा ; और

(ग) क्या देश भर में जन सामान्य के प्रयोग के लिए यह चाय सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर बन्द पैकेटों में उपलब्ध करायी जा रही है ?

वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) से (ग) सरकार ने निर्यात आय अधिकतम करने और साथ ही घरेलू बाजार के लिए न्यायोचित कीमतों पर चाय की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के दोहरे उद्देश्यों के साथ 1985 के लिए चाय विपणन योजना घोषित की है ।

घरेलू बाजार में चाय की न्यायोचित कीमतें सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपायों की रूपरेखा विशिष्ट तौर पर बनाई गई है :—

(I) 1985 के दौरान लगभग 425 मि० किग्रा० की अनुमानित घरेलू खपत आवश्यकता के मुकाबले विपणन योजना में घरेलू तौर पर रखे जाने के लिए 435 मि०किग्रा० की अनुमति दी गई है ।

(II) न्यूनतम निर्यात कीमत व्यवस्था से यह सुनिश्चित होगा कि केवल उच्चतर मूल्य वाली चाय का ही निर्यात हो और घरेलू बाजार के लिए अपेक्षतया सस्ती चाय के रखे जाने की अनुमति होगी ।

(III) निर्यातों के लिए नीलामियों में खरीदारी को ध्यानपूर्वक विनियमित किया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि घरेलू बाजार के लिए चाय की खरीददारियों की कीमतों पर नियंत्रण रहे ।

(IV) बाध्यकारी नीलामी पेशकशों की प्रतिशतता को 70 से बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया गया है । इससे आशा है कि नीलामी कीमतों तथा उपभोक्ता कीमतों के बीच अधिक कारगर संबंध सुनिश्चित होगा और साथ ही चाय की उपलब्धता की अधिक कड़ी मानिटरिंग हो सकेगी ।

आधारभूत रूप में चाय की घरेलू कीमतों पर नियंत्रण सप्लाई तथा मांग सन्तुलन की मानिटरिंग तथा विनियमन द्वारा रखा जा रहा है न कि सर्वाधिक कीमत नियंत्रण द्वारा सर्वाधिक

कीमत नियंत्रण को उत्पादित चाय में बड़ी संख्या में ग्रेडों तथा किस्मों और क्वालिटी में सीजन संबंधी भिन्नताओं को देखते हुए अव्यावहारिक समझा जाता है।

इन उपायों के परिणामस्वरूप, लोकप्रिय ब्राण्डों की पैकेज चाय की कीमतें नीचे आ गई हैं और घरेलू तौर पर खपत में आने वाली चाय की किस्मों के लिए भारतीय नीलामियों में कीमतें विदेशों के प्रमुख नीलामी केन्द्रों में नीलामी कीमतों की अपेक्षा कम हैं।

चाय के निर्यात में गिरावट

1433. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जो भारत से चाय का आयात करते हैं;

(ख) क्या चाय के निर्यात में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) निर्यात बाजार पर पुनः अधिकार करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) भारतीय चाय विश्व के बहुत से देशों को निर्यात की जाती है। भारत के चाय के कुछ मुख्य आयातक हैं : सोवियत संघ, ब्रिटेन, मिश्र, इराक, ईरान, पौलैंड, पश्चिम जर्मनी, नीदरलैंड तथा अफगानिस्तान।

(ख) भारत से चाय के निर्यातों में कोई कमी नहीं आई है, जैसा कि निम्नांकित आंकड़ों से स्पष्ट है :

वर्ष	मात्रा (मे०किग्रा०)	मूल्य (करोड़ रु०)
1982	189.9	355.55
1983	208.5	516.82
1984	214.7	744.92

(ग) तथा (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

मारुति कारों की बिक्री से काला धन बनाना

1434. **श्री मुहम्मद महफूज अली खां** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारुति कारों की बिक्री में काला धन बनाये जाने और इसमें मारुति उद्योग के कुछ वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों के कथित रूप से अन्तर्ग्रस्त होने के संबंध में 24 जनवरी, 1985 के 'इण्डियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में निकले निष्कर्षों का ब्योरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सरकार को इस समाचार की जानकारी है। आयकर प्राधिकारी, इस बात का पता लगाने के उद्देश्य से कि ऐसे अन्तरणों में कोई लेखा-बाह्य निधियां ग्रस्त हैं अथवा नहीं, मूल आबंटितियों द्वारा मारुति वाहन अन्तरित किये जाने संबंधी कुछ मामलों की जांच कर रहे हैं।

कपड़ा उद्योग सम्बन्धी केन्द्रीय सलाहकार परिषद्

1436. **श्री आर०अन्नानाम्बी** : क्या **वाणिज्य और पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़ा उद्योग सम्बन्धी केन्द्रीय सलाहकार परिषद् ने सूती कपड़े और सिले-सिलाये वस्त्रों के निर्यात को बढ़ावा देने और संगठित क्षेत्र की मिलों और शक्तिचालित करघा क्षेत्र के प्रति पृथक-पृथक रवैया अपनाने की नीति को समाप्त करने के लिये उपायों का सुझाव दिया है;

(ख) क्या उन्होंने विभिन्न रेशों के लिये पृथक नीति अपनाने, संगठित क्षेत्र में विभक्तीकरण समाप्त करने और उत्पादन शुल्क को युक्तिसंगत बनाये जाने का भी सुझाव दिया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) से (ग) कपड़ा उद्योग सम्बन्धी केन्द्रीय सलाहकार परिषद् की 9 मार्च, 1985 को हुई बैठक में सदस्यों ने कपड़ा निर्यात के संवर्धन, कपड़ा उद्योग में संरचनात्मक परिवर्तनों, बहु-रेशा दृष्टिकोण अपनाने और उत्पादन शुल्क के यौक्तिकीकरण आदि के सुझाव दिये। केन्द्रीय सलाहकार परिषद की बैठक में प्राप्त हुए सुझावों को सरकार कपड़ा नीति बनाते समय ध्यान में रखेगी।

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में वाणिज्यिक बैंकों से सहयोग की कमी

1437. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं से कम सहयोग मिलने की जानकारी है;

(ख) इन बैंकों द्वारा लाभार्थियों का समुचित रूप से मार्गदर्शन नहीं किया जाता है और उन्हें सहायता नहीं दी जाती;

(ग) क्या इस संबंध में विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों को सरकार द्वारा कोई दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं अथवा जारी करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) गत वर्षों में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिये दी गई सहायता में, वाणिज्यिक बैंकों के हिस्से में काफी वृद्धि हुई है।

सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक ने भी बैंकों को छोटे तथा सीमान्तिक किसानों, भूमिहीन मजदूरों, शिकमी किसानों, कारीगरों, ग्रामीण और कुटीर उद्योगों, विभेदक ब्याज दर योजना तथा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के हिताधिकारियों और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के ऋणकर्ताओं जैसे कमजोर वर्गों सहित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के ऋणकर्ताओं को उदार शर्तों पर ऋण सुलभ कराने के लिए अनुदेश जारी किए हैं। तदनुसार, बैंकों ने छोटे ऋणकर्ताओं के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में सरल फार्म जारी किए हैं। ऋण आवेदन भरने में बैंक कर्मचारी भी ऋणकर्ताओं की सहायता करते हैं विशेषकर ऐसे क्षेत्रों में जहां जिला ग्रामीण विकास अभिकरण/जिला उद्योग केन्द्र जैसी ऋणों से सम्बन्धित विकास एजेंसी नहीं होती है। छोटे ऋणों के लिये मार्जिन और जमानत की शर्तें भी उदार रखी गई हैं। नियंत्रक अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए कोई अर्धक्षम प्रस्ताव रद्द न कर दिया जाय, रद्द किए गए मामलों का नमूना सर्वेक्षण करते हैं। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करने में बैंकों के कार्य-निष्पादन में काफी प्रगति हुई है, जैसा कि नीचे दी गई सारिणी से पता चलता है :

वर्ष	सहायता प्राप्त हिताधिकारियों की संख्या (लाख में)	वितरित ऋण राशि (करोड़ रुपए)
1980-81	27.27	289.05
1981-82	27.13	467.59
1982-83	34.55	713.98
1983-84	36.85	773.51

सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक को प्राप्त विशिष्ट शिकायतों के मामलों को उपचारात्मक कार्रवाई करने के वास्ते सम्बन्धित बैंक के साथ उठाया जाता है।

राज्यों में बैंकों की शाखाएं खोलना

1438. श्री गदाधर साहा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1982, 1983 और 1984 के वर्षों के दौरान वर्षवार बैंकों की कितनी शाखाएं खोली गयीं, इसका बैंकवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) 1985 के दौरान कितनी बैंक शाखायें खोली जायेंगी तथा उनका राज्यवार और बैंकवार क्या ब्यौरा है ; और

(ग) बैंक शाखायें खोलने का क्या मानदंड है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) वर्ष 1982, 1983 और 1984 (सितम्बर तक) के दौरान वाणिज्यिक बैंकों द्वारा खोली गयी शाखाओं की संख्या से सम्बन्धित राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार उपलब्ध नवीनतम सूचना और 30 सितम्बर, 1984 को शाखाएं खोलने के लिए उनके पास लम्बित पड़े प्राधिकार-पत्रों/लाइसेंसों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) चालू शाखा लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत बैंकों को शाखाएं खोलने के लिए, बैंक रहित ग्रामीण क्षेत्रों का पता लगाने की सलाह दी गई थी। राज्य सरकारों द्वारा पता लगाये गए केन्द्रों को छोड़कर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अर्ध-शहरी केन्द्रों और ग्रामीण केन्द्रों में शाखाएं खोलने के लिए बैंकों से प्राप्त आवेदनों पर गुणदोषों के आधार पर, विचार किया जाता है। इसमें केन्द्र की जनसंख्या, केन्द्र में अथवा उसके बिल्कुल निकट कार्यरत कार्यालयों की संख्या, केन्द्र में उपलब्ध कारोबार सम्बन्धी सम्भावनाओं आदि पर ध्यान दिया जाता है। आमतौर पर, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कमान क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले केन्द्र उन बैंकों को दे दिए जाते हैं और अन्य केन्द्र क्षेत्र में पर्याप्त प्रतिनिधित्व वाले वाणिज्यिक बैंकों को दे दिए जाते हैं।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	निम्नलिखित वर्ष में खोले गए कार्यालयों की संख्या		30.9.84 को बैंकों के पास लंबित पड़े प्राधिकार पत्रों/लाइसेंसों की संख्या	
	1982	1983	1984 (सितम्बर तक)	
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	183	270	157	318
असम	82	61	44	190
बिहार	320	139	172	635
गुजरात	101	192	77	276
हरियाणा	61	81	32	35
हिमाचल प्रदेश	29	55	19	41
जम्मू और कश्मीर	30	48	28	57
कर्नाटक	159	282	191	195
केरल	71	87	35	115
मध्य प्रदेश	313	349	204	480
महाराष्ट्र	195	292	154	534
मणिपुर	4	5	3	33
मेघालय	10	14	12	22
नागालैंड	5	4	2	11
उड़ीसा	131	102	134	207
पंजाब	69	100	32	78
राजस्थान	101	203	157	427
तमिलनाडु	127	251	122	151
त्रिपुरा	2	1	—	27
उत्तर प्रदेश	572	585	328	1134
पश्चिमी बंगाल	169	105	88	909

1	2	3	4	5
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	—	1	—	2
अरुणाचल प्रदेश	6	4	5	21
चण्डीगढ़	7	7	1	3
दादर व नगर हवेली	—	—	—	—
दिल्ली	28	39	28	62
गोवा, दमन व दीव	3	8	—	3
लक्षद्वीप	—	—	—	—
मिजोरम	3	—	6	24
पांडिचेरी	2	2	2	2
सिक्किम	1	10	2	—
जोड़ :	2784	3297	2035	5992

रात्रिकालीन बैंक शाखाएं खोलना

1439. **श्री सैफुद्दीन चौधरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न राज्यों में 31 दिसम्बर, 1984 को कितनी रात्रिकालीन बैंक शाखाएं कार्य कर रही थीं और उनका राज्यवार तथा बैंकवार क्या ब्यौरा है;

(ख) क्या देश में इस प्रकार की और अधिक बैंक शाखायें खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो ये शाखायें किन-किन स्थानों पर खोली जायेंगी तथा बैंकों के क्या नाम हैं;

(घ) इन शाखाओं के कब तक खोले जाने की सम्भावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध सूचना नीचे दी गई है :—

राज्य का नाम	भारतीय स्टेट बैंक	यूनियन बैंक आफ इण्डिया
1	2	3
महाराष्ट्र	साहर हवाई अड्डा बम्बई (एक्सचेंज ब्यूरो) साहर, हवाई अड्डा बम्बई (विदेश यात्रा का काउंटर)	प्रिंसेस स्ट्रीट मोहम्मद रोड भूलेश्वर भट्ट बाजार मांडवी पूणे शहर

1	2	3
		ताज इंटरनेशसल, बम्बई (एक्सचेंज काउंटर) होटल सिन्तूर, बम्बई (एक्सचेंज काउंटर)
तमिलनाडु	मद्रास, हवाई अड्डा मद्रास	ट्रिपलीकेन सोकारपेट इरोड, तिरुचिरापल्ली
पश्चिम बंगाल	कलकत्ता हवाई अड्डा, (एक्सचेंज ब्यूरो)	बालीगंज, कलकत्ता श्याम बाजार कलकत्ता
केरल		इजरा स्ट्रीट, कलकत्ता पलायम रोड, कोझी कोड छलई बाजार, त्रिवेन्द्रम
कर्नाटक		बंगलौर शहर बेलगाँव (मुख्य)
आन्ध्र प्रदेश		हैदराबाद (मुख्य) सिकन्द्राबाद गन्टूर
गुजरात		दिल्ली-चकला, अहमदाबाद घन लक्ष्मी मार्किट अहमदाबाद, राजकोट (मुख्य)
मध्य प्रदेश		इन्दौर लिंयागंज रायपुर
संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली		पालम हवाई अड्डा, नई दिल्ली

(ख) से (ड) ऐसे कोई प्रस्ताव भारतीय रिजर्व बैंक के पास लम्बित नहीं पड़े हैं।

सोने के मूल्य

1440. श्री मोहन लाल पटेल
श्री चिन्तामणि जेना } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इस समय सोने का मूल्य कितना है;

(ख) क्या भारत में सोने के मूल्यों में हाल ही में तेजी से वृद्धि हुई है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) आभूषणों के रूप में कितनी मात्रा में प्रतिवर्ष सोने का निर्यात किया गया और क्या देश में सोने के मूल्य पर इसका कोई प्रभाव पड़ता है; और

(घ) क्या सरकार निकट भविष्य में सोने के आभूषणों के निर्यात पर कुछ प्रतिबन्ध लगाने पर विचार कर रही है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) बम्बई के बाजार में 20 मार्च, 1985 को स्टैंडर्ड सोने का मूल्य प्रति 10 ग्राम 2125 रुपये का जबकि इसकी तुलना में लन्दन के बाजार में प्रति 10 ग्राम का मूल्य 1329 रुपये था।

(ख) से (घ) जी, हाँ, हाल ही में भारत में सोने के मूल्य में तेजी से वृद्धि हुई है। सोने के मूल्य में काफी अधिक उतार-चढ़ाव मुख्य रूप से घरेलू सट्टात्मक तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सोने के आभूषणों के निर्यात से देश से सोने के निवल बहिर्गमन पर कोई भार नहीं पड़ता चूंकि इन आभूषणों में प्रयोग होने वाला सोना विदेशों से सरकारी योजनाओं, जैसे कि हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम द्वारा चलायी जा रही योजनाओं के अन्तर्गत आयात किया जाता है। रत्न और सोने के आभूषणों का निर्यात विदेशी मुद्रा अर्जित करने के महत्वपूर्ण साधन हैं। सोने के आभूषणों के निर्यात को प्रतिबन्धित करने के सम्बन्ध में सरकार के पास इस समय कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

कच्चे पटसन की एकाधिकार खरीद

1441. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कच्चे पटसन की एकाधिकार खरीद शुरु करने पर विचार कर रही है ताकि मिलों को उनकी आवश्यकता के अनुसार फाइबर का वितरण किया जा सके;

(ख) यदि हाँ, तो कब और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य और पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) कच्चे पटसन की एकाधिकार अधिप्राप्ति में राज्य सरकारों पर विनियमित बाजारों के सृजन तथा विकास, पटसन उपजकर्ताओं आदि के सहकारिता संगठनों के रूप में संचालन, प्रशासनिक ढांचा अवस्थापना सम्बन्धी वचनबद्धतायें अन्तर्निहित हैं। ऐसी वचनबद्धताओं के सम्बन्ध में राज्य सरकारों के किसी भी निर्णय की अनुपस्थिति में कच्चे पटसन की एकाधिकार अधिप्राप्ति की किसी भी योजना को प्रारम्भ करना कठिन है।

तथापि, पटसन उपजकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए भारतीय पटसन निगम मौजूद है। निगम कच्चे पटसन के मूल्य समर्थन कार्यों को शुरु करने तथा सरकार द्वारा निश्चित की गयी

न्यूनतम सांविधिक कीमत पर दी गई पूरे कच्चे पटसन की मात्रा की अधिप्राप्ति करने के लिए उत्तरदायी है। सरकार ने पटसन उपजकर्ताओं के हितों में कच्चे पटसन के कीमत समर्थन कार्यों पर निगम द्वारा वहन किए गए घाटों के लिए आर्थिक सहायता के दायित्व को भी स्वीकार किया है।

मिलों के बीच में कच्चे पटसन के न्यायसंगत वितरण करने की दृष्टि से सरकार ने पटसत (नियन्त्रण तथा लाइसेंसिंग) आदेश, 1961 के अन्तर्गत मिलों द्वारा कच्चे पटसन की स्टाक धारिताओं को विनियमित किया है।

नयी विपणन नीति

1442. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात आय की अधिकतम और देशी बाजार में सामान की पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने हाल में 1985 के लिए अपनी नयी विपणन नीति की घोषणा की है ताकि उपभोक्ता को उचित मूल्यों पर आवश्यक वस्तुएं आसानी से मिल सकें; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा बढ़े हुए मूल्य वाली वस्तुओं सहित चाय के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

चाय विपणन योजना 1985 की मुख्य बातें निम्नोक्त प्रकार हैं :—

(1) 1985 के लिये उत्पादन लक्ष्य 655 मिलियन किग्रा० निर्धारित किया गया है जबकि मूल्य वर्धित चाय सहित वर्ष का निर्यात लक्ष्य 220 मिलियन किग्रा० है। इससे 435 मिलियन किग्रा० चाय शेष रहेगी जो कि घरेलू जरुरत को, जिसका अनुमान लगभग 415 मिलियन किग्रा० लगाया गया है, पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी। निर्यातों को एकत्रित न होने देने के उद्देश्य से और यह सुनिश्चित करने के लिये कि निर्यात समय पर हों ताकि हर समय मांग और पूर्ति सन्तुलन बना रहे, तिमाही निर्यात लक्ष्य दर्शाये गये हैं। प्रथम और द्वितीय तिमाहियों में निर्यात, जबकि आरम्भिक उत्पादन की उपलब्धता कम होती है, प्रत्येक तिमाही के लिये 40 मिलियन किग्रा० पर आयोजन किया गया। तीसरी तिमाही, जिसमें बाजार में भारी भारतीय उत्पादन आता है, के लिये 80 मिलियन किग्रा० के ज्यादा निर्यात 60 मिलियन किग्रा० होंगे।

(2) उत्पादन और निर्यात के लक्ष्यों की प्रत्येक तिमाही चाय बोर्ड तथा बागान एसोसिएशन की परामर्शदात्री समिति द्वारा संयुक्त रूप से समीक्षा की जाएगी जबकि बाजार में बल्क उत्पादन आता है तथा उत्पादन के अधिक सही अनुमान लगाने सम्भव होते हैं।

(3) घरेलू कीमतों की स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह आवश्यक समझा गया है कि भारतीय सार्वजनिक नीलामियों में निर्यात के लिए चाय की खरीद को विनियमित किया जाए। यह चाय बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा जो कि सार्वजनिक चाय नीलामी केन्द्रों अर्थात् उत्तर भारत में कलकत्ता, गोहाटी, सिलीगुड़ी और अमृतसर; दक्षिण भारत में कोचीन, कोयम्बतूर और कुन्नूर के लिए सी० टी० सी० चाय और परम्परागत चाय की ऐसी खरीदारियों के लिए अलग-अलग तिमाही उच्चतम सीमाएं घोषित करेगा। ऐसी नीलामियों में निर्यातों के लिए सभी खरीदें विनियमित होंगी तथा खरीदारों के साथ-साथ नीलामी समितियों द्वारा चाय बोर्ड के पास पंजीकृत करानी होगी।

(4) बाजार में आने वाली चाय की उपलब्धता को बहुत ध्यानपूर्वक मानिटर करने तथा स्थिर नीलामी कीमतें भी सुनिश्चित करने के साथ-साथ घरेलू कीमतों और नीलामी कीमतों के बीच निकट सम्बन्ध सुनिश्चित किया गया है कि बाध्यकारी बिक्रियों की प्रतिशतता को सभी चाय उत्पादक एककों द्वारा भारतीय नीलामी के जरिए 70 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया जाए।

(5) इस व्यवस्था से यह सुनिश्चित होगा कि अधिक निर्यात चाय की उपलब्धता अधिक होने पर ही नहीं बल्कि बाजार में क्वालिटी चाय आने पर भी होंगे। निर्यातों का निर्धारण जो कि बल्क चाय और पैकेट चाय के लिए न्यूनतम निर्यात कीमत के अध्यधीन होते हैं, भी उस कारण हेतु अलग से जारी रहेगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि ऊंचे मूल्य वाली चाय को निर्यात कोटे के उपयोग की दृष्टि से प्राथमिकता मिले।

(6) सरकार का यह सुविचारित दृष्टिकोण है कि बल्क चाय को बेचने के लिए भारतीय नीलामी सर्वोत्तम साधन है जहां सुनियोजित खुली नीलामियों में प्रतियोगी परिस्थितियों में खरीदारी की जाती है। अत: 220 मिलियन किग्रा० के कुल निर्यात में से नीलामी के खरीदारी के क्षेत्र के आधार पर निर्यात 175 मिलियन किग्रा. के होने की सम्भावना है। मोटे तौर पर ऐसी सम्भावना है कि इस प्रकार 80 प्रतिशत निर्यात होंगे।

(7) नीलामी प्रणाली के बाहर सीधे निर्यातों की अनुमति 45 मिलियन किग्रा० तक होगी जिसमें विदेशों में नीलामी के लिए खेप द्वारा निर्यात किये जाने के लिए कुछ कोटा शामिल है। सीधे निर्यातों का विनियमन भी सावधानीपूर्वक तिमाही अधिकतम सीमाओं के आधार पर किया जायेगा और उनका उद्देश्य मुख्यत: अधिक मूल्य की चाय की अपेक्षाकृत कम मात्राओं की पूर्ति करना है। सीधे निर्यात के लिये एम.ई.पी. सर्वोत्तम अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों के अनुमान पर आधारित होगा और केवल नीलामी की खरीदारी पर आधारित निर्यातों से अधिक होगा। जब कि विदेशों में नीलामी के लिए भेजी गई चाय के निर्यात पर कोई एम.इ.पी. नहीं होगा क्योंकि यह बिक्री भारत से बाहर होती है, इन खेपों का अच्छी तरह विनियमन किया जायेगा, न केवल मात्रा के रूप में विगत कार्य निष्पादन के आधार पर बल्कि इस आधार पर भी कि विदेशों में नीलामी केन्द्रों पर स्टाफ की क्या स्थिति है और कीमतों की क्या प्रवृत्तियां हैं और इस रूप में उत्पादक निर्यातकों का कीमत सम्बन्धी क्या निष्पादन रहा है।

(8) जबकि 220 मिलियन किग्रा० के समग्र लक्ष्य में दार्जिलिंग चाय, ग्रीन टी पैकिट चाय, ईस्टेट चाय और चाय के पैकेट शामिल हैं. इस प्रकार की चाय के निर्यात को प्रतिबन्धित नहीं किया जायेगा। यद्यपि मूल्यवर्धित चाय का लक्ष्य 20 मिलियन किग्रा० निर्धारित किया गया है किन्तु इस प्रकार की चाय और दार्जिलिंग चाय के अधिक निर्यात को प्रोत्साहित किया जायेगा और ऐसे निर्यातों को बढ़ावा देने के लिये संवर्धनात्मक कार्यकलापों की बराबर समीक्षा की जायेगी।

(9) जनवरी से जून, 1985 तक की अवधि के लिये उत्तरी भारत से चाय के कुल निर्यात 56 मिलियन किग्रा० होंगे जिसमें जनवरी और फरवरी 1985 के लिये रिलीज किया गया 20.42 मिलियन किग्रा० का कोटा शामिल है। इन 6 महीनों के लिये परम्परागत चाय निर्यात के लिए कोटा 32 मिलियन किग्रा० और सी.टी.सी. के लिये 24 मिलियन किग्रा० होगा। भारतीय नीलामियों से निर्यात की खरीदारियों की अधिकतम सीमा परम्परागत चाय के सम्बन्ध में 29 मिलियन किग्रा० होगी और इसमें 12 मिलियन किग्रा० की छोटी सी मात्रा विदेशों में नीलामी के लिये भेजे जाने के लिये शामिल है। परम्परागत चाय का सीधा निर्यात 3 मिलियन किग्रा० तक सीमित रखा जायेगा।

(10) जहां तक दक्षिण भारत का सम्बन्ध है पहले 6 महीनों के दौरान 24 मिलियन किग्रा० के कुल निर्यात की अनुमति दी जायेगी जिसमें जनवरी और फरवरी 1985 में रिलीज की गई 9 मिलियन किग्रा० की मात्रा शामिल है। 6 महीनों का कोटा परम्परागत चाय के सम्बन्ध में 22 मिलियन किग्रा० और सी.टी.सी. चाय के सम्बन्ध में 2 मिलियन किग्रा० होगा। 2 मिलियन किग्रा० के सीधे निर्यात का कोटा परम्परागत चाय तक सीमित रहेगा। पहले 6 महीनों के कोटे का हिसाब सावधानीपूर्वक गत वर्षों में किये गये निर्यातों के पैटर्न के विश्लेषण और साथ ही यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता के आधार पर लगाया गया है कि निर्यात का सम्बन्ध क्वालिटी चाय की उपलब्धता से रहे।

(11) सम्पूर्ण वर्ष के लिये जितने कुल परम्परागत चाय के निर्यात की अनुमति दी जायेगी वह 150 मिलियन किग्रा० से अधिक नहीं होगी जिससे घरेलू बाजार के लिये लगभग 35 मिलियन किग्रा० की मात्रा शेष रहेगी। उत्तरी भारत से परम्परागत चाय के निर्यात 102 मिलियन किग्रा० होंगे और दक्षिण भारत से 48 मिलियन किग्रा०। इसी प्रकार सी.टी.सी. चाय के निर्यात 70 मिलियन किग्रा० तक सीमित रहेंगे जिससे कि घरेलू बाजार के लिये लगभग 400 किग्रा० चाय शेष रहेगी।

(12) ऐसी सम्भावना है कि जुलाई से दिसम्बर 1985 तक उत्तरी भारत से निर्यात 111 मिलियन किग्रा० होंगे जबकि इस अवधि के दौरान दक्षिण भारत से निर्यात के 29 मिलियन किग्रा० के होने की संभावना है।

(13) सम्पूर्ण वर्ष के लिये विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत निर्यात लक्ष्य निदेशात्मक हैं और उत्पादन की स्थिति तथा घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों के अनुसार उनमें परिवर्तन हो सकता है। मार्च से जून तक की अवधि के लिये भी चाय बोर्ड के अध्यक्ष को यह अधिकार है। अधिकार होगा कि निर्यात के लिये सुलभ प्रवाह सुनिश्चित करने की दृष्टि से मामूली समायोजन किये जाएं।

रत्नों और जेवरातों के निर्यात में कमी

1443. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम नौ महीनों (अप्रैल-दिसम्बर, 1984) के दौरान रत्नों और जवाहारात के निर्यात 951 करोड़ रु० का हुआ है। जबकि पिछले वर्ष की अवधि के दौरान 962 करोड़ रु० हुआ था;

(ख) यदि हां, तो रत्नों और जवाहारात के निर्यात में कमी के क्या कारण हैं;

(ग) निर्यात में सुधार करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) और अधिक श्रमिकों का उपयोग करने, विदेशी विशेषज्ञ और उपकरणों, उत्पादकता वृद्धि और कार्यविधि को युक्तिसंगत बनाने, दस्तकारों के प्रशिक्षण, तकनीकी विपणन, परामर्श व्यवस्था आदि के सम्बन्ध में जहां उपचारात्मक कार्यवाही आवश्यक है सरकार का दृष्टिकोण क्या है ?

वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां।

(ख) इस क्षेत्र में मामूली गिरावट के कुछ कारणों में विदेशों में प्रमुख बाजारों में ब्याज दरों में बढ़ोत्तरी, दिवालियापन के समाचार के कारण दीर्घावधि ऋणों पर बेचने में भारतीय निर्यातकों का संकोच, डालर का बढ़ता हुआ मूल्य तथा अपरिष्कृत रंगीन रत्नों की प्रतिबन्धित उपलब्धता आदि शामिल हैं।

(ग) इन निर्यातों के सुधार के लिये सरकार के द्वारा उठाये गये कदमों में ओ. जी. एल. के अन्तर्गत आवश्यक उपकरणों तथा औजारों के आयात की सुविधा, अनेक आवश्यक औजारों तथा उपस्करों पर आयात शुल्क में कमी तथा निर्यातों के लिये स्वर्ण आभूषणों के निर्यात उत्पादन के आधार को व्यापक बनाना शामिल हैं।

(घ) शिल्पियों के प्रशिक्षण और प्रोद्योगिकी एवं हुनरों के अपग्रेडेशन के द्वारा रत्न तथा अभूषण क्षेत्र में उत्पादकता तथा मूल्य प्राप्ति में वृद्धि पर बराबर जोर दिया जाता है जिसके लिये विदेशों के उपस्करों तथा साथ ही कर्मचारियों का उपयोग करने के प्रस्तावों पर गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जाता है।

कच्चे पटसन के अभाव के कारण भारतीय कपास निर्माता एसोसिएशन की उत्पादन में कटौती की मांग का विरोध

1444. **श्री अमल दत्त** : क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बंगाल चयकल मजदूर यूनियन का इसकी कार्यकारी समिति में पारित वह प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें भारतीय पटसन निर्यात एसोसिएशन की कच्चे पटसन के अभाव के बहाने उत्पादन में कटौती की मांग का विरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गये हैं या उठाने का विचार है ?

वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) बंगाल चटकल मजदूर यूनियन की केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति की 16-2-1985 को हुई बैठक में एक संकल्प पारित किया गया और उनके द्वारा निम्नलिखित मुख्य मांगें पेश की गईं :

1) मिलों को सभी दिनों का कार्य अवश्य करना चाहिए और मिलों का कोई रुकाव अथवा उनके बन्द होने का कोई मामला नहीं होना चाहिए ।

2) कच्चे पटसन को अनिवार्य वस्तु के रूप में घोषित किया जाना चाहिए और जमा किये गये स्टाफों को जब्त किया जाए ;

3) सभी बन्द/तालाबन्द मिलों को पुनः खोला जाए अन्यथा सरकार अवश्य ही तत्काल सभी बन्द मिलों को अपने नियन्त्रण में ले;

4) उपजकर्ताओं से भारत सरकार द्वारा कच्चे पटसन की एकाधिकार अधिप्राप्ति की जानी चाहिए ।

(ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

जहां तक पटसन मिलों में कार्य के रुकाव तथा पटसन मिलों के बन्द होने, उनमें ताला बन्दी होने का सम्बन्ध है; यह उल्लेख किया जाता है कि मामला औद्योगिक विवाद अधिनियम के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आता है और राज्य सरकार औद्योगिक विवादों सम्बन्धी मामलों के लिये, उपयुक्त प्राधिकारी है । अतः मामले में समुचित कार्यवाही करना राज्य सरकार का काम है ।

बन्द । तालाबन्द मिलों को नियन्त्रण में लेने के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि एक उद्योग को नियन्त्रण में लेना रुग्ण एककों को पुनः सक्रिय बनाने का अन्तिम तरीका है । सरकार की भूमिका मुख्यतः उद्योग के नवीकरण के उद्देश्य से एककों की वित्तीय तथा प्रबन्धकीय पुनसंरचना सहित उपाचारात्मक उपाय करने के लिये मुख्यतः उत्तरदायी बैंकिंग तथा वित्तीय संस्थाओं से सहायता के साथ रुग्ण एककों के पुनरुद्धार के उद्देश्य से उपायों को मानिटर करने तथा उनका समन्वय करने की है ।

कच्चे पटसन को पहले ही आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित किया जा चुका है । 26-2-1985 को श्रम मंत्री पश्चिम बंगाल सरकार की अध्यक्षता में आयोजित त्रिपक्षीय बैठक में ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों ने समृद्ध मिलों तथा व्यापारियों को पास पड़े आधिक्य स्टाकों का पता लगाने के लिये अभियान चलाने की जरुरत पर जोर दिया । पटसन आयुक्त द्वारा उक्त बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि यदि राज्य सरकार, इसके प्राधिकृत फील्ड अधिकारियों से जांच रिपोर्टों के आधार पर, तथ्य को पटसन आयुक्त की जानकारी में लाती है तो समुचित कार्यवाही पटसन (नियन्त्रण तथा लाइसैंसिंग) आदेश, 1961 के अन्तर्गत की जा सकती है ।

जहां तक कच्चे पटसन की एकाधिकार अधिप्राप्ति का सम्बन्ध है, यह उल्लेख किया जाता है कि कच्चे पटसन की एकाधिकार अधिप्राप्ति में काफी प्रचालनात्मक, प्रशासनिक तथा अवस्थापनात्मक वचनबद्धताएं राज्य सरकारों की ओर से विनियमित बाजारों के सृजन तथा विकास, पटसन उपजकर्ताओं के सहकारी संगठनों आदि के रूप में अन्तर्निहित होंगी। राज्य सरकारों द्वारा ऐसी वचनबद्धताओं के सम्बन्ध में किसी निर्णय के अभाव में कच्चे पटसन की एकाधिकार अधिप्राप्ति के लिये कोई योजना आरम्भ करना कठिन है।

असानोल के "श्री पल्ली-हिल ब्यू-न्यू अपर चेली डंगा" में वाणिज्यिक बैंक की शाखा खोलना

1445. **श्री अजीत कुमार साहा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असानोल के "श्री पल्ली-हिल ब्यू-न्यू अपर चेली डंगा", जिसकी जनसंख्या बहुत अधिक है, में किसी भी वाणिज्यिक बैंक की शाखा खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कब और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) बैंक की शाखा खोलने का मानदण्ड क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसके पास आसनसोल, श्रीपल्ली हिल ब्यू-न्यू अपर चेली डंगा में वाणिज्यिक बैंक की शाखा खोलने का कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं पड़ा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भी, उक्त केन्द्र को चालू शाखा लाइसेंसिंग नीति अवधि अर्थात् अप्रैल 1982 से मार्च, 1985 के लिए नहीं चुना है।

(घ) उक्त नीति के अंतर्गत बैंकों को शाखाएं खोलने के लिये, बैंक रहित ग्रामीण क्षेत्रों का पता लगाने की सलाह दी गयी थी। राज्य सरकारों द्वारा पता लगाये गये केन्द्रों को छोड़कर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अर्ध-शहरी केन्द्रों और ग्रामीण केन्द्रों में शाखाएं खोलने के लिये बैंकों से प्राप्त आवेदनों पर गुणदोषों के आधार पर, विचार किया जाता है। इसमें केन्द्र की जनसंख्या, केन्द्र में अथवा उसके बिल्कुल निकट कार्यरत कार्यालयों की संख्या, केन्द्र में उपलब्ध कारोबार संबंधी सम्भावनाओं, आदि पर ध्यान दिया जाता है। आमतौर पर, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कमान क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले केन्द्र उन बैंकों को दे दिए जाते हैं और अन्य केन्द्र क्षेत्र में पर्याप्त प्रतिनिधित्व वाले वाणिज्यिक बैंकों को दे दिए जाते हैं।

रूस से अभ्रक का निर्यात

1446. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रूस को अभ्रक का निर्यात करने का है;

(ख) यदि हां, तो रूस को कितनी अभ्रक का निर्यात करने का विचार है; और

(ग) क्या सरकार का विचार अभ्रक का निर्यात सीधे ही करने का है या किसी एजेंसी के माध्यम से करने का है ?

वाणिज्य और पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क)जी, हाँ ।

(ख) जनवरी, 1985 में भारतीय अभ्रक व्यापार निगम लि० ने जो कि एक सरकारी क्षेत्र का संगठन है, सोवियत संघ के साथ 1124 रु० मूल्य की 3245 एम. टी. अभ्रक के लिये संविदा पर हस्ताक्षार किये हैं जिसकी सप्लाई सितम्बर, 1985 तक की जानी है। 1985 की तीसरी चौथी तिमाही में और संविदाएं भी किये जाने की संभावना है ।

(ग) संसाधित अभ्रक का निर्यात भारतीय अभ्रक व्यापार निगम लि०, पटना की मार्फत सरणीबद्ध है ।

कंपनियों द्वारा कर अपवंचन आदि की सूचना देने वालों को पुरस्कार

1447 . **श्री के० कुन्जम्बु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर सरकारी कंपनियों द्वारा विदेशी मुद्रा संबंधी नियमों के उल्लंघन, सीमा शुल्क अपवंचन आदि की सूचना देने वालों को नकद पुरुस्कार देने की कोई योजना है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नकद पुरुस्कार का निर्धारण करने के संबंध में क्या मानदंड अपनाये गए हैं; और

(घ) क्या सूचना देने वालों का अता-पता गुप्त रखा जाता है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) मौजूदा योजना के अन्तर्गत मुखबिर, जब्त की गई भारतीय मुद्रा तथा विदेशी मुद्रा और वसूले गये अर्थदण्ड के मूल्य के 10 प्रतिशत तक के बराबर तक के नकद पारितोषिक पाने के हकदार होते हैं । सीमा शुल्क के मामलों में, तस्करी रोधी अभियान की समीक्षा करने तथा उसे तीव्र करने के उद्देश्य से मुखबिरों की पारितोषिक पाने की पात्रता को पकड़े गए निषिद्ध माल के मूल्य के 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का फैसला किया गया है ।

नकद पारितोषिक पर विचार करते समय, सूचना की यथार्थता, उपयोगिता, अन्य स्रोतों से सूचना प्राप्त करने में होने वाली कठिनाई, उसका पूर्ववृत्त तथा उसके द्वारा उठाए जा रहे जोखिम आदि जैसे कारणों को ध्यान में रखा जाता है ।

(घ) जी, हाँ ।

विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियाँ

1448. **श्री वी०एस० विजय राघवन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयात लाइसेंस प्राप्त उन कम्पनियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें वर्ष 1984–85 के दौरान विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन और सीमा शुल्क का अपवंचन करने का दोषी पाया गया है;

(ख) प्रत्येक मामला कितनी धनराशि का है; और

(ग) ऐसी प्रत्येक कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी ।

आंध्र प्रदेश कंट्री टोबेको चुरुट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन का ज्ञापन

1449. **श्री बोल्ला बुल्ली रमैया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अभी हाल ही में आन्ध्र प्रदेश टोबेको चुरुट मैन्युफेक्चरिंग एसोसिएशन से एक विस्तृत ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें चुरुट कुटीर उद्योग, जिसकी हालत दयनीय है, को राहत देने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश कंट्री टोबेको चुरुट मैन्युफेक्चरर्स फेडरेशन का एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है, जिसमें यह अनुरोध किया गया है कि या तो ब्रांड वाली चुरुटों पर उत्पादन शुल्क से पूर्ण छूट दी जाए अथवा ऐसी चुरुटों पर, मूल्य पर आधारित, उपलब्ध छूट सीमा को बढ़ाया जाए । सरकार ने इस अनुरोध पर विचार किया है, और इसे स्वीकार कर पाना संभव नहीं पाया गया है ।

पटसन की वस्तुओं की निर्यात बाजार में मन्दी

1450. **श्री भोला नाथ सेन** : क्या वाणिज्य और पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन की लगभग सभी श्रेणी की वस्तुओं की स्वदेशी तथा निर्यात मांग एवं मूल्यों में गिरावट के साथ पटसन की वस्तुओं के बाजार में मन्दी आ गयी है; और

(ख) यदि हां, तो इस गिरावट के क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

वाणिज्य और पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) और (ख) पटसन माल का बाजार हाल ही मे घरेलू तथा निर्यात दोनों में स्थिर बन गया है । पटसन माल की लगभग सभी श्रेणियां, विशेषतः टाट, की कीमतें निम्नलिखित कारणों की वजह से नीचे जा रही हैं :

1. कच्चे पटसन की कीमतों में तथा उत्पादन लागत में तीव्र वृद्धि के कारण पटसन माल की असाधारण तौर पर उच्च कीमतों के प्रति घरेलू तथा विदेशी दोनों बाजारों में उपभोक्ताओं का प्रतिरोध ।

2. पटसन की मदों की उच्च कीमतों के कारण कुछ विदेशों में संश्लिष्ट प्रतिस्थापनों का अधिक प्रयोग ।

3. आगामी सीजन में अपेक्षाकृत अधिक पटसन फसल की आशा है जिससे पटसन माल की कीमतें घट सकती हैं । अतः उपभोक्ताओं ने अपनी खरीदारियां कुछ समय के लिये बिल्कुल न्यूनतम तक सीमित कर दी हैं ।

4. वर्तमान अवधि भी पटसन उद्योग के लिये घरेलू आफ सीजन है चीनी की बोरियों की खरीद व्यावहारिक दृष्टि से समाप्त है । सरकारी एजेंसियों ने भी खाद्यानों की रबी फसल की पैकिंग के लिये बी ट्विल बोरों के सुविधाजनक स्टाक बना लिये हैं ।

पटसन माल के निर्यातों को तेजी से बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने अनेक कदम उठाये हैं जिनमें ये शामिल हैं :

1. उद्योग द्वारा बराबर के निष्पादन के आधार पर पटसन कालीन अस्तर कपड़े तथा यार्न के लिये उच्चतर नकद मुआवजा सहायता का दिया जाना;

2. उत्तर अमरीका का कालीन अस्तर कपड़े के निर्यातों के लिये 50:50 हानि वहन आधार पर एस. टी. सी. पटसन उद्योग सार्वसंप का बनाया जाना;

3. समय समय पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेने की व्यवस्था करना और बाजार अभिमुख व्यापार प्रतिनिधिमण्डल प्रायोजित करना;

4. अनुसंधान तथा विकास प्रयासों के जरिये निर्यातयोग्य उत्पादों के विकास को प्रोत्साहित किया जाना; और

5. अनुसंधान तथा विकास प्रयासों तथा निर्यात संवर्धन में तेजी लाने के लिये पटसन उपकर की राशियों में से एक नई पटसन निधि का गठन ।

सरकार पटसन उद्योग की अर्थक्षमता में सुधार के लिये समय-समय पर अनेक कदम उठाती रही है :

1. लागत जमा आधार पर पटसन उद्योग से सरकार (डी. जी. एस. एण्ड डी.) द्वारा पटसन माल की खरीद;

2. सीमेंट उद्योग द्वारा 100 प्रतिशत नये पटसन बोरों के अनिवार्य प्रयोग का लागू किया जाना;

3 अन्य प्रयोक्ता विभागों से संश्लिष्ट प्रतिस्थापनों की बजाय अधिक पटसन बोरों के प्रयोग के लिये आग्रह करना;

4. भारतीय पटसन निगम के माध्यम से नेपाल से कच्चे पटसन का निःशुल्क आयात;

5. पटसन मिलों की अर्थक्षमता का अध्ययन करने और संभाव्य तौर पर अर्थक्षम एककों के पुनरुद्धार के लिये अनेक वित्तीय उपायों का सुझाव देने के लिये भारतीय रिजर्व बैंक के तत्वावधान में एक स्थायी समिति की स्थापना ।

किराए के अंश को नकद रकम के स्थान पर अन्य प्रकार से प्राप्त करने वाले मकान मालिकों के मामले में आय-कर का आकलन

1451. **श्री सुनत कुमार मंडल :** क्या वित्त मंत्री किराये के अंश को नकद रकम के स्थान पर अन्य प्रकार से प्राप्त करने वाले मकान मालिकों के मामले में आय कर के आकलन के बारे में 17 अगस्त, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3712 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच एयर-इण्डिया का उत्तर प्राप्त हो गया है और यदि हां, तो एयर इण्डिया द्वारा उसके मकान मालिकों को उनकी विदेशों की यात्रा के पसन्द के लिये उपलब्ध कराये गये निःशुल्क विमान टिकटों का लाभ गुप्त रखने वाले एयर इण्डिया के मकान मालिकों पर इस लाभ पर आय कर लगाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ख) कितने मामलों में इन मकान मालिकों ने सम्बन्धित आय कर कार्यालयों को प्रस्तुत किये गये अपने आय विवरणों में, यदि उन्होंने दिये हैं, इस आर्थिक लाभ को छिपाया तथा इन बेईमान मकान मालिकों के विरुद्ध दण्डस्वरूप क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री जनार्दन पुजारी) (क) और (ख) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को एअर इंडिया से ऐसे मकान मालिकों के नाम प्राप्त हुए हैं, जिनके साथ ऐसे किराया-करार किए गए हैं। यह सूचना सम्बन्धित आयकर आयुक्तों को भेज दी गयी है जिससे आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत उपयुक्त कार्रवाई की जा सके। जांच-पड़ताल के परिणाम, जांच पूरी होने के बाद ही पता चल पाएंगे।

तालचेर कोयला क्षेत्र में खनन तकनीकों में सुधार करना तथा उपकरणों का आधुनिकीकरण

1452. **श्री के० प्रधानी :** क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोयला उत्पादन की मात्रा में वृद्धि करने तथा किस्म में सुधार लाने के उद्देश्य से तालचेर कोयला क्षेत्र में खनन तकनीकों में सुधार करने तथा उपकरणों के आधुनिकीकरण के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे :) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तालचेर कोयला क्षेत्र से कोयले का उत्पादन वर्तमान 1984-85 के 3.40 मिलियन टन से बढ़कर 1989-90 तक 8.9 मिलियन टन हो जाने की आशा है। उत्पादन की मात्रा में यह वृद्धि प्राप्त करने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। इनमें से कुछ कदम नीचे दिए गये हैं :—

(1) भरतपुर में 3.50 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन क्षमता वाली एक नयी ओपेन-कास्ट कोयला परियोजना तथा एक खानमुहाना वाशरी मन्जूर की गई है।

(2) जगनन्नाथ ओपेनकास्ट खान की क्षमता को बढ़ाकर 1.00 मिलियन टन से 2.00 मिलियन टन प्रति वर्ष करने के लिए अनुमोदन दे दिया गया है।

(3) साउथ बलन्डा खान की संशोधित परियोजना रिपोर्ट को अद्यतन करने के लिए कार्यवाई की जा रही है ताकि इस खान उत्पादन 1984-85 के वर्तमान 0.60 मिलियन टन से बढ़ाकर 1 मिलियन टन प्रति वर्ष 1986-87 में किया जा सके।

(4) फ्रांस की सहायता से अनन्ता में एक बहुत यंत्रीकृत भूमिगत खान खोलने के लिए साध्यता अध्ययन किए जा रहे हैं।

(5) अनन्ता और कलिंग नामक नयी ओपेनकास्ट परियोजनाओं का भी विकास हेतु आयोजन किया जा रहा है ताकि बिजली क्षेत्र की कोयले की बढ़ती हुई मांग को पूरा किया जा सके।

(6) नर्दिरा भूमिगत खान और तालचेर भूमिगत खान में खनन प्रणाली को अद्यतन करने की साध्यता पर भी विचार किया जा रहा है।

(7) तालचेर कोयला क्षेत्र का एक मास्टर प्लान बनाने का काम भी हाथ में लिया गया है ताकि प्रमुख कोयला खनन ब्लाकों के समन्वेषण कार्य का और आधारभूत सुविधाओं सम्बन्धी जरूरतों का पता लगाया जा सके।

सोने की नई खानों की खोज

1453. **श्री सोमनाथ रथ :** क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा देश में सोने की नई खानों की खोज के लिए कदम उठाये गये है;

(ख) यदि हां, तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान खोजी गई नई सोने की खानों की संख्या कितनी है;

(ग) इनमें से प्रत्येक सोने की खान किस-किस स्थान पर स्थित है;

(घ) इन खानों में अनुमानतः कितने सोने के भण्डार मिलने की संभावना है; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी हां।

(ख) 6वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में भारतीय भू-सर्वेक्षण, खनिज गवेषण निगम तथा राज्य सरकारों की एजेन्सियों द्वारा आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा उड़ीसा के कई क्षेत्रों में स्वर्ण हेतु खोज की गई थी।

(ग) इन खोजों के फलस्वरूप आन्ध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के चिगारगुन्टा तथा मालप्पा-कोन्डा और अनन्तपुर जिले के कोटपल्ली खण्ड में तथा कर्नाटक में हट्टी तथा गदाग स्वर्ण क्षेत्रों के विस्तार में स्वर्ण खनिजीकरण का पता चला है।

अनन्तपुर (आन्ध्र प्रदेश) जिले के येप्पामाना में एक स्वर्ण खनन परियोजना शुरु की गई है। हट्टी गोल्ड माइन्स लि० गुलबर्गा जिले में मंगलुर निक्षेप की आर्थिक उपादेयता जानने के

लिए उसका विकास कर रही है। देश के अन्य विभिन्न भागों में स्वर्ण की खोज अभी भी जारी है।

(घ) तथा (ङ) विभिन्न निक्षेपों में स्वर्ण भण्डारों का मोटा अनुमान इस प्रकार है :—

राज्य	जिला	स्थल	अयस्क भण्डारों की मात्रा तथा ग्रेड (मिलियन टनों में)
आन्ध्र प्रदेश	चित्तूर	मालप्पाकोंडा	0.77 (2.4 से 4 ग्राम/टन)
	चित्तूर	चिगारगुंटा	4.19 (4 से 5 ग्राम/टन)
	अनन्तपुर	येराप्पागंटालप्पा	कार्य चल रहा है।
	अनन्तपुर	येप्पामाना	0.57 (मात्रा 4.69 ग्राम/टन)
	अनन्तपुर	कोठापल्ली (रामगिरी)	परिणाम महत्वपूर्ण नहीं है।
कर्नाटक	रायचूर	हट्टी क्षेत्र (वोंडली, कोडानी आदि)	1.92 मात्रा 3 ग्राम/टन
	धारवाड़	गदाग क्षेत्र (होसुर खंड)	1.23 मात्रा 1 से 5 ग्राम/टन
	शिमोगा	होनाली	खोज कार्य चल रहा है।
	गुलबर्गा	मंगालूर शिष्ट पट्टी	एच. जी. एम. एल. ने एक नई खान का विकास शुरू कर दिया।
केरल	मालापुरम	मारूडा	0.3 मात्रा 4 ग्राम/टन
	मालापुरम	नीलाम्बर बजरी	38 मिलियन घन मीटर बजरी जिसमें प्रति घन मीटर 0.1 ग्राम स्वर्ण है।

अब तक बिहार, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में लघु स्वर्ण भंडार पाये गए हैं। इन राज्यों में खोज जारी है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों की विदेशों में शाखायें खोलना

1454. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन**
श्री चिन्तामणि जैना } : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) 1984 के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों की विदेशों में कितनी शाखाएं देशवार खोली गयीं;

(ख) इसी अवधि में भारत में विदेशी बैंकों की कितनी शाखायें खोली गयीं और किन-किन स्थानों पर; और

(ग) वर्ष 1984 के दौरान विदेशी बैंकों की कितनी शाखायें खोले जाने की सम्भावना है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) वर्ष 1984 में एक भारतीय बैंक ने जापान में एक शाखा खोली थी।

एक विदेशी बैंक ने बम्बई में एक शाखा खोली। एक और विदेशी बैंक ने अपने प्रतिनिधि कार्यालय का दर्जा बढ़ा कर और कलकत्ता में अपनी शाखा बन्द करके नई दिल्ली में एक शाखा खोली।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दो विदेशी बैंकों को भारत में एक-एक शाखा खोलने के लाइसेंस दिए गये हैं। लेकिन यह निश्चित नहीं कि 1985 में ये शाखायें काम करने लगेंगी या नहीं।

डाकघरों के बचत खातों पर ब्याज की दर में असमानता

1455. **श्री राम बहादुर सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों में बचत खातों पर जमाकर्ताओं को 5 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जाता है जबकि डाक घरों में ब्याज की दर 5½ प्रतिशत हैं;

(ख) यदि हां, तो इस असमानता के क्या कारण हैं;

(ग) क्या ब्याज की दर में इस असमानता के कारण जमाकर्ता अपना धन बैंकों की अपेक्षा डाकघर बचत खातों में जमा करना पसन्द करते हैं; और

(घ) क्या इस असमानता को समाप्त करने का विचार है और यदि हां, तो कब से?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) डाकघरों में व्यक्तियों के बचत खातों, संचयिका खातों और भविष्य निधि खातों आदि पर ब्याज की दर 5.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष है। लेकिन संस्थागत खातों, पर ब्याज की दर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष है।

(ख), से (घ) डाक घर बचत खातों के ब्याज की दर इस तथ्य को ध्यान में रखकर निर्धारित की गई है कि ये खाते मूलतः अल्प बचत करने वाले व्यक्तियों के लिए हैं और डाकघर वे सारी सुविधायें और सेवायें प्रदान नहीं करते हैं जो वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दी जाती हैं। इसके अलावा, डाकघरों में व्यक्तियों के खातों के बारे में 25,000 रुपये की उच्चतम सीमा भी निर्धारित है।

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के अधीन धागे का आरक्षित भंडार

1456. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या वाणिज्य और पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूल्यों को स्थिर बनाने के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के संरक्षण में धागे का एक सुरक्षित भण्डार बनाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम की दीर्घकालिक धागा खरीद तथा बिक्री नीति के अन्तर्गत धागे के समीकरण स्टाक रखने की व्यवस्था है। हालांकि योजना के ब्यौरों की अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है परन्तु निगम की दीर्घकालिक नीति अभाव तथा कीमतों के बढ़ने के समय में धागे की रिलीज के लिए, धागे की कीमतों में प्रवृत्तियों के आवर्तन को ध्यान में रखते हुए, समीकरण माल भंडार की स्थापना करके बाजार में विनियामक व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए है। इस नीति के अन्तर्गत राष्ट्रीय वस्त्र निगम, राज्य क्षेत्रीय कताई मिलों के साथ निगम द्वारा बताये गए विभिन्न काउन्टों वाले धागे उपलब्ध कराने के लिए ऐसी मिलों द्वारा खरीदी जाने वाली रुई अथवा ऐसी मिलों को सप्लाई की जाने वाली रुई की सप्लाई के लिए अग्रिम के जरिए बैंक-टू-बैंक प्रतिबद्धता प्रबन्ध भी अन्तर्ग्रस्त हो सकते हैं। इसके लिए, यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता अभिकरण से अग्रिमों द्वारा और उनके मांगपत्र तथा डिलीवरी कार्यक्रम के अनुसार धागा उठाने की वचनबद्धता द्वारा समर्थित करना भी पड़ सकता है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू तथा कश्मीर में पाए गए खनिज

1457. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू तथा कश्मीर में चालू वित्तीय वर्ष 1984-85 सहित पिछले तीन वर्षों में खनिजों के लिए किये गये सर्वेक्षण के दौरान किन्हीं खनिजों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन संसाधनों का उपयोग करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या इस प्रयोजन हेतु कोई कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) और (ख) खनिजों की खोज लगातार चलने वाली क्रिया है तथा यह भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण तथा राज्य सरकारी एजेंसियों द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार की जाती है। भारतीय भू-सर्वेक्षण तथा राज्य सरकारों द्वारा की गई खोजों के फलस्वरूप गत तीन वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश, पंजाब तथा जम्मू और कश्मीर में निम्नलिखित खनिजों का पता चला है :—

राज्य	खनिज	स्थल	टिप्पणी
हिमाचल प्रदेश	1. तांबा-सीसा जस्ता (आधार) धातुयें।	सिरमोर जिले में चमरी-अनियार	गवेषण हो रहा है।
	2. चूनापत्थर	सिरमोर, कुल्लु, शिमला तथा कांगड़ा जिले।	

1	2	3	4
	3. बैराइट्स	शिमला जिला	
	4. खनिज मिट्टियां	कांगड़ा जिला	
	5. स्वर्ण खनिजीकरण	सिरमौर जिला	
जम्मू और कश्मीर			
	1. आधार धातुयें	डोडा जिला, लेह जिला	लघु और छुटपुट भंडार
	2. चूनापत्थर	राजौरी जिला	8 मि० टन का अनुमान है।
	3. ग्लास सैंड	डोडा जिला	अब तक लगभग 1 मि० टन भंडारों का अनुमान है।
	4. मैंगनेसाइट	लेह जिला	33 मैंगनेसाइट पिण्डों में लगभग 45000 टन का अनुमान लगाया गया है।
	5. टंगस्टन	नुबरा	केवल जलधारा नमूनों से नुब्रास्योक घाटियों में टंगस्टन राशि का पता चला है।
	6. क्रोमाइट	लेह जिला	जिले भर में अलग-अलग मात्रा में लघु भंडार हैं।
पंजाब			
	1. हेलाइट (चट्टानी नमक)	फरीदकोट जिला	बोर होलो में गहरे स्तरों पर चट्टानी नमक की 47 मीटर मोटी परत है।
	2. स्वर्ण	रोपड़ जिला	पटियाली राव तथा जयन्तिया राव और उनकी सहायक नदियों की तलछटों में स्वर्ण भंडार पाये गए हैं। कार्य अभी चल रहा है।
	3. सफेद सिलिका सैंड	होशियार पुर जिले का गढ़शंकर क्षेत्र।	

(ग) और (घ) स्वर्ण तथा आधार धातुओं के लिए अभी भी खोज चल रही है। पंजाब में सफेद सिलिका निक्षेपों तथा स्याल्टपीटर का विदोहन प्रायवेट पार्टियों द्वारा किया जा रहा है।

कुछ खनिजों का विदोहन पहले ही प्रारम्भ हो चुका है। अन्य मामलों में निक्षेपों की आर्थिक उपादेयता का पता चलने के बाद ही विदोहन शुरु हो सकेगा।

आन्ध्र प्रदेश में एल्यूमीना परियोजना की स्थापना

1458. **श्री एस० एम० भट्टम :** क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1980 में सोवियत विशेषज्ञों ने भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड के अधिकारियों के साथ आन्ध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम का दौरा करने के पश्चात् 6 लाख टन एल्यूमीना की परियोजना के सम्बन्ध में व्यवहार्यता प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था;

(ख) क्या वर्ष 1980 की पहली तिमाही के मूल्य स्तर के अनुसार इस पर 426 करोड़ रुपए लागत आने का अनुमान था और 8 लाख टन के संयंत्र पर 498 करोड़ रु० लागत आने का अनुमान था;

(ग) क्या सोवियत संघ द्वारा वस्तुतः समूची पूंजी लागत के वित्तपोषण तथा तैयार किया गया समस्त एल्यूमीना खरीदे जाने के प्रावधान वाले एक व्यापक समझौते के बारे में हाल में सरकार की सोवियत संघ सहमति हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस समझौते का सम्बन्धित ब्यौरा क्या है।

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (घ) जी हां। सोवियत पक्ष ने आन्ध्र प्रदेश में बाक्साइट निक्षेपों के आधार पर 426 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 6 लाख टन क्षमता के संयंत्र तथा 498 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत (1980 की प्रथम तिमाही के मूल्यस्तर पर) से 8 लाख टन की क्षमता के संयंत्र के साथ वर्ष 1980 में एक एल्यूमिना-संयंत्र (600,000 से 800,000) टन की साध्यता रिपोर्ट तैयार की थी। बाद में सोवियत पक्ष ने 2.3 मि० टन वार्षिक क्षमता की निर्यात प्रधान बाक्साइट खान और एल्यूमिना संयंत्र खान के परवर्ती विस्तार का सुझाव दिया। आगे चर्चा के दौरान, सोवियत पक्ष ने निर्यात प्रधान बाक्साइट खान के स्थानीय लागत व्यय के अधिकांश भाग के वित्तपोषण तथा यथा संभव सोवियत उपकरण और सेवाओं के आधार पर बाक्साइट खान के विस्तार और एल्यूमिना संयंत्र के लिए उधार की पेशकश की, इस उधार के बदले में 3 लाख टन एल्यूमिना हर साल लेने के प्रति भी उन्होंने सहमति व्यक्त की थी।

मार्च 1985 के आरम्भ में सोवियत पक्ष के साथ मामले पर पुनः हुई चर्चा में यह प्रस्ताव किया गया कि सोवियत संघ को बाक्साइट का निर्यात करने के लिए 2.3 मि० टन वार्षिक क्षमता वाली बाक्साइट खान का निर्माण पहले किया जाए। बाक्साइट खान के वित्तीय तथा आर्थिक पहलुओं के मूल्यांकन के लिए आगे बात करने के लिए दोनों पक्ष सहमत हो गए हैं।

इस्पात के मूल्यों में वृद्धि का प्रभाव

1459. **श्री धर्मवीर सिंह** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात के वर्तमान अधिक मूल्यों का इंजीनियरी वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है तथा इससे सामान्य रूप में अर्थव्यवस्था पर मुद्रा-स्फीति का दबाव बढ़ा है; और

(ख) यदि हां, तो इस्पात के वर्तमान अधिक मूल्यों को कम करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

इस्पात विभाग में राज्य-मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। वाणिज्य मंत्रालय की अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य प्रतिपूर्ति योजना (इन्टरनेशनल प्राइस रि-इम्बरसमेंट स्कीम) के अन्तर्गत इन्जीनियरी साज-समान के निर्यातकों को देशीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के अन्तर की प्रतिपूर्ति की जाती है।

अनुमान है कि संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा हाल ही में घोषित की गई मूल्य-वृद्धि का थोक-मूल्य सूचकांक पर मात्र लगभग 0.4 प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के अशोध्य संदिग्ध ऋणों पर आयकर छूट

1460. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के अशोध्य और संदिग्ध ऋणों पर आय कर छूट देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों के अशोध्य और संदिग्ध ऋणों का गत तीन वर्षों का वर्षवार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) बैंकों को, उनके कर-योग्य लाभ का हिसाब लगाते समय, कर्ज की वह रकम कुछ शर्तों के अधीन काटने की अनुमति दे दी जाती है, जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाता है कि वह राशि गत वर्ष अशोध्य हो गयी थी। इसके अलावा, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को उनकी ग्रामीण शाखाओं द्वारा दिये गये अग्रिमों के सम्बन्ध में अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिये उनके द्वारा की गयी व्यवस्था के संबंध में भी कटौती की अनुमति दे दी जाती है बशर्ते कि यह राशि ऐसे कुल औसत अग्रिमों का $1\frac{1}{2}\%$ से अधिक न हो। अब इस व्यवस्था को और उदार बना दिये जाने का प्रस्ताव है ताकि इस सीसा को लाभ के 10% तक अथवा उनकी ग्रामीण शाखाओं द्वारा दिये गये कुल औसत अग्रिमों के 2% तक, इसमें से जो भी अधिक हों, बढ़ा दिया जाये।

(ग) बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची में निर्धारित तुलन-पत्र और लाभ-हानि विवरण के प्रतिपत्रों के अनुसार, बैंकों को ऐसे अशोध्य और संदिग्ध ऋणों का

ब्यौरा और उनकी राशि बताने के सम्बन्ध में सांविधिक सुरक्षा प्रदान की गयी है जिसके लिए लेखा परीक्षकों की तसल्ली के मुताबिक व्यवस्था कर ली गयी थी। अतः अपेक्षित सूचना नहीं दी जा सकती।

अधिक उपभोक्ता वस्तुओं को मूल्य नियन्त्रण के अधीन लाना

1461. **श्री राम भगत पासवान** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अधिक उपभोक्ता वस्तुओं को मूल्य नियन्त्रण के अधीन लाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने का काम अभी जारी है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।

कृषि क्षेत्र और ग्रामीण गैर-निर्धनों पर कर लगाने का प्रस्ताव

1462 **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने सरकार को कृषि क्षेत्र और ग्रामीण गैर-निर्धनों पर कर लगाने का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या सरकार का विचार नई आर्थिक नीति में इन सुझावों को शामिल करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) ; (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) : कृषि सम्बन्धी आय का कराधान राज्यों के आर्थिक क्षेत्राधिकारी में आता है। इस संबंध में कार्यवाही पर केवल राज्यों द्वारा विचार किया जा सकता है।

मशीनरी से उत्पाद शुल्क और पूंजीगत वस्तुओं से सीमा शुल्क हटाना

1463. **प्रो० रामकृष्ण मोरे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन मर्चेन्टस् चैम्बर ने सरकार से मशीनरी से उत्पादन-शुल्क और पूंजीगत वस्तुओं से शुल्क हटाने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) इंडियन मर्चेंट्स चेम्बर ने, बजट से पहले पेश किए गए अपने ज्ञापन में पूंजीगत माल पर उत्पादन शुल्क हटाए जाने और उस पर उद्ग्रहणीय सीमा शुल्क में कमी करने और परियोजना-आयातों के तहत आने

वाले पूंजीगत माल, जिसमें मौजूदा एककों को तकनीकी तौर पर उन्नत बनाने और आधुनिकीकरण करने वाला माल भी शामिल है, पर सीमा शुल्क से छूट देने का सुझाव दिया है।

(ग) संगत सुझावों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने इस वर्ष के बजट में परियोजना आयातों के संबंध में कुछ रियायतें पहले ही प्रदान कर दी हैं। परियोजना आयातों पर सामान्य रूप से शुल्क की दर को मूल्यानुसार 65% से कम करके मूल्यानुसार 45% कर दिया गया है और विद्युत-परियोजनाओं के संबंध में शुल्क की दर को कम करके मूल्यानुसार 25% कर दिया गया है तथा उर्वरक परियोजनाओं को पूर्ण छूट दे दी गई है।

चेम्बर के अन्य सुझावों को स्वीकार्य नहीं पाया गया है।

इलायची उत्पादकों द्वारा पुनर्रोपण पर किये गये व्यय को आय कर से छूट देने का अनुरोध

1464. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलायची उत्पादकों द्वारा पुनर्रोपण पर लिये जाने वाले व्यय को इस समय आयकर प्रयोजनों के लिये छूट के अन्तर्गत नहीं लिया जा सकता;

(ख) क्या सरकार को इस व्यय को उक्त उद्देश्य के लिए देने का अनुरोध करते हुए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) इलायची की पैदावार से होने वाली आय कृषि-आय है। कृषि-आय पर कर भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची–सूची-II की मद सं० 46 के अन्तर्गत आता है। इसलिए केन्द्रीय सरकार इस मामले से सम्बन्धित नहीं है।

बागान श्रमिकों के कल्याण की योजनाएं

1465. **प्रो० पी०जे० कुरियन** : क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बागान श्रमिकों के कल्याण की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) बागनश्रम अधिनियम, 1951 में अन्य बातों के साथ-साथ बागान कामगारों के कल्याण की व्यवस्था की गई है। यह अधिनियम राज्य सरकारों द्वारा लागू किया जाता है जिन्हें इस अधिनियम के अधीन नियम बनाने के लिए शक्ति भी प्रदत्त है।

अधिनियम अन्य बातों के साथ-साथ पेय जल की सप्लाई, उचित संरक्षण प्रबन्ध, चिकित्सकीय सुविधाएं, कैन्टीन, शैक्षिक सुविधाएं, आवास व्यवस्था तथा कामगारों के लिए अन्य अपेक्षित सुविधाएं बनाए रखने के लिए बागानों पर दायित्व सौंपे गए हैं।

इनके अलावा, चाय उद्योग कामगारों को आर्थिक सहायता प्राप्त खाद्यान्नों की भी व्यवस्था करता है।

विभिन्न वस्तु बोर्ड बागान कामगारों के बच्चों को शैक्षणिक छात्रवृतियां देने, शैक्षिक संस्थानों और अस्पतालों के लिए अनुदान, विकलांग कामगारों अथवा लम्बी बीमारी के लिए वित्तीय सहायता देने की विभिन्न योजनाएं भी चलाते हैं।

तम्बाकू का उत्पादन तथा तम्बाकू व्यापार निगम की स्थापना

1466. **श्री एन० वी० रत्नम् :** क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पाँच वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में तम्बाकू का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) तम्बाकू का न्यूनतम निर्यात मूल्य निर्धारित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) तम्बाकू के सम्पूर्ण निर्यात के सरणीकरण हेतु उपयुक्त व्यवस्था करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ;

(घ) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को पटसन निगम और चाय व्यापार निगम की तरह तम्बाकू व्यापार निगम स्थापित करने का अनुरोध किया है; और

(ङ) इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) गत पाँच वर्षों के दौरान तम्बाकू का राज्यवार उत्पादन दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) 1-2-1985 से लागू 1985, 1984 और 1983 की फसलों के लिए फ्लूक्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू, सन-क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू, सन-क्योर्ड नाटू (कन्द्री) तथा सन-क्योर्ड जुट्टी तम्बाकू के विभिन्न ग्रेडों के लिए न्यूनतम निर्यात कीमतें 1-2-1985 को घोषित की गई हैं।

(ग) एक सरणीकरण अभिकरण की मार्फत सभी तम्बाकू के निर्यातों के सरणीकरण को व्यवहार्य नहीं पाया गया है।

(घ) तथा (ङ) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ प्राथमिक उपजकर्ताओं से फ्री. एफ. सी. तम्बाकू की खरीद करने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में एक संगठन स्थापित करने का सुझाव दिया था। सरकार ने इस पर विचार किया है। तम्बाकू की बिक्री के लिए कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश में इस बीच नीलामी प्रणाली लागू कर दी गई है। तम्बाकू बोर्ड में एक व्यापार खण्ड की भी स्थापना की गई है जो नीलामी मंचों पर न्यूनतम समर्थन कीमत पर बिना बिके माल को समेट कर नीलामी प्रणाली में सीमित बाजार हस्तक्षेप करेगा। इन परिस्थितियों में इस समय व्यापार निगम स्थापित करना आवश्यक नहीं समझा जाता है।

विवरण

1979-80 से 1983-84 तक भारत के प्रमुख उत्पादक राज्यों में तम्बाकू का उत्पादन—

(हजार मे० टन)

क्रमांक	राज्य	1979-80	1980-81	1981-82	82-83	83-84
1.	आन्ध्र प्रदेश	154.9	164.0	193.4	270.2	191.9
2.	बिहार	11.7	9.7	12.3	12.9	13.4
3.	गुजरात	174.9	185.2	209.5	197.1	186.9
4.	कर्नाटक	26.6	33.9	29.0	33.4	28.8
5.	महाराष्ट्र	7.9	6.8	7.3	7.1	7.9
6.	उड़ीसा	8.6	11.3	7.8	7.2	10.2
7.	तमिलनाडु	19.1	22.4	22.9	9.2	13.7
8.	उत्तर प्रदेश	13.8	20.2	15.4	15.3	19.7
9.	पश्चिमी बंगाल	11.5	17.4	13.3	15.8	15.5
10.	अन्य संघ राज्य क्षेत्र	9.5	9.9	9.2	8.4	9.1
	अखिल भारत	438.5	480.8	520.1	581.6	497.1

इंजीनियरिंग मेले के लिये इटली सरकार को आमंत्रण

1467. **श्री एस० एम० गुराडी** : क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष ने यह वक्तव्य दिया है कि इटली की सरकार को इंजीनियरिंग मेले (हाल ही में हुए) में एक 'भागीदार देश' के रूप में आमंत्रित किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इटली के साथ इस प्रकार का विशेष व्यवहार किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में इटली की सरकार के साथ कोई समझौता है;

(घ) यदि हां, तो यह समझौता कब किया गया था; और

(ङ) उक्त समझौते का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) जी नहीं। इंजीनियरिंग मेला प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था और भारतीय इंजीनियरिंग उद्योग एसोसियेशन, एक गैर-सरकारी संगठन द्वारा इटली को भागीदार देश का दर्जा दिया गया।

(ख) मेले के आयोजकों ने बताया कि इटली की सहभागिता को भागीदार देश का दर्जा भाग लेने के आकार के आधार पर दिया गया था।

(ग) जी नहीं।

(घ) तथा (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

सरकारी उपक्रमों के प्रमुखों के पद भरना

1469

1468. **श्री बाला साहिब बिखे पाटिल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अकुशल अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने में असफल प्रमुखों को हटाने का विचार है,

(ख) क्या इस दिशा में कोई कार्रवाई प्रारम्भ की गई है,

(ग) इस समय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अध्यक्षों/प्रबंध निदेशों के कितने पद खाली पड़े हैं, और

(घ) उक्त पद कब तक भरे जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सरकार, सरकारी उद्यमों की प्रबन्ध व्यवस्था के अन्तर्गत कार्मिक परिवर्तन सहित विभिन्न पहलुओं, की निरन्तर समीक्षा कर रही है ताकि उनके कार्यनिष्पादन को बेहतर बनाया जा सके। सरकारी उद्यमों के मुख्य कार्यपालकों का प्रारम्भिक कार्यकाल दो वर्ष का होता है तथा उनके कार्य निष्पादन पर आवधिक कार्य निष्पादन समीक्षा बैठकों के माध्यम से कड़ी नजर रखी जाती है। उनके सन्तोषजनक कार्य निष्पादन के आधार पर उनका कार्यकाल बढ़ाया जाता है।

(ग) और (घ) उपलब्ध जानकारी के अनुसार ऐसे 19 सरकारी उद्यम हैं जिनमें इस समय पूर्णकालिक मुख्य कार्यपालक नहीं हैं। सरकारी उद्यम चयन मण्डल ने ऐसे 13 पदों के भरे जाने के लिये सिफारिशें सरकार को भेज दी हैं और शेष छः रिक्तियों को भरने के लिए चयन पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। इन रिक्त पदों पर नियुक्तियां सम्भवतः शीघ्र ही कर दी जायेंगी।

पारादीप पत्तन के माध्यय से चीन को लौह अयस्क का निर्यात

1469. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारादीप पत्तन के माध्यम से चीन को लौह अयस्क का निर्यात किये जाने का कार्य वर्ष 1983-84 से आरम्भ हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1984-85 के दौरान विभिन्न देशों को, देशवार, कुल कितने टन लौह अयस्क का निर्यात किये जाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य और पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा).: (क) नवम्बर, 1983 में आजमायशी लदान के रूप में पारादीप से चीन को 30,000 मे० टन अलौह अयस्क के

लदान के लिए खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा एक संविदा पर हस्ताक्षर किए गए । इस संविदा के आधार पर लदान पारादीप पत्तन से दिसम्बर 1984 में किया गया ।

(ख) 1984-85 के दौरान पारादीप पत्तन से अलौह अयस्क के लदान 16.4 लाख मे० टन के स्तर पर होने की आशा है जबकि पिछले वर्ष के दौरान 9.28 लाख मे० टन का निर्यात किया गया था । 1984-85 के चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस पत्तन से जो देशवार निर्यात होने की संभावना है, उसका ब्यौरा इस प्रकार है :—

देश का नाम	मात्रा लाख मे० टन में
जापान	5.5
दक्षिण कोरिया	4·2
रूमानिया	1.6
जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य	3.1
चैकोस्लोवाकिया	0.7
बल्गारिया	0.4
हंगरी	0.2
डी पी आर कोरिया	0.2
इराक	0.2
चीन	0.3
योग	16.4

अर्ध निर्मित चमड़े के निर्यात में कदाचार

1470. **श्री जायनल अबेदिन** : क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि तैयार चमड़े के निर्यात के लिये 7.5 प्रतिशत का प्रतिपूर्ति समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से अर्ध-निर्मित चमड़े पर थोड़ा 'कोटिंग' चढ़ा कर उसे तैयार चमड़े जैसा बनाकर उसका निर्यात करने का सुनियोजित कदाचार चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बेईमान निर्यातकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (घ) चमड़ा उद्योग के कुछ वर्गों ने, विशेषकर चमड़े के सामान बनाने वाले वर्गों ने, यह शिकायत की है कि भारत से निर्यात की जाने वाली तैयार चमड़े की कुछ किस्में वास्तव में पपड़ी चमड़े की हैं, जिन्हें आयातक देशों में फिर संसाधित किया जाता है। सरकार का इस विषय की ओर ध्यान है ।

"हेरोइन वर्थ रुपीज 35 लैक्स सीज्ड"
शीर्षक से प्रकाशित समाचार

1471. श्री धर्मपाल सिंह मलिक
श्री राम प्यारे पानिका } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 मार्च, 1985 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "हेरोइन वर्थ रुपीज 35 लैक्स सीज्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इसे सम्बन्ध में पकड़े गये व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जी, हां, पहली मार्च, 1985 को, केन्द्रीय जांच ब्यूरो की नारकोटिक और जाली करेंसी शाखा ने मोर्य होटल, नई दिल्ली के निकट दो व्यक्तियों के कब्जे से 5.322 किलो ग्राम निषिद्ध हेरोइन पाउडर पकड़ा। हेरोइन का कोई प्रमाणिक बाजार मूल्य नहीं होने के कारण और चूंकि औषध द्रव्यों का अनधिकृत बाजार मूल्य, शुद्धता, बिक्री के स्थान, आदि जैसे विभिन्न कारणों पर निर्भर करता है, इसलिए कोई सही-सही मूल्य नहीं बताया जा सकता।

(ग) दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा अनिष्टकर मादक द्रव्य अधिनियम, 1930 की धारा 14 के साथ पठित भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-ख के अंतर्गत उनके खिलाफ एक नियमित मामला दर्ज किया गया है।

कोयले का उत्पादन और वितरण

1472. श्री अमर राय प्रधान : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में कोयले का उत्पादन और वितरण कितना था; और

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना में कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) वर्ष 1981-82 से 1983-84 के दौरान कच्चे कोयले के राज्यवार उत्पादन और वितरण के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

उत्पादन (आंकड़े मिलियन टनों में)

राज्य	1981-82	1982-83	1983-84
पश्चिम बंगाल	19.91	19.04	19.30
बिहार	51.42	54.03	53.54
उड़ीसा	3.32	3.46	4.17
मध्य प्रदेश	27.83	30.74	36.35

महाराष्ट्र	6.89	7.80	8.82
उत्तर प्रदेश	2.06	2.37	2.55
असम	0.70	0.71	0.80
आंध्र प्रदेश	12.10	12.35	12.69
	कुल 124.23	130.50	138.22

वितरण (मिलियन टनों में)

राज्य	1981-82	1982-83	1983-84
आंध्र प्रदेश	7.18	7.59	8.93
असम	0.45	0.37	0.28
पश्चिमी बंगाल	14.88	15.16	14.95
बिहार	23.69	24.89	24.07
गुजरात	8.04	8.96	9.74
काश्मीर	0.09	0.07	0.06
महाराष्ट्र	9.57	9.82	11.09
तमिलनाडु	3.51	3.93	4.27
मध्य प्रदेश	13.09	14.55	15.79
कर्नाटक	1.10	1.03	1.74
उड़ीसा	4.49	4.21	4.89
पंजाब	2.54	2.73	3.08
हरियाणा	1.44	1.77	2.13
उत्तर प्रदेश	11.00	11.42	13.42
राजस्थान	1.28	1.47	2.41
दिल्ली	3.26	3.95	3.81
हिमाचल प्रदेश	0.04	0.05	0.05
केरल, त्रिपुरा और अन्य	0.17	0.17	0.33
	कुल 105.81	112.14	121.04

(ख) कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाये गये कदमों में यह बातें शामिल हैं : आधारभूत सुविधाएं बढ़ाना, वर्तमान खानों का आधुनिकीकरण, नयी खानों का विकास, विदेशी सहयोग समझौते करना ताकि जहां आवश्यक हो वहां नयी तकनालाजी शुरु की जा सके, परियोजनाओं का शीघ्रता से कार्यान्वयन, कामगारों तथा मशीनों की उत्पादकता बढ़ाना।

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें खोलना

[हिन्दी] 1474

1473. **श्री हरीश रावत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों को वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान अपनी शाखायें खोलने के लिए कितने लाइसेंस दिए गए हैं और इन वर्षों में इन बैंकों ने कितनी शाखायें खोली हैं तथा उक्त बैंकों के नाम क्या हैं; और

(ख) बकाया शाखायें कब तक खोली जायेंगी और इन शाखाओं को खोलने में हुए विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों को उत्तर प्रदेश में 1983-84 और 1984-85 के वर्षों में शाखाएं खोलने के लिए जारी किये गये लाइसेंसों/प्राधिकार पत्रों की संख्या और उपर्युक्त अवधि में उनके द्वारा राज्य में खोले गये कार्यालयों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण एक और दो संलग्न हैं।

(ख) चूंकि वर्ष 1984-85 में जारी किये गये लाइसेंसों/प्राधिकार पत्रों में से बड़ी संख्या में लाइसेंस/प्राधिकार पत्र अभी लम्बित हैं इसलिए बैंकों को निर्धारित केन्द्रों में कार्यालय खोलने की प्रक्रिया पूरी करने में कुछ संमय लगेगा। कुछ मामलों में आधार भूत सुविधाओं के अभाव अथवा उपयुक्त स्थान न मिलने के कारण भी कार्यालय खोलने में कठिनाई होती है। फिर भी, बैंकों को निर्धारित केन्द्रों पर यथाशीघ्र कार्यालय खोलने का परामर्श दिया गया है।

विवरण-एक

लाइसेंसों/जारी किये गये प्राधिकार पत्रों की सं०

क्र० सं०	बैंक का नाम	1-4-1983 से 31-3-1984 तक	1-4-1984 से 20-3-1985 तक
1.	भारतीय स्टेट बैंक	9	81
2.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	...	2
3.	इलाहाबाद बैंक	11	40
4.	बैंक आफ बड़ोदा	3	11
5.	बैंक आफ इण्डिया	1	15
6.	केनरा बैंक	3	3
7.	सैण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	6	45
8.	इण्डियन बैंक	...	2
9.	इण्डियन ओवरसीज बैंक	...	4
10.	पंजाब नेशनल बैंक	3	51
11.	सिंडीकेट बैंक	1	18

12.	यूनियन बैंक आफ इण्डिया	1	54
13.	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	1	8
14.	न्यू बैंक आफ इण्डिया	...	5
15.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	...	7
16.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	...	11
	जोड़	39	357

विवरण–दो

बैंक/बैंक समूह		1-4-1983 से 31-3-84 तक*	वर्ष के दौरान खोले गये कार्यालयों की संख्या 1-4-84 से 30-1-85 तक
1.	भारतीय स्टेट बैंक	43	7
2.	भारतीय स्टेट बैंक के अनुषंगी बैंक	4	2
	राष्ट्रीयकृत बैंक		
1.	इलाहाबाद बैंक	15	3
2.	आंध्र बैंक	...	...
3.	बैंक आफ बड़ौदा	11	2
4.	बैंक आफ महाराष्ट्र	...	...
5.	बैंक आफ इण्डिया	2	2
6.	केनरा बैंक	4	3
7.	सेण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	5	11
8.	कारपोरेशन बैंक	1	...
9.	देना बैंक	....	...
10.	इण्डियन बैंक	1	...
11.	इण्डियन ओवरसीज बैंक	1	1
12.	न्यू बैंक आफ इण्डिया	1	1
13.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	5	1
14.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	4	...
15.	पंजाब नेशनल बैंक	17	16
16.	सिंडीकेट बैंक	9	2
17.	यूनियन बैंक आफ इण्डिया	4	16
18.	यूनाइटेड बैंक आफ इन्डिया	1	...
19.	यूनाईटेड कमर्शियल बैंक	2	...
20.	विजया बैंक	...	...
	3 का जोड़	83	58

*इसमें 1-4-83 से पूर्व सरकारी क्षेत्र के बैंकों को जारी किये गये लाइसेंसों/ प्राधिकार पत्रों के आधार पर खोले गये कार्यालयों की संख्या शामिल है।

हिन्डालको से 40 करोड़ रुपये की वसूली

[अनुवाद]

1674. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्यूमीनियम विनियमन लेखा सम्बन्धी एक बिड़ला कम्पनी हिंडालको की ओर काफी समय से जो 40 करोड़ रुपये बकाया थे क्या इस बीच वसूल हो गये :

(ख) यदि नहीं, तो उसमें विलम्ब के क्या कारण है ; और

(ग) उक्त धनराशि कब तक वसूल हो जायेगी ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (ग) हिंडालको ने सर्वोच्च न्यायालय और कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेशों के आधार पर एल्यूमिनियम विनियमन खाते में देय राशि का भुगतान रोक दिया था। यह समग्र देय राशि 4.10.1979 से 31.8.83 तक की अवधि के लिए 35,67,27630/- रुपये थी। न्यायालय में मामले के विचाराधीन रहते हुए, हिन्डालको से मामले को न्यायालय के बाहर इस आधार पर सुलझाने की कोशिश की गई कि वह सरकार द्वारा यथा-आकलित समूची देय राशि की देनदारी बिना शर्त स्वीकार करलें। हिन्डालको ने शर्त स्वीकार करली तथा मामला न्यायालय के बाहर सुलझा लिया गया है। न्यायालय की कार्यवाही के दौरान हिन्डालको द्वारा दी गई राशि तथा हिंडालको द्वारा उत्तर प्रदेश बिजली बोर्ड को सरकारी वादे के अनुसार अतिरिक्त बिजली प्रभार हेतु वस्तुतः अदा की गई राशि के समायोजन के बाद हिंडालको पर 4.10.1979 से 31.8.1983 तक की अवधि की शुद्ध देय राशि 22,74,98,502/-रुपये बनती है। यह शुद्ध देय राशि 48 बराबर किश्तों में अदा करने की सुविधा दी गई थी। तदनुसार हिन्डालको, चालू देय राशियों के भुगतान के साथ-साथ, अब तक 6,63,54,176/- रुपए की राशि का भुगतान कर चुका है। अदायगी समय-सूची के अनुसार अंतिम किस्त 31 दिसंबर, 1987 तक वसूल होनी है।

रेल विभाग के उपयोग के लिए विश्व बैंक से लिए गए ऋण का उपयोग न करने पर 70,000 रुपए प्रतिदिन की दर से बचनबद्धता प्रभार (कमिटमेंट चार्जेज) का भुगतान करना

1675. **श्री जी० जी० स्वैल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विश्व बैंक को रेल विभाग के लिए दिए गए ऋण पर उसे उपयोग न करने के कारण 70,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से प्रतिबद्धता प्रभार का भुगतान कर रही है;

(ख) हम यह भुगतान कब से करते आ रहे हैं :

(ग) अब तक कितनी राशि का भुगतान किया गया है ; और

(घ) उक्त ऋण कब तक अप्रयुक्त पड़ा रहेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) रेलवे विद्युतीकरण और वर्कशाप आधुनिकीकरण परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ 2,807 लाख डालर के एक ऋण करार पर 25.5.1984 को हस्ताक्षर किए गए थे। प्रचालन सूचना प्रणाली के क्रियान्वयन के लिए रेलवे की सहायता हेतु सहयोगी पक्ष का चयन और नियुक्ति इस ऋण को प्रभावी बनाने के लिए एक शर्त है। चूंकि यह शर्त अभी तक पूरी नहीं की गई है इसलिए यह ऋण अभी प्रभावी नहीं हुआ है। तथापि, भारत सरकार को समय समय पर मूलधन की न निकाली गई राशि पर 0.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बैंक को वचनबद्धता प्रभार अदा करना होगा जो ऋण करार की तारीख से 60 दिन के पश्चात् देय होगा। इस प्रकार, वचनबद्धता प्रभार 25 जुलाई, 1984 से लगने आरंभ हो गए हैं। ऋण की कुल धनराशि पर यह वचनबद्धता प्रभार लगभग 70,000 रुपए प्रतिदिन बनता है। इस भुगतान के लिए बैंक से बेवाकी नोटिस प्राप्त हो गया है, परन्तु 25 फरवरी, 1985 तक यह धनराशि लगभग 12.25 लाख डालर बनती है। आशा की जाती है कि प्रचालन सूचना प्रणाली के लिए चुने गए सहयोगी पक्ष के साथ एक करार पर 15 अप्रैल, 1985 से प्रभावी घोषित होने की संभावना है और इसके बाद रेलवे इस ऋण का उपयोग शुरु कर सकेगा।

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र का कार्यान्वयन

1476. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के कार्यान्वयन में निरन्तर विलम्ब और कमियों के कारण इसकी अनुमानित लागत में अत्यधिक वृद्धि हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कार्यान्वयन में निरन्तर विलम्ब और कमियों के क्या कारण हैं; और

(ग) कार्यक्रम के अनुसार इसे पूरा करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह): (क) और (ख) विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना का निर्माण कार्य फरवरी, 1982 में शुरु किया गया था। निर्धारित समय-सूची के अनुसार परियोजना का निर्माण-कार्य दो साथ-साथ चलने वाले चरणों में 6 वर्ष की अवधि में पूरा किया जाना था। निर्धारित समय-सूची के अनुसार 12 लाख टन द्रव इस्पात के उत्पादन की क्षमता वाला प्रथम चरण चार वर्षों में पूरा किया जाना था।

परियोजना के निर्माण कार्य की प्रगति की वर्ष 1984 के मध्य में समीक्षा की गई थी। इस समीक्षा से यह पता चला कि जबकि कुछ कार्य (रेखांकन तथा आर्डर देना) निर्धारित समय-सूची के अनुसार चल रहे थे तथापि संरचनात्मकों तथा उपस्करों की स्थापना जैसे कुछ कार्य पिछड़ गए थे। परियोजना को लिए उपलब्ध धन राशि तथा इसके लिए काफी अधिक धन-राशि की आवश्यकताओं को देखते हुए परियोजना के निर्माण कार्य की विस्तृत रूप से समीक्षा की गई थी ताकि प्रौद्योगिकीय तथा तकनीकी प्राचलों के अनुरूप परियोजना की एक-दूसरे पर निर्भर विभिन्न इकाइयों को क्रमबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जा सके, परियोजना में प्रस्तावित

उत्पादन बाजार की मांग के अनुरूप हो तथा यह सुनिश्चित किया जा सके कि खर्च की गई राशि का इष्टतम उपयोग हो। इस समीक्षा के आधार पर अनुमान है कि परियोजना का पहला चरण वर्ष 1987-88 तक पूरा हो जायेगा।

आरम्भ में विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना की अनुमानित लागत (वर्ष 1979 की प्रथम तिमाही के मूल्यों के आधार पर) 2256 करोड़ रुपए थी। परियोजना के लागत अनुमानों में संशोधन किया गया था और वर्ष 1981 की चौथी तिमाही के मूल्यों के आधार पर इस परियोजना का संशोधित अनुमान 3897.28 करोड़ रुपए था, जिसे वर्ष 1982 में सरकार ने अनुमोदित कर दिया था। लागत अनुमानों में वृद्धि मुख्यत: मूल्यों में वृद्धि तथा नवीनतम प्रौद्योगिकी अपनाने और कार्य के स्वरूप में परिवर्तन के कारण हुई है।

संशोधित समय-सूची तथा वर्ष 1981 की चौथी तिमाही के पश्चात् मूल्यों में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए परियोजना के संशोधित पूंजीगत लागत अनुमानों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(ग) निर्माण कार्य की प्रगति पर परियोजना प्राधिकारियों तथा सरकार द्वारा निगरानी रखी जाती है और परियोजना को समय पर चालू करने के लिए उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं। इंजीनियरिंग कार्य तथा उपस्करों की सप्लाई की प्रगति के बेहतर समन्वयन के लिए कार्य में तेजी लाने हेतु अवस्थापना अभिकरणों, उपस्करों के संभारकों तथा परामर्श-दाताओं के साथ नियमित रूप से बैठकें की जाती हैं और स्थिति की समीक्षा की जाती है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए बैंकों में नौकरियों का आरक्षित कोटा

1477. **प्रो० मनोरंजन हाल्दर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी अनुसूचित बैंक सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए आरक्षण कोटे का पालन नहीं कर रहे हैं, और

(ख) अन्य कर्मचारियों की तुलना में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों के बैंक-वार आंकड़े क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सभी सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर लागू होते हैं और ये इनका पालन कर रहे हैं। ये मार्गदर्शी सिद्धांत अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों पर लागू नहीं होते। सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के कर्मचारियों की बैंक-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र०सं०	बैंक का नाम	सामान्य वर्ग से संबंधित कर्मचारियों की संख्या			अनुसूचित जाति के कर्मचारी			अनु० जनजाति के कर्मचारी		
		अधिकारी	लिपिक	अधीनस्थ कर्मचारी	अधिकारी	लिपिक	अधीनस्थ कर्मचारी	अधिकारी	लिपिक	अधीनस्थ कर्मचारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	12,073	16,818	7,218	467	2,400	1,579	87	713	328
2.	बैंक आफ इंडिया	8,026	20,232	5,487	954	2,864	2,496	371	996	424
3.	पंजाब नेशनल बैंक	8,663	17,319	6,501	817	3,507	3,194	149	567	504
4.	बैंक आफ बड़ौदा	9,236	16,143	5,785	798	2,365	2,016	102	393	454
5.	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	7,348	13,726	5,780	394	1,621	1,834	78	403	364
6.	केनरा बैंक	8,374	19,954	5,380	592	3,198	1,184	221	754	165
7.	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	3,799	8,333	4,718	98	1,520	1,490	37	152	117
8.	देना बैंक	3,447	6,184	2,365	200	1,004	835	63	323	331
9.	सिंडिकेट बैंक	6,371	15,660	3,831	561	2,433	1,536	177	613	288
10.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	6,698	11,119	3,763	330	2,148	1,752	73	195	192
11.	इलाहाबाद बैंक	3,548	6,395	2,835	190	1,076	932	30	117	75
12.	इंडियन बैंक	4,841	7,629	1,938	511	1,454	930	168	168	112
13.	बैंक आफ महाराष्ट्र	2,848	7,201	2,279	302	1,077	795	71	194	243
14.	इंडियन ओवरसीज बैंक	5,248	10,473	2,777	549	2,849	1,630	216	301	176
15.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	3,678	5,023	2,408	39	144	154	14	20	1
16.	कार्पोरेशन बैंक	3,698	3,181	577	42	171	146	....	44	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	1,865	2,858	1,436	22	355	72	6	48	33
18.	विजया बैंक	2,759	6,427	2,067	20	190	223	6	70	58
19.	न्यू बैंक आफ इंडिया	2,564	5,238	1,746	7	407	504	2	69	32
20.	आंध्र बैंक	3,226	5,067	1,715	37	728	351	17	102	139
21.	भारतीय स्टेट बैंक	42,652	80,773	29,471	1,299	14,687	8,857	323	3,935	1,486
22.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	1,931	4,924	2,201	108	1.078	612	3	279	120
23	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	2,148	5,435	2,404	61	564	303	18	54	66
24.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	976	2,181	922	29	401	251	18	110	112
25.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	1,659	4,548	1,591	63	536	228	17	190	62
26.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	1,229	4,011	1,487	78	879	862	8	30	37
27.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	1,072	2,894	1,367	81	425	190	13	154	43
28.	स्टेट बैंक आफ ट्रावणकौर	1,806	4,581	1,679	103	615	498	21	90	85
	जोड़ :	161,783	314,327	111,728	8,752	50,696	35,454	2,309	11,084	6,068

हेरोइन की तस्करी

[हिन्दी]

1478. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावनि** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अहमदाबाद से प्रकाशित दिनांक 2 मार्च, 1985 के गुजराल दैनिक "जय हिन्द" में "पांच अरब की हेरोइन के बारे में तलाश करने के लिए स्वयं इंटरपोल आ रहा है" और "अहमदाबाद में पांच व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया" शीर्षक से प्रकाशित समाचारों की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गिरफ्तार किये गये लोगों का विवरण क्या है और उन्हें कहां गिरफ्तार किया गया;

(घ) उनसे प्राप्त वस्तुओं का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या तस्करी की यह सभी गतिविधियां पाकिस्तान-राजस्थान और अन्य सीमाओं पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जा रही हैं; और

(च) इन गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) सरकार को मिली रिपोर्टों से यह पता चलता है कि अहमदाबाद से निर्यात की गई "आप्टीकल वाइटनिंग एजेंट" की एक खेप से एम्सटरडम में, जनवरी, 1985 में 55 पाउण्ड हेरोइन पकड़ी गई थी। इस संबंध में भारत में कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है कि इंटरपोल के अधिकारी इस मामले में जांच-पड़ताल करने के लिये भारत आ रहे हैं।

(ङ.) भारत को पिछले कुछ समय से इस समस्या का उत्तरोत्तर सामना करना पड़ रहा है कि कुछ पड़ोसी देशों से औषध-द्रव्य भारत के रास्ते लाए-ले-जाए जा रहे हैं।

(च) क्षेत्रीय कार्यालय इस प्रकार की तस्करी को रोकने के लिए सतर्क रहते हैं। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के संबंधित प्राधिकारियों के साथ ताल-मेल स्थापित करके तस्करी-निवारण हेतु उचित उपाय किए जाने के साथ-साथ औषध-द्रव्यों की तस्करी को रोकने के लिए संबंधित अन्तराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ भी घनिष्ठ ताल-मेल रखा जाता है। मामले में उचित कार्यवाही करने के लिए उसकी सतत् समीक्षा की जाती है।

कार्बन ब्लाक्स की खरीद के लिए बोकारो इस्पात-संयंत्र द्वारा विश्वव्यापी निविदायें आमंत्रित करना

[अनुवाद]

1479. **श्री डी० पी० जडेजा** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र की धमन भट्टियों की तुरन्त मरम्मत की आवश्यकता है;

(ख) क्या धमन भट्टियों की मरम्मत में विलम्ब के कारण बोकारो इस्पात संयंत्र को कम उत्पादन से भारी हानि हो रही है;

(ग) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र ने इन धमन भट्टियों की मरम्मत के लिए "कार्बन ब्लाक्स" की खरीद हेतु सितम्बर, 1984 में फरवरी, 1985 के मध्य तक, मरम्मत कार्य पूरा करने के लक्ष्य से विश्वव्यापी निविदायें आमंत्रित की थीं;

(घ) क्या यह विश्वव्यापी (निविदायें) रद्द करके 15 जनवरी, 1985 को एक और सीमित (निविदा) आमंत्रित की गई थी हालांकि पहली निविदा के उत्तर में 29 अक्तूबर, 1984 को प्रस्ताव प्राप्त हो गया था; और

(ङ.) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) बोकारो इस्पात कारखाने ने धमन-भट्टी की पूंजीगत मरम्मत के लिए आवश्यक कार्बन ब्लाकों की खरीद करने के लिए सितम्बर,1984 में विश्व आधार पर निविदाएं (टेंडर इन्क्वायरी) आमंत्रित की थीं । निविदा में स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख किया गया था कि इस सामग्री की सप्लाई फरवरी, 1985 में होनी चाहिए । इसका अर्थ यह नहीं था कि धमन-भट्टी की मरम्मत फरवरी, 1985 में की जानी है ।

(घ) और (ङ.) निविदाएं प्राप्त होने की अन्तिम तारीख 29-10-1984 थी । इस तारीख तक केवल एक पेशकश प्राप्त हुई थी । कुछ सम्भाव्य निविदाकर्त्ताओं ने बोकारो इस्पात कारखाने से अन्तिम तारीख को बढ़ाने का अनुरोध किया था । बोकारो इस्पात कारखाने ने निविदाएं प्राप्त होने की अन्तिम तारीख को बढ़ाकर 12-11-1984 तक करने का निर्णय लिया । इस तारीख तक भी केवल एक पेशकश प्राप्त हुई थी । आठ सदस्यों की एक समिति ने प्राप्त हुई इस एकमात्र पेशकश पर विचार किया था । समिति की सिफारिशों के आधार पर 31-12-1984 को यह निर्णय लिया गया कि पांच पार्टियों को, जिसमें वह पार्टी भी शामिल है, जिसने 12-11-1984 को पेशकश की थी, अल्प कालिक सीमित निविदा जारी की जाए । अल्पकालिक निविदाओं के उत्तर में प्राप्त पेशकश 15-1-1985 को खोली गई थी और 15-2-1985 को आर्डर दे दिया गया था । बोकारो इस्पात कारखाने द्वारा स्वीकार की गई निविदा का मूल्य प्राप्त हुई निविदाओं में सबसे निम्नतम मूल्य की निविदा से जहाज तक निष्प्रभार 26.4 प्रतिशत अधिक था । कम मूल्य की पेशकश तकनीकी कार्यकरण तथा सुपुर्दगी के आधार पर स्वीकार की गई ।

1181

राष्ट्रीय पटसन निर्माता निगम

1490. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी** : क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय पटसन निर्माता निगम (एन०जे०एम०सी०) के गठन के उद्देश्य और कारण क्या हैं;

(ख) इस समय कितने यूनिट कार्य कर रहे हैं और तत्संबंधी विवरण क्या है;

(ग) क्या कुछ और यूनिटों को सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि से पूर्व अथवा उसके दौरान चरणवद्ध रूप में राष्ट्रीय पटसन निर्माता निगम के अंतर्गत किए जाने की संभावना हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लि०, कलकत्ता के गठन का मुख्य उद्देश्य एवं कारण देश में राष्ट्रीयकृत जूट मिलों का प्रबन्ध करना था ।

(ख) राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लि० के अधीन इस समय कार्य कर रहे एककों की संख्या 6 है—पश्चिम बंगाल में 5 अर्थात् नेशनल, अलेकजैन्डा, यूनियन, खारदाह तथा किन्नीसन और एक बिहार में अर्थात् आर०बी०एच०एम० ।

(ग) इस समय सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दर में संशोधन

1481. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दर में संशोधन करने के प्रश्न पर कोई निर्णय लिया है, और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

'चाइना' काउंसिल फार प्रमोशन आफ इंटरनेशनल रेड और फिक्की द्वारा किया गया समझौता

1482. **श्री रामस्वरूप राम :** क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'फिक्की' और चाइना काउंसिल फार प्रमोशन आफ इंटरनेशनल रेड (सी० सी०पी०आई०टी०) द्वारा हाल में किए गए समझौते के अनुसार विदेश व्यापार के मामले में भारत को लाभ होगा ;

(ख) समझौते के अन्तर्गत कार्यान्वयन के लिए किन-किन परियोजनाओं को प्रारम्भ किया जाएगा; और

(ग) संयुक्त व्यापार योजना में कितनी राशि शामिल है ?

वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) 2 मार्च 1985 को एफ.आई.सी.सी.आई. तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संवर्धन के लिए चीनी परिषद द्वारा हस्ताक्षर किया गया करार वाणिज्यिक और आर्थिक क्षेत्रों में आपसी कार्रवाई के लिए अवसरों के बारे में बेहतर जानकारी प्राप्त करने में भारत और चीन के व्यापार समुदायों की सहायता करेगा।

(ख) और (ग) करार में कार्यान्वयन के लिए किन्हीं विशिष्ट परियोजनाओं अथवा "संयुक्त व्यापार योजना" के ब्यौरे नहीं दिए गए हैं।

राष्ट्रीय बैंकिंग नीति निर्धारित करना

1483. **श्री आई०रामा राय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय बैंकिंग नीति निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बैंकों सहित उन वित्तीय संस्थानों के नाम क्या हैं जो कृषि क्षेत्र कृषि को वित्तीय सहायता दे रहे हैं; और

(घ) क्या सभी गैर-राष्ट्रीयकृत बैंकों और गैर-सरकारी वित्तीय संस्थानों को सरकार के नियंत्रणाधीन लाने का कोई प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सरकार ने 1969 और 1980 में कतिपय भारतीय बैंकिंग कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण उनके आकार, साधनों, क्षेत्र, और संगठन को देखते हुए किया था ताकि अर्थव्यवस्था की विकास की आवश्यकताओं को क्रमिक रूप से और पहले से बेहतर ढंग से पूरा किया जा सके और राष्ट्रीय नीतियों तथा उद्देश्यों के अनुरूप जन कल्याण का संवर्द्धन किया जा सके।

सरकार और रिजर्व बैंक की यह नीति रही है कि बैंकिंग प्रणाली का स्वस्थ दिशा में क्रमिक विकास सुनिश्चित किया जाए ताकि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की ऋण संबंधी सभी वास्तविक आवश्यकताएं बैंकिंग प्रणाली द्वारा पर्याप्त रूप से पूरी की जा सकें।

(ग) सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा सहकारी बैंक कृषि और संबद्ध कार्यों में लगे पात्र ऋणकर्त्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक इन बैंकों को पुनर्वित्त की सुविधाएं प्रदान करता है।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव फिलहाल सरकार के विचाराधीन नहीं है।

कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र के लिए स्वायत्त निकाय

[हिन्दी]

1484. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात सरकार द्वारा कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र के लिए एक स्वायत्त निकाय के गठन के संबंध में क्या सुझाव दिए गए हैं;

(ख) केन्द्रीय सरकार को उन्हें स्वीकार करने में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र के प्रशासनिक गठन का ब्यौरा क्या है और क्या सरकार का इसमें कुछ परिवर्तन करने का विचार है; और

(घ) इस क्षेत्र में किन-किन वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है तथा और अधिक उद्योग स्थापित करने की सम्भावनाएं क्या हैं ?

वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) और (ख) कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र के तेजी से विकास के संबंध में गुजरात सरकार ने यह सुझाव दिया है कि मौके पर लिए जाने वाले विनिश्चयों को सुकर बनाने के लिए एक उच्च-शक्ति सम्पन्न सांविधिक निकाय नियुक्त किया जाना चाहिए। न केवल कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र का नियंत्रण तथा संचालन करने के लिए अपितु देश में सभी निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्रों के लिए एक केन्द्रीय प्राधिकरण के लिए उपबन्ध तैयार करने के लिए कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है।

(ग) कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र सम्बन्धी प्रशासनिक संगठन में, विकास आयुक्त के प्रशासनिक नियंत्रण में विकास, लेखाओं, सीमा शुल्क मूल्य निर्धारण तथा सुरक्षा के लिए 135 कर्मिक हैं। इस संगठन में इस अवस्था में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन करना अपेक्षित नहीं है।

(घ) इस क्षेत्र में लगभग 106 एककों द्वारा लगभग 35 विभिन्न प्रकार की मदें उत्पादित की जाती हैं। इस क्षेत्र में अन्य एकक स्थापित करने की संभावना है।

वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक

1485. **श्री कुन्थ प्रताप सिंह** : क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984 के दौरान मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की कितनी बैठकें हुईं;

(ख) इन बैठकों में क्या संकल्प पारित किए गए; और

(ग) इन संकल्पों के कार्यान्वयन से संबंधित ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) 1984 के दौरान तत्कालीन वाणिज्य मंत्रालय और पूर्ति विभाग की हिन्दी सलाहकार समितियों की एक संयुक्त बैठक हुई।

(ख) और (ग) ऊपर उल्लिखित बैठक में की गई समिति की सिफारिशें/सुझाव तथा उनके कार्यान्वयन के संबंध में ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

वाणिज्य तथा पूर्ति मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समितियों की 1984 में हुई बैठक में की गई सिफारिशों/सुझावों तथा उनके कार्यान्वयन के बारे में ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण ।

क्रम संख्या	सिफारिशें/सुझाव	कार्यान्वयन का ब्यौरा
	वाणिज्य मंत्रालय (वाणिज्य विभाग तथा वस्त्र विभाग)	
1.	हिन्दी सलाहकार समिति की उप-समितियों के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय ने समिति को सूचित किया कि हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन होने से इस बीच इसकी उप-समितियां भी पुनर्गठित की जा चुकी हैं और कहा कि इस मामले में शीघ्रतापूर्वक कार्यवाही की जायेगी और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पुनर्गठित हिन्दी सलाहकार समिति की उप-समितियों द्वारा विभिन्न संगठनों के दौरों के कार्यक्रम नियमित रूप से बनाये जाएं और उन्हें अमल में लाया जाये ।	राजभाषा विभाग से प्राप्त इन अनुदेशों के अनुसार कि केन्द्रीय हिन्दी समिति का ऐसा निर्णय है कि मंत्रालयों/विभागों में हिन्दी सलाहकार समितियों की उप-समितियां अथवा निरीक्षण समितियां गठित नहीं की जानी चाहिये, यह निर्णय लिया गया कि उप-समितियों के दौरों के आयोजन के मामले में आगे कार्यवाही न की जाये ।
2.	यह कहा गया कि मंत्रालय में सरकारी कार्य में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के सम्बन्ध में पूरे आंकड़े समिति के समक्ष रखे जाने चाहिये थे ।	इसे भविष्य में अनुपालन के लिये नोट किया गया ।
3.	यह कहा गया कि मूल पत्र व्यवहार के लिये हिन्दी के प्रयोग में पर्याप्त सन्तोषजनक नहीं है और कहा कि इस सम्बन्ध में कुछ गम्भीर प्रयास किये जाने चाहिए ताकि वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्यों को पूरा किया जा सके । अध्यक्ष महोदय ने टिप्पणी की कि इस सम्बन्ध में कदम उठाये जायेंगे और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्य पूरे हो जायें ।	इस बारे में आवश्यक अनुदेश दे दिये गये हैं । इस मुद्दे पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में पुन: जोर दिया गया, जिसमें सभी अनुभागों के अनुभाग-अधिकारी बुलाये गये थे ।
4.	यह सुझाव दिया गया कि रोजमर्रा के सरकारी कामकाज में सरल हिन्दी का प्रयोग किया जाना चाहिये ।	इसे अनुपालन के लिये नोट किया गया ।

5.	हिन्दी सलाहकार समिति की बैठकें नियमित रूप से की जानी चाहियें ।	अनुपालन के लिये नोट किया गया ।
6.	हिन्दी टाइपराइटरों की संख्या की तुलना में अंग्रेजी टाइपराइटरों की संख्या के सम्बन्ध में समिति को यह सूचित किया गया कि मंत्रालय में आवश्यकता से अधिक हिन्दी टाइपराइटर हैं, क्योंकि हिन्दी टाइपराइटरों की संख्या हिन्दी टाईपिंग के कार्यभार पर निर्भर करती है और समिति को आश्वासन दिया गया कि हिन्दी टाइपिंग कार्य बढ़ने के साथ-साथ और हिन्दी टाइपराइटर खरीदे जायेंगे ।	अनुपालन के लिये नोट किया गया ।
7.	इस बात पर बल दिया गया कि मंत्रालय को राजभाषा अधिनियम तथा राजभाषा नियमों के उपबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिये और सभी वरिष्ठ अधिकारियों को राजभाषा अधिनियमों तथा नियमों की जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिये ताकि वे उनके कार्यान्वयन के लिये उपयुक्त कदम उठा सकें ।	कुछ चैक प्वाइंटों को लागू करके इसे सुनिश्चित करने के प्रयास किये जा रहे हैं ।
8.	यह कहा गया कि "एम.एम.टी.सी. न्यूज" नाम से खनिज तथा धातु व्यापार निगम की पत्रिका में हिन्दी में केवल पांच पृष्ठ हैं जबकि अंग्रेजी के पृष्ठों की संख्या 19 है तथा यह पत्रिका द्विभाषी होनी चाहिये और उसका आवरण पृष्ठ भी द्विभाषी होना चाहिये ।	खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।
	पूर्ति विभाग	
9.	पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के पांच अनुभागों के सम्बन्ध में संविदा दस्तावेजों को हिन्दी तथा अंग्रेजी में जारी किया जा रहा है । यह सुझाव दिया गया कि यह कार्य पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के अन्य अनुभागों के सम्बन्ध में भी किया जाये ।	पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के दो और अनुभागों में संविदाएं द्विभाषी रूप में जारी करने का निर्णय कार्यान्वित किया गया है ।

10.	वाणिज्य मंत्रालय की रूपरेखा के आधार पर एक निरीक्षण दल का गठन किया जाना चाहिये ।	निरीक्षण दल ने, जिसमें संयुक्त सचिव, एक संसद सदस्य तथा हिन्दी सलाहकार समिति का एक गैर सरकारी सदस्य शामिल था, कानपुर, डी०जी०एस० एण्ड डी० के क्षेत्रीय कार्यालयों का दौरा किया। दल द्वारा इन कार्यालयों में किये जाने वाले कार्य की सराहना की गई ।
11.	विभाग में राजभाषा अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों तथा राजभाषा नियमों को पूरी तरह से क्रियान्वित किया जाना चाहिये ।	पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के संलग्न तथा अधीनस्थ कार्यालयों के लिये एक शील्ड योजना तथा साथ ही सरकारी काम में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिये कर्मचारियों के लिये एक नकद पुरुस्कार योजना को भी क्रियान्वित किया गया है । मुख्य लेखा नियंत्रक द्वारा जारी किये जाने वाले चैक हिन्दी में लिखे जा रहे हैं। पूर्ति तथा निपटान महा निदेशालय तथा विभाग दोनों में हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है तथा सभी कार्यालयों को राजभाषा अधिनियम के उपबंधों तथा राजभाषा नियमों को पूर्ण रूप से कार्यान्वित करने के अनुदेश दिये गये हैं ।

राज्यों का प्रति व्यक्ति विकास और गैर-विकास व्यय

[अनुवाद] 1487

1486 **श्री भोला नाथ सेन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना की वर्ष 1980–85 अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों को अपनी वार्षिक योजना परिव्यय को अन्तिम रूप देने के लिये अपने संसाधनों से धन जुटाने के मामले में प्रति व्यक्ति विकास और गैर-विकास व्यय का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं, और

(ख) अखिल भारतीय औसत की तुलना में पश्चिम बंगाल की स्थिति क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) तथा (ख) छठी पंच-वर्षीय योजना 1980-85 के दौरान राज्यवार प्रति व्यक्ति आयोजना–गत तथा आयोजना-भिन्न व्यय को दर्शाने वाला विवरण-एक तथा छठी पंच-वर्षीय योजना (1980-85) के दौरान राज्य-वार बजटीय संसाधनों तथा सार्वजनिक उद्यमों के अंशदान को दर्शाने वाला विवरण-दो सभा पटल पर रखे जाते हैं ।

विवरण–एक

(आंकड़े रुपयों में)

राज्य	प्रति व्यक्ति आयोजनागत व्यय	प्रति व्यक्ति आयोजना भिन्न व्यय
1	2	3
1 आंध्र प्रदेश	733.28	2083.95
2 असम	872.19	3054.59
3 बिहार	527.51	1745.70
4 गुजरात	1461.07	2289.18
5 हरियाणा	1590.00	4240.78
6 हिमाचल प्रदेश	1893.24	4695.46
7 जम्मू और कश्मीर	1988.85	3731.34
8 कर्नाटक	981.91	3196.39
9 केरल	782.24	2474.91
10 मध्य प्रदेश	937.15	2030.54
11 महाराष्ट्र	1285.66	3132.44
12 मणिपुर	2300.56	6883.13
13 मेघालय	2584.19	4336.86
14 नागालैंड	4406.20	15221.12
15 उड़ीसा	709.69	2384.68
16 पंजाब	1456.22	5889.89
17 राजस्थान	724.97	2993.44
18 सिक्किम	6292.86	6468.10
19 तमिलनाडु	879.58	2292.55
20 त्रिपुरा	1753.86	3630.66
21 उत्तर प्रदेश	683.84	1576.27
22 पश्चिमी बंगाल	513.81	2737.45
सभी राज्यों का जोड़	879.60	2494.53

टिप्पणी : 1. इसमें 1980-81 से 1982-83 के वास्तविक, 1983-84 के वास्तविक पूर्व तथा 1984-85 के अद्यतन अनुमान शामिल हैं ।

2. प्रति व्यक्ति व्यय की गणना के लिए, 1971 की जनगणना के आंकड़ों का प्रयोग किया गया है ।

विवरण-दो

(करोड़ रुपये)

	राज्य	राज्य के बजटीय संसाधन तथा सार्वजनिक उद्यमों का अंशदान
1	आन्ध्र प्रदेश	1193.42
2	असम	—460.92
3	बिहार	145.92
4	गुजरात	2636.55
5	हरियाणा	918.34
6	हिमाचल प्रदेश	36.93
7	जम्मू तथा काश्मीर	—330.05
8	कर्नाटक	1444.72
9	केरल	386.09
10	मध्य प्रदेश	1997.09
11	महाराष्ट्र	4625.48
12	मणिपुर	—139.99
13	मेघालय	—84.79
14	नागालैण्ड	145.99
15	उड़ीसा	307.30
16	पंजाब	691.94
17	राजस्थान	180.27
18	सिक्किम	—28.54
19	तमिलनाडु	2199.12
20	त्रिपुरा	—89.53
21	उत्तर प्रदेश	2238.73
22	पश्चिम बंगाल	243.94
	सभी राज्यों का जोड़	17965.98 (+19245.84) (— 1279.86)

टिप्पणी : इसमें 1980-81 से 1982-83 के वास्तविक, 1983-84 के वास्तविक पूर्व तथा 1984-85 के अद्यतन अनुमान शामिल हैं।

दादर और नागर हवेली में नये इस्पात संयंत्र की स्थापना करना

1487. **श्री सीताराम जे० गावरी** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दादर और नागर हवेली में किसी नये इस्पात संयंत्र की स्थापना की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो किस स्थान पर और इसका प्रयोजन क्या है; और

(ग) क्या इस नये संयंत्र की स्थापना आनुषंगिक लघु एककों के विकास में सहायक सिद्ध होगी ?

इस्पात विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड में बीहाइव कोक भट्ठियों का बन्द होना

1488. **श्री योगेश्वर प्रसाद** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दो वर्ष पूर्व प्रबन्धकों द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में सभी बीहाइव कोक भट्ठियों को बन्द कर दिया जाए;

(ख) यदि हां, तो उसके विस्तृत कारण क्या हैं;

(ग) क्या बीहाइव कोक भट्ठियों के अकस्मात बन्द होने से हार्ड कोक के उत्पादन में अचानक मिलावट आई है;

(घ) क्या उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित निर्णय से गैर सरकारी कोक भट्ठियों के मालिकों को लाभ हुआ जिन्होंने अपना मूल्य 300 रुपये प्रति टन बढ़ा दिया और उनका उत्पादन प्रति मास 40,000 टन से बढ़कर 2 लाख प्रति टन हो गया;

(ङ) यदि हां, तो उपर्युक्त (ग) और (घ) से सम्बन्धित ब्यौरा क्या है; और

(च) इन कम्पनियों की प्रति व्यक्ति आय में गिरावट और गैर-सरकारी कोक भट्ठियों के स्वामियों को लाभ पहुंचाने के लिये जिम्मेवार अधिकारियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं का विस्तार

1489. **श्री राधा कांत डिगाल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान विभिन्नि वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं का विस्तार करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों की कितनी शाखायें खोलने का विचार है;

(ग) क्या सरकार का विचार पिछड़े क्षेत्रों में बैंक शाखायें खोलने को प्राथमिकता देने का है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त योजना अवधि के दौरान उड़ीसा के पिछड़े जिले फुलबनी में विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों की कितनी नई शाखायें खोलने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) सातवीं योजनावधि की शाखा लाइसेंसिंग नीति को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। उक्त नीति को अन्तिम रूप दिये जाने तक उड़ीसा के फुलबनी जिले समेत देश के विभिन्न भागों में बैंकों की कितनी शाखायें खोलने की अनुमति दी जाएगी बताना सम्भव नहीं होगा। अलबत्ता, उपलब्ध सूचना के अनुसार, बैंकों के पास इस समय, उड़ीसा में 157 बैंक कार्यालय (फुलबनी जिले में 8 बैंक कार्यालयों सहित) खोलने के लिए लाइसेंस/प्राधिकार पत्र हैं। बैंकों को उक्त केन्द्रों में यथा शीघ्र अपने कार्यालय खोलने की सलाह दी गयी है।

इंडियन बैंक की जाले शाखा द्वारा नलकूपों की स्थापना के लिए स्वीकृत राशि

[हिन्दी]

1490. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दरभंगा जिले के इंडियन बैंक की जाले शाखा के ग्रामोद्य केन्द्र द्वारा सिंचाई प्रयोजनों के लिए नलकूप लगाने हेतु अब तक कुल कितनी राशि मंजूर की गई है और उसका पंचायत-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या स्वीकृत राशि में से लघु, मध्यम और सीमान्त कृषकों को छूट/आर्थिक सहायता भी दी जाती है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त बैंक द्वारा किसानों के लिए स्वीकृत की गई राशि में अब तक कितने व्यक्तियों को छूट/आर्थिक सहायता दी गई है; और

(ङ) कितने व्यक्तियों को अभी छूट/आर्थिक सहायता दी जानी है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ) बैंकों की आंकड़ा सूचना पद्धति से उस प्रकार प्रयोजन-वार, शाखा-वार और पंचायत-वार सूचना नहीं मिलती जिस प्रकार प्रश्न में पूछी गयी है। जहां तक आर्थिक सहायता का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य का आशय शायद समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत दी जाने वाली आर्थिक सहायता से है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत छोटे किसानों के मामले में, पात्र हिताधिकारियों को, परिसम्पत्तियों की पूंजीगत लागत की 25 प्रतिशत तक और सीमान्तिक किसानों को 33⅓ प्रतिशत तक

आर्थिक सहायता दी जाती है। आदिवासी किसान 50 प्रतिशत आर्थिक सहायता प्राप्त करने के हकदार हैं। सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में एक गैर-आदिवासी को 4000/- रुपये तक और सूखा-आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम से भिन्न क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में एक गैर-आदिवासी को 3000/- रुपये तक की अधिकतम आर्थिक सहायता दी जा सकती है। आदिवासी किसानों के लिये 5,000/- रुपये तक की अधिकतम सीमा रखी गयी है।

निलंबित आयकर अधिकारी

[अनुवाद]

1491. **श्री केशवराव पारधी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान आयकर विभाग के कितने अधिकारी आरोप पत्र दिए बिना (एक) तीन मास से अधिक (दो) छः मास से अधिक और (तीन) एक वर्ष से अधिक समय के लिये निलम्बित रहे;

(ख) इस सम्बन्ध में सरकारी आदेशों के विरुद्ध इतनी लम्बी अवधि तक आरोप-पत्र न दिये जाने का क्या औचित्य है;

(ग) इस प्रकार के अलग-अलग मामलों की संख्या कितनी है, जिनकी एक माह के भीतर और तीन मास के पश्चात् पुनरीक्षा की गई है; और

(घ) अन्य मामलों की पुनरीक्षा न करने के क्या कारण हैं, और इस प्रकार के मामलों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) समूह—'क' और समूह —'ख' के अधिकारियों की संख्या निम्न प्रकार से है—

(i) तीन मास से अधिक	—शून्य
(ii) छः मास से अधिक	—तीन
(iii) एक वर्ष से अधिक	—एक

(ख) तीन मामलों में आरोप-पत्र तामील नहीं किये गये हैं क्योंकि केन्द्रीय जांच ब्यूरो से रिपोर्टें/दस्तावेज अभी प्राप्त नहीं हुए हैं और चौथे मामले में अधिकारी का स्पष्टीकरण अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) ऐसे सभी मामलों पर सतत निगरानी रखी जाती है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

चाय, काफी और काजू के निर्यात में कमी

1492. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चाय, काफी और काजू के निर्यात में कोई कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राज्य व्यापार निगम काफी, चाय और काजू के निर्यात के लिये नये बाजारों की तलाश कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो अब तक इस सम्बन्ध में क्या सफलता मिली है; और

(ङ) 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के वर्षों के दौरान कितने मूल्य की चाय, काफी और काजू का निर्यात किया गया और वर्ष 1985-86 के दौरान कितना निर्यात किये जाने की सम्भावना है ?

वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०ए०संगमा): (क) और (ख) 1983-84 तथा 1982-83 की तुलना में 1984-85 के दौरान चाय तथा काजू से होने वाली निर्यात आय में कोई गिरावट नहीं आई है। तथापि, पिछले वर्षों में सूखे की स्थिति से कम फसल होने की वजह से काफी के निर्यातों में गिरावट आई है।

(ग) और (घ) जी, हां। राज्य व्यापार निगम लीबिया से 1000 एम० टी० के लिये मूल्य वर्धित चाय पैकेटों के क्रयादेश प्राप्त करने में सफल रहा है। काजू के निर्यात मामूली से बढ़कर 4.29 करोड़ रुपये से लगभग 450 करोड़ रुपये तक होने की आशा है। चाय के लिये पश्चिम एशिया तथा उत्तर अफ्रीकी बाजार, काफी के लिए पश्चिम एशिया तथा गैर कोटा देश एवं काजू के लिए सं० रा० अमरीका तथा यूरोप का पता लगाया जा रहा है।

(ङ) चाय, काफी तथा काजू के निर्यात पर प्राप्त मूल्य का ब्यौरा निम्नोक्त प्रकार है :—

वस्तु	वर्ष	मूल्य (करोड़ रु० में)
चाय	1982-83	366.89
	1983-84	530.04
	1984-85 (जनवरी, 85 तक)	689.43
	1985-86 (लक्ष्य)	220 मिलियन किग्रा० मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय बाजार कीमत के रुख पर निर्भर करेगा।
काफी	1982-83	203.54
	1983-84	175.05
	1984-85 (फरवरी, 85 तक)	185.51
	1985-86 (लक्ष्य)	195.00 (अस्थायी)
काजू	1982-83	132.28
	1983-84 (अप्रैल-दिसम्बर, 83)	148.27 (121.34)
	1984-85 (अप्रैल-दिसम्बर, 84)	147.27
	1985-86	(लक्ष्य अभी निर्धारित नहीं किया गया।)

कपास का निर्यात

1493. श्री अमर सिंह राठवा : क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत से वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 में आज तक कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के कपास का निर्यात किया गया;

(ख) कौन-कौन से देश भारत से कपास का आयात कर रहे हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान किन-किन राज्यों से निर्यात किया गया और ऐसे प्रत्येक राज्य से कितनी मात्रा में निर्यात किया गया; और

(घ) किस एजेंसी के माध्यम से यह निर्यात किया गया और वर्ष 1985-86 के दौरान निर्यात बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) रुई वर्ष (सितम्बर-अगस्त) 1982-83, 1983-84 तथा 1984-85 के दौरान भारत से निर्यातित रुई की मात्रा और मूल्य निम्नोक्त प्रकार हैं :—

वर्ष	मात्रा (लाख गांठ)	मूल्य (करोड़ रु० में)
1982-83	6.97	155.16
1983-84	3.54	98.36
1984-85 (25-3-85 को)	0.55	21.86

(ख) 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान भारत से निम्नलिखित देश रुई का आयात करते रहे हैं :—अल्जीरिया, आस्ट्रिया, बंगलादेश, बेल्जियम, बुल्गारिया, चीन (ताइवान), चीन (मुख्य प्रदेश), चैकोस्लोवाकिया, फ्रांस, जर्मनी (पश्चिमी), यूनान, हांगकांग, इन्डोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया (उत्तरी), कोरिया (दक्षिणी), मलयेशिया, मोजाम्बीक, मोरक्को, नेपाल, फिलीपीन, पोलैण्ड, पुर्तगाल, रोमानियां, सिंगापुर, स्पेन, श्रीलंका, स्विटजरलैंड, तजानिया, ट्यूनीशिया, थाइलैंड, ब्रिटेन, अमरीका तथा सोवियत रूस ।

(ग) और (घ) इस समय रुई का निर्यात भारतीय रुई निगम लि० महाराष्ट्र राज्य सहकारी रुई उत्पादक विपणन फैडरेशन लि०, बम्बई, गुजरात राज्य सहकारी रुई फैडरेशन लि०, अहमदाबाद तथा आन्ध्र प्रदेश राज्य सहकारी विपणन फैडरेशन लिमिटेड, हैदराबाद की मार्फत किया जा रहा है । चूंकि सी० सी० आई० महाराष्ट्र को छोड़कर सभी रुई उत्पादन राज्यों में कार्यरत हैं अतः यही विभिन्न रुई उत्पादक राज्यों में खरीदी गई रुई का निर्यात करता है । चालू रुई मौसम अर्थात 1 सितम्बर, 1984 से 31 अगस्त, 1985 तक सरकार ने अब तक लम्बी तथा अति लम्बे रेशे वाली रुई की 2 लाख गाँठों के निर्यात के लिये निर्णय लिया है ।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के उद्यमियों की बैंक ऋण हेतु पात्रता

1994. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या वित मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का कोई उद्यमी कितनी धनराशि का बैंक ऋण लेने का पात्र है;

(ख) यह सुविधा खास तौर पर आदिवासी क्षेत्र में किस तरह प्राप्त की जा सकती है, जो कि देश का सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र है; और

(ग) विभिन्न सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 में आज तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने उद्यमियों को ऋण दिये गये और उनकी राज्य-वार संख्या कितनी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ख) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के ऋणकर्त्ताओं द्वारा बैंकों से लिये जाने वाले ऋणों पर कोई रोक नहीं है। ऋण की राशि प्रस्तावित आर्थिक क्रियाकलाप पर निर्भर करती है और बैंक प्रस्ताव पर गुणदोषों के आधार पर विचार करते हैं। बैंकों से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों के उत्पादक धंधों के लिये अधिक ऋण देने के वास्ते कहा गया है। बैंक इन समुदायों के ऋणकर्त्ताओं को दिये जाने वाले ऋणों के प्रवाह को बढ़ाने के उद्देश्य से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की ऋण सम्बन्धी गतिविधियों के अंग के रूप में समय-समय पर कई योजनाएं तैयार करते हैं और उन्हें अमल में लाते हैं। बैंक ऐसे कुछ खास-खास कार्यक्रमों के अधीन ऋणों की व्यवस्था भी करते हैं जिनमें इन समुदायों के लोगों को आर्थिक सहायता दी जाती है।

(ग) राज्यवार ब्यौरा दिसम्बर 1982 और दिसम्बर 1983 तक का उपलब्ध है। एक विवरण संलग्न है जिसमें दिसम्बर 1982 और दिसम्बर 1983 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के ऋणकर्त्ताओं को सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिये गये अग्रिमों का ब्यौरा दिया गया है।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को दिये गये अग्रिम

(करोड़ रुपये)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/ क्षेत्र का नाम	दिसम्बर, 1982		दिसम्बर, 1983*	
	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
1	2	3	4	5
I. उत्तरी क्षेत्र	481764	112.25	544986	135.29
1. हरियाणा	90253	18.65	106706	22.90
2. हिमाचल प्रदेश	56189	9.42	67737	11.21
3. जम्मू एण्ड कश्मीर	5773	1.15	5970	1.37
4. पंजाब	158554	38.12	166936	44.17
5. राजस्थान	148726	38.15	170494	48.11
6. चण्डीगढ़	4945	3.10	5784	1.49
7. दिल्ली	17325	3.63	21359	6.04

1	2	3	4	5
II. पूर्वोत्तर क्षेत्र	116614	21.86	134901	32.19
1. असम	66857	6.32	80139	6.82
2. मणिपुर	9954	1.32	8727	1.43
3. मेघालय	11515	4.49	16483	6.22
4. नागालैंड	4118	2.99	55737	5.35
5. त्रिपुरा	20437	2.92	17991	4.62
6. अरुणाचल प्रदेश	1637	1.60	1810	2.65
7. मिजोरम	1200	1.79	1800	4.29
8. सिक्किम	896	0.41	2468	0.81
III. पूर्वी क्षेत्र	655519	81.45	747469	105.77
1. बिहार	202338	24.79	244199	36.00
2. उड़ीसा	219251	26.14	232774	36.85
3. पश्चिम बंगाल	233861	30.26	270404	32.86
4. अंडमान निकोबार द्वीप समूह	69	0.26	92	30.06
IV. मध्य क्षेत्र	561265	143.97	726912	166.68
1. मध्य प्रदेश	194176	52.97	241246	49.18
2. उत्तर प्रदेश	367080	90.99	485666	117.50
V. पश्चिमी क्षेत्र	501445	91.39	567812	118.95
1. गुजरात	294028	43.15	309154	47.36
2. महाराष्ट्र	204713	47.81	255253	60.61
3. गोवा दमन द्वीप समूह	2370	0.37	2840	0.87
4. दादर एण्ड नागर हवेली	334	0.04	565	0.11
VI. दक्षिण क्षेत्र	937558	157.92	1162446	205.78
1. आन्ध्र प्रदेश	373096	75.75	453238	88.53
2. कर्नाटका	195116	32.04	238643	46.08
3. केरल	125680	14.25	139371	16.92
4. तमिलनाडु	237937	37.03	324612	53.38
5. पांडिचेरी	5131	0.69	5928	0.70
6. लक्षद्वीप	598	0.12	654	0.17
कुल	3254165	610.86	3884616	754.66

1. आंकड़े अनन्तिम हैं

2. न्यू बैंक आफ इंडिया और सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया के आंकड़े जून, 1983 के हैं।

1496 **मिल क्षेत्र से हथकरघा क्षेत्र को धागे का वितरण**

1495. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मिल क्षेत्र से हथकरघा क्षेत्र के लिये धागे का कोई उचित और स्थायी वितरण नहीं है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हथकरघा क्षेत्र को दिये जाने वाला धागा विद्युतकरण करघा क्षेत्र को दे दिया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो विद्युत करघा क्षेत्र और हथकरघा क्षेत्र के लिये धागे के समान वितरण के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) सरकार ने धागे के सम्बन्ध में कोई वितरण नियंत्रण नही लगाया है। तथापि, हथकरघा क्षेत्र को यार्न की नियमित और पर्याप्त मात्रा सुनिश्चित करने की दृष्टि से मिल क्षेत्र पर एक दायित्व डाला गया है कि वह हथकरघा क्षेत्र में सिविल खपत के लिए यार्न की कुल डिलीवरी के 50% भाग को हैंक के रूप में पैक करेगा।

(ख) और (ग) सरकार को हथकरघा क्षेत्र को आबंटित यार्न के विद्युत करघा क्षेत्र को दिए जाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तथापि, राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे हथकरघा सहकारी समितियों और राज्य निगमों के बीच वितरण के लिए सहकारी कताई मिलों, राज्य वस्त्र निगमों और राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों द्वारा उत्पादित हैंक यार्न को पूल करें। इसके अलावा कुछ राज्यों ने इस काम के लिए अपने यार्न डिपो भी स्थापित कर दिए हैं। राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम ने कुछ क्षेत्रों में यार्न डिपो पहले ही खोल दिए हैं और राज्य स्तर के अभिकरणों के साथ प्रतिबद्धता प्रबन्ध करने के बाद देश के कुछ अन्य भागों में यार्न डिपो खोलने की उसकी योजनाएं हैं।

1497 **इस्पात का उत्पादन और खपत**

1496. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत इस तथ्य के बावजूद सबसे कम है कि भारत में श्रम सस्ता है और इस्पात के उत्पादन के लिए आवश्यक उच्च किस्म के कच्चे माल के भण्डार हैं;

(ख) यदि हां, तो इस्पात का उत्पादन किस सीमा तक कम है और कब से;

(ग) क्या सरकार ने इस्पात उत्पादन में सुधार करने के लिए विशेषज्ञों से अल्पावधि और दीर्घावधि उपायों के सुझाव मांगे हैं; और

(घ) उत्पादन, किस्म और क्षमता उपयोग में सुधार करने के लिए और देश के संसाधनों पर भार डाले बिना कुछ बाधाओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं । यद्यपि इस्पात की कुछ मदों के आयात से नहीं बचा जा सकता तथापि इस्पात का उत्पादन देशीय आवश्यकताओं के अनुरूप करने की योजना है ।

(ग) जी, हां । इस्पात, खान और कोयला मंत्री की अध्यक्षता में एक इस्पात परामर्शी परिषद् गठित की गई है । इस परिषद् में सरकार, इस्पात उद्योग, विशेषज्ञों, उपभोक्ताओं तथा श्रमिक नेताओं के प्रतिनिधि हैं । इस परिषद् का गठन केन्द्रीय सरकार को सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों, लघु इस्पात कारखानों तथा पुनर्वेलन उद्योग के सुचारु परिचालन के लिए किए जाने वाले दीर्घ-कालिक तथा अल्पकालिक उपायों के बारे में सलाह देने के लिए किया गया है ।

इस्पात उद्योग की समस्याओं को हल करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नीतियों का तथा ऐसे कार्यों का, जिन्हें सरकार प्राथमिकता दे, पता लगाने हेतु निम्नलिखित पांच कार्यकारी दल गठित किए गए हैं :—

(1) भविष्य के लिए पूंजी निवेश सम्बन्धी प्राथमिकताएं

(2) अल्पावधि में परिचालन में सुधार

(3) विपणन विकास

(4) श्रम तथा कार्मिक

(5) परियोजन प्रबन्ध ।

(घ) उत्पादन कारखानों की परिचालन की दृष्टि से उपयुक्तता, उपयुक्त क्वालिटी के आदानों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धि तथा बाजार की आवश्यकताओं पर निर्भर करता है । उपयुक्त रख-रखाव तथा वांछित क्वालिटी के आदानों की उपलब्धि सुनिश्चित करके क्षमता की अधिक प्राप्ति हेतु प्रयास किए जा रहे हैं ।

दीर्घावधि उपाय के रूप में वर्तमान इस्पात कारखानों का प्रौद्योगिकीय उन्नयन करके तथा नए इस्पात कारखाने लगाकर देश के इस्पात के उत्पादन में वृद्धि की जाएगी ।

लघु इस्पात कारखानों की क्षमता में वृद्धि करने के लिए उन्हें वर्तमान इकाइयों का विस्तार करने, अपने उत्पादन में स्वतंत्रतापूर्वक विविधता लाने, वायदा समीकरण (फारवर्ड इन्टीग्रेशन), निरन्तर ढलाई की मशीनें लगाने आदि जैसी सुविधाएं प्रदान की गई हैं ।

जब्त किए गए सामान की सहकारी स्टोरों के माध्यम से बिक्री

1497. **श्री सी० डी० गामित** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जब्तशुदा माल को सुपर बाजारों के साथ-साथ देश में विभिन्न सहकारी स्टोरों के माध्यम से बेचने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में किन-किन सहकारी स्टोरों और सुपर बाजारों में इस प्रकार का सामान बेचा जाता है;

(ग) क्या सहकारी स्टोरों और सुपर बाजारों को जब्तशुदा माल को "लाट्स" में उठाने को कहा जाता है जिसके परिणामस्वरूप उन्हें न बिक सकने वाले माल पर हानि होती है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां। अभिगृहित/जब्त किए गए उपभोक्ता-माल के निपटान के बारे में अनुमोदित तरीकों में से एक तरीका यह है कि ऐसे माल को भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ लिमिटेड (जो बाद में उस माल को विभिन्न विक्रय-केन्द्रों के माध्यम से बेचता है, जिनमें सुपर बाजार भी शामिल हैं), राज्य सहकारी महासंघों और केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों द्वारा अनुमोदित तथा सहकारी समिति अधिनियम के तहत विधिवत पंजीकृत सहकारी समितियों को बेच दिया जाता है।

(ख) अभिगृहीत/जब्त किए गए माल की बिक्री, दिल्ली सीमाशुल्क गृह के माध्यम से दिल्ली में स्थित निम्नलिखित एजेंसियों को की जाती है :—

(1) मैं० राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ लि०, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली।
(2) मैं० न्यू सुपर कंज्यूमर को-ओपरेटिव स्टोर लि०, 25/134, शक्ति नगर, नई दिल्ली।
(3) मैं० जय लक्ष्मी कंज्यूमर को-ओपरेटिव स्टोर्स लि०, के–6, मालवीय नगर, नई दल्ली।
(4) मैं० वैस्ट बंगाल कंज्यूमर को-ओपरेटिव स्टोर्स लि०, 52, नेताजी नगर, नई दिल्ली।

ऐसे माल की बिक्री, समय-समय पर, विविध सीमाशुल्क गृहों/समाहर्तालयों के माध्यम से दिल्ली के अंदर/दिल्ली से बाहर स्थित अन्य प्राधिकृत एजेंसियों को भी की जाती है।

(ग) और (घ) जब्त किए गए उपभोक्ता-माल की बिक्री की शर्तों के अनुसार, राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ, सहकारी समितियों, आदि को सीमाशुल्क विभाग द्वारा प्रस्तावित माल को, ढेरों के रूप में उठाना होता है। उन्हें "उठाओ– तथा–पसन्द करो" की छूट नहीं होती है, सिवाय इसके कि यदि उस ढेर में से कोई एकाध मद क्षतिग्रस्त पाई जाती है तो उन्हें उठाना आवश्यक नहीं होता है।

इसके अलावा, मूल्य–निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित किए गए उचित मूल्यों पर राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ को 14½% की और माल उठाने वाली अन्य प्राधिकृत एजेंसियों को 10% की भी छूट दी जाती है ताकि वे अतिरिक्त खर्चों की पूर्ति कर सकें। सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि इन एजेंसियों के पास यदि कोई न बिक सकने योग्य माल हो तो उसके कारण उन्हें किसी प्रकार की हानि हो रही है।

अरब देशों द्वारा भारत में बैंकों की शाखाएं खोला जाना

1498. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ अरब देशों ने भारत के कुछ महत्वपूर्ण नगरों में अपने बैंकों की शाखाएं खोलने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो उन देशों के क्या नाम हैं और उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार बहरीन और ओमान सल्तनत के बैंकों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। रिजर्व बैंक ने बैंक आफ बहरीन एण्ड कुवैत (बी.एस.सी.) को बंबई में एक शाखा खोलने के लिए लाइसेंस दिया है।

जापान द्वारा लौह अयस्क को कम आयात करना

1499. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान पिछले दो वर्षों से भारत से लौह अयस्क का कम आयात कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) लौह अयस्क के लिए वैकल्पिक बाजार का पता लगाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) 1982-83 और 1983-84 में जापान को लौह अयस्क के निर्यातों पर निम्न-लिखित बातों का प्रभाव पड़ा :

(i) जापान सहित विश्व इस्पात उद्योग मंदी की स्थितियां,

(ii) अक्तूबर 1983 के दौरान बेलाडिला-विजाग में रेल व्यवस्था का अस्त-व्यस्त होना, और

(iii) 16 मार्च से 16 अप्रैल, 84 तक सभी प्रमुख पत्तनों में हड़ताल।

(ग) भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम लि० नए बाजारों में लौह-अयस्क के निर्यातों का विविधीकरण करने के लिए प्रयास कर रहा है और गत 3-4 वर्षों में, भारतीय लौह अयस्क को मलयेशिया, सऊदी अरब, डी० पी० आर० कोरिया, पाकिस्तान, तुर्की तथा चीन के बाजारों में भेजने की शुरुआत की गई।

जीवन बीमा निगम द्वारा बम्बई में अपनी भूमि और भवन पट्टे पर देने के परिणामस्वरूप इसे हुई हानि

1500. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम को बम्बई और बंगलौर में अपनी भूमि और भवन पट्टे पर देने से भारी हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो बम्बई और बंगलौर में जीवन बीमा निगम की पट्टे पर दी गई सम्पत्तियों का क्या ब्यौरा है;

(ग) वसूल की जाने वाली धन राशि का क्या ब्यौरा है और धनराशि को वसूल करने के लिए जीवन बीमा निगम द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) जीवन बीमा निगम के इस प्रकार धोखाधड़ी का सौदा करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) ये सवाल पैदा ही नहीं होते ।

चाय विकास निगम द्वारा उत्तर बंगाल में कोयला खनन

1502. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने चाय विकास निगम द्वारा उत्तर बंगाल में कोयला खनन हेतु केन्द्र सरकार की स्वीकृति मांगी है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने बिहार सरकार द्वारा कोयला खनन कार्य को अनुमति दी है, जिसके कि कुछ गैर सरकारी पार्टियों के सहयोग से बिहार में चार कोयला खदानों में कोयला खनन का कार्य प्रारंभ कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा संचालित चाय विकास निगम को उत्तर बंगाल की दो खानों से कोयला निकालने की अनुमति कब तक दी जाएगी जो कि वहां चाय उद्योग के लिए अत्यन्त उपयोगी होगा ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ग) जी, नहीं । परन्तु पश्चिम बंगाल सरकार को पश्चिम बंगाल के दार्जलिंग जिले के बगराकोटे और दलिनकोटे में अलग-थलग पड़े छोटे-छोटे स्थानों पर कोयले का दोहन और खनन करने की दृष्टि से खनन पट्टे प्रदान करते हुए केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन सूचित किया गया है । यह खनन पट्टे दो वर्ष की अवधि के लिए, केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित कुछ शर्तों के अधीन खान और खनिज (विनियम और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 5(2)(ए) के अधीन प्रदान किए गए हैं ।

(ख) जी, नहीं । बिहार की राज्य सरकार ने कुछ ऐसी कोयला खानों में कोयले का खनन कार्य करने का अपना इरादा सूचित किया था जो अलग-थलग पड़े छोटे-छोटे स्थानों में हैं । साथ ही उसका इरादा उन खानों में ही खनन कार्य करने का था जिसके संबंध में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्टीकरण आदेश दे दिया था कि उनमें नियमों और विनियमों के अधीन खनन कार्य किया जा सकता है । राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया था कि इन खानों में खनन कार्य उसके बिहार राज्य खनिज विकास निगम द्वारा एक धारक कम्पनी के रूप में किन्तु सहायक कम्पनी के जरिए करने का विचार है । उस सहायक कम्पनी में बिहार राज्य खनिज विकास निगम का शेयर पूंजी में भाग 51% और शेष 49% भाग गैर सरकारी उद्यमी का होगा ।

बिहार की राज्य सरकार को यह सूचित किया गया है कि खान और खनिज (विनियम और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 5(2) के अधीन केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना कोयला खनन के लिए कोई भी पूर्वेक्षण लाइसेंस अथवा खनन पट्टा नहीं दिया जा सकता। बिहार सरकार को यह सलाह भी दी गई है कि वे बिहार राज्य खनिज विकास निगम से कहें कि वह कानून के प्रावधानों का पालन किए बिना कोयले का खनन कार्य शुरू न करे।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा पूंजी निवेश

1503. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय निगम को भारत में वित्त कम्पनियों के उपक्रमों के विकास के लिए संयुक्त उद्यमों के संवर्धन के लिए बड़े पैमाने पर पूंजी लगाने का कार्य करने की आशा है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई ठोस सिद्धान्त तैयार कर लिया गया है और अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा जिन परियोजनाओं को सहायता दी जानी है, उनका पता लगा लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में कितना पूंजी निवेश किए जाने की संभावना है; और

(घ) क्या सरकार ने इन परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान कर दी है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां,

(ख) से (घ) अभी तक कोई ठोस फार्मूला तैयार नहीं किया गया है और विश्व बैंक का अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के सहयोग से भारत में पूंजी बाजार तथा ऋण बाजार के संबंध में एक विश्लेषण करने का विचार है जिसका उद्देश्य उद्यम पूंजी, वित्तीय माध्यम और पूंजी बाजार पर, उस अवधि में जबकि नीतियों को उदार बना दिया गया है, कार्य करने के लिए सहायक सामग्री प्रदान करना है। अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत सरकार की सहमति से 1984-85 में निजी क्षेत्र की निम्नलिखित 2 परियोजनाओं में 319.6 लाख डालर की राशि का निवेश करने के लिए अनुमति दे दी है।

	लाख अमेरिकी डालर के बराबर
1. बजाज आटो लि० (2 पहियों वाले एवं 3 पहियों वाले आटो-स्कूटर परियोजना)	220
2. ग्वालियर रैयन सिल्क मैन्यूफैक्चरिंग (वीविंग) कम्पनी लि० (सीमेंट परियोजना-द्वितीय चरण)	99.6

कोयला खानों का आधुनिकीकरण

1504. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1985 में भारत का दौरा करने वाले आस्ट्रेलिया के खनन उपकरण और सेवाएं व्यापार मिशन ने भारत में कोयला खानों के आधुनिकीकरण के लिए भारत के कार्यक्रम का पता लगाने हेतु प्रमुख कोयला खानों के प्रतिनिधियों और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से लम्बी बातचीत की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या आस्ट्रेलिया सरकार भारत में कोयला खानों के विकास में भारत की सहायता करने के लिए सहमत हो गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई समझौता हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ.) उनके द्वारा जिन परियोजनाओं की सहायता की जाएगी उनका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) आस्ट्रेलिया का एक खनन उपकरण और सेवाएं मिशन फरवरी, 1985 में भारत आया था। यह मिशन कुछ कोयला खानों में गया था और उसने कोल इंडिया लि० और उसकी सहायक कम्पनियों के अधिकारियों तथा कोयला विभाग के अधिकारियों के भी साथ बातचीत की थी।

इस मिशन का उद्देश्य आस्ट्रेलिया और भारत के बीच सहयोग की सम्भावनाओं का पता लगाना था।

(ख) से (ङ.) आस्ट्रेलिया की सरकार ने कोयला खानों के विकास में भारत की सहायता करने का कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है।

पश्चिम बंगाल में उत्पादित संतरे

1505. **श्री अजीत कुमार पाहा** : क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में संतरों का उत्पादन होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार पश्चिम बंगाल से संतरों का निर्यात करती है;

(घ) यदि हां, तो किन देशों को और कितनी मात्रा में निर्यात किया जाता है; और

(ङ) इससे राज्य और केन्द्र सरकार को कितनी धनराशि प्राप्त होती है ?

वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) जी, हां। जलपाईगुडी और सिलीगुडी जिले पश्चिमी बंगाल के महत्वपूर्ण संतरा उपजकर्त्ता जिले हैं। पश्चिमी बंगाल में नीबूवंशी फसल के मोटे तौर पर अनुमान नीचे दिए गए हैं :

(क्षेत्र : हजार हैक्टेयर
उत्पादन : हजार मे० टन)

	1980-81	1981-82
क्षेत्र	3.42	3.70
उत्पादन	26.25	28.25

(ग) और (ङ.) संतरों के निर्यात संबंधी राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, 1980-81 से 1982-83 (नवम्बर 1982 तक) वर्षों के दौरान भारत से ताजे अथवा सुखाये हुए संतरों के निर्यात नीचे दिए गए हैं।

ताजे अथवा सुखाए गए संतरों के निर्यात

(मात्रा : मे० टन में)
मूल्य : लाख रु० में

वर्ष	मात्रा	मूल्य
1980-81	7090	127.50
1981-82	7124	135.51
1982-83 (नवम्बर, 82 तक)	1015	17.09

संतरों का निर्यात मुख्य रूप से बंगला देश को किया गया।

रविवारों को कार्य करने के लिए बैंक की शाखाओं का खोला जाना

1506. **श्री अजीत कुमार साहा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के विभिन्न भागों में रविवार को कार्य करने के लिए कुछ बैंकों की शाखाओं को खोलने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो कब तक और उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां ये शाखाएं खोलने का विचार है और उन बैंकों के नाम क्या हैं जिनकी शाखाएं खोली जाएंगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) यह निर्णय करना अलग-अलग बैंकों का अपना काम है कि क्षेत्र विशेष की बैंकिंग संबंधी खास-खास आवश्यकताओं, दुकान और स्थापना अधिनियम तथा अन्य स्थानीय कानूनों की अपेक्षाओं, औद्योगिक पंचाट/समझौते तथा परक्राम्य लिखित अधिनियम, आदि के उपबंधों के अधीन दायित्वों को ध्यान में रखते हुए उनकी शाखाओं के कार्य दिवस कौन-कौन से हों इस विषय में बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमोदन नहीं प्राप्त करना होता।

भारत-पौलैण्ड आर्थिक सहयोग और व्यापार

1507. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा भारत और पौलैंड के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार को आगामी वर्षों में बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) अगले पांच वर्षों में भारत और पौलैंड के बीच व्यापारिक संबंध बढ़ाने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) और (ख) भारत-पौलैंड आर्थिक सहयोग और व्यापार विविधीकरण को बढ़ाने के लिए निरन्तर प्रयत्न रहे हैं। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं जैसे व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेना, वाणिज्यिक प्रतिनिधिमण्डलों का आदान प्रदान करना, अन्तःसरकारी संयुक्त आयोगों की बैठकों का आयोजन करना तथा वस्तुओं के आदान-प्रदान के लिए वार्षिक व्यापार संलेख सम्पन्न करना, आदि

(ग) वर्ष 1985 की व्यापार योजना में 429 करोड़ रु० के व्यवसाय की व्यवस्था है। 1986-90 की अवधि के लिए कतिपय अभिज्ञात मदों के संबंध में लक्ष्य पौलैंड के साथ परामर्श करके तैयार किए जा रहे हैं।

"रेयन यार्न" का उत्पादन और आयात

1508. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1983-84 और 1984-85 में 'रेयन यार्न' के उत्पादन में वृद्धि हुई है;

(ख) क्या इस वजह से रेयन यार्न का आयात कम करने के लिए कदम उठाए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो उक्त वर्षों में रेयन यार्न का कुल कितना उत्पादन हुआ है; और

(घ) इन वर्षों में कुल कितने टन रेयन यार्न का आयात किया गया ?

वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) विस्कोस फिलामेंट यार्न के उत्पादन में 1982-83 की तुलना में 1983-84 के दौरान वृद्धि हुई। तथापि, 1984-85 के दौरान उत्पादन 1983-84 की अपेक्षा कम होने का अनुमान है।

(ख) जी नहीं। विस्कोस फिलामेंट यार्न (प्रथम क्वालिटी) के आयात खुले सामान्य लाइसेन्स के अन्तर्गत जारी हैं।

(ग) और (घ) 1982-83 से 1984-85 (अप्रैल-दिसम्बर) के दौरान विस्कोस फिलामेंट यार्न के उत्पादन और आयातों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष	उत्पादन	आयात (अनन्तिम)
1982-83	33,624 मे०टन	4438 मे०टन
1983-84	35,823 मे०टन	3660 मे०टन
1984-85 (अप्रैल-दिसम्बर)	24,592 मे०टन	709 मे०टन

"विस्कोस यार्न" का मूल्य

1509. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विस्कोस यार्न के मूल्यों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) विस्कोस यार्न का मूल्य कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) से (ग) विस्कोस फिलामेंट यार्न के मूल्यों में अभी हाल ही में वृद्धि दिखाई दी है। मूल्य में इस वृद्धि का मुख्य कारण मांग तथा घरेलू पूर्ति के बीच असन्तुलन प्रतीत होता है। सप्लाई बढ़ाने के लिए प्रथम किस्म के विस्कोस फिलामेंट यार्न की खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत आयात की अनुमति दी गयी है। 1985-86 के बजट में लकड़ी की लुगदी पर से आयात शुल्क हटा दिया गया है।

भारत-कनाडा व्यापार सहयोग

1510. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या वाणिज्य और पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा के साथ व्यापार सहयोग बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो दोनों देशों के बीच अगले पांच वर्षों के लिए व्यापार लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है;

(ग) किन विभिन्न क्षेत्रों में भारत-कनाडा व्यापार संबंध स्थापित किए गए हैं और इन वर्षों में किन क्षेत्रों में ये संबंध बढ़ाने का विचार है; और

(घ) तत्संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) और (ख) कनाडा के साथ व्यापार सहयोग बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठाय गये हैं जैसे विशिष्ट व्यापार प्रतिनिधि मण्डलों का आदान-प्रदान, व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना, कई निर्यात संवर्धन परिषदों के कनाड़ा में व्यापार कार्यालय स्थापित करना, भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल परिसंघ और कनाडा भारत व्यवसाय परिषद्, ओटावा के बीच भारत-कनाडा संयुक्त व्यवसाय परिषद की स्थापना।

तथापि, अगले पांच वर्षों के लिए दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आधार पर कोई व्यापार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

(ग) और (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

भारत-कनाडा व्यापार सम्बन्ध संचार, बैंकिंग तथा ऊर्जा के क्षेत्र में स्थापित किये गये हैं।

भारतीय स्टेट बैंक ने कनाडा में अगस्त 1982 से कार्यकरना आरम्भ किया और कनाडा के नोवा स्कोटिया बैंक में 14 मई, 1984 को बम्बई में एक शाखा की स्थापना की। एयर इंडिया ने 2 अक्तूबर, 1982 से मोन्टीरियल से उड़ाने आरम्भ कीं और अपने स्टेशनों की सूची में जहां से यह उड़ाने करता है, 19 जनवरी, 1985 से टोरंटो को शामिल किया। दूसरी एयर कनाडा ने बम्बई से तीन उड़ाने आरम्भ कीं।

कनाडा सरकार चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना इदुकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना में परियोजना के वित्तीय तथा तकनीकी दोनों पहलुओं से भाग ले रही है। उसके अतिरिक्त, कनाडा ने भारत में खानों के विकास, दूरसंचार, रेलवे आधुनिकीकरण तथा ऊर्जा में भाग लेने में रुचि दिखाई है।

इस समय कनाडा के साथ औद्योगिक सहयोग (तकनीकी/वित्तीय) में भारत में विनिर्मित मदें जैसे इलेक्ट्रोलिटिक जनरेटिंग सिस्टम्स, टी०वी० ट्रांसमिशन सिस्टम्स के लिए एम्परैस वेव टेप्स, हाई प्योरिटी वाटर एंडवेस्ट ट्रीटमैंट सिस्टम, सैल्फ-हीटिंग थर्मो कंपाल्स, सोलर सलैक्टिव ब्लाक निक्कल कोटिंग, मोना फिलामैंट फैब्रिक्स, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स, आटोमैटिक मैगनेटिक टैप्स, सोलार सिस्टम्स आदि कवर करते हैं।

लौह तथा अलौह उद्योगों पैट्रो-रसायन कैम्पलैकसों, रेलवे, सिविल निर्माण आदि जैसे क्षेत्रों में तीसरे देशों में भारतीय और कनाडयाई कम्पनियों के बीच व्यापार परिणाम को बढ़ाने, व्यापार तथा संयुक्त सहयोगों की पद्धति का विविधीकरण करने की भी गुंजाइश है।

आयातित कबाड़ पर आयात शुल्क से छूट

1511. **श्री प्रो० राम कृष्ण मोरे** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मिश्र इस्पात उत्पादक संगठन ने सरकार से आयातित कबाड़ पर आयात शुल्क में पूरी तरह से छूट दिए जाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जर्नादन पुजारी) : (क) और (ख) दी एलॉय स्टील प्रोड्यूजर्स एसोसिएशन ऑफ इण्डिया ने इस्पात और खान मन्त्रालय को एक अभ्यावेदन दिया है जिसमें कार्बन स्टील पिघलन स्क्रैप पर इस आधार पर सीमा शुल्क से छूट देने का अनुरोध किया गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य में वृद्धि होने तथा अमेरिकी डालर का मूल्य बढ़ने के परिणामतः आयात की गई स्क्रैप का अवतरित मूल्य बढ़ गया है।

(ग) मामले पर विचार किया जा रहा है।

आय का स्वैच्छिक प्रकटन

1512. **श्री रेणुपद दास** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कुछ आकर्षक रियायतों के साथ आय का स्वैच्छिक प्रकटन करने की एक नई योजना लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत आय का स्वैच्छिक प्रकटन घोषणा करने वाले व्यक्तियों को क्या रियायतें दिए जाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सरकार इस समय ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

राज्य व्यापार निगम के माध्यम से चीनी का निर्यात

1513. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या **वाणिज्य और पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम द्वारा गत वर्षों की तुलना में इस वर्ष चीनी का काफी कम निर्यात किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या निगम ने 1983–84 में 7 लाख टन के निर्धारित लक्ष्य से कुछ अधिक मात्रा का निर्यात किया था;

(ग) यदि हां, तो इस वर्ष चीनी का कुल कितना निर्यात किया जाएगा तथा गत वर्ष की तुलना में यह कितना कम होगा; और

(घ) इस कमी के क्या मुख्य कारण हैं ?

वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (घ) राज्य व्यापार निगम द्वारा 1984-85 के दौरान चीनी के निर्यात 1983-84 के दौरान हुए, 8.14 लाख मे० टन के मुकाबले लगभग 1.56 लाख मे० टन होने की सम्भावना है। कलेंडर वर्ष 1984 के दौरान चीनी का निर्यात लक्ष्य 6.5 लाख मे० टन था।

इस गिरावट के कारण हैं : पिछले कम स्टाकों का होना, चीनी के उपभाग में वृद्धि तथा 1983–84 के दौरान उत्पादन में तीव्र कमी का होना।

"बैंकिंग सर्किल्ज वरीड ओवर फन्डै स्केरसिटि" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

1514. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 15 फरवरी, 1985 के "स्टेट्समेन", कलकत्ता में "बैंकिंग सर्किल्ज वरीड ओवर फंड स्केरसिटी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या 1 फरवरी को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक से ली गई उधार राशि, जो इससे पिछले सप्ताह में 2,076 करोड़ रुपए थी, घटकर 1989, करोड़ हो गई;

(ग) क्या विशेष समायोजन के साथ केन्द्र की धनराशि के हस्तांतरण के कारण वाणिज्यिक बैंकों की रोकड़ बाकी 9,061 करोड़ रुपए से घटकर 8,548 करोड़ रुपए रह गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ङ) सरकार का धन की कमी दूर करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां ।

(ख) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा लिए जाने वाले उधार की रशि 25 जनवरी, 1985 के 2076 करोड़ रुपए से घटकर पहली फरवरी, 1985 को 1989 करोड़ रुपए रह गयी । इसी अवधि के दौरान, भारतीय रिजर्व बैंक के पास अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की रोकड़ बाकी 9061 करोड़ रुपए से घटकर 8548 करोड़ रुपये रह गयी । भारतीय रिजर्व बैंक से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा लिए जाने वाले उधारों की राशि और भारतीय रिजर्व बैंक के पास उनकी रोकड़ बाकी में हर सप्ताह उतार-चढ़ाव होते रहना एक सामान्य बात है और इसलिए इन उतार चढ़ावों पर कोई भी कार्रवाई करने की कोई आवश्यकता नहीं होती ।

काले धन का पता लगाने के लिए 100 रुपए के नोटों का चलन बन्द करना

[हिन्दी] 1515

1514. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय 100 रुपए के कितने नोट चलन में हैं; और

(ख) क्या काले धन का पता लगाने की योजना के अन्तर्गत सरकार इन नोटों का चलन बन्द करने अथवा इनके बदले नए नोट जारी करने के लिए इनको जमा कराने पर विचार कर रही है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जून, 1984 के अन्त तक, परिचालन में 100 रुपए मूल्य वर्ग के नोटों की संख्या 129,80 लाख अदद थी, यह अद्यतन तारीख है जब तक के लिए सूचना उपलब्ध है ।

(ख) जी, नहीं ।

रबड़ का उत्पादन और उसकी मांग

[अनुवाद]

1516. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितने क्षेत्र में रबड़ की खेती होती है और इसके उत्पादन के नवीनतम आंकड़े क्या हैं;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान रबड़ के उत्पादन में वर्ष-वार कितने प्रतिशत वृद्धि हुई;

(ग) उक्त वर्षों के दौरान देश में रबड़ की वास्तविक मांग कितनी थी; और

(घ) देश में प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) 1983-84 के अन्त में रबड़ की खेती के अन्तर्गत क्षेत्र 3.08 लाख हेक्टेयर था तथा 1983-84 के दौरान उत्पादन 175,280 मे० टन था। 1984-85 के दौरान 187,000 मे०टन के उत्पादन का अनुमान है।

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान वर्ष-वार उत्पादन तथा उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि :

वर्ष	उत्पादन (मे० टन)	गत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि
1979-80	148,470	9.7
1980-81	153,100	3.1
1981-82	152,870	(—) 0.2
1982-83	165,850	8.5
1983-84	175,280	5.7

(ग) रबड़ की घरेलू खपत नीचे दी गयी है :

वर्ष	खपत (मे० टन)
1979-80	165,245
1980-81	173,630
1981-82	188,420
1982-83	195,545
1983-84	209,480

(घ) देश में प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से रबड़ बोर्ड विशेष रूप से गैर-परम्परागत क्षेत्रों में विद्यमान बागानों की कायाकल्प करने और नये बागान लगाने के लिए एक रबड़ बागान विकास योजना कार्यान्वित कर रहा है तथा उपजकर्ताओं को नकद/ब्याज उप-

दान, विस्तार परामर्श सेवा, वर्षा से रक्षा करने वाली सामग्री, अधिक उपज देने वाली रोपड़ सामग्री की व्यवस्था कर रहा है और रबड़ की खेती और इसके उत्पादन के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान भी कर रहा है।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा बड़े, मध्यम और लघु उद्योगों के रुग्ण एककों को दी गई वित्तीय सहायता

1517. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का विचार रुग्ण एककों को सक्षम और सुस्थापित कम्पनियों के नियंत्रण में हस्तान्तरित करने में बिचौलिए की भूमिका निभाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान बड़े, मध्यम और लघु उद्योगों को पृथक-पृथक वर्षवार कुल कितनी धनराशि वितरित की गई;

(घ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से सहायता प्राप्त करने वाले बड़े, मध्यम और लघु उद्योगों की श्रेणियों में से प्रत्येक के कितने एकक गत तीन वर्षों में रुग्ण वर्गीकृत किये गये तथा उनकी ओर बकाया ऋण की राशि के वर्षवार आंकड़े क्या हैं; और

(ङ) उक्त उद्योगों के रुग्ण होने के क्या कारण हैं तथा हानि से बचने के लिए सरकार का उनके कार्य-निष्पादन में सुधार करने के लिए क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा रुग्ण एककों के पुनरुद्धार के लिए जो उपाय किये जाते हैं उनमें से एक उपाय यह है कि इन एककों का किसी स्वस्थ एकक के साथ समामेलन या विलय कर दिया जाता है अथवा उसे पट्टे पर दे दिया जाता है।

(ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा गत 3 वर्षों में परियोजना वित्त, उदार ऋण, तकनीकी विकास निधि, पुनर्वित्त तथा हुण्डियों के पुनर्भाजन की योजनाओं के अंतर्गत बड़े, मध्यम और लघु उद्योगों में संवितरित सहायता के संबंध में सूचना नीचे दी गयी है :

वर्ष	संवितरित राशि (करोड़ रुपयों में)	
(जुलाई-जून)	बड़े और मध्यम एकक	लघु एकक
1981-82	638.56	604.52
1982-83	769.54	760.34
1983-84	1003.17	893.38

(घ) इस समय 3 करोड़ रुपये तक की परियोजना लागत के एककों को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा जो सहायता दी जा रही है वह राज्य स्तरीय संस्थाओं और बैंकों के माध्यम से दी जाती है। अतः भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के सहायता पोर्ट-फोलियों में केवल

3 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजना लागत वाले रुग्ण एकक हैं जिन्हें विकास बैंक द्वारा प्रत्यक्ष सहायता दी जाती है । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार, दिसम्बर, 1981, दिसम्बर, 1982 और दिसम्बर, 1983 के अंत में बैंक के सहायता पोर्ट-फोलियों में रुग्ण एककों की संख्या क्रमश: 132, 144 और 191 थी जिनके नाम क्रमश: 182.23 करोड़ रुपये, 207.50 करोड़ रुपये और 303.64 करोड़ रुपये की रकम बकाया थी ।

(ङ) औद्योगिक एकक कई कारणों से रुग्ण हो सकते हैं, जैसे प्रबंध में त्रुटियां, पर्याप्त आधारभूत सुविधाओं का अभाव, विपणन संबंधी रुकावटें, संयंत्र में असंतुलन, प्रक्रिया प्रद्योगिकी में दोष, श्रमिक अशांति, धन की कमी आदि । सरकार की नीति के अनुसार, बैंक और वित्तीय संस्थाएं किसी औद्योगिक एकक में रुग्णता का प्रारम्भ में ही पता लगते ही उसकी अर्थक्षमता का अध्ययन करती हैं और ऐसे एककों का वित्तपोषण करती हैं जिनमें अर्थक्षमता की संभावनाएं दिखाई देती हैं । बैंक और संस्थाएं अर्थक्षम रुग्ण एकक के मामले में एकक को फिर से खड़ा करने के लिए उचित कार्यक्रम तैयार करती हैं । इसमें कई अल्पावधिक और दीर्घावधिक उपाय किए जाते हैं, जैसे वित्तीय रियायतों का दिया जाना, दण्डात्मक ब्याज की माफी, ब्याज का निधिकरण, ब्याज और मार्जिन की दर में कटौती, अतिदेय देयताओं/अनियमितताओं की वसूली के लिए विभिन्न चरणों में नकद आमदनी के आधार पर वसूली का पुन: निर्धारण आवश्यकता पर आधारित कार्यचालन पूंजी का दिया जाना और सावधि ऋण सुविधाएं तथा प्रबंध मे परिवर्तन, समामेलन अथवा विलय अथवा किसी स्वस्थ एकक को पट्टे पर दिया जाना आदि ।

कोचीन में चाय बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना

1517. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन में चाय बोर्ड का एक क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में केरल से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य और पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) केरल सरकार ने अभ्यावेदन किया था कि मुख्य क्षेत्रीय कार्यपालक का कार्यालय, चाय बोर्ड, जो कि दक्षिण भारत में स्थापित किया जाना था, कोचीन में स्थापित किया जाए । इस पर ध्यानपूर्वक विचार किया गया । तथापि, क्योंकि मुख्य क्षेत्रीय कार्यपालकों का काम मुख्यत: चाय के उत्पादन तथा उत्पादन-क्षमता में सुधार लाने के उद्देश्य से चाय बोर्ड, की विकासात्मक योजनाओं के समन्वय तथा मानीटरिंग से सम्बन्धित है, अत: यह निर्णय लिया गया कि इस कार्यालय की स्थापना केरल तथा नीलगिरि के चाय उत्पादक क्षेत्रों के बीच इसकी सुविधाजनक स्थिति को देखते हुए कोयम्बटूर में की जाए ।

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय रेशम की मांग में कमी

1518. **श्री मोहनलाल पटेल** : क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय रेशम की मांग कम हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय रेशम की स्थिति में सुधार करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

वाणिज्य और पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भारतीय रेशम की स्थिति सुधारने के लिए अनेक कदम उठाये जा रहे हैं । उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं :—

(i) निर्यातकों को निर्यात के लिए माल के उत्पादन के लिए अपेक्षित कच्चे माल के शुल्क मुक्त आयात की सुविधाएं, नकद प्रतिपूर्ति सहायता, आदि प्रदान करना;

(ii) अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेकर और विदेशों में व्यापार प्रतिनिधि मण्डल भेजकर विदेशों में भारतीय रेशम के बारे में जानकारी उत्पन्न करना;

(iii) रेशम की क्वालिटी सुधारने के लिए कार्यक्रम लागू करना ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसे और अधिक प्रतियोगी बनाया जा सके ।

ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों द्वारा व्यापार/उद्योग स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता

1519. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ बैंक ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए राज्यों में व्यापार/ उद्योग स्थापित करने हेतु, वित्तीय सहयोग प्रदान कर रहे हैं,

(ख) यदि हां, तो ऐसे बैंकों के नाम क्या है उड़ीसा राज्य में गत तीन वर्षों के दौरान अब तक कितनी धनराशि का निवेश किया गया है;

(ग) क्या कुछ बैंकों ने कुछ गांवों का भी चयन किया है और उनके विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों के, विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार/उद्योग स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता देते हैं ।

(ख) तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को दिए गए कुल अग्रिमों के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

दिसम्बर के अन्तिम शुक्रवार को	खातों की संख्या	बकाया राशि (लाख रुपए)
1980	34,257	2942.30
1981	44,092	3994.17
1982	47,051	4721.55

(ग) और (घ) "ग्राम अंगीकार योजना" के अन्तर्गत जून, 1983 के अन्त तक बैंकों ने देश भर के 141042 गांवों को अंगीकार किया था। इनमें से 10285 गांव उड़ीसा राज्य के थे। जून, 1983 के अन्त में 257,097 प्रत्यक्ष कृषि ऋण खातों में कुल 6026.44 लाख रुपए की राशि बकाया थी।

आर्डर देने वालों द्वारा निर्यातित माल स्वीकार न किये जाने के कारण निर्यातकों को हुई हानि

1521. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार ऐसे मामलों की संख्या कितनी थी जिनमें आर्डर देने वाली विदेशी पार्टियों द्वारा हमारा निर्यातित माल इस आधार पर स्वीकार नहीं किया गया कि वह आर्डर के विशिष्ट विवरण के अनुरूप नहीं था;

(ख) इस प्रकार निर्यातकों और सरकार को वर्ष-वार हुई कुल हानि का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या निर्यातक ऐसे मामलों में निर्यात प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के हकदार हैं ? और

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान किन परिस्थितियों में और कितने मामलों में इस प्रकार का प्रोत्साहन दिया गया ?

वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) सामान्यतः माल की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति की बात निर्यातकों और आयातकों के बीच रहती है और इस मंत्रालय को ऐसे मामलों की जानकारी उस समय होती है जब पार्टियां अपनी शिकायतों के साथ उससे मिलती हैं। अतः मांगी गई पूरी जानकारी मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं है।

(ग) जी नहीं। निर्यात लाभ प्राप्त करने के लिए भेजी गई रकम प्राप्त करनी चाहिए

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विदेशों में कार्यरत भारतीय बीमा कंपनियां

1522. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन भारतीय बीमा कंपनियों के नाम क्या हैं जो विदेशों में कार्यरत हैं और वहां प्रत्येक कंपनी के कितने कार्यालय/शाखाएं हैं;

(ख) ये शाखाएं/कार्यालय किन-किन देशों में स्थित हैं;

(ग) वर्ष 1982-83 और 1983-84 के लिए अलग-अलग प्रत्येक कंपनी के लाभ और हानि के आंकड़े क्या हैं; और

(घ) उन कम्पनियों में हमारी नौवहन कंपनियों से संबंधित बीमा सम्बन्धी कितना काम और यह काम उनके कुल व्यवसाय की तुलना में कितने प्रतिशत है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) :

(क)	भारत से बाहर कार्य कर रही कंपनी का नाम	कार्यालयों/शाखाओं की संख्या
	साधारण बीमा	
	1. नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता	4
	2. न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बम्बई	29
	3. ओरिएण्टल इंश्योरेंस क० लिमिटेड, नई दिल्ली	6
	4. यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, मद्रास	2
	जीवन बीमा	
	5. भारतीय जीवन बीमा निगम	5

(ख) **साधारण बीमा**

1. आस्ट्रेलिया 2. बहरीन 3. कनाडा 4. फिजी 5. फ्रांस 6. हांगकांग 7. जापान 8. जोर्डन 9. कुवैत 10. मारीशस 11, नेपाल 12. नीदरलैंड एंटिलेस 13. अमन (मस्कर) 14. फिलिपाइन्स 15. सऊदी अरेबिया 16. सिंगापुर 17. थाईलैंड 18 यूनाइटेड अरब अमीरात 19. यूनाइटेड किंगडम ।

उपर्युक्त देशों के अलावा, साधारण बीमा कम्पनियां निम्नलिखित देशों में सहायक/संबद्ध कम्पनियों के जरिए भी काम करती हैं :—

1. बारबैडास 2. डोमिनिका 3. घाना 4. ग्याना 5. कीनिया 6. मलयेशिया 7. नाइजीरिया 8. सीरा लियोन 9. त्रिनिदाद एण्ड टोबैगो ।

जीवन बीमा

1. बर्मा 2. फिजी 3. मारीशस 4. यूनाइटेड किंगडम

(ग) **साधारण बीमा** — निम्नलिखित वर्षों में 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले वर्ष में सहायक/संबद्ध कम्पनियों से प्राप्त लाभांश सहित लाभ

	1982	लाख रुपए	1983
नेशनल	21.71		75.30
न्यू इन्डिया	205.72		51.91
ओरिएन्टल	108.02		101.00
यूनाइटेड इंडिया	84.50		110.84
साधारण बीमा निगम	2.21*		2.80*
	422.16		341.85

*कीनया और मलयेशिया में संबद्ध कम्पनियों से प्राप्त लाभांश की द्योतक है ।

जीवन बीमा

जीवन बीमा कारबार में लाभ अथवा हानि होने का सवाल पैदा ही नहीं होता। इस संबन्ध में जीवन बीमा कारबार के समय-समय पर किए जाने वाले बीमांकिक मूल्यांकनों में बताई गई स्थिति के आधार पर मूल्यांकन अधिशेष/घाटे के रूप में स्थिति को दर्शाया जाता है; 31-3-1983 को समाप्त दो वर्ष की अवधि के दौरान जीवन बीमा नियम के विदेशी प्रचालनों के सम्बन्ध में किए गए मूल्यांकन अधिशेष की राशि, जो कि हाल में किया गया मुल्यांकन है, 3.58 करोड़ रुपए बैठती है

(घ) 31.12.1983 को समाप्त वर्ष के सम्बन्ध में भारतीय नौवहन कंपनियों के सम्बन्ध में सीधे किए गए सकल समुद्री हल बीमा (जिसमें युद्ध सम्बन्धी जोखिम भी शामिल है) प्रीमियम कारबार की कुल राशि 24 करोड़ रुपए बैठती थी जो साधारण बीमा निगम की सहायक कंपनियों द्वारा उस वर्ष सीधे किए सकल समुद्री हल बीमा (जिसमें युद्ध सम्बन्धी जोखिम भी शामिल है) प्रीमियम कारबार की कुल राशि का 52 प्रतिशत थी।

राष्ट्रीयकृत बैंकों की ऋण योजना के अंतर्गत और अधिक कमजोर वर्गों को शामिल करना

1522. **श्री अजय विश्वास:** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों की ऋण योजना के अन्तर्गत और अधिक कमजोर वर्गों को शामिल करने के लिए केन्द्र सरकार के पास कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों को मार्च 1985 तक, अपने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों को अपने कुल अग्रिमों के 40% के स्तर तक बढ़ाकर ले जाने तथा यह सुनिश्चित करने का परामर्श दिया गया है कि ऐसे अग्रिमों का 25% भाग समाज के कमजोर वर्गों अर्थात् छोटे और सीमांतक किसानों, भूमिहीन मजदूरों, शिकमी किसानों और बटाइदारों, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के हिताधिकारियों, कारीगरों और ग्राम तथा कुटीर उद्योगों, अनुसूचित जनजातियों के हिताधिकारियों और विभेदी ब्याज दर स्कीम के हिताधिकारों को प्राप्त हो। त्वरित अनुमानों के अनुसार, सितम्बर 1984 तक 133.56 लाख ऋणकर्ता खातों को अधीन समाज के कमजोर वर्गों ने 3405 करोड़ रुपये के ऋण प्राप्त किये थे। यह राशि सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों का 21.6% बैठती है।

फिलहाल समाज के कमजोर वर्गों के क्षेत्र को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। लेकिन बैंकों से समाज के कमजोर वर्गों को दिए जाने वाले ऋणों की राशि को बढ़ाने के लिए कहा गया है ताकि वे निर्धारित लक्ष्य को पूरा कर सकें।

त्रिपुरा में बैंकों में जमा धनराशि और उनके द्वारा दिये गए ऋण

1523. **श्री अजय विश्वास** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में कार्यरत प्रत्येक बैंक में पिछले तीन वर्षों के दौरान (वर्ष वार) कुल कितनी धनराशि जमा थी और उन्होंने कितनी धनराशि के ऋण दिये; और

(ख) कृषि, गृह उद्योगों, लघु उद्योगों, मध्यम श्रेणी के उद्योगों, बड़े उद्योगों, थोक और खुदरा व्यापार और त्रिपुरा के समाज के कमजोर वर्गों के लिये अलग-अलग किस अनुपात में ऋण दिये गये ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) पिछले तीन वर्षों में त्रिपुरा राज्य में कार्यरत बैंकों में से प्रत्येक बैंक की जमा राशियों और अग्रिमों के आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

(ख) त्रिपुरा राज्य में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बकाया अग्रिमों के व्यवसाय-वार वितरण से संबन्धित प्राप्त सूचना नीचे दी गई है :—

(राशि हजारों में)

व्यवसाय	दिसम्बर, 1981		दिसम्बर, 1982	
	राशि	कुल शेयर में प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1. कृषि	52,160	23.9	76,903	27.8
2. उद्योग	40,726	18.6	47,592	17.2
इसमें से लघु उद्योग	17,654	8.1	20,009	7.2
3. परिवहन चालन	64,930	29.7	71,957	26.0
4. व्यक्तिगत और व्यावसायिक सेवायें	6,205	2.9	3,832	1.4
5. व्यापार	33,644	15.4	34,082	12.3
(क) थोक	9,417	4.3	10,676	3.9
(ख) खुदरा	24,227	11.1	23,406	8.4
6. व्यक्तिगत ऋण (उपभोक्ता वस्तुओं सहित)	10,141	4.6	14,820	5.3
7. अन्य	10,785	4.9	27,740	10.0
कुल जोड़ ऋण	218,591	100.0	276926	100.0

ये आंकड़े उपयोग के अनुसार हैं और 10,000 रुपए से अधिक की ऋण सीमा के हैं।

विवरण

(अन्तिम शुक्रवार को)

(लाख रुपए)

बैंक का नाम	दिसम्बर, 1981		दिसम्बर, 1982		दिसम्बर, 1983	
	जमा	अग्रिम	जमा	अग्रिम	जमा	अग्रिम
	1	2	3	4	5	6
स्टेट बैंक आफ इंडिया	11,41	6,98	16,02	7,48	18,29	9,80
बैंक आफ बड़ौदा	83	42	1,00	50	1,20	58
इलाहाबाद बैंक	36	10	66	13	73	15
इंडियन बैंक	75	37	85	41	78	46
सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	72	32	1,00	32	1,13	35
यूनियन बैंक आफ इंडियो	1,04	35	1.18	54	1,38	70
यूनाइयिड बैंक आफ इंडिया	16,51	8,58	18,22	11,83	20,51	14.12
यूनाइयिड कमर्शियल बैंक	6,29	2,97	6,16	4,43	6,51	4.68
पंजाब एन्ड सिंध बैंक	48	31	38	28	60	24
विजया बैंक	24	12	38	17	62	24
त्रिपुरा ग्रामीण बैंक	5,36	8,52	6,37	11,97	9,61	14.60
पुरबांचल बैंक लि०†	—	—	—	—	—	—
जोड़	43,99	29,04	52,22	38,06	61,48	46,03

आंकड़े अनन्तिम हैं।

† आंकड़े प्राप्त नहीं हैं।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उद्योगों को दिये गये ऋण और अग्रिम राशियों की बकाया देय राशि

1525. **श्री अजय बिश्वास** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों और अन्य सरकारी वित्तीय संस्थानों द्वारा बड़े क्षेत्र के उद्योगों को अद्यतन दिये गये ऋणों और अग्रिम राशियों की कुल बकाया देय धनराशि कितनी है;

(ख) अशोध्य ऋणों की ओर बट्टे-खाते में डाली गई कितनी धनराशि दिखाई गई है; और

(ग) बड़े उद्योगों से बकाया ऋणों को वसूल करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध सबसे हाल के आंकड़ों के अनुसार जून, 1984 के अन्त में 1 करोड़ रुपये और उससे अधिक की ऋण सीमा वाले औद्योगिक ऋणकर्ताओं के नाम सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बकाया अग्रिमों की राशि 9374 करोड़ रुपये थी ।

31.12.1984 को अखिल भारतीय सावधि ऋण वित्तीय संस्थाओं अर्थात् भारतीय औद्योगिक कविास बैंक (आई० डी० बी० आई०), भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई० एफ० सी० आई०) और भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम (आई० सी० आई० सी० आई०) की एक करोड़ रुपये से अधिक की बकाया ऋण राशि वाले अलग-अलग औद्योगिक एककों के नाम क्रमशः कुल 1678.35 करोड़ रुपये, 776.03 करोड़ रुपये तथा 934.05 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी ।

(ख) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अन्तर्गत निर्धारित तुलन पत्र और लाभ-हानि विवरण के अनुसार और बैंक और वित्तीय संस्थाओं में प्रचलित रीति रिवाजों के अनुसार बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के उन अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के ब्यौरे, जिनके लिये लेखा परीक्षकों की तसल्ली के मुताबिक व्यवस्था कर ली गई हो, प्रकट नहीं किये जाते ।

(ग) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा अलग-अलग ऋणकर्ताओं के खातों पर विभिन्न स्तरों और अवस्थाओं में नजर रखने की एक निरन्तर प्रक्रिया है । जैसे ही किसी अग्रिम की वसूली मुश्किल दिखाई देने लगती है, वैसे ही अग्रिम के प्रयोजन, कारबार स्वरूप और ऋणकर्ता की हैसीयत, प्रतिभूति की उपलब्धता, ऋणकर्ता/गारंटीदाता की साख आदि के संदर्भ में उसकी विस्तृत समीक्षा की जाती है । समीक्षा के आधार पर अग्रिमों की वसूली/नियमित करने के लिए कदम उठाए जाते हैं । इन कदमों में एकक का वित्तपोषण, इसकी गतिवधियों के विविधीकरण द्वारा उसके कारबार में सुधार, लाभप्रदता को बढ़ाना, आदि शामिल हैं । यदि इन कदमों का कोई परिणाम नहीं निकलता तो अग्रिम वापस मांगे जाते हैं और प्रतिभूति लागू करके या पार्टी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई द्वारा अग्रिमों की वसूली के लिए कदम उठाए जाते हैं ।

राज्य सरकार के कर्मचारियों को केन्द्रीय दरों पर महंगाई भत्ते का भुगतान करने के लिए त्रिपुरा में सहायता

1526. **श्री अजय विश्वास** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा सरकार ने त्रिपुरा के राज्य सरकार के कर्मचारियों को केन्द्रीय दरों पर महंगाई भत्ते का भुगतान करने के लिये केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता मन्जूर करने का अनुरोध किया है;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि त्रिपुरा एक पिछड़ा राज्य है और केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त किये बिना राज्य सरकार के कर्मचारियों को केन्द्रीय दरों पर महंगाई भत्ते के भुगतान को मन्जूर करने हेतु उसके पास कोई वित्तीय स्रोत नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो क्या संघ सरकार केन्द्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के बीच की असमानता को दूर करने के लिये त्रिपुरा सरकार को और अधिक धन राशि मन्जूर करेगी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दनपुजारी) : (क) जी, हाँ ।

(ख) और (ग) राज्य सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता स्वीकार किये जाने का मामला पूर्णत: राज्य के विवेक पर आधारित है। केन्द्र द्वारा इस प्रयोजन के लिये कोई सहायता प्रदान करना सम्भव नहीं होगा ।

राज्य व्यापार निगम द्वारा अफ्रीका को नमक का निर्यात

1527. **श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या **वाणिज्य और पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम का विचार अफ्रीका को नमक का निर्यात करने का है;

(ख) यदि हां, तो किस किस्म का;

(ग) उक्त निर्यात किस एजेन्सी के माध्यम से होगा; और

(घ) उक्त निर्यात से कितना लाभ होगा ?

वाणिज्य और पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, हां ।

(ख) सूखे के आधार पर कम से कम 96% एम० ए० सी० एल० के साथ पिसे हुये और बिना पिसे हुये दक्षिण भारतीय समुद्री नमक ।

(ग) इसका निर्यात देश में भारतीय नमक व निर्माता एसोसिएशन के सदस्यों की मार्फत किया जायेगा।

(घ) राज्य व्यापार निगम का सेवा प्रभार एफ० ओ० बी० कीमतों पर 1000 एम० टी० से अधिक की मात्रा के लिए 1% और 1000 एम० टी० और उससे कम मात्रा पर 5% है ।

भारत और तेल उत्पादक खाड़ी के देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग

1528. **श्री बी०बी० देसाई** : क्या **वाणिज्य और पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और तेल उत्पादक खाड़ी के देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के रास्ते में संचार विश्वास की भी कमी बाधक हो रही है; और

(ख) इन खाड़ी के देशों के साथ 1984 और आगे और आर्थिक व्यापार करने के लिये क्या मुख्य उपाय करने का विचार है ?

वाणिज्य और पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) इन देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिये सरकार ने जो महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं उनमें हैं सरकारी स्तर पर द्विपक्षीय व्यापार वार्तायें, व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना, प्रतिनिधि मंडलों का आदान-प्रदान, बाजार सर्वेक्षण, निर्माण तथा अन्य परियोजनाओं में भाग लेना, संयुक्त उद्यमों को स्थापित करना। इस वर्ष नई दिल्ली में एक भारत-अरब व्यापार, आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग पर एक सेमिनार भी आयोजित करने का प्रस्ताव है ।

तमिलनाडु में बड़े तथा लघु औद्योगिक एककों से बकाया बैंक ऋण की वसूली

1529. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में जून, 1983 के अन्त में 40 बड़े औद्योगिक एककों से, जिनमें से प्रत्येक पर 1 करोड़ रुपये से अधिक राशि बकाया है तथा 8111 लघु औद्योगिक एककों से जो रुग्ण बताये गये हैं, बैंक ऋणों की कितनी धनराशि बकाया है; और

(ख) इन बकाया धनराशियों को वसूल करने अथवा इन एककों को पुनः सक्षम बनाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार तमिलनाडु राज्य में जून, 1983 के अन्त में 40 बड़े रुग्ण एककों के नाम बैंकों के अग्रिमों की 228.24 करोड़ रुपये की रकम बकाया थी और दिसम्बर, 1982 के अन्त में 8111 रुग्ण लघु एककों के नाम 59.52 करोड़ रुपये के बैंक ऋण बकाया थे। भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध सबसे हाल की सूचना के अनुसार दिसम्बर, 1983 के अन्त में तमिलनाडु राज्य में 44 बड़े रुग्ण एकक और 16955 लघु रुग्ण एकक थे जिनके नाम क्रमशः 183.31 करोड़ रुपये तथा 71.13 करोड़ रुपये के बैंक ऋण बकाया थे।

(ख) सरकार की नीति के अनुसार बैंकों से औद्योगिक एककों में रुग्णता का शुरू में ही पता लगाने, उनकी अर्थक्षमता का अध्ययन करने और सम्भावित अर्थक्षमता वाले एककों का वित्तपोषण करने की अपेक्षा की जाती है। अर्थक्षम रुग्ण एककों के सम्बन्ध में, बैंक उन्हें फिर से खड़ा करने की योजना बनाते हैं ताकि एकक की हालत में सुधार हो सके और वे अपनी देनदारियों को चुका सकें। गैर-अर्थक्षम रुग्ण एककों के सम्बन्ध में बैंक अपने अग्रिमों की वापसी की माँग कर सकते हैं, प्रतिभूतियों को लागू कर सकते हैं तथा उनके नाम बकाया रकमों की वसूली के वास्ते अन्य कानूनी उपाय कर सकते हैं।

छठी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान बनाये तथा परिचालित किए गए एक रुपए के नोट तथा सिक्के

[हिन्दी]

1530. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा छठी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान एक रुपये के कितने नोट और कितने सिक्के बनाये गये तथा बाजार में परिचालित किये गये ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : सूचना नीचे दी गई है :—

(लाख अदद/मूल्य दस लाख रुपयों में)

वर्ष	एक रुपये के सिक्कों और एक रुपये के नोटों का उत्पादन		अवधि के अन्त में कुल परिचालन	
	एक रुपये के सिक्के	एक रुपये के नोट	एक रुपये के सिक्के	एक रुपये के नोट
1980-81	138	915	1360	2069
1981-82	139	712	1497	2119
1982-83	165	465	1653	2047
1983-84	186	206	1802	1979
1984-85	247	435	2032	1980
	(फरवरी, 1985 तक)		(दिसम्बर, 1984 तक)	

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के लेखाओं में पाई गई त्रुटियां

1531. **श्री बिलोप सिंह भूरिया**: क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के नियन्त्रक तथा महा लेखा परीक्षक ने वर्ष 1982 के लिये सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, के लेखाओं संबधी अपने लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन में यह कहा है कि कोयले के भंडारों की बिक्री के सम्बन्ध में 712.59 लाख रु० की असंगति का विवरण बिक्री कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय के रिकार्ड में उपलब्ध नहीं था;

(ख) क्या कम्पनी द्वारा भूमि पर खर्च किये गये 517.48 लाख रु० के सम्बन्ध में कोई बाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया;

(ग) क्या कम्पनी ने विभिन्न व्यक्तियों को 110 लाख रु० की दी गई अग्रिम राशि वसूल करने के लिये कोई प्रयत्न नहीं किया;

(घ) क्या भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा वर्ष 1982 के लेखाओं की लेखा परीक्षा के दौरान कम्पनी 7984.05 लाख रु० के सम्बन्ध में बाउचर जांच के लिए प्रस्तुत नहीं कर सकी; और

(ङ) यदि हां, तो इतनी बड़ी धनराशि के दुरुपयोग के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री बसंत साठे) : (क) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट "यूनियन गवर्नमेंट (कामर्शल) 1983 – पार्ट V में रुपया 712.59 लाख की जिस राशि का उल्लेख है वह "अग्रिम जमा नकद बिक्री" के अन्तर्गत बिक्री कार्यालय और एरिया कार्यालय के अधिशेषों का अन्तर है। यह वह धनराशि है जो ग्राहकों ने कोयले की खरीद के लिए जमा की थी किन्तु उससे सम्बन्धित कोयला 31 मार्च, 1982 के पहले उठाया नहीं था। इसमें असमायोजित पुराने शेष भी शामिल हैं। कुछ मामलों में विस्तृत ब्यौरे लेखा परीक्षकों को उपलब्ध नहीं कराये जा सके थे। यह स्थिति प्रबन्ध मंडल ने अन्तिम खातों के सम्बन्ध में अपने नोट में पहले ही बता दी थी—यह नोट वर्ष 1981-82 की वार्षिक रिपोर्ट और खातों के साथ संलग्न किया गया था (अनुसूची जैड) और यह वार्षिक रिपोर्ट लोक सभा के सभा पटल पर रखी जा चुकी है। प्रबन्ध मंडल द्वारा वार्षिक खातों के साथ संलग्न टिप्पणियों (अनुसूची जैड) में उपर्युक्त बातें बताई गई थीं और वह सांविधिक लेखा परीक्षकों तथा नियंत्रक और महालेखाकार के प्रतिनिधियों दोनों की ही जरूरतों के अनुसार थीं, इसलिये इस सम्बन्ध में सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में अलग से कोई उल्लेख नहीं किया गया था और नियंत्रक तथा लेखा परीक्षक ने भी सामान्य व्यवहार के अनुसार ही "कोई टिप्पणी नहीं" रिपोर्ट दे दी थी।

(ख) जी, नहीं। परन्तु कम्पनी भूमि रिकार्डों का तुलन पत्र में उल्लिखित राशियों से संराधान नहीं कर सकी और इस सम्बन्ध में भूमि की समुचित प्रस्तुति विभिन्न शीर्षों में—जैसे लीज होल्ड, फी होल्ड और खनन अधिकार—के लिए समुचित तकनीकी विश्लेषण भी नहीं किया जा सका।

(ग) रिपोर्ट में उल्लिखित रु० 110 लाख की धन राशि वह धनराशि है जो कम्पनी के क्रियाकलाप के लिये स्थानीय खरीद/भंडार सामग्री की खरीद के कारण पेशगी दी गई थी और यह वैयक्तिक पेशगी की राशि नहीं है। इसके अधीन जो शेष है वह लगातार चलने वाला शेष होने के कारण वर्ष प्रति वर्ष बदलता रहता है।

(घ) रिपोर्ट में रु० 7934.05 लाख की जिस राशि का उल्लेख किया गया है वह पूंजीगत खर्च के लिए अनुमानित वचन की धनराशि है जिसे कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वार्षिक खातों में बता दिया गया है। यह खर्च की धनराशि नहीं है। इसलिए उपर्युक्त धनराशि के बाउचर प्रस्तुत करने का प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) चूंकि इस सम्बन्ध में धनराशि के दुरुपयोग का कोई मामला नहीं है इसलिए इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की कार्यवाई करने का प्रश्न नहीं उठता।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के लेखों में पाई गई त्रुटियां

1532. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक को भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के लेखों की लेखा-परीक्षा के दौरान 5.42 लाख रु० की नामे बाकी डैबिट बैलेंस 2270.46 लाख रु० के चालू व्यय तथा वर्ष 1983 में 228.07 लाख रु० की खरीदी गई भूमि के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज नहीं मिले; और

(ख) यदि हां, तो इतनी अधिक राशि अपव्यय किये जाने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

मिदनापुर जिले में बैंकों की नई शाखाएं खोलना

[अनुवाद]

1533. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक ने पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा नई शाखाएं खोलने के लिए 1983 के मध्य से फरवरी 1985 तक बैंक-वार कितने लाइसेंस जारी किए;

(ख) उक्त अवधि के दौरान वास्तव में कितनी नई शाखाएं खोली गई;

(ग) क्या किसी बैंक ने इनमें से कोई लाइसेंस वापस किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) अप्रैल, 1983 से फरवरी, 1985 तक जिला मिदनापुप, पश्चिम बंगाल के ग्रामीण अर्ध-शहरी केन्द्रों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों को जारी किए गए प्राधिकार पत्रों/लाइसेंसों की संख्या और उनके द्वारा दिसम्बर, 1984 के अंत तक खोली गई शाखाओं की संख्या का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

सरकारी क्षेत्र के बैंकों का नाम	ग्रामीण/अर्ध-शहरी केन्द्रों के लिए जारी प्राधिकार पत्रों/ लाइसेंसों की संख्या	इनमें से दिसम्बर, 1984 के अंत तक उपयोग में लाए गए प्राधिकार पत्रों/लाइसेंसों की संख्या
भारतीय स्टेट बैंक	24	6
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	25	--
यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	39	—
बैंक ऑफ इंडिया	7	—
न्यू बैंक ऑफ इंडिया	2	1
इलाहाबाद बैंक	14	4
केनरा बैंक	3	—
पंजाब नेशनल बैंक	19	6
इंडियन बैंक	3	—
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	8	—
इंडियन ओवरसीज बैंक	3	—

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसे इंडियन ओवरसीज बैंक को उक्त बैंक को आवंटित तीन केन्द्रों में से एक अर्थात् हिजला केन्द्र में आधारभूत सुविधाओं के अभाव के कारण इसे वापस करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है।

सिगरेट बनाने वाली प्रमुख कम्पनियों द्वारा उत्पाद शुल्क का अपवंचन

1534. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सिगरेट बनाने वाली कुछ प्रमुख कंपनियतों द्वारा करोड़ों रुपये के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का अपवंचन किये जाने का पता चला है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त कंपनियों का ब्यौरा क्या है। उनके द्वारा कितनी राशि के शुल्क का अपवंचन किया गया है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कानून के उपबंधों के तहत मै० नेशनल टोबैको कम्पनी लि०, कलकत्ता को दिनांक

2-3-1985 का एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सिगरेटों के बिक्री-मूल्य की गलत घोषणा करके अपवंचन किए गए तथाकथित लगभग 4.80 करोड़ रुपये के उत्पादन शुल्क की मांग उक्त नोटिस के तहत की गई है।

सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए उठाए गए कदम

1535. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों को आर्थिक दृष्टि से और अधिक सक्षम और प्रतियोगी बनाने के लिए उनके कार्य निष्पादन में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए हैं;

(ख) इस्पात उत्पादन की प्रौद्योगिकी को विश्व के अन्य विकसित देशों की प्रौद्योगिकी के समकक्ष लाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का आयात करने के किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख) देश में सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों के कार्यकरण में सुधार करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

i) उत्पादन में वृद्धि 'सेल' के सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों (इस्को भी शामिल है) के वर्ष 1984-85 के 52.8 लाख टन के अनुमानित उत्पादन को वर्ष 1985-86 में बढ़ाकर 59.2 लाख टन करने की योजना है।

ii) उत्पादन में विविधता लाकर विशेष प्रकार की कठिनाई से मिलने वाली मदों के, जिनका पिछले वर्षों में आयात किया जाता रहा है, उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है।

iii) लागतों में कमी करने के उद्देश्य से संयंत्र स्तर पर लागत नियंत्रण समितियां गठित की गई हैं। ये समितियां नियमित रूप से बैठकें करती हैं।

iv) कच्ची सामग्री, स्टोर्स तथा फालतू पुर्जों, प्रक्रियागत सामग्री (इन-प्रोसेस मेटेरियल) आदि की माल-सूची पर कड़ा नियंत्रण रखा जाता है। अप्रैल से दिसम्बर, 1984 की अवधि में स्टोर्स तथा फालतू पुर्जों की माल सूची में 23 करोड़ रुपये की कमी हुई।

v) कच्ची सामग्री की क्वालिटी घटिया होने के बावजूद प्रक्रिया तथा उपस्करों के परिचालन में प्रौद्योगिकीय मापदंडों तथा कुशलता के लिए तकनीकी-आर्थिक मापदंडों पर अमल करने के लिए विशेष प्रयास करना।

vi) संगोष्ठियों, कार्यशालाओं आदि के आयोजन से सभी श्रेणी के कर्मचारियों में परस्पर सामंजस्य द्वारा उत्पादन में वृद्धि करने की आवश्यकता के प्रति जागरूकता पैदा करना। उत्पादन

में वृद्धि करने के लिए श्रमिक संघों के साथ संयंत्र-स्तर तथा निगम स्तर पर नियमित रूप से बात-चीत की जाती है।

vii) उपयुक्त क्वालिटी के आदानों की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयास किए जाते हैं। गृहीत विद्युत उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि की जाएगी।

viii) **प्रौद्योगिकीय विकास** प्रक्रिया की क्रमियों को दूर करके, लागतों में कमी करके (जैसे ऊर्जा तथा प्रौद्योगिकी प्राचलों तथा सुचकांकों में सुधार), उत्पादन में वृद्धि तथा अधिक मूल्य की इस्पात का मदों के विकास द्वारा इस्पात कारखानों के सम्मुख आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए अनुसंधान और विकास कार्य किए जा रहे हैं। वर्ष 1982-83 में इस प्रकार की 69 परियोजनाओं तथा वर्ष 1983-84 में 55 अन्य परियोजनाओं का कार्य हाथ में लिया गया था। प्रत्येक कारखाने में अनुसंधान और विकास वैज्ञानिकों तथा कारखानों के परिचालन से सम्बद्ध शिल्प-विज्ञानियों के संयुक्त दल बनाए गए हैं और नए प्रौद्योगिकीय विकासों को अपनाने के काम में तेजी लाई गई है। प्रत्येक इकाई के कार्यकरण में सुधार करने के लिए रख-रखाव की विकसित तकनीकों को लागू किया जा रहा है। प्रत्येक इस्पात कारखाने की प्रत्येक इकाई के कार्यकरण की एक दल द्वारा विस्तृता रूप से समीक्षा की जाती है। इस दल में 'सेल' के अनुसंधान और विकास केन्द्र के वैज्ञानिक तथा शिल्प-विज्ञानी, 'मेकन' के रूपांकन कार्य के विशेषज्ञ, इस्पात कारखानों में परिचालन के शिल्प-विज्ञानी तथा अन्य शिल्प-विज्ञानी (भारत हैवी प्लेट एंड वेसिल तथा भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि०) हैं। यह दल कमियां बताता है और इन कमियों तथा कार्यकरण में सुधार करने के लिए योजनाएं बनाता है। इसी प्रकार के दलों ने प्रत्येक इस्पात कारखाने (जिन्हें कई क्षेत्रों में अप्रचलित उपस्करों के कारण हानि हो रही है और लागत में वृद्धि हो रही है) के प्रौद्योगिकीय उन्नयन के लिए लागत की दृष्टि से सर्वाधिक मित-व्ययी योजनाएं तैयार की हैं। इन योजनाओं की पूंजी-निवेश सम्बन्धी स्वीकृति हेतु जांच की जा रही है।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने, राउरकेला इस्पात कारखाने तथा "इस्को" का प्रौद्योगिकीय उन्नयन करने के प्रस्तावों पर सरकार के विभिन्न स्तरों पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

भिलाई इस्पात कारखाना और बोकारो इस्पात कारखाना

बोकारो इस्पात कारखाने तथा भिलाई इस्पात कारखाने का प्रौद्योगिकीय उन्नयन करने तथा अवरोधों को दूर करने की योजनाएं तैयार की जा रही हैं।

(ग) और (घ) कारखानों के प्रौद्योगिकीय उन्नयन के लिए जिन प्रौद्योगिकियों का आयात करना आवश्यक है, वे इस प्रकार हैं :

i) दुर्गापुर इस्पात कारखाने, राउरकेला इस्पात कारखाने तथा इस्को, बर्नपुर के कोक-ओवन संयंत्रों के लिए कोयले का वरणात्मक दलन।

ii) राउरकेला इस्पात कारखाने में स्टैम्प-चार्जिंग (भारतीय कोयले की उपयुक्तता का पता लगाने के लिए पश्चिम जर्मनी को नमूने भेजे गए हैं)

iii) राउरकेला इस्पात कारखाने में फोसेम प्रक्रिया द्वारा निर्जल तरल अमोनिया (एन हाईड्रास लिक्विड अमोनिया) का उत्पादन ।

iv) दुर्गापुर इस्पात कारखाने, राउरकेला इस्पात कारखाने तथा "इस्को", बर्नपुर में सिन्टर प्रौद्योगिकी का विकास ।

v) राउरकेला इस्पात कारखाने की धमन-भट्टियों में विभिन्न स्तरों पर गैस तथा दबाव का पता लगाना ।

vi) राउरकेला इस्पात कारखाने में कोल डस्ट इन्जेक्शन ।

vii) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में कास्ट हाउस स्लैग ग्रेन्युलेशन ।

viii) राउरकेला इस्पात संयंत्र में कोरेफ प्रक्रिया ।

ix) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में निर्वात परिष्करण की सुविधाएं ।

सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि में योजनाओं को अंतिम रूप से स्वीकृति देने के पश्चात् ही आयात की जाने वाली प्रौद्योगिकियों के बारे में निर्णय लिया जा सकेगा ।

लोहा बनाने की के० आर० तथा इनरेड प्रौद्योगिकियों के अन्तरण के लिए बातचीत चल रही है ।

विदेशी मुद्रा कोष में कमी

1536. **श्री चम्पत थामस** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो महीनों (जनवरी और फरवरी, 1985) के दौरान विदेशी मुद्रा कोष में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो 1977-78 और 1978-79 की तुलना में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश की विदेशी मुद्रा आय में कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो कितनी; और

(ङ) इस समय विभिन्न स्रोतों से विदेशी मुद्रा की कितनी आय हो रही है ?

वित्त संराज्य में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) विदेशी मुद्रा भंडार (सोने तथा विशेष आहरण अधिकारों को छोड़कर) 31 दिसम्बर, 1984, 31 जनवरी तथा 28 फरवरी, 1985 को इस प्रकार था :—

	(करोड़ रुपए)
31.12.84	6250.29
31.1.85	6014.47
28.2.85	6245.58

(ख) वर्ष 1977-78 और 1978-79 में तुलनात्मक स्थिति इस प्रकार थी :—

(करोड़ रुपए)

	1977-78	1978-79
31 दिसम्बर	3998.29	4890.35
31 जनवरी	3959.31	5081.71
28 फरवरी	4103.11	5094.74

(ग) से (ङ.) सभी प्रकार के विदेशी लेन-देनों से प्राप्त होने वाली विदेशी मुद्रा की आय की निवल राशि देश के विदेशी मुद्रा भंडार के स्तर और उसमें होने वाली घट-बढ़ में परिलक्षित होती है। चालू वर्ष में 22 मार्च, 1985 तक विदेशी मुद्रा भंडार में 1117.66 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाली विदेशी मुद्रा की आय का अनुमान लगाना संभव नहीं है।

आयकर की बकाया राशि के लम्बित मामले

1537. **श्री थम्पन थामस** : क्या वित्तमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1984 के दौरान आयकर की बकाया धनराशि की वसूली के कितने मामले विभिन्न न्यायालयों में लम्बित थे;

(ख) कितने मामलों में निर्णय किया गया और वर्ष 1984 में कितनी धनराशि वसूल की गई; और

(ग) उन मामलों का ब्यौरा क्या है जिनमें बकाया धनराशि, 5 लाख रुपये से अधिक थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) देश के विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन आयकर की बकाया की वसूली के सम्बन्ध में पूरी सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि ऐसे मामलों के सम्बन्ध में, जिनमें 1/1/1984 की स्थिति के अनुसार 10 लाख रुपये से अधिक की आयकर मांगें हैं, अपेक्षित सूचना निम्नानुसार है :

1/1/1984 की स्थिति के अनुसार, देश के विभिन्न भागों में आयकर की बकाया की वसूली के सम्बन्ध में 88 मामले बकाया थे। उनमें से 17 मामले निपटाये गये और वसूली की गई/घटाई गई राशि 4.25 करोड़ रुपये की है। ऐसे मामलों के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं जिनमें आयकर की मांगें 10 लाख रुपये से अधिक की हैं :—

क्रम संख्या	निर्धारिती का नाम
1.	इण्डियन होटल कम्पनी लिमिटेड
2.	रेमण्ड वूलन मिल्स
3.	जगतजीत इंडस्ट्रीज लिमिटेड
4.	सतनारायण अग्रवाल

5. अशोका मार्केटिंग
6. सेन्चुरी एन्का लिमिटेड
7. राजा बलदीदार बिड़ला सोमतातिकेश
8. केशोराम इंडस्ट्रीज
9. चेवराम केमिकल्स (सी) यू० एस० ए०
10. इंटरनेशनल (केमिकल्स एन्ड मिनरल्स)
11. जैमिनी डिस्टिलरीज (प्रा०)
12. सूरी एण्ड नायर लिमिटेड
13. श्रीमती एम० रामनम्मा
14. रैंफुइल्ला एण्ड ब्रदर्स
15. पैरीलोवनपती हिन्दू नाडार
16. बिड़ला जूट मैन्यूफैक्चरिंग लिमिटेड
17. जे० के० बिड़ला

राज्यों द्वारा कोयला खनन

1539. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या **इस्पात, खान और कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों को कोयले का खनन स्वयं या संयुक्त सेक्टर में करने की अनुमति दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्हें तत्संबंधी लाइसेंस दिये गये हैं; और

(ग) उपरोक्त राज्य तथा उन खानों के नाम क्या हैं जिनके खनन हेतु लाइसेंस दिये गये हैं ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (ग) वर्ष 1979 में यह निर्णय किया गया था कि देश में कोयले का खनन कार्य केन्द्रीय सरकार अपने स्वयं के उपक्रमों के जरिए जारी रखे किन्तु साथ-साथ कुछ अलग-थलग पड़े छोटे-छोटे स्थानों पर राज्य सरकारों को भी कोयला खनन कार्य करने की अनुमति दे दी जाए, परन्तु इस संबंध में उनसे निम्नलिखित शर्तें पूरी कराई जाएं :-

(1) राज्य सरकार के उपक्रम खानों में सीधे ही खनन कार्य करें और ठेकेदारों से खनन कार्य नहीं कराएं ।

(2) खनन कार्य केवल अकोककर कोयले तक ही सीमित रखा जाए ।

(3) कोयले का खनन कार्य इस विषय पर जो विभिन्न खनन और अन्य कानून हैं उनकी व्यवस्थाओं के अनुसार ही किया जाए ।

(4) कोयले की बिक्री केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर कोयले की जो ग्रेडवार कीमतें अधिसूचित की जाती हैं, उनके अनुसार ही की जाए ।

(5) खनन कार्य केवल ओपेनकास्ट खनन कार्य तक ही सीमित रखा जाए । और

(6) इस संबंध में कोल इंडिया लि० इस आशय का एक "अनापत्ति प्रमाण पत्र" जारी करे कि उसकी संबंधित क्षेत्र में निकट भविष्य में कोयला खनन कार्य करने की कोई योजना नहीं है ।

"अलग-थलग स्थित छोटे-छोटे स्थान" वह स्थान हैं जो मुख्य कोयला क्षेत्रों से दूर हैं तथा जिनमें ज्ञात कोयला भंडार इतने नहीं हैं कि उनका समन्वित और समेकित तरीके से वैज्ञानिक और आर्थिक दृष्टि से लाभकारी खनन कार्य के लिए विकास किया जा सके। ऐसे स्थानों पर उत्पादित कोयले का रेलवे से परिवहन नहीं किया जाएगा बल्कि उसका स्थानीय उपभोग भी किया जाएगा ।

इन मार्ग-निदेशों को ध्यान में रखते हुए, असम और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया कि उनके राज्य उपक्रमों को अलग–थलग पड़े छोटे-छोटे स्थानों पर कोयले के दोहन और खनन के लिऐ खनन पट्टे प्रदान किए जाएं । केन्द्रीय सरकार ने असम और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों को अलग-थलग पड़े छोटे छोटे स्थानों पर कोयले का खनन करने के लिए दो वर्ष के खनन पट्टे प्रदान किए हैं । एन० सी० हिल्स के गर्म पानी एरिया में असम मिनरल्स डेवलपमेंट कारपोरेशन के पक्ष में तथा दार्जलिंग जिले के बागरकोटा और दलीनकोटे क्षेत्रों में (पश्चिम बंगाल राज्य) वेस्ट बंगाल मिनरल्स डेवलपमेंट एण्ड ट्रेडिंग कारपोरेशन लि० को खनन पट्टे प्रदान किए गए हैं । यह खनन पट्टे ऊपर बताई गई शर्तों के अधीन खान और खनिज (विनियम और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 5(2) (क) के अधीन प्रदान किए गए हैं ।

बैंकिंग कार्य विधि का कम्प्यूटरीकरण

1540. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकिंग कार्य विधि का कम्प्यूटरीकरण करने के लिये कोई कार्यक्रम बनाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने जुलाई 1983 में उप गवर्नर डा० सी० रंगराजन की अध्यक्षता में, बैंकों में कम्प्यूटरीकरण/यंत्रीकरण के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया था । इस समिति ने यह सुझाव दिया है कि बैंकों में कम्प्यूटरीकरण/यंत्रीकरण का कार्यक्रम विभिन्न चरणों में कार्यान्वित किया जाना चाहिए । समिति ने सभी तीनों स्तरों अर्थात् शाखा स्तर, अंचल/क्षेत्र स्तर तथा प्रधान कार्यालय स्तर पर यंत्रीकरण/कम्प्यूटरीकरण की सिफारिश की है । यद्यपि समिति ने 5 वर्ष की अवधि में दो चरणों में यंत्रीकरण/ कम्प्यूटरीकरण की सिफारिश की है लेकिन सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक को, इस कार्यक्रम को 2 से 3 वर्षों में कार्यान्वित करने पर विचार करने के लिए कहा है । भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों द्वारा कम्प्यूटरीकरण/यंत्रीकरण के कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए रिजर्व बैंक के उप गवर्नर डा० सी० रंगराजन की अध्यक्षता में एक स्थाई समिति गठित की है ।

कम्पनियों द्वारा ऋण पत्रों का जारी किया जाना

1542. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ कम्पनियों जिन्होंने अगस्त-सितम्बर, 1984 में ऋण पत्र जारी किए थे; ऋण पत्रों के प्रमाण पत्र जारी किये बिना अथवा ब्याज अदा किए बिना आवंटन राशि एकत्र की है;

(ख) यदि हां, तो इन कम्पनियों के नाम क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से(ग) अगस्त-सितम्बर,1984 के दौरान केवल दो कंपनियों, अर्थात मैसर्स रोश प्रोडक्टस लि०, बम्बई और मैसर्स दि रेमंड वूलन मिल्स लि०, बम्बई ने विवरण पत्रिका के जरिए जनता को ऋण पत्र जारी किए थे। स्टाक एक्सचेंज, बम्बई के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, इन कंपनियों ने अभी तक ऋण पत्रों के प्रमाण पत्र जारी नहीं किए हैं क्योंकि इन कंपनियों को अब तक कंपनियों के रजिस्ट्रार की तरफ से बंधकों/प्रभारों के पंजीकरण के प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन इन कंपनियों ने अलाटमेंट पत्र जारी कर दिए हैं जो हस्तांतरणीय हैं और स्टाक एक्सचेंज में व्यापार के लिए स्वीकार्य हैं। मैसर्स रोश प्रोडक्ट्स लि०, द्वारा जारी किए गए ऋणपत्रों पर पहले छः महीने के लिए जो ब्याज 24.2.1985 को देय था, उसे कंपनी ने अदा कर दिया है। मैसर्स रेमंड वूलन मिल्स लि०, के संबंध में पहले छः महीनों का ब्याज 1.4.1985 को देय होगा।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों में कथित अनियमितताएं

1543. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं और राज्यों की सहायक कम्पनियों द्वारा दिए गए ऋणों में लाखों रुपये की गम्भीर अनियमितताएं हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने मामलों में प्रत्येक बैंक में उसी अवधि के दौरान एक लाख रुपये से अधिक की अनियमितता का पता चला है;

(ग) क्या ऋण की कोई राशि बट्टे खाते डालनी पड़ी थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंकों के निरीक्षण के दौरान उसे बैंकों के कुछ ऋण खातों में गंभीर अनियमितताओं के मामलों का पता चलता है। चूंकि ये अनियमितताएं दैनिक कारबार में भी प्रायः होती रहती हैं और चूंकि सभी अनियमित खातों के मामले में वसूली संदिग्ध नहीं होती,

इसलिये ऐसे खातों के बारे में अलग से कोई आंकड़े नहीं रखे जाते। अलबत्ता, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है और संबंधित बैंकों को कमियों में सुधार लाने के लिये कहा जाता है।

(ग) बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची में निर्धारित तुलन-पत्र और लाभ-हानि विवरण के प्रपत्रों के अनुसार, बैंकों को ऐसे अशोध्य और संदिग्ध ऋणों का ब्यौरा और उनकी राशि बताने के संबंध में सांविधिक सुरक्षा प्रदान की गयी है जिसके लिए लेखा परीक्षकों की तसल्ली के मुताबिक व्यवस्था कर ली गयी हो। इसको देखते हुए इस संबंध में सूचना प्रकट नही की जा सकती।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने अग्रिमों की मंजूरी अथवा अग्रिमों की निगरानी के संबंध में नोटिस में आई कुछ अनियमितताओं और त्रुटियों के आधार पर बैंकों को अग्रिम पोर्ट-फोलियो के प्रबंध और अग्रिमों पर नियंत्रण से संबंधित प्रचलित पद्धतियों और कार्य-प्रणालियों की समीक्षा करने के लिए हिदायतें जारी की हैं। हाल ही में इसने बैंकों को बड़े अग्रिमों की समीक्षा करने, समस्यामूलक बड़े अग्रिमों की जांच करने के लिये हिदायतें जारी की हैं और बैंकों पर इस बात पर जोर दिया है कि यह सर्वोच्च कार्यपालकों की जिम्मेवारी है कि वे बड़े अग्रिमों की स्थिति और उधारकर्त्ता समूहों के नाम बकाया रकमों की निरन्तर समीक्षा करें और उन्हें बड़े अग्रिमों के संबंध में होने वाली घटनाओं की बराबर जानकारी रहनी चाहिए। रिजर्व बैंक ने इस बात पर भी जोर दिया है कि बैंकों के कार्यपालक निदेशक/अध्यक्ष बड़े अग्रिमों की कारगर निगरानी और पर्यवेक्षण के लिये नैतिक तथा रचनात्मक दृष्टि से जिम्मेवार हैं।

सरकारी विभागों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा हिन्दुस्तान कोन्टेसा कारों की खरीद किये जाने पर प्रतिबन्ध

1544. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी विभागों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा की जाने वाली हिन्दुस्तान कोन्टेसा कारों की खरीद पर प्रतिबन्ध लगा दिया है;

(ख) क्या सरकारी आदेशों के बावजूद कुछ सरकारी विभागों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने उन कारों की खरीद की है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष, 1983 और 1984 के दौरान कोन्टेसा कारों की खरीद करने वाले विभागों/उपक्रमों के नाम क्या हैं; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा आदेश सरकारी विभागों के लिए 19-4-1984 को और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए 7.6.1984 को जारी किए गए थे। अतः प्रतिबंध आदेशों का उल्लंघन करते हुए। 1983 में कोन्टेसा कारों की खरीद का प्रश्न ही नहीं उठता। वर्ष 1984 के सम्बन्ध में सूचना विभिन्न प्राधिकरणों से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) उपर्युक्त (ख) और (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

बन्द पड़ी कोयला खानें

1545. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम हुआ है कि विभिन्न राज्यों में अनेक खानें बन्द पड़ी हैं;

(ख) इस प्रकार कितनी खानें बन्द पड़ी हैं;

(ग) ये खानें कब से बन्द पड़ी हैं; और

(घ) सरकार द्वारा उनके कार्यकरण को भी देश में कपड़ा मिलों की तरह ही उनके चलाने हेतु क्या व्यवस्था की जा रही है ताकि पिछड़े श्रमिकों को रोजगार दिलाया जा सके ?

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

तम्बाकू उत्पादक राज्यों द्वारा तम्बाकू का निर्यात

1546. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन से राज्य तम्बाकू का उत्पादन करते हैं;

(ख) तम्बाकू का उत्पादन करने वाले प्रत्येक राज्य द्वारा प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के तम्बाकू का निर्यात किया गया;

(ग) निर्यात किस एजेंसी के माध्यम से किया जा रहा है और कौन-कौन से देश भारतीय तम्बाकू का आयात कर रहे हैं;

(घ) क्या कुछ देशों से भारत में घटिया स्तर के तम्बाकू का निर्यात किए जाने के संबंध में शिकायतें मिली थीं;

(ङ) क्या इस संबंध में कोई जिम्मेदारी निर्धारित की गई है;

(च) तम्बाकू का निर्यात करने हेतु स्तर को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य और पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तम्बाकू उत्पादन करने वाले राज्य हैं, आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

(ख) 1983-84 के दौरान निर्यातित अविनिर्मित तम्बाकू की राज्यवार मात्रा और मूल्य निम्नोक्त प्रकार हैं:—

	मात्रा मे. टन में*	मूल्य लाख रु० में*
आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक	78366	17005.97
गुजरात	11570	1091.33
पश्चिम बंगाल	49	7.93
	89985	181 5.23

*अनन्तिम

(ग) तम्बाकू बोर्ड के पास पंजीकृत निर्यातकों को तम्बाकू निर्यात करने की अनुमति है। अमरीका, ब्रिटेन, सउदी अरब, यमन तथा मिश्र भारतीय तम्बाकू के प्रमुख आयातक हैं।

(घ) तथा (ङ) भारत द्वारा घटिया तम्बाकू की सप्लाई के संबंध में चीन से शिकायतें मिली थी। विपणन निरीक्षण निदेशालय द्वारा पैकरों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए तथा इन पैकरों द्वारा एगमार्क के अधीन तम्बाकू की ग्रेडिंग करने को भी स्थगित कर दिया गया है। यह मामला लम्बित है क्योंकि कुछ पार्टियों ने उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिए हैं।

संबन्धित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

(च) एगमार्क के अन्तर्गत निर्यात करने से पहले तम्बाकू की ग्रेडिंग और मार्किंग अनिवार्य रूप से की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अच्छी क्वालिटी के तम्बाकू का निर्यात हो। तम्बाकू के निर्यातों पर विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय द्वारा क्वालिटी नियंत्रण उपाय सख्ती से लागू किए जा रहे हैं।

बोकारो इस्पात संयंत्र में ब्लास्ट फर्नेस का टूटना

1546. **श्री डी० पी० जडेजा** : क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष बोकारो इस्पात संयंत्र का "ब्लास्ट फर्नेस" संख्याचार टूट गया था, जिसके कारण संयंत्र को भारी हानि हुई है;

(ख) क्या इस "ब्लास्ट फर्नेस" के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जाँच की गई थी;

(ग) यदि हाँ, तो इस "ब्लास्ट फर्नेस" के टूटने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इस मामले में कोई जिम्मेवारी निर्धारित की गई थी ?

इस्पात विभाग में राज्य-मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, हाँ। 11 सितम्बर 1984 को धमन-भट्टी संख्या 4 में खराबी आ गई थी जिसके परिणामस्वरूप तप्त धातु के उत्पादन में लगभग 32,000 टन की हानि हुई है।

(ख) जी, हाँ। स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० (सेल) ने पाँच विशेषज्ञों की एक जाँच-समिति नियुक्त की है। इन विशेषज्ञों में सोवियत रूस का एक मुख्य विशेषज्ञ (धमन भट्टियों का विशेषज्ञ) है।

(ग) जांच समिति इस निष्कर्ष पर पहुँची कि वायु के कार्बन ब्लाकों (जो तप्त धातु के सीधे सम्पर्क में रहते हैं) की बाहरी सतह के साथ सम्पर्क में आने तथा इन कार्बन ब्लाकों की बाहरी सतह को अपेक्षित करने के परिणामस्वरूप तप्त धातु के उत्पादन में रुकावट आई।

(घ) जांच समिति किसी भी व्यक्ति विशेष को इसके लिए दोषी नहीं ठहरा सकी।

सूरत में शिक्षित बेरोजगारों को ऋण दिया जाना

[हिन्दी]

1548. **श्री सी० डी० गामित** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 और फरवरी 1985 तक की अवधि के दौरान जिला उद्योग केन्द्र, सूरत ने स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत शिक्षित बेरोजगार लोगों को ऋण देने के लिये प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक को कितने मामले भेजे;

(ख) क्या जिला उद्योग केन्द्र द्वारा भेजे गये मामलों में ऋणों की मंजूरी में या तो विलम्ब किया जाता है या बैंकों के शाखा प्रबन्धकों द्वारा इन्कार कर दिया जाता है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या उनके मंत्रालय ने उन लोगों को बिना कठिनाई के ऋण देने के लिये बैंकों को कोई अनुदेश जारी किये हैं अथवा करने का विचार है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) शिक्षित बेरोजगारों को सरकार की स्वरोजगार देने की योजना के लिए निर्धारित पर्यवेक्षण प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक बैंक से सम्बद्ध जिलावार आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन, उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1983-84 के लिए इस योजना के अंतर्गत 11,200 हिताधिकारियों के लक्ष्य की तुलना में गुजरात राज्य में जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा 19685 मामलों की सिफारिश की गयी थी, जिनमें से बैंकों द्वारा 1538.88 लाख रुपये के 10497 आवेदनों की मंजूरी दे दी गयी थी। वर्ष 1984-85 के लिए, 15 फरवरी,1985 तक स्वरोजगार योजना की प्रगति के आंकड़ों के अनुसार, गुजरात राज्य जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा 9058 आवेदन प्राप्त किये गये थे जिनमें से बैंक द्वारा 3392 आवेदनों के अन्तर्गत 620.4 लाख रुपये की मंजूरी दे दी गयी है।

बैंकों से यह कहा गया है कि वे शाखा में प्राप्त होने वाले आवेदन की तारीख से 14 दिन के अन्दर-अन्दर आवेदन को निपटा दें। भारतीय रिजर्व बैंकों द्वारा बैंकों को यह परामर्श भी दिया गया है कि वे अपने तंत्र को यह सुनिश्चित करने के लिए चुस्त बनायें कि प्रत्येक जिले के लिए तय किये गये लक्ष्य निर्धारित अवधि के अंदर-अंदर पूरे कर लिये जाएं। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को बैंकों के साथ इस मामले में अनुवर्ती कार्रवाई करने का भी परामर्श दिया है।

देना बैंक की सुहारी और बाजीपुरा शाखाओं द्वारा कमजोर वर्गों को दिए गए ऋण

1549. **श्री सी० डी० गामित** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में सूरत जिले में देना बैंक की बुहारी और बाजीपुरा शाखाओं ने छोटे और सीमांत कृषकों, कृषि मजदूरों, ग्रामीण दस्तकारों, शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को पिछले तीन वर्ष के दौरान वर्ष-वार कितनी राशि के ऋण प्रदान किये;

(ख) क्या इन श्रेणियों के लोगों को बैंकों की इन दोनों शाखाओं से ऋण प्राप्त करने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है;

(ग) कोई कारण बताये बिना ऋण आवेदन रद्द कर दिये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या उनके मन्त्रालय का इस मामले में कोई अनुदेश जारी करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ) आंकड़े एकत्र करने की बैंकों की केन्द्रीय पद्धति से शाखावार और श्रेणी-वार सूचना प्रश्न में पूछे गये ढंग से उपलब्ध नहीं होती। दिसम्बर, 1983 के अन्त में गुजरात में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों की कुल राशि 963.39 करोड़ रुपये थी। बैंकों को ये निदेश दिये गये हैं कि उनके बकाया अग्रिमों का कम से कम 10 प्रतिशत कमजोर वर्गों के लिये होना चाहिये। ऋण आवेदनों को रद्द करते समय बैंकों को कारण बताने होते हैं और इस आशय के अनुदेश पहले ही जारी किये जा चुके हैं। जब कभी भारतीय रिजर्व बैंक या सरकार के ध्यान में विशिष्ट शिकायतें लाई जाती हैं तो उपयुक्त उपचारात्मक कार्यवाई करने के वास्ते इनकी जांच की जाती है।

गुजरात में आयकर छापे

1550. **श्री सी०डी० गामित** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में जनवरी से फरवरी, 1985 की अवधि के दौरान आयकर के कितने छापे मारे गये और जिन लोगों के परिसरों पर छापे मारे गये और जिन स्थानों पर ऐसे छापे मारे गये, उनका विवरण क्या है;

(ख) प्रत्येक मामले में कितनी राशि का पता लगाया गया; और

(ग) इस सम्बन्ध में गिरफ्तार किये गये लोगों के विरुद्ध की गयी दण्डात्मक कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जनवरी और फरवरी 1985 के दौरान, आयकर विभाग ने गुजरात में 125 तलाशियां लीं, जिनमें प्रथम दृष्टया लगभग 58.87 लाख रुपये मूल्य की लेखा बाह्य परिसंपत्तियां पकड़ी गईं।

तलाशियों की भारी तादाद को देखते हुए, सभी तलाशियों के ब्यौरे देना व्यवहार्य नहीं है। तथापि, माननीय सदस्य किसी मामले/तलाशी विशेष की जानकारी चाहते हैं तो वह प्रस्तुत की जा सकती है।

(ग) आयकर अधिनियम के अन्तर्गत तलाशियों के दौरान किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की व्यवस्था नहीं है। तथापि, जांच पूरी होने पर, उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर उपयुक्त मामलों में दाण्डिक कार्रवाई करने पर विचार किया जाता है जिसमें अभियोग चलाना भी सम्मिलित है।

कपड़ा एककों का आधुनिकीकरण

[अनुवाद]

1551. **श्री प्रियरंजन दास मुन्शी** : क्या वाणिज्य और पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कपड़ा एककों का और उनके आधुनिकीकरण और पुनर्वित करने तथा उत्पादन में विविधता लाने के कार्यक्रम सम्बन्धी प्रस्ताव अथवा योजनायें क्या है;

(ख) क्या सरकार गुजरात और पश्चिम बंगाल के एककों को बचाने और उन्हें पुन: सक्षम बनाने के लिये विशेष कार्यक्रम बनाएगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) सरकारी नीति में पुराने तथा उपचलित करघों और तकुओं को आधुनिक तथा जटिल करघों व तकुओं में बदलने की अनुमति है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की शुलभ ऋण योजना आधुनिकीकरण के लिए वस्त्र उद्योग को उपलब्ध है। आधुनिक तथा जटिल वस्त्र मशीनों की कुछ ऐसी मदों के खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत आयात की अनुमति जिनका देश में विनिर्माण नहीं होता।

(ख) तथा (ग) सरकार ने गुजरात में बन्द/रुग्ण वस्त्र एककों की समस्याओं पर विचार करने के लिये एक अधिकारी समूह गठित किया है ताकि इन एककों के सम्बन्ध में, जिन्हें पुनर्जीवित किया जा सकता है, पुर्नस्थापना पैकेज तैयार किये जा सके। समूह की सिफारिशों के आधार पर मिलों के सम्बन्ध में पुर्नस्थापना पैकेज तैयार किये गये हैं। जिसमें पश्चिमी बंगाल शामिल है। बन्द एककों की समस्याओं पर विचार करने के लिये भी एक अधिकारी समूह का गठन किया गया है।

थोक मूल्यों को स्थिर करना

1552. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान मूल्यों में (थोक मूल्यों में) मासिक उतार-चढ़ाव का रुख क्या रहा;

(ख) क्या यह कहा जा सकता है कि इस अवधि के दौरान मूल्य स्थिर रहे हैं;

(ग) क्या मूल्यों में स्थिरता का लाभ फुटकर विक्रेताओं/उपभोक्ताओं को पहुँच रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो निम्नतम स्तर तक लाभ पहुंचाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) थोक मूल्यों के सूचक अंक की घटबढ़ के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :

थोक मूल्य सूचक अंक (आधार 1970-71=100)

महीना (सप्ताहों का औसत)	1983-84	1984-85
1	2	3
अप्रैल	300.3	323.4
मई	307.4	327.5
जून	309.3	334.6
जुलाई	312.9	342.7
अगस्त	317.7	346.0
सितम्बर	319.1	342.2
अक्टूबर	318.9	342.6
नवम्बर	319.3	340.8
दिसम्बर	318.7	337.3
जनवरी	322.7	338.8
फरवरी	323.2	
मार्च	322.9	

फरवरी, 1984 से आंकड़े अनन्तिम हैं।

(ख) और (ग) यह देखा जा सकता है कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मूल्य स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वर्ष 1984-85 में जनवरी, 1985 तक मुद्रास्फीति की वार्षिक दर पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि के 9.3 प्रतिशत से घटकर 4.9 प्रतिशत हो गई। थोक मूल्यों की कमी उपभोक्ता स्तर पर भी दिखाई देने लगी है क्योंकि अखिल भारतीय औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक आधार (1960=100) में 1984-85 के दौरान केवल 5.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह वृद्धि 12.2 प्रतिशत थी।

(घ) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

देश के पर्वतीय क्षेत्रों में सोने का पता लगना

1553. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण को देश के पर्वतीय क्षेत्रों में सोना होने का पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो जिन क्षेत्रों में इसका पता लगा है, उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या खोजों से ऐसे भंडारों का पता चला है कि जिनका वाणिज्यिक आधार पर उपयोग किया जा सकता है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) जी, हाँ।

(ख) उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा जम्मू तथा कश्मीर के निम्नलिखित स्थानों में बजरी स्वर्ण होने की सूचना है।

राज्य	स्थान
जम्मू और कश्मीर	डिंगा, अम्ब नदी तथा जम्मू का कथेरा क्षेत्र।
हिमाचल प्रदेश	मरकंडा, सोम्ब, बटा तथा यमुना के जल प्रवाह क्षेत्र। सिरमोर जिले में त्रिलोकपुर के निकट भी स्वर्ण कण पाये गये हैं।
पंजाब	जिला रोपड़ में पटियाली राव और जयंतिया राव नदियों के तलछाटन में।
हरियाणा	अम्बाला जिले में उज्जल की मजरी गाँव के निकट।
उत्तर प्रदेश	नैनीताल जिले में पश्चिम में रामनगर और पूर्व में रानीबाग के बीच कोसी नदी के तलछाटन में। पौड़ीगढ़वाल और देहरादून जिलों में रामगंगा और उसकी सहायक नदियां तथा सोन नदी के तलछाटन में भी स्वर्ण राशि होने का पता चला है।

(ग) अब तक प्राप्त ये स्वर्ण भंडार आर्थिक महत्व के नहीं हैं। फिर भी आगे खोज जारी है।

सरकारी क्षेत्र में मजूरी और अन्य सेवा शर्तों का मानकीकरण

1554. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि सरकारी क्षेत्र में मजूरी और अन्य सेवा शर्तों के सम्बन्ध में अव्यवस्थित स्थिति व्याप्त है, और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र में निर्माण, खनन, बैंकिंग और अन्य वित्तीय संस्थानों, व्यापार, सेवा संगठनों और अधिग्रहीत रुग्ण यूनिटों के समूहों में मजूरी और अन्य सेवा शर्तों का मानकीकरण करने के प्रश्न पर कोई विचार किया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जी, नहीं। सरकार यह नहीं समझती है कि सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में मजूरी तथा सेवा शर्तों के सम्बन्ध में अव्यवस्थित स्थिति व्याप्त है। मजूरी तथा अन्य सेवा-शर्तें प्रबन्धकों तथा यूनियनों के बीच बातचीत द्वारा किए गये मजूरी समझौतों द्वारा विनियमित की जाती हैं।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट की नई विपणन योजना

1555. **प्रो० रामकृष्ण मोरे** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने ग्रामीण क्षेत्रों में अपने यूनिटों की बिक्री में संवर्धन हेतु नई विपणन योजना प्रारम्भ की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हाँ। भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने अभी हाल ही में ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में अपने यूनिटों की बिक्री को बढ़ाने के प्रयोजन से एक नई विपणन नीति अपनाई है।

(ख) नई विपणन नीति के अन्तर्गत जो कार्य किये जाने हैं उनका सम्बन्ध, अर्धशहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में यूनिटों का प्रचार करने के प्रयोजन से ग्रामीण विपणन केन्द्रों के साथ कुछ कम्पनियों का सम्बन्ध जोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में यूनिटों की बिक्री के संवर्धन के लिए एक परियोजना आरम्भ करने, एक लाख से ज्यादा आबादी वाले 221 नगरों को छोड़कर, देश के समस्त क्षेत्रों को अर्धशहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के रूप में मान्यता देने, ऐसे क्षेत्रों से कारबार प्राप्त करने के लिए अभिकर्ताओं को अपेक्षतया अधिक प्रोत्साहन-कमीशन देने की व्यवस्था करने, ऐसे क्षेत्रों में और अधिक अभिकर्ताओं तथा मुख्य प्रतिनिधियों की नियुक्ति करने तथा ऐसे क्षेत्रों में भारतीय यूनिट ट्रस्ट की विभिन्न यूनिट योजनाओं के संबंध में जागरुकता उत्पन्न करने के लिए दूरदर्शितापूर्ण प्रचार कार्यक्रम आरम्भ करने से है।

काले धन के बारे में वांचू समिति की रिपोर्ट

1556. **श्री राम स्वरूप राम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काले धन संबंधी वांचू समिति की रिपोर्ट में दिये गये सुझावों को कार्यान्वित कर दिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो अब तक कितनी सफलता प्राप्त हुई है; और

(ग) क्या इस मामले में सिफारिशें देने के लिये एक और समिति नियुक्त करने की आवश्यकता है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) काले धन के सम्बन्ध में गठित प्रत्यक्ष कर जाँच समिति (वांचू समिति) की अधिकांशतः मुख्य-मुख्य सिफारिशों को लागू कर दिया गया है।

(ख) किये गये विधायी संशोधनों से तलाशी लेने और माल पकड़ने के संबंध में बेहतर कार्य हुआ है तथा आय छिपाने के सम्बन्ध में बनाए गये कर-कानूनों को प्रभावी रूप से लागू करने की स्थिति में भी सामान्यतः सुधार हुआ है।

(ग) इस मामले में सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए अब अन्य समिति का गठन करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र की अनुमानित लागत

1557. **श्री रामस्वरूप राम :** क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र पर, जिस पर आरम्भ में 2,500 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान लगाया गया था, अब 1984 के मूल्यों के आधार पर 8,000 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है;

(ख) इस परियोजना के पूरा होने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) प्रतिवर्ष लागत वृद्धि का प्रतिशत क्या है ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) आरम्भ में विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना की अनुमानित लागत (वर्ष 1979 की प्रथम तिमाही के मूल्यों के आधार पर) 2256 करोड़ रुपये थी। परियोजना के लागत अनुमानों में संशोधन किया गया था और वर्ष 1981 की चौथी तिमाही के मूल्यों के आधार पर इस परियोजना का संशोधित अनुमान 3897.28 करोड़ रुपए था, जिसे वर्ष 1982 में सरकार ने अनुमोदित कर दिया था। संशोधित समय-सूची तथा वर्ष 1981 की चौथी तिमाही के पश्चात् मूल्यों में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुये परियोजना के संशोधित पूर्जागत लागत अनुमानों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) विलम्ब मुख्यतः संरचनात्मकों और उपस्करों की स्थापना जैसे कुछ कार्यों के पिछड़ जाने तथा परिणामस्वरूप कार्य को करने में एकरूपता न होने पर संसाधनों की उपलब्धि में अड़चनों के कारण हुआ है।

(ग) मूल्य वृद्धि, सांविधिक करों में वृद्धि, कार्य के स्वरूप में परिवर्तन आदि जैसे कारणों से वर्ष 1979 की पहली तिमाही तथा वर्ष 1981 की चौथी तिमाही के बीच की अवधि में लागत मूल्यों में वार्षिक वृद्धि की दर 21.5 प्रतिशत रही है।

कोल इण्डिया लिमिटेड की परियोजना

1558. **श्री सनत कुमार मण्डल :** क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोल इण्डिया लि० की धनकुनी परियोजना से प्राप्त होने वाली गैस के बारे में, जो 1986 से उपलब्ध होगी, निर्णय किया है कि उसे घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिये शहरी गैस के रूप में इस्तेमाल किया जायेगा या अन्य किसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल सरकार इस बारे में कोल इण्डिया लि० के साथ बातचीत कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो क्या धनकुनी गैस के इस्तेमाल सम्बन्धी समस्याओं को हल करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (ग) दानकुनी परियोजना की अनुमोदित साध्यता रिपोर्ट के अनुसार कोल इण्डिया लि० पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य सरकार की गैस वितरण प्रणाली के जरिए गैस की बिक्री करेगी। इस गैस की घरेलू और औद्योगिक क्षेत्र में जरूरत का निर्धारण उन्होंने किया है। इस समय तक जो स्थिति है उसके अनुसार टाउन गैस के घरेलू और औद्योगिक क्षेत्र में उपयोग के संबंध में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। राज्य सरकार एक निश्चित वृद्धि फार्मूला के आधार पर गैस की कीमत के लिए सहमत हो गई थी। परन्तु अभी हाल ही में उन्होंने, कोयले की कीमत, बिजली की लागत, रासायनिक और श्रम की लागत में वृद्धि के कारण, गैस की ऊंची कीमतों का मसला उठाया है। इस मामले पर 22-1-85 को आयोजित एक बैठक में चर्चा की गई थी जिसमें पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था। बैठक में इस बात पर सहमति हुई है कि कोल इण्डिया लि० और राज्य सरकार ऐसी कीमत तय करने के लिए बातचीत करेंगे जो दिसम्बर, 1986 से दो वर्ष की अवधि के लिए लागू रहे।

इस्पात, खान और कोयला मन्त्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठकें

[हिन्दी]

1560. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984 के दौरान उनके मन्त्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की कितनी बैठकें हुईं;

(ख) इन बैठकों में क्या संकल्प स्वीकार किए गये; और

(ग) उन्हें कार्यान्वित करने के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० भटवर सिंह) : (क) वर्ष 1984 में इस्पात और खान मन्त्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की क्रमशः दिनांक 27-1-84 और 28-7-84 को दो बैठकें हुयीं थीं। कोयला विभाग में, जो हाल में इस्पात और खान मंत्रालय के साथ संबद्ध किया गया है, वर्ष 1984 में हिन्दी सलाहकार समिति की कोई बैठक नहीं हुई थी। वर्ष 1984 में कोयला विभाग ऊर्जा मन्त्रालय के साथ संबद्ध था।

(ख) और (ग) इस्पात और खान मन्त्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की दिनांक 27-1-84 और 28-7-84 को हुई बैठकों में लिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों से संबंधित जानकारी संलग्न विवरण में दी गयी है। जहां तक कोयला विभाग का संबंध है, जानकारी "शून्य" है।

विवरण

क्रम सं०	सुझाव/निर्णय	अनुवर्ती कार्यवाही
1	2	3
(i)	हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए मंत्री जी द्वारा जारी की गयी अपील का मंत्रालय के अधीन उपक्रमों/	इस्पात और खान मन्त्रालय, मंत्री जी द्वारा जारी की गई अपील को अपने नियंत्रणाधीन उपक्रमों/कार्यालयों में कड़ाई से लागू कर

1	2	3
	कार्यालयों में अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।	रहा है। उपक्रमों ने अपील के अनुपालन हेतु इसे अपने सभी अधिकारियों/कर्मचारियों में परिचालित किया है। प्रभावी कार्यान्वयन हेतु राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया जाए। यह अपील कुछ कम्पनियों की गृह-पत्रिकाओं में भी प्रकाशित की गई है। इसी प्रकार "सेल" के अध्यक्ष ने भी "सेल" के कर्मचारियों के नाम एक अपील जारी की है। इस अपील का अच्छा प्रभाव पड़ रहा है।
(ii)	दो उपक्रम (हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड और "सेल") हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में नहीं दे रहे हैं। मूलपत्राचार में हिन्दी का प्रयोग किया जाए और धारा 3(3) का पालन सुनिश्चित किया जाए।	खान विभाग में लगभग 52 प्रतिशत मूलपत्र हिन्दी में भेजे जाते हैं और धारा 3(3) का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। हिंदुस्तान कापर लिमिटेड आदि में 1-1-1984 से हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया जा रहा है। जहां तक "सेल" में इससे संबंधित स्थिति का प्रश्न है, इसके निगम कार्यालय/इसकी इकाइयों में राजभाषा अधिनियम/नियमों के कार्यान्वयन में पायी गयी कमियों के बारे में "सेल" के अध्यक्ष को एक अर्धशासकीय पत्र भेजा गया था। हिन्दी के प्रयोग की स्थिति में अब सुधार हुआ है। "सेल" की विभिन्न इकाइयों में हिन्दी से संबंधित कर्मचारियों की नियुक्ति हो जाने पर स्थिति में और सुधार होगा।
(iii)	मितव्ययिता अभियान की दृष्टि से सभी इकाइयों को बेकार हो गए रोमन टाइपराइटरों के कुंजी-पटल को देवनागरी टाइपराइटरों के कुंजी पटल में बदलवाने के लिए कहा जाए।	सभी उपक्रमों ने यह सुझाव नोट कर लिया है और उनके पास वर्तमान आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त संख्या में हिन्दी टाइपराइटर उपलब्ध हैं। कुछ उपक्रमों ने बेकार हो गए रोमन टाइपराइटरों के कुंजी-पटल को हिन्दी में बदलवाने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी है।

1	2	3
	(iv) मंत्रालय के अधीन कार्यालयों/उपक्रमों में हिन्दी से संबंधित रिक्त पद शीघ्रातिशीघ्र भरे जाएं और नए पद सृजित किए जायें।	बदली/पदोन्नति आदि के कारण केंद्रीय विपणन संगठन (सेल) के कुछ कार्यालयों में कुछ पद रिक्त होने का कारण यह है कि स्थानीय रोजगार कार्यालय में योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं और रोजगार कार्यालयों से "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" प्राप्त करने में कठिनाई होती है। हालांकि "सेल" मुख्यालय पद भरने के लिए प्रयास जारी रखे हुए है। इस्पात विभाग के अधीन अन्य उपक्रमों ने सूचित किया है कि उन्होंने पद भरने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी है और कुछ पद भर भी लिए गए हैं।
	(v) इस्पात विभाग के अधीन उपक्रमों में राजभाषा सेमिनार आयोजित किए जायें।	कुछ उपक्रमों 'सेल' नेशनल मिनरल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन) में नियमित आधार पर वर्ष में एक बार ऐसे सेमिनार आयोजित किए जाते हैं। वर्ष 1984 में "मेकन" तथा राजभाषा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में "व्यावसायिक हिन्दी" पर एक सेमिनार आयोजित किया गया, जो एक सराहनीय प्रयास है। इस्पात विभाग के अधीन अन्य उपक्रमों ने अपने-अपने "फाउन्डेशन डे" को राजभाषा सेमिनार आयोजित करने का आश्वासन दिया है।
	(vi) मंत्रालय हिन्दी के कार्य के लिए अपने उपक्रमों को शील्ड देने की योजना लागू करे।	जहां तक इस्पात विभाग का संबंध है, वर्ष 1983 के लिए "राजभाषा शील्ड" देने के लिए सितम्बर, 1984 में एक समारोह का आयोजन किया गया था। जहां तक खान विभाग का संबंध है उस विभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति में इस मामले पर विचार किया गया था तथा शील्ड योजना की रूपरेखा तैयार की जा रही है।
	(vii) विभाग के अधीन उपक्रमों की राजभाषा कार्यान्वयन समितियों में अध्यक्ष एवम् प्रबंध निदेशकों को समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया जाए।	इस्पात विभाग के अधीन कुछ उपक्रमों- मैंगनीज और इंडिया लिमिटेड, भारत रिफ्रैक्ट्रीज लिमिटेड, स्पंज आयरन इण्डिया लिमिटेड, मेटलर्जिकल एण्ड इन्जीनियरिंग कंसल्टैन्ट्स (इण्डिया) लिमिटेड (मेकन),

1	2	3
		मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन लिमिटेड और "सेल" के कई कार्यालयों में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक आरम्भ से ही राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के अध्यक्ष हैं। शेष उपक्रमों ने समिति का सुझाव अनुपालन हेतु नोट कर लिया है।
(viii)	हिन्दी अधिकारियों/अनुवादकों के पदनाम बदलकर "राजभाषा अधिकारी" और "राजभाषा सहायक" कर दिये जाएं।	इस्पात विभाग के अधीन सभी उपक्रमों में हिन्दी अधिकारियों और अनुवादकों के पदनाम बदलकर क्रमशः "राजभाषा अधिकारी" और "राजभाषा सहायक" कर दिये गये हैं। जहां तक खान विभाग का संबंध है, वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी का पदनाम बदलकर "उपनिदेशक" कर दिया गया है। खान विभाग के दोनों अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी अधिकारी का पदनाम बदलकर "सहायक निदेशक" किया जा रहा है। खान विभाग के अधीन कुछ उपक्रमों में कार्यरत हिन्दी अधिकारियों/अनुवादकों के पदनाम बदलकर क्रमशः राजभाषा अधिकारी और राजभाषा सहायक कर दिये गये हैं। खान विभाग के अधीन अन्य उपक्रमों में यह मामला विचाराधीन है।
(ix)	मंत्रालय/विभाग और उनके उपक्रमों में "हिन्दी दिवस" अथवा "हिन्दी सप्ताह" आयोजित किये जाएं।	राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रति जागरुकता पैदा करने और हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लोहा तथा इस्पात नियंत्रक, कलकत्ता में "हिंदी दिवस" मनाया गया था। इसी प्रकार कुद्रेमुख आयरन और कंपनी लिमिटेड और मंगलौर स्थित कार्यालय में भी "हिंदी दिवस" मनाया गया था। स्पंज आयरन इण्डिया लिमिटेड मे भी प्रत्येक माह के पहले दिन "हिंदी दिवस" मनाया जाता है।
(x)	सहायक और अनुवादक के वेतनमान में अन्तर को दूर किया जाए।	इस संबंध में राजभाषा विभाग ने चतुर्थ वेतन आयोग को एक प्रस्ताव भेज दिया है।
(xi)	राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में हिंदी सलाहकार समिति के सदस्यों को नामित करना।	समिति का सुझाव अनुपालन हेतु नोट कर लिया गया है।

बैंक की शाखाएं स्थापित किया जाना

[अनुवाद]

1561. **श्री सोमनाथ रथ**
श्री बुद्धि चन्द्र जैन } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बैंकों की कितनी शाखायें (राज्यवार और केन्द्र शासित प्रदेश वार) खोली गई हैं;

(ख) क्या वर्ष 1985-86 में बैंकों का और अधिक संख्या में शाखाएं खोले जाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में बैंकों की कितनी नई शाखायें खोलने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, सितम्बर, 1984 के अन्त में देश में वाणिज्यिक बैंकों की 46123 शाखाएं कार्य कर रही थीं। इसके अलावा, देश में शाखाएं खोलने के लिए बैंकों के पास 5992 लाइसेंस/प्राधिकार पत्र थे। संलग्न विवरण में राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा दिया गया है।

अप्रैल, 1985 से मार्च, 1990 तक की अवधि के लिए शाखा लाइसेंसिंग नीति को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	30.9.84 को शाखाओं की संख्या	30.9.84 को बैंकों के पास लम्बित लाइसेंसों/प्राधिकार पत्रों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	3551	318
2.	असम	737	190
3.	बिहार	3283	635
4.	गुजरात	2789	276
5.	हरियाणा	1022	35
6.	हिमाचल प्रदेश	501	41
7.	जम्मू और कश्मीर	641	57
8.	कर्नाटक	3533	195
9.	केरल	2588	115
10.	मध्य प्रदेश	3222	480
11.	महाराष्ट्र	4474	534
12.	मणिपुर	51	33
13.	मेघालय	102	22
14.	नागालैंड	56	11

15. उड़ीसा	1506	207
16. पंजाब	1856	78
17. राजस्थान	2195	427
18. सिक्किम	19	—
19. तमिलनाडु	3673	151
20. त्रिपुरा	89	27
21. उत्तर प्रदेश	5992	1134
22. पश्चिम बंगाल	2749	909
23. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	13	2
24. अरुणाचल प्रदेश	39	21
25. चण्डीगढ़	99	3
26. दादर और नगर हवेली	6	—
27. दिल्ली	993	62
28. गोवा, दमन व दीव	258	3
29. लक्षद्वीप	5	—
30. मिजोरम	21	24
31. पांडिचेरी	60	2
जोड :	46123	5992

उत्तरी अमरीका और पूर्वी यूरोप को निर्यात में वृद्धि

1562. **श्री सोमनाथ रथ :** क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी अमरीका और पूर्वी यूरोप को भारत से निर्यात में काफी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन सी विशिष्ट मदों का निर्यात किया जाता है;

(ग) इन देशों को निर्यात में वृद्धि कब से हुई है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) उत्तर अमरीका के संबंध में, विशेष रूप से सं० रा० अमरीका को हुए भारतीय निर्यातों में 1983 से उल्लेखनीय वृद्धि हुई । सं० रा० अमरीका को निर्यात की जाने वाले प्रमुख मदें हैं : कच्चा पैट्रोलियम, वस्त्र, हीरे, काजू, इंजीनियरी मदें तथा चमड़ा और चमड़ा उत्पाद । कनाडा को निर्यात की जाने वाली प्रमुख मदें है : रत्न तथा आभूषण, वस्त्र, चमड़ा तथा चमड़ा उत्पाद, चाय, काफी, कालीन, नमदे तथा समुद्री उत्पाद

पूर्व यूरोप के मामले में 1975 तथा 1984 के बीच उल्लेखनीय वृद्धि हुई । पूर्वयूरोप को निर्यात की जाने वाली प्रमुख मदें हैं : कृषि उत्पाद, रासायनिक तथा सम्बद्ध उत्पाद, चमड़ा तथा चमड़ा निर्मित माल, वस्त्र, इंजीनियरी तथा अयस्क और खनिज पदार्थ ।

बिहार में कोयले के खनन हेतु मंजूर किए गए लाइसेंस

1953. **श्री योगेश्वर प्रसाद** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1980 से 15 मार्च 1985 तक की अवधि के दौरान बिहार में कुछ फर्मों को कोयले के खनन हेतु लाइसेंस मंजूर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में लाइसेंस की वैधता सहित ऐसी फर्मों के नाम और पते क्या हैं;

(ग) क्या निजी क्षेत्र की कुछ फर्में बिना किसी उचित लाइसेंस के कोयले का खनन कर रही हैं;

(घ) यदि हां, तो ऐसी फर्मों के नाम और पते क्या हैं तथा प्रत्येक मामले में किस तारीख से यह फर्में बिना लाइसेंस के कार्य कर रही हैं;

(ङ) बिना लाइसेंस प्राप्त किए कोयले के इस खनन को रोकने के लिए उपर्युक्त भाग (ग) में बताई गई फर्मों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है;

(च) क्या निजी क्षेत्र में खनन कार्य का राष्ट्रीयकरण करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(छ) यदि हां, तो उपर्युक्त भाग (ग) के प्रत्येक मामले में प्रतिपूर्ति दिए जाने के लिए क्या मानदण्ड हैं ?

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री बंसठ साठे) : (क) से (छ) कोक को खान से नहीं निकाला जाता और इसीलिए कोक का खनन कार्य करने के लिए अनुमति देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

देश में कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण दो चरणों में किया गया था । जिन कोककर कोयला खानों और कोक ओवन संयंत्रों के होने के बारे में जानकारी थी उनका कोककर कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 के द्वारा 1.5.1972 से राष्ट्रीयकरण किया गया । इसके बाद कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के जरिए बाकी सभी कोयला खानों का 1.5.1973 से राष्ट्रीयकरण किया गया । वर्ष 1976 में कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम में संशोधन किया गया और संशोधन के जरिए गैर सरकारी लोगों को दिए गए सही खनन पट्टे समाप्त कर दिए गए हैं तथा जो लोग अधिनियमों के द्वारा कोयला खनन के लिए प्राधिकृत हों उन्हें छोड़कर बाकी सभी लोगों को खनन पट्टे देने का निषेध कर दिया गया है । अप्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा अधिनियमों की व्यवस्थाओं का उल्लंघन करते हुए कोयले का खनन कार्य करना अदालत द्वारा विचारणीय अपराध बना दिया गया है । जिसके लिए तीन वर्ष तक की कैद और रु० 20,000 तक का जुर्माना किया जा सकता है । अधिनियमों की व्यवस्थाओं का उल्लंघन करते हुए कुछ लोग चोरी-चोरी कुछ इलाकों में कोयले का गैर-कानूनी खनन करते हैं । चूंकि कोयले के गैर सरकारी खनन का निषेध है और वह गैर कानूनी है, इसलिए इस प्रकार के काम का राष्ट्रीयकरण करने का कोई प्रश्न नहीं उठता । इसके बजाए कोयला कम्पनियां तथा राज्य

सरकारों की कानून और व्यवस्था लागू कराने वाली एजेंसियां अपराधियों के खिलाफ निवारक और दण्डात्मक कार्रवाई करती हैं तथा जब कभी उनका पता चलता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करती हैं।

बिहार में बाक्साईट भंडारों का उपयोग

1564. **श्री योगेश्वर प्रसाद** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में उपलब्ध बाक्साइट के बड़े भण्डारों का इस्तेमाल करने के लिए चन्दीह के निकट पलामू में एक एल्यूमीनियम फैक्टरी लगाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था;

(ख) क्या पलामू में लगाया जाने वाला एल्यूमिनियम कारखाना अब किसी अन्य राज्य में लगाया जा रहा है;

(ग) यदि (क) और (ख) का उत्तर सकारात्मक है तो बिहार में एल्यूमिनियम कारखाना लगाने के प्रस्ताव को त्यागने और इसे किसी अन्य राज्य में स्थापित करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या बाक्साइट, जोकि बिहार राज्य की सम्पत्ति है, का राज्य से बाहर लगाए जाने वाले कारखाने में उपयोग नहीं किया जायेगा; और

(ङ) यदि हां, तो बिहार में राजस्व की वृद्धि हेतु बाक्साइट का इस्तेमाल करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (ङ) बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम ने लटिहार (बिहार) में एक एल्यूमिनियम परियोजना की स्थापना के आशय पत्र के लिए सन् 1974 में आवेदन किया था। केन्द्र सरकार ने इस आवेदन की स्वीकार नहीं किया, क्योंकि आवेदक निगम ने परियोजना के लिए बाक्साइट तथा बिजली की उपलब्धि के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं दी थी। राज्य सरकार को बता दिया था कि अगर निगम पूर्ण ठोस प्रस्ताव भेजता है, तो उस पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जायेगा। ऐसा कोई प्रस्ताव उक्त निगम या राज्य सरकार की किसी अन्य एजेंसी से अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। वर्तमान में इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी तथा हिन्दुस्तान एल्यूमिनियम कार्पोरेशन अपनी आवश्यकता के बाक्साइट की आंशिक पूर्ति बिहार के पलामू रांची क्षेत्र से प्राप्त करते हैं।

आयकर अधिकारियों का आगरा में निर्धारित अवधि से अधिक समय बने रहना

1565. **श्री केशवराव पारधी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगरा में आयकर विभाग में ग्रुप-ए के कितने सहायक निरीक्षण आयुक्त और आयकर अधिकारी, एक स्टेशन पर रहने की अधिकतम निर्धारित अवधि से अधिक समय तक वहीं बने हुए हैं;

(ख) प्रत्येक मामले में उनका स्थानान्तरण कब होना था; और

(ग) इस संबंध में सरकारी आदेशों का पालन न करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) स्थानान्तरणों को नियंत्रित करने वाले मार्गदर्शी सिद्धान्तों के उल्लंघन में कोई भी सहायक आयकर आयुक्त तथा आयकर अधिकारी समूह "क" आगरा में तैनात नहीं रहे।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

दो रुपए और एक रुपए के सिक्कों का अत्यधिक अभाव

1566. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दो रुपये और एक रुपये के नोट और सिक्कों के निरन्तर बने हुए अभाव को दूर करने के लिए तुरन्त कदम न उठाए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या वर्ष 1979 में 1 रुपये के 99 मिलियन नोट जारी किये गये थे परन्तु वर्ष 1984 में यह संख्या घटकर 27 मिलियन हो गई जबकि इस अन्तराल को अतिरिक्त सिक्के जारी करके भी पूरा नहीं किया गया; और

(ग) क्या इसकी वजह बड़ी संख्या में खराब नोट निरन्तर प्रचलन में है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) नोटों और सिक्कों की सूचित कमी के परिप्रेक्ष्य में सरकार ने पूर्ति की स्थिति को सुगम बनाने के लिए अनेक उपाय किये हैं। अब तक किये गये उपायों के फलस्वरूप एक रुपए और दो रुपये के सिक्कों के उत्पादन में वृद्धि हुई है।

उत्पादन	(दस लाख अदद)	
	1983-84	1984-85 (केवल 11 महीने)
1 रुपए के नोट	206.31	434.65
2 रुपए के नोट	936.17	1,336.29
1 रुपए के सिक्के	186.4225	236.8710
2 रुपए के सिक्के	97.7200	शून्य*

*एक रुपए और 2 रुपये के सिक्कों की आसानी से पहचान न किये जा सकने के संबंध में जनता की शिकायतों को दृष्टिगत रखते हुए 2 रुपए के सिक्के का एक नया डिजाइन तैयार किया जा रहा है इसलिए मौजूदा डिजाइन के दो रुपए के सिक्के का उत्पादन अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है।

(ख) एक रुपए के नोटों और सिक्कों का वास्तविक परिचालन 1978-79 के 31,930 लाख अदद से बढ़कर 1984-85 में (दिसम्बर, 1984 तक) 35,990 लाख अदद हो गया।

(ग) क्योंकि हाल ही में परिचालन में आए हुए मैले कुचैले एक रुपए के नोटों की प्रतिस्थापन संबंधी आवश्यकता के अनुपात में एक रुपए के नोटों और सिक्कों की पूर्ति में कमी हुई है इसलिए यह संभव है कि कुछ मैले कुचैले किन्तु पुनः जारी किये जाने योग्य नोट परिचालन में जारी हों।

मानव अस्थिपिंजरों तथा खोपड़ियों का व्यापार

1567. **श्री सनत कुमार मंडल**
श्री के० प्रधानी } : क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 12 मार्च, 1985 के नई दिल्ली से प्रकाशित "स्टेट्समैन" में "दी अदर ब्रेन ड्रेन" शीर्षक से छपे समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बात की ओर ध्यान दिया है कि मानव अस्थिपिंजरों का यह व्यापार कैसे आरम्भ हुआ;

(ग) सीमा शुल्क तथा अन्य संबंधित प्राधिकारियों द्वारा मानव अस्थिपिंजरों के निर्यात पर क्या नियंत्रण रखा जाता है; और

(घ) मानव अस्थिपिंजरों अथवा खोपड़ियों के इस जघन्य व्यापार को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य और पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) मानव अस्थिपिंजरों के निर्यात की अनुमति केवल चिकित्सकीय और जीवविज्ञान प्रयोजनों के लिए दी गई थी।

(ग) मानव अस्थिपिंजरों और उनके अवयवों के निर्यातों की (1) पुलिस प्राधिकारियों से, जो प्राप्ति के स्रोत के सम्बन्ध में पुलिस स्टेशन विशेष के प्रभारी अधिकारी के स्तर से कम न हों, प्रमाण-पत्रों जिनमें वजन अथवा संख्या में मात्रा का उल्लेख हो। (2) विदेशी क्रेता से इस आशा के प्रमाण-पत्र कि मानव अस्थिपिंजर केवल जीव वैज्ञानिक और चिकित्सकीय प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हैं, प्राप्त कर प्रस्तुत करने पर पत्तन लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा अनुमति होगी।

(घ) सम्बन्धित राज्य सरकारों को यह निश्चित करने के लिए सलाह दी गई है कि इस संबंध में कोई कदाचार न होने पाए।

उड़ीसा में नाल्को परियोजना का कार्यान्वयन

1568. **श्री के० प्रधानी** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड परियोजना के विभिन्न अंगों तथा भवन, कार्यालय, कर्मचारी आवासों के निर्माण, मशीनों को लगाने तथा कर्मचारियों को प्रशिक्षण, आदि के कार्यान्वयन में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) भूमि अर्जन के फलस्वरूप विस्थापित हुए ऐसे आदिवासी परिवारों की संख्या कितनी है जिनको कि वैकल्पिक भू-खण्ड उपलब्ध कराये गये हैं तथा परियोजना में रोजगार दिया गया है; और

(ग) परियोजना में कुशल अथवा अर्द्ध-कुशल कार्य के लिये विभिन्न टेडों में स्थानीय आदिवासियों तथा अन्य लोगों को प्रशिक्षण हेतु एक विद्यालय खोलने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि० की उड़ीसा परियोजनाओं में 28-2-85 तक इकाई-वार निर्माण की प्रगति इस प्रकार है :—

1.	खान निर्माण	83.7%
2.	एल्यूमिना संयंत्र निर्माण	45.3%
3.	प्रद्रावक निर्माण	45.0%
4.	ग्रहीत बिजली घर	40.3%
5.	पत्तन सुविधायें	57.0%

573 अस्थायी तथा 648 स्थायी मकान बनकर तैयार हैं। अन्य मकान और सुविधायें तथा उपकरण और मशीनरी की स्थापना निर्माण के विभिन्न चरणों में है। नाल्कों द्वारा अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का कार्य लगातार चलाया जा रहा है।

(ख) दामनजोड़ी सेक्टर में भूमि अधिग्रहण से विस्थापित 132 आदिवासी परिवारों में से 28 परिवारों के व्यक्तियों को नाल्को में रोजगार दे दिया गया है। इन सभी परिवारों को नाल्को द्वारा अस्थायी आवास दे दिया गया है। इसके अलावा, नाल्को के ठेकेदारों ने भी विस्थापित व्यक्तियों को काम पर लगाया है।

(ग) नाल्को ने कोई स्कूल नहीं खोला है, परन्तु विस्थापित व्यक्तियों को छोटे समूहों में व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए वजीफा-आधारित एक स्कीम चलाई है, सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा कर लेने पर इन लोगों को रोजगार दे दिया जायेगा।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गये ऋणों में वृद्धि

1569. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा वर्ष 1984 में (दिसम्बर, 1984 तक), दिये गये ऋणों की कुल शुद्ध राशि 1983 की इसी अवधि की तुलना में अधिक है;

(ख) यदि हां, तो उसमें कितनी राशि की वृद्धि हुई है;

(ग) उसके परिणामस्वरूप विकास दर कितनी रही; और

(घ) ऋणों की राशि में वृद्धि होने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) अनन्तिम अनुमानों के अनुसार, दिसम्बर 1984 के अन्त में, सभी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये अग्रिमों की राशि (बैंकों

द्वारा देय राशियों को छोड़कर) 46764 करोड़ रुपए की थी जबकि इसकी तुलना में दिसम्बर, 1983 में यह 40280 करोड़ रुपए थी।

(ख) वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 1984 में दिए गए अग्रिमों में 6484 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई जबकि 1983 में 5469 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई थी।

(ग) वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले अग्रिमों में वृद्धि की दर 1984 में 16.1 प्रतिशत थी जबकि 1983 में यह 15.7 प्रतिशत थी।

(घ) अग्रिमों में वृद्धि की दर में परिवर्तन एक आम बात है और 1983 की तुलना में 1984 में वृद्धि की दर में 0.4 प्रतिशत बिन्दु की बढ़ोत्तरी हुई है।

भारत को फ्रांस से प्राप्त सहायता

1570. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984 में भारत में विभिन्न परियोजनाओं के लिये भारत को फ्रांस से प्राप्त हुई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिये सहायता प्राप्त हुई;

(ग) क्या प्राप्त सहायता का पूरा उपयोग किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका परियोजना वार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) फरवरी, 1984 में निष्पन्न एक प्रोटोकोल के अन्तर्गत, फ्रांस ने 6027.50 लाख फ्रांसीसी फ्रांक की वित्तीय सहायता देना स्वीकार कर लिया है जो 78.05 करोड़ रुपए के बराबर है।

(ख) जिन परियोजनाओं और प्रयोजनों के लिए ये निधियां निर्धारित की गई हैं, उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। धनराशियों का पुनः आबंटन आपसी सहमति से किया जा सकता है।

(ग) और (घ) फ्रांसीसी सहायता, फ्रांसीसी वस्तुओं और सेवाओं से आबद्ध है तथा सहायता का उपयोग, फ्रांसीसी सामग्री की पूर्ति और सेवाओं के संबंध में ठेके दिए जाने और तदनंतर जहाजों में सामग्री के लदान और सेवाओं के प्रदान किए जाने पर निर्भर करेगा। उपर्युक्त फ्रांसीसी ऋणकरार के अन्तर्गत परस्पर सम्मति के आधार पर संविदा निष्पन्न करने की आपसी सहमति से तय की गई अंतिम तारीख इस समय तक 31 दिसम्बर, 1985 है, जिसे पारस्परिक सहमति के आधार पर आगे बढ़ाया जा सकता है।

विवरण

1984 की फ्रांसीसी सहायता का आबंटन

		फ्रांसीसी फ्रांक मिलियन में
1.	वायरल विषाणु वैक्सीन संयंत्र	102.75*
2.	संगणक विनिर्माण संयंत्र	120.00@
3.	कोयला खनन उपस्कर	55.00
4.	केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान बंगलौर	10.00
5.	माही नदी गतिकी (डिनामिक्स) विनियमन	25.00
6.	ट्यूना पर्स–लेनर	40.00
7.	पी० ए० बी० एक्स विनिर्माण संयंत्र	25.00
8.	इलेक्ट्रानिक टेलीप्रिंटर परियोजना	31.00**
9.	उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के लिए स्टेटिक कम्पैनसेटर	34.00
10.	भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम-ऋण श्रृंखला	20.00
11.	उर्वरक	10.00
12.	रसायन और अन्य उत्पाद	20.00
13.	लाइट उपस्कर	30.00
14.	पालघाट डी० टी० ए० एक्स परियोजना	80.00
	जोड़	602.75

*इसमें 27.5 लाख फ्रांसीसी फ्रांक की राशि शामिल है जो विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए अनुदान के रूप में रखी गई है।

@ इसमें एक करोड़ फ्रांसीसी फ्रांक की रकम शामिल है जो सी०के० डी०/एस० के० डी० आयातों के लिए है।

**सी०के०डी०/एस०के०डी० आयातों के लिए मुख्य उपस्करों का वित्तपोषण अन्तर्राष्ट्रीय विकास तथा पुनर्निर्माण बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय विकास अधिकरण के ऋणों के अन्तर्गत किया जाता है।

बदरपुर तथा ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली में राष्ट्रीयकृत बैंकों से लुटेरों द्वारा लूटी गयी धनराशि

1571. **श्री राम बहादुर सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बदरपुर तथा ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली में राष्ट्रीयकृत बैंकों से लुटेरों द्वारा कुल कितनी धनराशि लूटी गई;

(ख) इन घटनाओं में कितने बैंक कर्मचारी घायल हुए;

(ग) क्या इस बीच डाकुओं को पकड़ लिया गया है तथा लूटी गई धनराशि बरामद कर ली गई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) अभी हाल में बदरपुर के किसी बैंक में किसी डकैती की सूचना नहीं मिली है। भारतीय स्टेट बैंक की ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली (सांय) शाखा से 4,18,998 रुपये लूट लिए गए थे।

(ख) भारतीय स्टेट बैंक की ग्रेटर कैलाश शाखा में हुई डकैती में किसी बैंक कर्मचारी को चोट नहीं आई।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीयकृत बैंकों के ऋण जमा अनुपात में सुधार

1572. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों ने ऋण-जमा अनुपात में सुधार करने के लिये कोई ठोस कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका स्वरूप क्या है तथा 31 दिसम्बर, 1984 को राज्य के प्रत्येक निम्नलिखित बैंक अर्थात (i) स्टेट बैंक आफ इंडिया (ii) यूनाइटेड कमर्शियल बैंक (iii) पंजाब नेशनल बैंक (iv) सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया (v) न्यू बैंक आफ इंडिया (vi) पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक और (vii) स्टेट बैंक आफ पटियाला में वास्तविक ऋण जमा अनुपात क्या था; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सभी बैंकों अथवा इनमें से किसी बैंक द्वारा जिन्होंने/जिसने अब तक कोई ऐसी कार्यवाही नहीं की हैं, तुरन्त कोई कदम उठाये जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि हिमाचल प्रदेश में कार्य कर रहे अलग-अलग बैंकों के दिसम्बर, 1984 के ऋण जमा अनुपात के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। अलबत्ता, बैंक समूहवार आंकड़े सिर्फ मार्च, 1984 तक के ही उपलब्ध हैं जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है : —

(राशि लाख रुपये)

	जमा	अग्रिम	ऋण जमा प्रतिशत अनुपात
1. भारतीय स्टेट बैंक समूह	14,677	5,718	39.0
2. बीस राष्ट्रीयकृत बैंक	21,593	10,737	49.7
3. अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित)	1,908	787	41.3
4. सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	38,178	17,242	45.2

बैंकों को उन राज्यों में जहां ऋण जमा अनुपात का स्तर नीचा है, अधिक ऋण देने के लिए आवश्यक कदम उठाने के वास्ते कहा गया है। बैंक जिला ऋण आयोजनाओं की तैयारी में

भाग लेते हैं, ताकि विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में बैंक ऋणों के उपयोग को सुलभ बनाया जा सके। राज्य सरकारों को अधिकाधिक बैंक ऋणों के उपयोग के लिए अपने आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने का अनुरोध किया गया है। इन सभी उपायों से हिमाचल प्रदेश में ऋणों के प्रवाह में सुधार होने की आशा है।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण के भण्डारों में पड़ा बिन बिका इस्पात

1573. **श्री धर्मवीर सिंह** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के भण्डारों में कितना अनबिका इस्पात पड़ा है तथा 1983-84 के दौरान इसे कितना घाटा हुआ है;

(ख) : क्या सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में इस्पात जमा होने का कारण इन संयंत्रों द्वारा घटिया किस्म का इस्पात बनाया जाना है ; और

(ग) इस्पात के जमा हुए इस भण्डार के निपटान के लिए सरकार का इसकी किस प्रकार मांग पैदा करने का विचार है ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) 1.4.83 को स्टील अथारिटी आफ इंडिया (सेल) के पास विक्रेय इस्पात का अथ स्टाक (ओपनिंग स्टाक) 15.2 लाख टन था। 'सेल' द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के फलस्वरूप, 31.3.84 की स्थिति के अनुसार 'सेल' के स्टाक का स्तर घटकर 8.3 लाख टन रह गया, जिससे उसके ब्याज के बोझ में कमी हुई।

वर्ष 1983-84 में "सेल" को 214.53 करोड़ रुपये की हानि हुई थी। हानि होने का मुख्य कारण यह था कि उनकी निवल प्राप्ति उत्पादन लागतों में हुई वृद्धि की तुलना में कम रही।

(ख) और (ग) इस समय "सेल" के पास 6.4 लाख टन (आंकड़े अस्थायी हैं) का स्टाक है, जो न तो बहुत ज्यादा है और न ही "सेल" के पास इस्पात की भरमार है।

उड़ीसा में चौद्वार से "चार्ज-क्रोम" संयंत्र

1574. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का उड़ीसा में चौद्वार में एक "चार्ज क्रोम" संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्तावित "चार्ज क्रोम" संयंत्र में कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सकेगा;

(ग) इस परियोजना पर कितनी लागत आएगी; और

(घ) प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) सरकार द्वारा "चार्ज क्रोम" संयंत्र लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। प्रतिवर्ष 50,000 टन "चार्ज क्रोम" का उत्पादन करने के लिए उड़ीसा में चौद्वार के स्थान पर एक 'चार्ज क्रोम" संयंत्र लगाने के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र की एक इकाई को लाइसेंस दिया गया है।

(ख) इस फर्म द्वारा पूरी क्षमता पर कार्य करने पर परियोजना में 935 व्यक्तियों को रोजगार देने का प्रस्ताव है।

(ग) परियोजना की कुल पूंजीगत लागत 27.38 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

(घ) प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार, यह परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। फर्म ने बताया है कि आयात करने की पूंजीगत लागत का 15 प्रतिशत अग्रिम के रूप में दे दिया गया है और परियोजना के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध है।

संतरों का निर्यात

1575. **श्री आनन्द पाठक** : क्या **वाणिज्य और पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं, जिनको संतरों का निर्यात किया जा रहा है; और

(ख) उन देशों को पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में संतरों का निर्यात किया गया, तत्संबंधी देशवार, वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) और (ख) 1980-81 से 1982-83 (नवम्बर, 1982) तक के दौरान भारत से संतरों (ताजे तथा सूखे) के किये गये निर्यात के ब्यौरे नीचे दिए जा रहे हैं।

(मात्रा मे० टनों में)
मूल्य लाख रु० में

देश का नाम	1980-81		1981-82		1982-83 नवम्बर 1982 तक	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
बेहरीन	1	0.07	—	—	10	0.25
बंगलादेश	6994	123.55	6681	119.31	783	8.43
कुवैत	11	0.45	1	0.04	—	—
नेपाल	12	0.62	47	2.24	1	0.05
कतार	5	0.31	28	0.65	5	0.13
पुर्तगाल	—	—	9	0.11	—	—
सेचिलीस	4	0.28	—	—	—	—
सिंगापुर	5	0.20	—	—	—	—
संयुक्त अरब अमीरात	56	1.96	358	13.11	215	8.17
ब्रिटेन	1	0.04	नगण्य	0.05	—	—
अन्य देश	1	0.02	—	—	1	0.06
कुल	7090	127.50	7124	135.51	1015	17.09

पश्चिम बंगाल से जलपाईगुडी-कूच-बिहार सीमा से संतरों का निर्यात

1576. **श्री आनन्द पाठक :** क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संतरों का निर्यात बोगंईगाँव की सीमा के बजाय जैसा कि इस समय किया जा रहा है, जलपाईगुडी-कूच-बिहार सीमा से करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि इससे अनावश्यक खर्च में बचत होगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) ताजे फलों व सब्जियों के निर्यातों की नीति के अन्तर्गत संतरों का निर्यात मुक्त रूप से करने की अनुमति है। निर्यात किसी भी स्थापित स्थल सीमा शुल्क केन्द्र की मार्फत किए जा सकते हैं।

छठी योजना के दौरान जम्मू और कश्मीर में स्थापित किए गए सरकारी क्षेत्र उद्योग

1577. **प्रो० सैफुद्दीन सोज :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान जम्मू और काश्मीर में स्थापित किये गये सरकारी क्षेत्र के उद्योगों का ब्यौरा क्या है, और

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान उन उद्योगों पर कितनी धनराशि व्यय की गई ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान जम्मू एवं कश्मीर स्थित केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में पूंजी निवेश से है। छठी योजना के प्रारम्भ अर्थात् 31-3-1980 और 31-3-1984 को सकल परिसम्पत्ति के मूल्य पूंजीगत चालू निर्माण कार्य और निर्माण अवधि के दौरान अविभाजित व्यय के रूप में जम्मू और कश्मीर स्थित केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में पूंजी निवेश का विवरण संलग्न है। छठी योजना के प्रथम 4 वर्ष के दौरान जम्मू और कश्मीर राज्य में सरकारी उद्यमों द्वारा किए गए पूंजी निवेश की राशि छठी योजना की प्रारम्भिक राशि की तुलना में चौगुनी हो गयी है।

विवरण

(लाख रुपयों में)

क्रमांक	उद्यम का नाम	31 मार्च की राशि	
		1980	1984
1.	नेशनल हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर कारपो० लि०	—	731
2.	एच. एम. टी. लि०	510	725
3.	भारतीय होटल निगम लि०	10	715
4.	भारतीय तेल निगम लि०	105	250

5.	भारतीय खाद्य निगम	—	153
6.	इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लि०	23	82
7.	भारत पर्यटन विकास निगम लि०	47	49
8.	भारत पेट्रोलियम कारपो० लि०	6	41
9.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपो० लि०	4	21
10.	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि०	—	40
11.	भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि०	—	4
12.	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इ०) लि०	—	1
	जोड़	705	2812

इलायची के निर्यात को बढ़ावा देने के उपाय

1578. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत पांच वर्षों के दौरान इलायची के निर्यात की मात्रा और इससे प्राप्त आय में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके निर्यात की मात्रा बढ़ाने हेतु निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या मुख्य उपाय किए गये ?

वाणिज्य और पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान इलायची का मात्रावार व मूल्यवार निर्यात :—

मात्रा मे० टन में
मूल्य करोड़ रु० में

वर्ष	मात्रा	मूल्य
1980-81	2345	34.70
1981-82	2325	30.20
1982-83	1032	16.37
1983-84	258	5.44
1984-85 (अप्रैल-फरवरी-85)	1970	55.64

यह देखा जाएगा कि 1982-83 और 1983–84 के निरन्तर दो वर्षों के सूखे के कारण जब उत्पादन गिरा, निर्यातों में कमी आई।

1984-85 में यथेष्ट प्राप्ति हुई और पिछले 5 वर्षों में किसी भी समय से उपार्जन ज्यादा हुआ।

(ग) निर्यात बढ़ाने के लिए जो महत्वपूर्ण उपाय किए गए थे निम्नलिखित हैं :—

(1) उत्पादन बढ़ाने के लिए इलायची पुनर्रोपण ऋण-सह उपदान योजना जैसी शुरुआत ताकि निर्यात के लिए अधिक इलाइची उपलब्ध हो सके ।

(2) 2 किलो० तथा उससे कम के उपभोक्ता पैकों में इलायची निर्यात पर नकद मुआवजा सहायता की दर 7% से बढ़ाकर 10% करना ताकि इस वस्तु को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगी बनाया जा सके ।

(3) बोर्ड द्वारा विदेशों में चुनिन्दा मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेना ।

(4) विदेशों को बिक्री-सह अध्ययन प्रतिनिधि मंडल भेजना ।

12.19 म०प०

[अनुवाद]

श्री वी० सोमनाद्रीसवरा राव (विजय वाड़ा): महोदय, दक्षिण भारत का पूर्ण फिल्म उद्योग सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा तमिल, तेलगु या कन्नड़ या मलयालम भाषा में बनी एक भी फिल्म यू० एस० ए० तथा फ्रांस में भारतीय समारोह सप्ताह के दौरान दिखाने के लिए न चुने जाने के कारण यह महसूस कर रहा है कि मंत्रालय ने उनके साथ भेदभाव किया है तथा उनकी उपेक्षा की है मैंने इस विषय पर एक ध्यानाकर्षक प्रस्ताव की सूचना दी है।

उपाध्यक्ष महोदय : तथ्य एकत्र किये जा रहे हैं। मैं उन पर विचार करूंगा ।

श्री एम० रघुमा रेड्डी (नलगोंडा) : महोदय, आन्ध्र प्रदेश में रबी की धान की फसल काट गई है लेकिन भारतीय खाद्य निगम ने अभी तक खरीद केन्द्र नहीं खोले हैं जिससे किसान सस्ते दामों पर फसल बेचने पर मजबूर हो रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपने नोटिस दिया है ?

श्री एम० रघुमा रेड्डी : मैंने पहले ही दे दिया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा ।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : महोदय, कई सौ भारतीय डाक्टर ईरान में फंसे हुए हैं और हमारी तथा अन्य शान्तिप्रिय देशों की कोशिशों के बावजूद ईरान तथा ईराक के मध्य युद्ध बढ़ता ही जा रहा है । इन डाक्टरों के माता-पिता बहुत ही चिंतित हैं । मुझे जम्मू व कश्मीर से कई तार प्राप्त हो चुके हैं । वे भारत सरकार से इनकी स्वदेश वापसी चाहते हैं । मैंने एक स्थगन प्रस्ताव की तथा एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी है ।

उपाध्यक्ष महोदय : स्थगन प्रस्ताव संभव नहीं है। मैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर विचार करुंगा। मैं इस पर विचार करुंगा।

आप सब क्यों खड़े हो रहे हैं ? कृपया बैठ जाइये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिहाट) : मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है। यह विचित्र संयोग है कि मेरा नोटिस उसके विपरीत है जो श्री सोज ने जो कहा है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : यह भिन्न है, महोदय।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मन्त्री महोदय बाहर जा रहे हैं। मैं यह उनकी मौजूदगी में उठाना चाहता था।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप मुझे बतायें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ध्यानाकर्षण को आप स्वीकृति दे सकते हैं—मैं आशा करता हूं कि इसे स्वीकृति दे देंगे। ईरान सरकार ने भारत सरकार से अनुरोध किया है, उन्होंने भारतीय डाक्टरों को, रसायन तथा जहरीली गैस से प्रभावित लोगों का इलाज करने के लिए, वहां भेजने की अपील की है। ऐसा उनका कहना है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपसे कहा कि मैं इस पर विचार करुंगा। काबुली जी आप क्या चाहते हैं ?

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : यह इसी विषय से संबंधित है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : मैंने अध्यक्ष महोदय से कल बातचीत की थी। उन्होंने मुझे नियम 377 के अन्तर्गत इस विषय पर प्रस्ताव देने की स्वीकृति दे दी है।

उपाध्यक्ष महोदय : इन्होंने पहले ही ध्यानाकर्षण का नोटिस दे रखा है। मैं इस पर विचार करुंगा कृपया बैठ जायें।

श्री सुरेश कुरुप खड़े हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप क्या चाहते हैं, कुरूप जी ?

श्री सुरेश कुरुप (कोट्टायन) मैंने यह मामला शून्य काल में उठाया था। मैंने ध्यानाकर्षण की सूचना दे रखी है। यह बम्बई के पास सहार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एक पांच तारा होटल के निर्माण से संबंधित है।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आपने नोटिस दिया है तो मैं इस पर विचार करुंगा। बहुत से मामले विचाराधीन है।

श्री सुरेश कुरुप : मैं सिर्फ यही आश्वासन चाहता हूं —कि इस पर विचार किया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपसे कहा है। इस पर विचार किया जायेगा। मैं आपके ध्यानाकर्षण पर विचार करुंगा। कृपया बैठ जाइये।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (करवा) : मुझे प्रसन्नता है कि आज आप सुबह की बैठक में आये है। परसों जब प्रधान मन्त्री ने इसका हवाला राज्य सभा को दिया था तब आपने कहा था कि आप कार्यवाही को देखेंगे। आपका क्या निर्णय है ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप मेरे कक्ष में आइये।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : हम आपका विनिर्णय जानना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस पर अध्यक्ष महोदय से बातचीत करना चाहते थे। मुझे नही मालूम इसका क्या नतीजा निकला है। आप मेरे कक्ष में मुझसे मिलें। मैं इस पर आपसे बात-चीत करूंगा।

प्रो० मधु दंडवते : आप इसे विचाराधीन रखें, हम सन्तुष्ट हैं। हम आपसे मिलेंगे।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आपका क्या निर्णय है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही निर्णय दे दिया है। कई मामले हैं। अगर आप विचार करना चाहते हैं तो आप मेरे पास आ सकते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आप कुछ विचार-विमर्श करना चाहते हैं तो कृपया मेरे कक्ष में आइये। आप मेरे कक्ष में आइये। आप जिस पर चाहें मैं बात करने को तैयार हूं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी खड़े हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे आपका नोटिस मिला है.....

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) :**

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित मत करिये। कुछ भी कार्यवाही वृतांत में नहीं आयेगा। यह एक व्यक्तिगत मामला है। इसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित मत करिये।

श्री टी० बशीर खड़े हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप क्या चाहते हैं ?

श्री टी० बशीर (चिर्णयंकिल) : आज के समाचार पत्रों में.....

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं। आप क्या चाहते हैं ? मेरी अनुमति के बिना समाचार पत्र न पढ़ें।

श्री टी० बशीर : केवल एक वाक्य।

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : समाचार पत्र मत पढ़िये। मेरी अनुमति के बिना आप समाचार पत्र नहीं पढ़ सकते।

श्री टी० बशीर : यह बंगलादेश द्वारा नदी की तलहटी के साथ-साथ बाँध का निर्माण करने के संबंध में है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। कृपया माईक पर आकर मुझे बताइये। आप क्या चाहते हैं ?

श्री टी० बशीर : मेरी बात भारत-बंगलादेश संधि के विरुद्ध बंगलादेश द्वारा बहुत बड़ा बाँध हमारी नदी की तलहटी के साथ-साथ बनाने के संबंध में है। महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप नोटिस दीजिए। मैं इस पर विचार करूँगा।

अब, सभा-पटल पर रखे जाने वाले पत्र।

12.22 म०प०

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

संप्रीतक और नाम का (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत अधिसूचना

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मैं राव बीरेन्द्र सिंह की ओर से संप्रीतक और नाम का (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950 की धारा 8 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या का० आ० 239 (अ), जो 27 मार्च, 1950 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा "श्रीमती इन्दिरा गाँधी" का नाम उक्त अधिनियम की अनुसूची की मद 9क में अन्तःस्थापित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूँ।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 609/85]

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण सम्बन्धी समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के के कारणों को दर्शाने वाला विवरण

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री बसंत साठे) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) हिन्दुस्तान कोपर लिमिटेड, कलकत्ता, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) हिन्दुस्तान कोपर लिमिटेड, कलकत्ता, का वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक, महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गये देखिये संख्या एल० टी० 610/85]

भारतीय औद्योगिकी वित्त निगम (कर्मचारी को उपदान का संदाय) विनियम, 1968 तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा आदि

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मैं श्री जनार्दन पुजारी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :

(1) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 43 की उपधारा (3) के अन्तर्गत भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (कर्मचारियों को उपदान का संदाय) विनियम, 1968 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो निगम के 'कामगार' कर्मचारी को देय उपदान की राशि, के बारे में है ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 611/85]

(2) (एक) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 की धारा 18 की उपधारा (5) तथा 23 की उपधारा (5) के अन्तर्गत, 30 जून, 1984 को समाप्त हुए वर्ष से सम्बन्धित भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा सामान्य निधि और विकास सहायता निधि के लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के 30 जून, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 612/85]

(3) (एक) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 35 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के 30 जून 1984 को समाप्त हुए वर्ष सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उस निगम की अस्तियों और दायित्वों का विवरण तथा लाभ और हानि लेखा को दर्शाने वाला एक विवरण ।

(दो) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के, 30 जून, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 613/85]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, मैंने पहले से ही नोटिस दे रखा है। कृपया मुझे भी अनुमति दी जाये—

उपाध्यक्ष महोदय : हमने पहले ही बहुत समय ले लिया है। अब और नहीं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अगली मद संख्या 6—श्री के० नटवर सिंह।

इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी लिमिटेड कलकत्ता के 31 मार्च, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) कम्पनी अधिनियम 1958 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी) तथा अंग्रेजी संस्करण :—

(एक) इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता, के 31 मार्च, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन अयरन एंड स्टील कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता, का 31 मार्च 1984 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में विलम्ब होने के करणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी 614/85)

केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत अधि सूचना दें। भारतीय चाय बोर्ड के वार्षिक प्रतिवेदन और इसके कार्यकाल की समीक्षा, आदि और पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मैं श्री पी० ए० संगमा की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 32 की उपधारा (3) के अंतर्गत, तम्बाकू बोर्ड (दूसरा संशोधन) नियम, 1984 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 12 जनवरी, 1985 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 26 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 615/84]

(2) केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।—

(एक) केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) नियम, 1984, जो 9 फरवरी, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 141 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय रेशम बोर्ड, अंशदायी भविष्य निधि (संशोधन) नियम, 1984, जो 9 फरवरी, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 142 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) केन्द्रीय रेशम बोर्ड अध्ययन अवकाश (संशोधन) नियम, 1984 जो 9 फरवरी, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 143 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) केन्द्रीय रेशम बोर्ड सामान्य भविष्य निधि (संशोधन) नियम, 1984, जो 9 फरवरी, 1985 में भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 144 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 616/85]

(3) (एक) भारतीय चाय बोर्ड, कलकत्ता, के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय चाय बोर्ड, कलकत्ता, के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय चाय बोर्ड, कलकत्ता, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 617/85]

(4) (एक) वूल रिसर्च एसोसिएशन, ठाणे, के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वूल रिसर्च एसोसिएशन, ठाणे, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 618/85]

(5) (एक) परिसाधित चमड़ा तथा चमड़ा विनिर्मिति निर्यात संवर्धन परिषद्, कानपुर, के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) परिसाधित चमड़ा तथा चमड़ा विनिर्मित निर्यात संवर्धन परिषद्, कानपुर के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब होने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 619/85]

12.28 म०प०

राज्य-सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव:—मुझे राज्य सभा महासचिव से प्राप्त हुए निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है :—

(एक) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे विनियोग रेल, संख्यांक अविधेयक, 1985 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 20 मार्च, 1985 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों का लिए भेजा गया था, वापिस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

(दो) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन निगमों के नियम 186 के उपनियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे विनियोग रेल, संख्यांक 4 विधेयक, 1985 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 20 मार्च, 1985 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापिसी लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

(तीन) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे विनियोग लेखानुदान, विधेयक, 1985 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 25 मार्च, 1985 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापिस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

(चार) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 185 के उपनियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे विनियोग (संख्यांक 3 विधेयक, 1985 को जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 25 मार्च, 1985 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी शिफारियों के लिए भेजा गया था वापिस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को उस विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिश नहीं करनी है।

12.29 म०प०

अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण

विदेशी बैंकों में जमा कराने हेतु आशयित बहुत सारे अमरीकी डालरों और ट्रैवलर चैकों के बम्बई हवाई अड्डे पर सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा जब्त किए जाने का समाचार

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय मैं वित्त मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्त्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूँ कि वह इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें।

"विदेशी बैंकों में जमा कराने हेतु आशयित बहुत सारे अमरीकी डालरों और ट्रैवलर चेकों को बम्बई हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा जब्त किये जाने का समाचार तथा इस मामले में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही"

वित्त और वाणिज्य तथा पूर्ति मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : श्रीमान अध्यक्ष महोदय, सरकार को मिली रिपोर्टों के अनुसार, सीमा शुल्क (निवारक) समाहर्तालय, बम्बई के वायु गुप्तचर्या एकक के अधिकारियों ने 19 मार्च, 1985 को श्री चन्द्रकांत शिवभाई अमीन और श्री आशुतोष प्रफुल्ल चन्द्र नानावती नामक दो यात्रियों को उस समय मार्ग में रोका जब वे उड़ान संख्या ए०आई०-316 से हांग कांग के लिए रवाना हो रहे थे। यह उड़ान हांग कांग के लिए 18.50 पर रवाना होनी थी। संदेह होने पर, इन दो यात्रियों को कहा गया कि वे अपना चेक्ड इन बैगेज सीमा शुल्क संबंधी जाँच के लिए प्रस्तुत करें। उन्होंने जब अपने नाम से चेक्ड इन तीन सूटकेसों की शिनाख्त की तो उसके बाद उन सूटकेसों को खोल कर जांच की गई। जांच करने पर उन सूटकेसों में से एक सूटकेस में, जो श्री आशुतोष प्रफुल्ल चन्द्र नानावती के नाम से चेक्ड इन था, कनवैस का एक लाल/काला बैग पाया गया जिसमें बड़ी तादाद में मुद्राएं (करेंसीज) पाई गई, जिनका विवरण इस प्रकार है:—

अमेरिकी डालर	...	3,04,526 (करेंसी नोट)
अमेरिकी डालर	...	48,900 (यात्री चैक)
सिंगापुर के डालर	...	1
भारतीय मुद्रा	...	500रु०
जोड़ :		उपर्युक्त मुद्राएं 46,63,850 रु० के बराबर हैं।

तत्पश्चात् इन मुद्राओं का इस उचित विश्वास के आधार पर अभिग्रहण किया गया कि इन मुद्राओं को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के उपलबन्धों का अधिलंघन करके चोरी-छिपे देश से बाहर ले जाए जाने का प्रयास किया गया था।

दर्ज किए गए बयानों में इन दोनों यात्रियों ने यह स्वीकार किया कि जो विदेशी मुद्रा वे ले जा रहे थे, वह अहमदाबाद के श्री अ्गेश जयकृष्ण की थी और यह कि वे इस विदेशी मुद्रा को उसकी हिदायतों के मुताबिक हांग कांग ले जा रहे थे। उन्होंने यह भी बयान दिया कि श्री अ्गेश जयकृष्ण को उसी दिन शाम छः बजे इंडियन एअर लाइन्स की उड़ान सं० आई०सी०-111 से अहमदाबाद के लिए रवाना होना था। तत्पश्चात् श्री अ्गेश को स्वदेशी एअर टर्मिनल पर उस वक्त पकड़ लिया गया जब वह अहमदाबाद के लिए वायुयान में बैठने वाला ही था। श्री अ्गेश ने अपने बयान में यह स्वीकार किया कि पकड़ी गई विदेशी मुद्रा उसी की थी और उसने यह विदेशी मुद्रा अहमदाबाद के दो व्यक्तियों की सहायता से खरीदी थी और यह कि पकड़ी गई मुद्रा हांग कांग स्थित यूनियन बैंक ऑफ स्वटीजरलैंड के जरिए अमेरिका में उसकी पत्नी के रिश्तेदार के पास भेजी जानी थी। उक्त दो यात्रियों और श्री अ्गेश जयकृष्ण को 20 मार्च, 1985 को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 2 अप्रैल, 1985 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

चूंकि इस मामले में प्रथम दृष्टया सीमा शुल्क अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन किए जाने के अलावा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम और प्रत्यक्ष कर कानूनों के उल्लंघन किये जाने का मामला अन्तर्ग्रस्त है, इसलिए सीमा शुल्क विभाग, प्रवर्त्तन निदेशालय तथा आयकर विभाग के अधिकारियों के बीच निकट तालमेल बैठाकर और आगे की अनुवर्ती कार्यवाही और जांच पड़ताल की जा रही है। चूंकि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, इसलिए माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि इस अवस्था पर और अधिक ब्यौरा देना उचित नहीं होगा। तथापि मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि इस मामले में ग्रस्त सभी व्यक्तियों के खिलाफ कानून के अनुसार अपेक्षित कार्यवाही की जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० दण्डवते, मैं अब कुछ अभिमत प्रस्तुत करना चाहता हूं तत्पश्चात् ही आप कुछ कहें।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, क्या आप सदन के सभी सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं अथवा अकेले मेरा ही ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं प्रो० मधु दण्डवते के समेत सभी सदस्यों के लिए कुछ अभिमत प्रस्तुत करना चाहता हूं।

प्रो० मधु दण्डवते ने नियम 353 के अन्तर्गत नोटिस् देकर सूचित किया है कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान वह विषय से सम्बन्धित कतिपय व्यक्तियों के नामों का उल्लेख करेंगे। नियम 353 के अधीन निन्दात्मक और अभिशासी किस्म का कोई भी आरोप किसी सदस्य के प्रति तब तक नहीं लगाया जा सकता जब तक कि सदस्य ने इसकी पूर्व सूचना न दी हो। प्रो० मधु दण्डवते ने मुझे सवेरे सूचना दी तथा मैंने उनसे अनुरोध किया कि वह जिस आधार पर व्यक्तियों के नामों का उल्लेख करना चाहते हैं उनका आधार मुझे बतायें। प्रो० मधु दण्डवते ने मुझे अपेक्षित जानकारी

[उपाध्यक्ष महोदय]

अभी तक नहीं दी है । अतः मैं प्रो० मधु दण्डवते से अनुरोध करूंगा कि जो सदस्य अपना बचाव स्वयं करने के लिए यहां उपस्थित नहीं हैं वे उनके नाम का उल्लेख न करें अथवा उन पर कोई आरोप न लगाएं ।

प्रो० मधु दण्डवते : आपकी अद्यतन जानकारी नहीं है । मैं सूचना दे चुका हूँ, हो सकता है इससे आपको संतोष न हुआ हो । आप चिन्ता न करें मेरे पास अन्तुले और अन्य लोगों के सभी पूर्वोदाहरण हैं । मैं नियमों का ध्यान रखूंगा तथा नियमों का उल्लंघन किए बगैर मैं भ्रष्टाचार का भण्डा-फोड़ करूंगा ।

(व्यवधान)

आप मेरी परवाह करने की बजाय भ्रष्टाचार की परवाह करें ।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया नियमों का पालन करें ।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, मैंने यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मुख्य रूप से, हांग कांग गए हुए दो उद्योग पतियों से विदेशी मुद्रा और लगभग 48 लाख रुपये के ट्रेवलर चैकों को जब्त किए जाने जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने माना है के बारे में पेश किया है ।

मैं इससे सम्बन्धित बहुत से मुद्दे उठाने चाहता हूँ । मेरी रुचि केवल मुद्रा जब्त करने के तकनीकी पहलू में ही नहीं है परन्तु मुझे इस विशेष प्रकार के गिरोह के रूप में हो रहे कार्य पर अधिक चिन्ता रही है । इसमें मुद्रा की तस्करी शामिल है । इसमें उद्योगपतियों द्वारा किया जा रहा भ्रष्टाचार शामिल है, इसमें जासूसी शामिल है तथा गुजरात के बड़े-बड़े राजनीतिज्ञों का हाथ भी इसमें है । इस सबसे अधिक इससे जुड़ा हुआ लोक नैतिकता का प्रश्न है और इसी कारण से मैंने यह प्रश्न उठाया है ।

मैं आपको याद दिलादूं कि इस सदन में, भ्रष्टाचार का भण्डा फोड़ और सम्बन्धित मंत्री और सदन का ध्यान कतिपय वित्तीय सौदों की ओर दिलाने केलिए ह्यानाकर्षण प्रस्ताव सदस्यों का एक शक्तिशाली हथियार है । जैसा कि महाराष्ट्र के प्रसिद्ध ट्रस्ट के मामले में हुआ जिसके परिणामस्वरूप एक अति उच्च पदस्थ व्यक्ति को अपने पद से हाथ धोना पड़ा ।

महोदय, आप मुझे कहने दीजिए । मुझे विश्वास है कि जो मामला मैंने उठाया है उससे इन अपराधों और गतिविधियों के लिए जिम्मेदार व्यक्ति शीघ्र ही अपने उच्च राजनैतिक पदों से अपदस्थ हो जायेंगे । मुझे इसका पूरा-पूरा भरोसा है तथा मैं पूरे आत्मविश्वास और अधिकार पूर्वक यह कह रहा हूँ तथा मैंने जो सूचना एकत्र की है उसके आधार पर इस सदन में कहे गए प्रत्येक शब्द का प्रमाण दे रहा हूँ ।

यह पहले ही माना जा चुका है कि दो उद्योगपतियों, एक श्री चन्द्रकांत शिवभाई अमीन और दूसरे श्री आशुतोष प्रफुल्ला चन्द्र नानावती को, जब वे हांग कांग जाने वाले हवाई जहाज में चढ़ रहे थे और जहां उनके सामान की तलाशी ली गई; पकड़ लिया गया तथा उनके पास से विदेशी मुद्रा बरामद हुई । उन्हें सीमा शुल्क अधिकारियों ने पकड़ा । उसी शाम उद्योगपति श्री अ्गेश जयकृष्ण, जिनके नाम का उल्लेख माननीय मंत्रीजी ने भी किया है, 6.00 बजे की उड़ान

से अहमदाबाद जा रहे थे। उनको भी न्यायिक हिरासत में ले लिया गया तथा उसने अपने कुछ अपराधों को स्वीकार कर लिया। इस बड़े उद्योगपति के प्रतिनिधि उन दो उद्योगपतियों ने स्वीकार किया कि श्री अ्गेश जयकृष्ण ने ही उन्हें वह विदेशी मुद्रा दी थी और वे तो केवल उस विदेशी मुद्रा को सिर्फ ले जा रहे थे।

क्या यह सच है कि इस घटना के पश्चात् एक तरफ दो उद्योगपतियों को डाँट-फटकार की गई और उनसे कुछ सूचना प्राप्त की गई। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है कि अधिकारियों द्वारा श्री अ्गेश जयकृष्ण के निवास पर मारे गए छापे में कुछ आपत्तिजनक कागजात पाए गए, और क्या कुछ ऐसे सबूत भी मिले हैं जिनसे यह पता चलता हो कि तस्करी की मुद्रा को पहले हाँग काँग ले जाने और वहाँ से स्विस बैंक ले जाने का विचार था और क्या कोई ऐसे सबूत भी मिले हैं कि यह धनराशि **.....मुख्य मंत्री की भी ..... ** .....(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : एक विनिर्णय यह है कि वह नाम नहीं ले सकते हैं

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले जो विनिर्णय दे चुका हूँ वही लागू होगा। मैं पहले ही सूचित कर चुका हूँ कि..... .....(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूँ। मैं सदस्यों से शान्त होने का अनुरोध करता हूँ।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि धनराशि उनकी थी। उनके एक उच्च नैतिकतापूर्ण व्यक्ति होने के नाते मैं नहीं समझता कि यह धनराशि उनकी थी। परन्तु मैं केवल यह जानना चाहता हूँ कि क्या वास्तव में यह धनराशि उनकी थी जैसा कि किसी जगह बताया गया है। उनके उच्च नैतिकतापूर्ण व्यक्ति होने के नाते मैं वास्तव में यह नहीं समझता कि यह धनराशि वास्तव में दी गई होगी। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह राशि दी गई थी ? महोदय, मैं एक ऐसी बात कहना चाहता हूँ जिस पर आपत्ति नहीं की जा सकती। क्योंकि एक प्रशासनिक उपाय के रूप में ऐसा सचमुच हो चुका है। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मैं केवल एक प्रशासनिक निर्णय और उसके कार्यान्वयन के बारे में बता रहा हूँ। इसका उससे कोई संबंध है या नहीं, यह मैं मंत्री महोदय पर छोड़ता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या गुजरात के मुख्य मंत्री.....**.....ने श्री अ्गेश जय कृष्ण को, जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं और गुजरात क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष हैं, सस्ते दामों पर पचास एकड़ भूमि देकर गाँधी नगर के निकट एक नए स्टेडियम के निर्माण में सहायता की ?

(व्यवधान)

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[प्रो० मधु दण्डवते]

यह बदनाम करने वाली बात नहीं है । दिल्ली में जब एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था तब मैंने इसी सभा में प्रश्न पूछा था कि क्या अमुक आदमी को कुछ भूमि दी गई है.....

(व्यवधान)

महोदय, मैं एक मिसाल देता हूँ । एशियाई खेलों के लिए जब होटलों का निर्माण हो रहा था तब इसी सभा में मैंने प्रश्न पूछा था, कुछ नामों विशेष का उल्लेख किया था और मंत्री महोदय से यह पूछा था कि क्या उन्होंने एक व्यक्ति विशेष को एच० आई० एल० के लिए एक होटल का निर्माण करने की अनुमति दी थी और क्या भूमि सस्ते दामों पर दी गई थी ? उसे स्वीकार किया गया था । और, अध्यक्ष महोदय और मंत्री महोदय के अनुसार एक अत्यन्त सन्तोषजनक उत्तर दिया गया था । मैं केवल एक प्रशासनिक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि क्या यह सच है कि जहाँ तक अ्रुगेश का संबंध है क्या उसे स्टेडियम के लिए 50 एकड़ भूमि अत्यन्त सस्ते दामों पर दी गई है । केवल तथ्य चाहिए ।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : इसका इससे कोई संबंध नहीं है ।

प्रो० मधु दण्डवते : इसका संबंध है । पैसा इकठ्ठा किया जा रहा है । इसे मंत्री तक ने स्वीकार किया है । अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा है कि जिन दो उद्योगपतियों के पास धनराशि थी उन्होंने यह स्वीकार किया था कि यह राशि उन्हें श्री अ्रुगेश ने दी थी और जब श्री अ्रुगेश से सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा पूछताछ की गई तो उसने भी स्वीकार कर लिया ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैंने बताया था कि उसने स्वीकार नहीं किया ।

प्रो० मधु दण्डवते : ठीक है । उन्होंने पुष्टि कर दी है कि दो व्यक्तियों द्वारा सूचना दी गई थी । मैं अपने व्याकरण की दृष्टि से गलत वक्तव्य को व्याकरण की दृष्टि से दुरुस्त करता हूँ । उन्होंने पुष्टि कर दी है कि जिन दो व्यक्तियों से पूछताछ की गई थी उन्होंने यह स्वीकार किया था कि उन्हें राशि श्री अ्रुगेश ने दी थी । और यह अ्रुगेश कौन है ? यह वही व्यक्ति है जिसने गाँधी नगर के निकट एक स्टेडियम बनवाया है । उसे पचास एकड़ भूमि कैसे मिली ? यह मुख्य मंत्री** ... द्वारा दी गई । मैं केवल सच्चाई जानना चाहता हूँ कि क्या यह वास्तव में दी गई थी ?

(व्यवधान)

श्री प्रो० के० गढवी (बनासकांठा) : यहां सब असंगत है । यह बहुत पहले.....

प्रो० मधु दण्डवते : इस प्रकार उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि यह सब हुआ था परन्तु बहुत पहले.....(व्यवधान)

श्री वी० के० गढवी : प्रश्न यह है कि क्या उन्हें एक बिल्कुल असंगत विषय को उठाने का हक है । वह गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन से संबंधित तीन वर्ष पुराने मामले को उठा रहे हैं .....(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : यह महत्वपूर्ण है और संगत है .....(व्यवधान)

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय उसका इत्तर देंगे। कृपया बैठ जाइये।

प्रो० मधु दण्डवते : आपके माध्यम से मैं उन्हें स्मरण कराता हूँ कि उनका व्यवस्था का प्रश्न रद्द हो गया है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : क्या यह आपका विनिर्णय है ?

प्रो० मधु दण्डवते : नहीं। मैं उनके विनिर्णय को सूचित कर रहा हूँ। वह ठीक ढंग से नहीं सुन सके।

मैं अब एक बात पूछना चाहता हूँ, क्योंकि वह इस समस्या से संबंधित है : क्या चार संसद सदस्यों, सात विधान सभा सदस्यों, मैं उन्हें बधाई देता हूँ, तथा दस जिला कांग्रेस अध्यक्षों सहित कांग्रेस (आई) के प्रमुख नेताओं ने भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को मुख्य मंत्री ..... और अ्गेश के बीच आपत्तिजनक संबंध के बारे में लिखा था और चेतावनी दी थी कि एक दिन इन्दिरा स्टेडियम श्री अब्दुल रहमान अन्तुले द्वारा चलाए गए इन्दिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान की भाँति हानिकर प्रमाणित होगा। (**व्यवधान**)

यदि वे चुनौती देते हैं तो मैं पत्र प्रस्तुत कर दूँगा। परन्तु इससे कांग्रेस सदस्यों को परेशानी होगी। मैं पत्र प्रस्तुत करूंगा।

वह उद्योगपति इस स्टेडियम का नाम इन्दिरा गांधी स्टेडियम अथवा इन्दिरा स्टेडियम रखना चाहते थे।

श्री बी० के० गढवी : इसे गुजरात स्टेडियम कहा जाता है।

प्रो० मधु दण्डवते : वह इसका नाम इन्दिरा गांधी स्टेडियम रखना चाहते थे। मैं आपको बधाई दे रहा हूँ। आप जैसे मित्रों ने भूतपूर्व प्रधान मंत्री को बताया कि "श्री अ्गेश के जाल में मत फंसो।" मैं उन्हें बधाई दे रहा हूँ। ....(**व्यवधान**) मैं यह बता रहा हूँ कि चार संसद सदस्य, 7 विधान सभा सदस्य और 10 जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती गांधी के पास गए और कहा "अ्गेश इस स्टेडियम का नाम इन्दिरा स्टेडियम रखना चाहता है कृपया मुख्य मंत्री ** की बात न सुनें। यह इन्दिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान वाली घटना की पुनरावृति होगी। हम आपको ऐसा न करने की चेतावनी देते हैं।" मैं भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को बधाई देता हूँ। उन्होंने खुले आम यह कह दिया था कि 'मैं नहीं चाहती कि इस स्टेडियम का नाम मेरे नाम पर रखा जाए। इसका नाम इन्दिरा स्टेडियम नहीं रखा जाएगा। आप इसे कोई और नाम दे सकते हैं।" मेरे मित्र ने बिल्कुल ठीक कहा है कि उसका नाम गुजरात स्टेडियम है। गुजरात जिन्दाबाद। मुझे इस पर कोई विवाद नहीं है।

1982 में नवम्बर महीने के मध्य में, महीने पर गौर कीजिए, यदि उन्हें तारीख चाहिए तो मैं वह भी देने को तैयार हूँ प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को लिखे पत्र में क्या उन्होंने यह नहीं लिखा कि यदि इस संबंध में मुख्य मंत्री के आचार पर नियन्त्रण नहीं रखा जाता तो वे पार्टी छोड़ देंगे ? क्या यह सच नहीं है कि श्रीमती गांधी ने अनुकूल प्रतिक्रिया व्यक्त की और राजी करने की अपनी सम्पूर्ण शक्ति से मुख्य मंत्री **..... को मना लिया कि उनका नाम स्टेडियम से न जोड़ा जाए और इसे कोई अन्य नाम दिया जाए ?

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[प्रो॰ मधु दण्डवते]

मैं माननीय वित्त मंत्री से यह जानना चाहता हूँ कि गुजरात में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को गुजरात क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड का, जिसके उपाध्यक्ष श्री भ्रुगेश थे, जो गिरफ्तार किए गए थे, आजीवन सदस्य बनने के लिए किसने विवश किया ? सभी सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन, आपको जानकर हैरानी होगी कि आजीवन सदस्य बनने वाले कौन-से उपक्रम थे। यहाँ तक कि 'स्लम क्लीयरेंस आर्गनाइजेशन' भी क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड का आजीवन सदस्य बन गया। मैं नहीं जानता कि वे क्रिकेट खेलना चाहते थे या वे.....बनाना चाहते थे।

श्री गिरधारी लाल व्यास : आपकी विचारधारा कैसी है ?

प्रो॰ मधु दण्डवते : मेरी विचारधारा आपके लिए रुचिकर नहीं हो सकती।

श्री प्रियरंजन दास मुन्शी (हावड़ा) : श्री दण्डवते की सूचनार्थ.....**(व्यवधान)****

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दास मुन्शी जी आपने जो कुछ कहा है उसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा क्योंकि आपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नहीं दिया है। उन्होंने दिया है, आज वह बोल रहे हैं।

प्रो॰ मधु दण्डवते : मुझे खेद है। मैंने सोचा था कि वह व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं इसीलिए मैं बैठ गया था।

श्री प्रियरंजन दास मुन्शी : हम सभा में सहायता और सहयोग करना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके सहयोग का स्वागत है।

प्रो॰ मधु दण्डवते : क्या यह सच है कि मुख्य मंत्री **.....और श्री जयकृष्ण के सारे व्यवसाय औद्योगिक और पारिवारिक क्षेत्र के बीच एक निकट संबंध है ? क्या यह सच है ? यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रशासनिक मामला है। बदनाम करने का कोई प्रश्न नहीं है। क्या यह सच है कि पिछले दो वर्षों में अहमदाबाद में लगभग 16 कपड़ा मिलें बन्द हो गई हैं ? सौलह मिलें बन्द हो गई हैं। क्या यह किसी की बदनामी नहीं है। यह वास्तव में बेरोजगार मजदूरों का अपमान है। सौलह कपड़ा मिलें बन्द हो गईं और राहत अधिनियम लागू किया गया। राहत अधिनियम का क्या उद्देश्य है।

मुख्य मंत्री द्वारा इस महान उद्योगपति को, जो अब जाल में फंसा है, राहत अधिनियम के अन्तर्गत संरक्षण कैसे प्रदान किया गया ? राहत अधिनियम केवल उपक्रम को संरक्षण प्रदान करता है और ऋणदाताओं को अपनी देय राशि प्राप्त करने से रोकता है। बन्द की गई सौलह कपड़ा मिलों में से अहमदाबाद की केवल एक मिल पर इसे लागू किया गया। ....**(व्यवधान)**..मेरे मित्र मजदूर नेता हैं। उन्हें मेरा साथ देना चाहिए। ....**(व्यवधान)**...

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सदस्यों द्वारा इस प्रकार बातें करना पसन्द नहीं करता।

(व्यवधान)

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रो० मधु दण्डवते : 2 वर्ष पहले जिन सौलह कपड़ा मिलों को बन्द किया गया था उनमें से अदमदाबाद की एक मिल सहारंगपुर काटन मिल नं० 2 को जो कि श्री जयकृष्ण परिवार के प्रबन्ध में है, राहत अधिनियम के अन्तर्गत लाभ दिया गया। यदि इस राहत अधिनियम को अनुकम्पा की भावना से लागू किया जाता तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी। परन्तु आर्थिक परिणाम क्या होंगे? इस व्यवसाय महारथी ने कानून का लाभ उठाते हुए अपने मित्र के जरिए हांग कांग में भेजने के लिए पैसा कहाँ से प्राप्त किया। जयकृष्ण परिवार ने ऋण दाताओं को उनकी देय राशि वसूल करने के अधिकार से वंचित करके दो करोड़ रुपये बचा लिए, क्योंकि जब इस अधिनियम को किसी उपक्रम विशेष पर लागू किया जाता है और यदि ऋणदाता उससे आकर अपनी ऋण राशि वापस माँगते हैं तो वे कह सकते हैं कि राहत अधिनियम के अनुसार मैं सभी देयताओं से मुक्त हूँ। इस प्रकार उन्होंने दो करोड़ रुपये बचा लिए।

मैं यह जानना चाहता हूँ कि** ..... से यह लाभ प्राप्त करने के कुछ दिनों के बाद ही क्या श्री भ्रुगेश जयकृष्ण स्विट्जरलैंड गए थे।

मैं अब उच्च न्यायालय के एक मामले का उल्लेख करना चाहता हूँ। यह मामला जयकृष्ण द्वारा धन के दुरुपयोग करने के आरोप में अपने खजान्ची के विरुद्ध दायर किया गया है क्योंकि उनका लेने-देन सन्देहास्पद पाया गया। हमेशा यही होता है कि यदि बैंक में कोई उच्च अधिकारी किसी धोखाधड़ी के मामले में दोषी पाया जाता है तो वह सारा दोष इमारत के प्रवेश द्वार पर खड़े चपरासी पर अथवा किसी क्लर्क पर अथवा हेड-क्लर्क पर डाल देता है। इसी प्रकार जय कृष्ण द्वारा धनराशि के दुरुपयोग के आरोप में अपने खजान्ची के विरुद्ध दायर किए गए मामले में गुजरात उच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया है? उन्होंने जयकृष्ण परिवार के इस तर्क को स्वीकार नहीं किया कि सारी धोखाधड़ी, गबन उनके कर्मचारियों के कारण हुए हैं उन्होंने शरलक होम्स को उद्धृत किया है। इससे इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में थोड़ा रंग आ जाएगा। शरलक होम्स को उद्धृत करते हुए गुजरात उच्च न्यायालय ने कहा है :

> "रात के समय चोरी हो और कुत्ता न भौंके तो इसका अर्थ है कि स्वयं मालिक ही चोर है।"

यह उद्धरण शरलक होम्स से है और मैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की साहित्यिक भारतीय विदग्धता की प्रशंसा करता हूँ जिन्होंने बिल्कुल सही कहा है। क्या इस धनराशि के दुरुपयोग के लिए प्रबन्धक उत्तरदायी नहीं हैं? क्या यह उनके लाभ के लिए नहीं किया गया, क्या इस प्रकार से उन्होंने धन संचित नहीं किया?

जयकृष्ण हरि वल्लभदास जी मुख्य मंत्री **.....के संरक्षण के कारण दी गुजराज स्टेट फर्टीलाइजर कारपोरेशन के अध्यक्ष बने रहे। अन्यथा वह नहीं रह सकते थे।

श्री बी० के० गढवी : आपकी सूचनार्थ, उनकी नियुक्ति जनता पार्टी की सरकार द्वारा की गई थी।

प्रो० मधु दण्डवते : जी नहीं। भ्रुगेश तथा उसकी पत्नी के विरुद्ध कार्यवाही : मैं 19 मार्च को विदेशी मुद्रा बरामद होने के बाद. की घटना का जिक्र कर रहा हूँ। यह सच नहीं है

** कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[प्रो० मधु दण्डवते]

कि श्री अरुण जयकृष्ण, जो गुजरात इंडस्ट्रीयल इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन तथा गुजरात टायर्स लिमिटेड का निदेशक थे, को 21 मार्च, 1981 को इन पदों से हटा दिया गया था ? उन्होंने वास्तविक मामले और आरोप को स्वीकार कर लिया है। अन्यथा उन्हें पद से हटा दिया गया होता। उन्होंने कहा था कि वे लोग पूरी जांच कराये जाने की प्रतीक्षा में हैं। किन्तु कानून का जो भी आरम्भिक ज्ञान मुझे प्राप्त है, उसके आधार पर मैं जानता हूँ और मैं कह सकता हूँ कि जब भी किसी मामले की जांच पड़ताल की जाती है तो यदि मामले के बारे में कुछ प्रत्यक्ष दर्शी प्रमाण होते हैं तो उसके आधार पर कोई भी कार्यवाही शीघ्रता पूर्वक की जाती है और इसीलिए, उसे दोनों पदों से हटा दिया गया था। क्या 21 मार्च, 1985 को उसकी पत्नी श्रीमती पारुल अरुण को भी अपने पद से हटा दिया गया था, जो गुजरात पर्यटन निगम की निदेशक थीं ?

और अब, मैं यह और जानना चाहता हूँ कि क्या यह खबर सच्ची है या झूठी कि कांग्रेस (आई) का धन उम्मीदवारों में बाँटने के लिए श्री अरुण के पास रखा गया था—क्या वे उम्मीदवार 65 थे (यदि अवसर मिला तो कांग्रेस (आई) के उन 65 उम्मीदवारों की सूची प्रस्तुत करूंगा), क्या विधान सभा के कांग्रेस (आई) के इन 65 उम्मीदवारों को अरुण के आवास स्थान से लगभग 10 लाख रुपया दिया गया था ? अतः वितरण कार्य उसके घर से किया गया था। मैं इस स्थिति की जानकारी चाहता हूँ मुझे पूरा विश्वास है कि इस सभा के समक्ष पूर्ण सूचना प्रस्तुत की जायेगी .....

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दास मुन्शी (हावड़ा) : विधान सभा सदस्य अथवा कांग्रेस (आई), जो भी हो, इस मामले के अन्तर्गत कैसे आते हैं ? स्थिति यह है। यह भी कोई बात है.....(व्यवधान)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा) : वह ब्यौरा दे रहे हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। प्रोफेसर महोदय, आप विशेष रूप से कांग्रेस (आई) के कुछ विधान सभा सदस्यों के बारे में कह रहे थे। क्या आपका कोई झगड़ा है ?

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : वे लोग विधान सभा सदस्य नहीं बन पाये। मैं एक तकनीकी मुद्दा उठाऊंगा। यदि मैं विधान सभा सदस्यों के बारे में कहूंगा, तो आपको आपत्ति होगी। जिस समय उन्हें रुपया दिया गया था, उस समय वे विधान सभा सदस्य नहीं थे, वे उम्मीदवार थे।

(व्यवधान)

मैं उम्मीदवारों के बारे में कह रहा हूँ। वे लोग नितांत और एक दम उम्मीदवार थे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृतांत पढ़ूंगा। कृपया बैठ जाइये। मैं कार्यवाही वृतांत पढ़ूंगा।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : वह इसका सम्बन्ध मुख्य मंत्री के साथ जोड़ रहे हैं** ..... और दल सत्तारूढ़ के साथ है ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कह रहा हूँ कि मैं कार्यवाही वृतांत पढ़ूंगा । जो कुछ भी गलत होगा उसकी मैं अनुमति नहीं दूंगा । मैं उसे कार्यवाही वृतांत से निकाल दूंगा ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जो भी संगत नहीं होगा, यदि कोई बात व्यवस्था के विरुद्ध होगी, तो मैं कार्यवाही वृतांत को पढ़कर देखूंगा ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृतांत देखूंगा । आप सभी बैठ जाइये । कृपया बैठ जाइये ।

श्री प्रियरंजन दास मुन्शी : मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूँ, क्या कोई ऐसी बात जो किसी विधान सभा के किसी विधेयक को बदनाम करने वाली प्रवृत्ति हो, इस सभा में उठाई जा सकती है । क्या किसी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के उम्मीदवारों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों से संबंधित कोई बात इस सभा में चर्चा के लिये उठाई जा सकती है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृतांत पढ़ूंगा । यदि कोई बात व्यवस्था के विरुद्ध हुई तो मैं उसे निकाल दूंगा । मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृतांत पढ़ूंगा ।

श्री के०पी० उन्नीकृष्णन : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । वास्तव में नियम 353 में ऐसा कहा गया है कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध निंदात्मक या अभियोगात्मक आरोप लगाने के मामले की सूचना दी जानी चाहिये ।

प्रो० मधु दंडवते : मैंने सूचना दी है ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : यदि जिस व्यक्ति का उल्लेख किया जाता है और उसका एक व्यक्ति के रूप में ही जिक्र होता है । यह भिन्न बात है । मुझे विश्वास है कि उल्लिखित 'व्यक्ति' के बारे में उन्होंने सूचना अवश्य दी होगी । अब, आज उन्होंने व्यक्तियों के दल के बारे में कहा है । वह किसी क, ख, ग, व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं कह रहे हैं ।

श्री प्रियरंजन दास मुन्शी : ऐसा नहीं है.....(व्यवधान) ।

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : श्री दास मुन्शी मैं पाँच उदाहरण दे सकता हूँ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही चलाने का यह तरीका नहीं है। आपको मुझे सम्बोधित करना चाहिए, किसी अन्य को नहीं .....व्यवधान

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : इसीलिए, उनके लिये यह पूर्णतः वैद्य है क्योंकि यह संगत है। वह मुख्य मंत्री सह-अपराधिता प्रतिष्ठापित करना चाहते हैं**

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उसे अस्वीकार कर चुका हूँ। व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री अजीत सिंह दामी(कैरा) : जब श्री मुंशी बोल रहे थे तब आपने कहा था कि उन्होंने ध्यानाकर्षण के बारे में कोई सूचना नहीं दी है और आपने बोलने की अनुमती नही दी। अब आप श्री उन्नीकृष्णन को बोलने की अनुमति दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने व्यवस्था का एक प्रश्न उठाया था जिसे मैंने अस्वीकृत कर दिया है। मैंने आपके व्यवस्था के प्रश्न को अस्वीकृत कर दिया है।

प्रो० मधु दंडवते : व्यवस्था के प्रश्न को अस्वीकृत करने के लिए आपको बधाई है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैं नियमों का ध्यान रखूँगा .....**(व्यवधान)**। डाक्टर, क्या आप रोगी की बात सुनेंगे। दयाशील बनिए।***

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दूंगा। उन्हें अपना भाषण समाप्त करने दीजिये। व्यवस्था का कोई मुद्दा नहीं है। बहुत अधिक समय लिया गया है। कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायगा।

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूँ। मैं आपका ध्यान नियम 197 की ओर दिलाता हूँ। इसमें यह कहा गया है कि किसी वक्तव्य पर उस समय चर्चा नहीं होगी जब वह दिया जाता है, किंतु कार्यवाही सूची में जिस मद के लिए जिस सदस्य का नाम दिया गया है, वह अध्यक्ष की अनुमति से प्रश्न पूछ सकता है। नियम में यह बात कही गई है। ऐसी स्थिति में, क्या कोई चर्चा की जा सकती है? मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूँ क्योंकि इस नियम का अतिक्रमण किया गया है। यदि नियमों का अतिक्रमण किया जाता है, तो व्यवस्था का मुद्दा हमेशा उठाया जा सकता है। इस बार माननीय सदस्य को बहुत देर तक बोलने की तथा चर्चा करने की अनुमति देकर नियम 197 का अतिक्रमण किया गया है। उन्होंने एक प्रश्न पूछा है और इसके बारे में मैं व्यवस्था का प्रश्न चाहता हूँ क्योंकि इस नियम का अतिक्रमण किया गया है।

** कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*** अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

प्रो० मधु दण्डवते : गत 25 वर्षों से हम लोग ध्यानाकर्षण पर भी विचार व्यक्त करने के सदस्य के अधिकार को स्वीकार करते आ रहे हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए और प्रश्न पूछिए। (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : मैं केवल एक मिनट का समय लूंगा। यदि मैं इसी प्रकार बोल पड़ा तो हममें से जो भी इस प्रकार बोलता रहेगा उसे गले का कैंसर हो जायगा और जो हमारी बात सुनेगा, उसे कान का कैंसर हो जाएगा। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ रथ : जब मैं व्यवस्था का कोई प्रश्न उठा रहा हूँ, तो अन्य सदस्यों को अपने स्थान पर बैठ जाना चाहिए। माननीय सदस्य को कोई व्यवस्था नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह मान्य नहीं होगी। अध्यक्ष पीठ को व्यवस्था देनी चाहिए। मेरे व्यवस्था के मुद्दे पर किसी भी माननीय सदस्य को कुछ नहीं कहना चाहिए। कम से कम इतनी विनम्रता तो दिखानी ही चाहिए। जो सदस्य बैठे बैठ हुए बोलेंगे, मैं उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : मुझे इसका खेद है।

श्री सोमनाथ रथ : मैंने व्यवस्था का यह प्रश्न उठाया है। कृपया अपना विनिर्णय दीजिए। महोदय, मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूँ कि क्या किसी सदस्य को इतनी देर तक बोलते रहने तथा उस पर चर्चा करते रहने की अनुमति देना नियम 197 का अतिक्रमण नहीं है ?

1.00 म० प०

मेरा व्यवस्था का दूसरा प्रश्न यह है कि क्या परस्परा को नियम के ऊपर तरजीह दी जानी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : माननीय सदस्य प्रो० मधु दण्डवते ने जो कुछ कहा है वह संगत नहीं है। और उसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उस प्रकार की चर्चा की अनुमति नहीं देता। जहां तक आपके व्यवस्था के मुद्दे का प्रश्न है, मैं प्रोफेसर से प्रश्न करने को कहता हूँ।

प्रो० मधु दण्डवते : यदि आप कार्यवाही वृतांत की जांच करेंगे; तो आपको पता चलेगा कि मैं बराबर इन्हीं शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ कि 'यह सच है' 'क्या वह सहमत हैं', 'क्या सूचना हमें दी जायेगी।' तकनीकि कमियों को दूर करने के लिए मैं जानबूझ कर प्रश्न चिहन लगाता रहा हूँ। व्यवस्था के बारे में माननीय सदस्य से मुझे अधिक जानकारी है। मैं केवल एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ। '65 व्यक्तियों' का जिक्र करते हुए मैंने जानबूझकर '65 विधान सभा सदस्य' नहीं कहा था क्योंकि जिस समय उन्हें रुपया प्राप्त हुआ था; उस समय वे विधान सभा सदस्य नहीं बने थे, इसलिए विधान सभा की सदस्यता का प्रश्न ही नहीं उठता। मैंने केवल उम्मीदवार कहा था·····(व्यवधान)···क्या मैं माननीय मन्त्री जी से यह अनुरोध कर सकता हूँ कि क्या वह इस बात का निश्चित आश्वासन देंगे कि मुख्य समस्या से संबद्ध जो ये पहलु उठाये गये हैं, वे विचारधीन हैं और क्या इस मामले में न्यायिक जांच कराई जायेगी ? और महोदय, अन्त

[प्रो० मधु दण्डवते]

में आपसे भी एक अनुरोध है। यदि आप इन सदस्यों की सलाह मानेंगे, तो मुझे भय है, कि मैंने जो कुछ कहा है, वह सारा का सारा कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया जायगा। ईश्वर के लिए, ऐसा न करें। इसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित रहने दें...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नही, नहीं, आप नहीं बोल सकते। मैं अनुमति नहीं देता। कृपया बैठ जाइये, मंत्री जी पहले से ही खडे हुए हैं...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब व्यवस्था का कोई मुद्दा नहीं उठाया जायेगा।

प्रो० मधु दण्डवते : मेरी टिप्पणी को कार्यवाही वृतांत से निकालने की बजाय श्री व्यास की टिप्पणी को निकाल दें।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : सभा रूपी इस स्टेडियम में, प्रो० दंडवते अपने प्रश्नों की मैराथन दौड़ लगा रहे थे।...(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : ये मिश्रित प्रश्न कहे जाते हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : — मैं उस प्रतीक्षा में था कि आप प्रश्न कब पूछेंगे उन्होंने एक प्रश्न आरम्भ में पूछा था और एक प्रश्न अन्त में। उसके बीच ऐसा समझा गया था कि वह बहुत सारी सूचना दे रहे हैं.....(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते: अच्छी शुरुआत मंजिल आसान। अन्त भले का भला।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह :उनका पहला प्रश्न यह था कि क्या तलाशी की गई थी, और यदि हां, तो क्या प्रगति हुई है। कोई बात करने से पहले, मैं हवाई अड्डे के सीमा शुल्क अधिकारी को उसकी चैतन्यता के लिये बधाई देता हूँ। उनका यह काम प्रशंसा योग्य है और उसे उसकी चैतन्यता के लिये पारितोषिक दिये जाने पर भी विचार कर रहे हैं....

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, आंशिक पारितोषिक मुझे भी मिलना चाहिये।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : और मेरे विचार से उसका कर्तव्य पालन उच्च कोटि का है। इसके बाद ही पूरी कार्यवाही की गई और प्रवर्तन निदेशालय ने श्रीमती भ्रुगेश जयकृष्ण के स्वामीत्व में कार्यरत मैसर्स अम्बिका मिल्स; कफ परेड बम्बई, स्काई जेट एवीएशन, और बोरली, बम्बई स्थित गैस्ट हाउस जिसमें श्रीमती भ्रुगेश जय कृष्ण रहती हैं की तलाशी ली। सीमा शुल्क और प्रवर्त्तन निदेशालयों के अतिरिक्त आयकर प्राधिकारियों ने भी मै० अम्बिका मिल्स लि० की, जिसके श्री भ्रुगेश जयकृष्ण प्रबंध निदेशक हैं, स्काई जैट एवीएशन की जिसकी श्रीमती पारूलबेन जयकृष्ण अध्यक्ष हैं, श्री भ्रुगेश जयकृष्ण के निवास स्थान की, श्री दीपक अम्बालाल जो श्री भ्रुगेश जयकृष्ण का कर्मचारी है, के निवास स्थान की, तथा श्री प्रशांत नायक, जो श्री भ्रुगेश जयकृष्ण का कर्मचारी है, के निवास स्थान की तलाशी ली थी। अलमारियों को भी सील बन्द कर दिया

गया था क्योंकि श्री ब्रुगेश हिरासत में थे। इस प्रकार, आप देखते हैं कि सरकार ने अपनी करनी में कोई कसर नहीं छोड़ी और न किसी समय कोई समझौता ही किया। जैसे कि प्रो० दंडवते ने कहा था, मैं इस सभा को आश्वासन दे सकता हूँ कि हम लोग जाँच-पड़ताल जारी रखेंगे और उसके तर्क संगत निष्कर्ष पर कार्यवाही करते रहेंगे चाहे उसका संबंध किसी भी बड़े या छोटे से क्यों न हो, हम कार्यवाही करने से नहीं रुकेंगे।

उसके संबंध के बारे में, और इस आरोप के बारे में कि उसका किससे क्या संबंध रहा है, मुझे इस समय उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मुझे यह बताया गया है कि जनता के शासन काल के दौरान श्री ब्रुगेश जी. एफ. टी. में थे किन्तु यह बात सुसंगत नहीं है। कानून का उल्लंघन करने, प्रत्यक्ष कर अधिनियम का उल्लंघन करने, सीमा शुल्क अधिनियम का उल्लंघन करने के लिये, जब कानून के अन्तर्गत हम किसी व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा चलाते हैं, तो ऐसी स्थिति में, किसी भी प्रकार के उल्लंघन के मामले में हमें कार्यवाही करनी पड़ती है और भविष्य में भी किसी भी प्रकार के उल्लंघन के मामले में हम निश्चित रूप से कार्यवाही करते रहेंगे। जहाँ तक आपराधिक मुकदमा चलाने का प्रश्न है यह बात संगत नहीं है कि उसका सम्बन्ध जनता पार्टी से है, अथवा कम्युनिस्ट पार्टी से है या कांग्रेस पार्टी से है मुझे इतना ही कहना था।

प्रो० मधु दण्डवते : माननीय मन्त्री जी, मैं केवल एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ। मैं केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या श्री ब्रुगेश जयकृष्ण के पिता श्री हरिवल्लभदास मैसर्स एस. एम. एल. मानेकलाल एंड कम्पनी के अध्यक्ष थे जिसके निदेशक श्री योगेश का मानेकलाल तथा कर्मचारी श्रीकुमार नारायण जासूसी काण्ड में मुख्य अभियुक्त हैं जिसमें प्रधान मन्त्री सचिवालय के कर्मचारी भी शामिल हैं। कृपया मुझे यह सूचना दें। यह सूचना जासूसी मामले की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूँ कि वे इस बिन्दू को स्पष्ट करें।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : हमारी जाँच से यह पता चला है कि श्री हरि बल्लभदास एस. एम. एल. मानेकलाल इन्ड्रस्ट्रीज लिमिटेड का निदेशक था किन्तु हमें उसकी जासूसी कांड से सम्बद्ध होने की अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या वह जासूसी कांड से सम्बद्ध कम्पनी का ही निदेशक था ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं आपको इस बारे में बता चुका हूँ।

[हिन्दी]

श्री राम बहादुर सिंह (छपरा) : उपाध्यक्ष महोदय इस तरह बराबर तस्करी और खुफिया गिरी की चर्चा होती है। रोज अखबारों में चर्चा हुआ करती है और इस सदन में भी ऐसी बातें उठायी जाती हैं, लेकिन जब तक उसकी तह में नहीं जायेंगे, तब तक ऐसी घटनायें होती रहेंगी और जो लोग इसमें पकड़े जायें, उनको कानून के तहत कड़ी सजा नहीं देंगे तब तक ऐसी घटनायें होती रहेंगी।

मैं मानता हूं कि कानून का हाथ बहुत लम्बा होता है, लेकिन कानून का हाथ लम्बा होने से मामला बनता बिगड़ता नहीं है, कानून जिनके पास है, उनका हाथ लम्बा हो तो कानून की पकड़ में आये हुए को दंड मिलता है। कानून जिसके पास होता है, उसके हाथ छोटे होते

[श्री राम बहादुर सिंह]

हैं तो कानून की पकड़ में आने के बाद भी आदमी निकल जाता है। यह एक दिन की घटना नहीं है, रोज-रोज ऐसी घटनायें होती हैं। जब तक इस पर विचार नहीं करेंगे तब तक ऐसी घटनाओं से देश को छुटकारा नहीं मिल सकता।

आज देश में दो तरह से पाप होता है, एक पाप पेट को पालने के लिये करते हैं, दूसरी तरफ पाप करते हैं ऐयाशी के लिये, पांच सितारा होटलों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिये। जो लोग ऐयाशी के लिये पाप करते हैं, यदि वे पकड़ में आ जायें और वह कानून के लम्बे हाथ की गिरफ्त में नहीं आवें तो इसका मतलब होता है कि सरकार उसी संस्कृति को बढ़ावा देना चाहती है।

प्रोफेसर साहब ने जो प्रश्न उठाया है, उसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि प्रश्न का जवाब माननीय मन्त्री जी ने दिया है, लेकिन अन्य प्रश्नों को अछूता छोड़ दिया है, जैसे गांधी नगर के नजदीक क्रिकेट बोर्ड का स्टेडियम बनाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि उस स्टेडियम के लिये अुगेश को जमीन दी गई थी वह व्यक्ति गुजरात की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति है जिसने जमीन दी है। इस प्रश्न को उन्होंने अछूता छोड़ दिया है कि जमीन क्यों और कैसे दी गई।

अहमदाबाद की जो 16 कपड़ा मिलें हैं, उन मिलों में से एक मिल के बारे में प्रोफेसर साहब ने कहा है कि सरकार ने रिलिफ ऐड दिया, लेकिन एक को ही दिया गया है। इस पैसे को, जो दो करोड़ रुपये की रकम होती है, लेकर मिल का मालिक अपना धंधा चला रहा है। वह मिल किसकी है जिसको ऐड दिया गया, माननीय मंत्री जी ने इस बारे में कुछ नहीं बताया कि एक ही मिल को क्यों ऐड दिया गया। जिसका हाथ इस तस्करी में था, इस प्रश्न को भी मंत्री महोदय ने अछूता छोड़ दिया है। फिर उन्होंने इस प्रश्न को भी अछूता छोड़ा है कि गुजरात के लोगों ने, वहां के कांग्रेस पार्टी के जिला परिषद् के अध्यक्षों ने, गुजरात के विधायकों ने और वहां के माननीय संसद सदस्यों ने तत्कालीन प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी को लिखकर दिया था कि अुगेश के साथ, योगेश के साथ तत्कालीन **.....मुख्य मंत्री**..... .....की सांठ-गांठ है और यदि आप इस स्टेडियम के साथ अपना नाम जोड़वाना चाहती हैं तो यह दूसरा अन्तुले कांड होगा। इसके बारे में भी उन्होंने कोई सफाई नहीं दी। यदि वाकई आप चाहते हैं कि ऐसे लोग जो पाप को बढ़ावा देते हैं और पाँच सितारा होटल की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहते हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही हो सके तो निश्चित तौर से आपको इन तमाम प्रश्नों का जवाब देना चाहिए और बताना चाहिए कि क्यो वाकई इन पूँजीपतियों और सरमायेदारों के साथ गुजरात के एक बहुत बड़े व्यक्ति की सांठ-गांठ है जिनके हाथ में गुजरात के करोड़ों लोगों की जान-माल और जीवन मरण की रक्षा की जिम्मेदारी वहाँ की जनता ने दी है ? लोगों के मन से इस भ्रम का निवारण करने के लिए आपको निश्चित रूप से इसकी जाँच करानी चाहिए और जाँच के बाद यदि वह व्यक्ति भी पकड़ में आता है तो उसके साथ भी

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

कोई मरउयात नहीं करनी चाहिए। यदि आप टाल-मटोल करके छोड़ देते हैं तो जनता के मन से इस भ्रम को आप नहीं निकाल सकते हैं।

हम लोग जो यहां बैठे हुए हैं यह देश की जनता की सबसे बड़ी अदालत है और इस अदालत के बारे में भी यदि इसके बाहर के लोगों के मन में भ्रम हो जाय कि इस अदालत में बैठे हुए लोग भी अपने और पराये का भेद रखते हैं तो इस देश का कल्याण नहीं होगा। मैं कहानी कहना चाहता हूँ कि अपने देश में एक राम राजा हो गए हैं। उनको अधिकार था कानून बनाने का और कानून को तोड़ने का। लेकिन लोगों के भ्रम के निवारण के लिए उन्होंने सीता को निर्वासित किया था। यह कानून काला कानून था अगर समझदारी से देखा जाय लेकिन राम ने अपने और पराये के भेद से अलग होकर के सीता को निर्वासित किया था। लेकिन आजकल के राजा लोगों पर आक्षेप लगाते हैं, अभियोग लगाते हैं कि अपने और पराये का भेद सामने रख कर कानून का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं इस तरह के अभियोग से अपने को वंचित रखना, यदि आप चाहते हैं कि आपके बारे में देश की जनता में कोई गलतफहमी न हो तो आपको निश्चित तौर से प्रोफेसर मधु दण्डवते जी ने जिन प्रश्नों को उठाया है जिनमें से बहुत से प्रश्नों को आपने अछूता छोड़ दिया है, उन प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करें और सदन को विश्वास दिलाएं कि चाहें कोई कितना बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, चाहें किसी प्रान्त का मुख्य मंत्री हो, चाहें केन्द्र का कोई मंत्री हो या कोई माननीय संसद सदस्य हो, कोई विधायक हो, कोई भी व्यक्ति कानून के तहत आता है, स्मग्लिंग करता है, तस्करी करता है या सीमा शुल्क के कानूनों का उल्लंघन करता है तो निश्चित तौर से उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी और उसको कठोर से कठोर दण्ड दिया जायेगा।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जहां तक सवाल है कि कानून के हाथ लम्बे होते हुए भी लोग छूट जाते हैं, माननीय सदस्य इतना लम्बा भाषण जरुर दे गए लेकिन तभी दे पाये जब हम लोगों ने पकड़ लिया। उसके पहले नहीं दे पाये। इसलिये जिन लम्बे हाथों ने पकड़ा है वह मजबूती से पकड़ा है और आप विश्वास रखिए, आपने सांठ-गांठ की बात और सम्बन्धों की बात की, सीता निर्वासन की बात भी आपने बतायी, तो फेरा और जो हमारे डायरेक्ट टैक्सेज के कानून हैं उनमें निर्वासन की बात नहीं है, उनमें अगर कोई क्रिमिनलिटी में आएगा तो उसको दण्ड दिया जाएगा। उसके तहत गवर्नमेंट काम कर सकती है और करेगी।

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ स्वयं वित्त मंत्री जी को जिनके कड़े निर्देश से इस प्रकार गलत काम करने वालों को पकड़ने की कार्यवाही शुरु हो गई है और उसी कार्यवाही के तहत यह घटना हुई है।

जहां तक इस घटना का सवाल है इसमें तो कोई बात दिखाई नहीं देती है। करेन्सी पकड़ी गई है, कुछ लोग गिरफ्तार किये गये, जेल भेज दिये गये और उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही हो रही है। लेकिन अभी हमारे विरोधी दल की तरफ से, जो एक बहुत सम्मानित नेता हैं, प्रो० मधु दण्डवते जी, उन्होंने इस पूरे मामले में राजनीति घुसेड़ने की कोशिश की है और उस राजनीति के कारण लगता है कि इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का कुछ महत्त्व हो गया है, वरना यह तो बराबर चलता ही रहता है कि कस्टम के अधिकारी ऐसे लोगों को पकड़ते हैं और वे जेल जाते हैं तथा उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही होती है। प्रो० दंडवते जी ने जो लम्बा भाषण दिया,

[श्री जैनुल बशर]

उसका सम्बन्ध इस बात से तो कम था, ज्यादा सम्बन्ध .....** मुख्य मन्त्री से ही था । मैं नहीं जानता **.....मुख्य मन्त्री पर उनका इतना गुस्सा क्यों था और उनसे वे क्यों इतना चिढ़े हुए हैं । लेकिन जो भी गुस्सा उनको निकालना था वह ....**....मुख्य मन्त्री पर ही निकाला है । इसमें कोई दो रायें नहीं हैं कि एक साफ-सुथरी राजनीति और साफ-सुथरे सार्वजनिक जीवन के लिए हमारे प्रधान मन्त्री जी भी वचनवद्ध हैं और हमारी सरकार भी वचनवद्ध है । कोई भी व्यक्ति कितना भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, यदि वह कोई गलत काम करता है तो उसको छोड़ा नहीं जाना चाहिए—वह चाहे गुजरात के मुख्य मंत्री हों, कर्नाटक के मुख्य मंत्री हों या कोई भी हों अब पुरानी परम्परा नहीं रहनी चाहिए । जनता पार्टी के शासन काल में जब प्रो० दंडवते जी मन्त्री थे उस समय उन्होंने कोई नैतिकता क्यों नहीं दिखाई थी ?

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं । उन्हें प्रश्न पूछना है ।

उपाध्यक्ष महोदय : वे प्रश्न पूछ रहे हैं । श्री बशर, आप कृपया अपना प्रश्न पूछें ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जिस प्रकार प्रो० दंडवते बोल रहे थे वे भी उसी प्रकार बोल रहे हैं ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : वे उस बात का उल्लेख कर रहे हैं जो श्री दंडवते ने कहा है । वे मन्त्री महोदय से कोई स्पष्टीकरण नहीं मांग रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री जैनुल बशर : जितना समय श्री मधु दंडवते ने लिया है मैं भी उतना समय लेने का हकदार हूं ।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, उन्हें और अधिक समय दिया जाना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात को प्रश्न के रूप में प्रस्तुत करें ।

[हिन्दी]

श्री जैनुल बशर : महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद । किन्तु इसका तरीका यह नहीं है ।

(व्यवधान)

दंडवते जी जनता पार्टी की सरकार में बड़े सम्मानित मन्त्री थे, उस समय नैतिकता कहां चली गई थी जबकि एक प्रदेश के मुख्य मन्त्री ने नेपाल में रुपया जमा करने के लिए भेजा था ? मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, यह पूरी घटना सभी को मालूम है कि एक प्रदेश के जनता पार्टी के मुख्य मन्त्री ने... **(व्यवधान)**

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं उसमें नहीं था, मुझे इतना ही पता है ।

श्री जैनुल बशर : लेकिन जब आप मंत्री थे तब यह घटना घटी थी । उस समय एक प्रदेश के मुख्य मंत्री ने 50 लाख रुपया नेपाल में जमा किया था और वह हेलीकाप्टर या स्टेट प्लेन जो भी कुछ हो, वह पकड़ा गया था । उस समय दंडवते जी ने क्या कार्यवाही की थी ? यह अखबारों में आया था । यह खुली हुई बात है और सारी चीज साफ है । शायद वे मुख्य मंत्री अब उस पार्टी में भी नहीं हैं जिसमें पहले रहा करते थे, लेकिन उस समय वे जनता पार्टी के सदस्य थे ।

इसी प्रकार से उस समय के प्रधान मन्त्री (जनता पार्टी के प्रधान मन्त्री) जो थे उनके लड़के को लेकर बहुत सी बातें उठाई गई थीं, जाँच-पड़ताल भी हुई थी और राज्य सभा में एक आरोप-पत्र भी दिया गया था ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह क्या है ? व्यवधान मत डालें । व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है । कृपया बैठ जाइए । आप इस प्रकार माननीय सदस्य के भाषण में व्यवधान नहीं डाल सकते हैं ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : वे सदा दंडवते जी का उल्लेख करते रहते हैं ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए । आपके व्यवस्था के प्रश्न को स्वीकार नहीं किया गया है । मैंने आपका व्यवस्था का प्रश्न स्वीकार नहीं किया है । बस, बात समाप्त हुई ।

[हिन्दी]

श्री जैनुल बशर : जब दूसरे के घर में कोई ढेला फैंके तो अपने शीशे के घर को भी याद रखे । उसको मत भूलिए ।

आरोप पत्र दिए गए थे । अगर उसको लेकर मधु दंडवते साहब इस्तीफा दे दिए होते तो हीरो बन जाते । बड़ा नाम हो जाता उनका । लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया ।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : मैं अब भूतलक्षी प्रभाव से त्यागपत्र नहीं दे सकता हूँ ।

[हिन्दी]

श्री जैनुल बशर : उसके बाद जनता पार्टी के जमाने में सोना बेचा गया । गोल्ड कन्ट्रोल इन्क्वायरी कमीशन बैठा । उसकी इन्क्वायरी हुई ।

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या हो रहा है ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या कोई आपत्तिजनक बात कही गई है ?

श्री सुरेश कुरुप : क्या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में इसकी अनुमति है ?

श्री जैनुल बशर : किसी दिन आप भी अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाएंगे। आप इस बात को भूले नहीं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आपसे सहमत हूँ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय वे बोल रहे हैं। आप उनके भाषण में व्यवधान क्यों डाल रहे हैं ? कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री जैनुल बशर : जब दंडवते साहब बोल रहे थे तो आपने इस तरह से तर्क क्यों नहीं किया था ?

गोल्ड कन्ट्रोल कमीशन की इन्क्वायरी की रिपोर्ट पर इसी हाउस में पिछली बार डिसकशन हुआ, उस समय उनकी नैतिकता कहाँ गई थी ? जहाँ तक इस मामले का ताल्लुक है, इसमें बता दिया गया कि पहले दो लोग पकड़े गए।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मैं बताता हूँ, वैद्यलिंगम कमीशन भूल गए।

श्री जैनुल बशर : पहले पकड़े गए, श्री चन्द्रकांत शिवभाई अमीन और श्री नानावती। दोनों ने बताया कि यह पैसा श्री अुगेश का है। अुगेश साहब को भी पकड़ लिया गया। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, क्या अुगेश साहब ने यह बताया है या नहीं बताया है कि यह पैसा **··· के चीफ मिनिस्टर का है ? जब इन दोनों से पूछताछ की गई, तो उन्होंने तीसरा नाम बता दिया कि इनका पैसा हम लेकर जा रहे थे। क्या तीसरा व्यक्ति पकड़ा गया और पूछताछ करने पर क्या इसने यह बताया कि यह पैसा····**···के मुख्यमंत्री का है, जिसको वे कहीं जमा करने के लिए ले जा रहे थे ? अगर उन्होंने नहीं बताया है, यह बताया है कि मेरा पैसा है तो इसमें **····के चीफ मिनिस्टर का क्या होता है। अगर बता दिया है कि चीफ मिनिस्टर का है···

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : आप चांस देंगे।

श्री जैनुल बशर : अगर उन्होंने बता दिया है कि हमको ले जाने के लिए **····के चीफ मिनिस्टर ने पैसा दिया था, तो मैं मंत्री जी से चाहता हूँ कि वे इस बात को मत दोहरायें, जो जनता पार्टी ने अपने मुख्य मन्त्री को बचाने के लिए की थी, पचास लाख रुपया जो उन्होंने जमा किया था। अगर ऐसा हुआ है, तो मुख्य मंत्री के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिऐ। इसमें कोई दो रायें नहीं हैं। हमारी सरकार ने देश की जनता से साफ-सुथरी सरकार देने के लिए वायदा किया है। इसलिए अब चाहें कोई भी हो, कहीं का भी मुख्य मंत्री हो, उसे किसी भी तरह से माफ नहीं करना चाहिए। इस बारे में तो मंत्री जी बतायेंगे कि यह बताया है या नहीं बताया है।

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

जहां तक उनसे संबंध का सवाल है, उसका मुख्यमन्त्री से संबंध है, इसलिए उसका पैसा हो सकता है। यह बात तो मधु दण्डवते जी भी जानते हैं, वे भी राजनीति में हैं और हम भी राजनीति में हैं। बहुत से लोग हम लोगों के पास आया-जाया करते हैं। आपके पास भी बहुत से लोग आया-जाया करते हैं। अगर वह चोरी पकड़ी जाए, तो मधु दंडवते जी के यहां आते-जाते थे, उन्हीं का माल ले जा रहे होंगे।

प्रो० मधु दण्डवते : हमारे पास ले जाने के लिए भी कुछ नहीं है।

श्री जैनुल बशर : मेरे पास तो आते-जाते नहीं हैं।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : एक चोर मेरे घर चोरी करने आये और उन्होंने मुझे गालियां दी कि मेरे घर में चोरी करने के लिए कुछ नहीं था।

श्री जैनुल बशर : दंडवते साहब, कम से कम आपके पास पिस्तोल ,नकली पिस्तोल तो है।

प्रो० मधु दण्डवते : वह एस० एच० ओ० से लिया गया था।

[हिन्दी]

श्री जैनुल बशर : इस हाउस में आपने दिखाया है, आपके पास पिस्टल है, बड़ी खतरनाक चीज है। आप पिस्टल हथियार रखे हुए हैं। अगर वह इल्लिगल हथियार पकड़ लिया जाए और कहे कि दंडवते साहब का है, तो आपके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है।

अगर चीफ मिनिस्टर दोषी है तो उसके खिलाफ कार्यवाही हो। श्री भ्रुगेश की जो पत्नी हैं, उनका नाम शायद पारुल भ्रुगेश है, इनका आर० एस० एस० से कनेक्शन है, ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के फंक्शन में जाती हैं, वहां चीफ-गेस्ट होती हैं, इसलिये ये आर०एस० एस० के साथ हैं, हो सकता है इनका कोई भाई या रिश्तेदार जनता पार्टी में भी हो।

मधु दण्डवते जी इसकी एन्कवायरी करें, शायद जनता पार्टी में भी कोई होगा। गुजरात यूनिट को पत्र लिखकर पता लगायें। जब लोग कांग्रेस की तरफ जाते हैं, आर० एस० एस० में हैं तो जनता पार्टी में भी हो सकते हैं।

जहां तक स्टेडियम बनाने का सवाल है, यह स्टेडियम उनके घर का नहीं है। यह तो सार्वजनिक चीज है, उसमें टेस्ट-मैचेज भी हुए हैं, इसको नाम कोई भी दे दीजिये।

बहुत अच्छा काम है। इसे कोई भी कर सकता है। कहीं भी चन्दा इक्ट्ठा किया जा सकता है, इसमें आपत्तिजनक कोई बात नहीं है, सारा काम ठीक प्रकार से हो रहा है। जहां तक इस सारे मामले का ताल्लुक है, इसकी जांच हो रही है और मुझे आशा है कि वित्त मंत्री जी किसी को भी नहीं बक्शेंगे। इस कालिंग एटेन्शन में प्रो० मधु दण्डवते साहब ने राजनीति को घुसाने की कोशिश की है। मैं इसकी निन्दा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। एक प्रकार से उनकी आदत हो गई है कि हर बार अखबारों में देखा करते हैं कि किसकी दोस्ती कहां पर है।

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने जो भाषण किया है उसके बारे में आपकी राय क्या है ?

श्री अंतुले बशर : मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। आपका भाषण इस मामले में केवल राजनीति घुसेड़ने का है, इस कार्यवाही में मदद करने का नहीं है। अगर मदद करना चाहते और आपके पास कोई डेफिनेट इन्फर्मेशन होती तो आप वित्त मंत्री जी को चुपके से बतला देते, तब मैं समझता कि आपने सही काम किया है, बनिस्बत यहां पर इस तरह से उठाने के। इस तरह से राजनीतिक कीचड़ उछालना अच्छी बात नहीं है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : माननीय सदस्य ने जो यह कहा कि इस प्रश्न में राजनीति नहीं घुसानी चाहिये थी, मैं उनसे बिलकुल सहमत हूँ—न प्रश्न में राजनीति घुसे और न कार्यवाही में। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पत्नी का आर० एस० एस से सम्बन्ध था या कोई मुख्य मंत्री नेपाल गया था या भूतपूर्व प्रधान मंत्री के पुत्र का जिक्र किया—मेरी दृष्टि में इनका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

जहां तक श्री अ्रुगेश के बयान का सम्बन्ध है, उन्होंने अपने बयान में क्या कहा, मुख्य-मंत्री का पैसा है या किसका पैसा है इस सम्बन्ध में जब श्री अ्रुगेश से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह रुपया उन्हीं का है, खुद का रुपया है और उन्होंने दो व्यक्तियों के माध्यम से खरीदा था—दीपक शाह और प्रशांत नायक। जिनमें दीपक शाह को अरेस्ट कर लिया गया है। उन्होंने मुख्य मंत्री** का पैसा है, ऐसा नहीं कहा था।

[अनुवाद]

श्री हरुभाई मेहता (अहमदाबाद) : मन्त्री महोदय ने चूंकि यह कहा है कि श्री अ्रुगेश का वक्तव्य ·····** मुख्य मन्त्री को संसक्त नहीं करता, क्या प्रो० मधुदंण्डवते मुख्य मन्त्री के विरुद्ध लगाये गये अपने आरोप को वापस ले लेंगे ?

प्रो० मधु दण्डवते : मैं एक भी शब्द वापस नहीं लूंगा। मैं इस सभा में कहे गये अपने हर शब्द को सही सिद्ध करने के लिए तैयार हूँ।

1.30 म० प०

समाचार-पत्र संस्थानों के श्रमजीवी पत्रकारों और गैर-पत्रकार समाचार-पत्र कर्मचारियों के लिए मजदूरी बोर्डों के गठन के बारे में वक्तव्य

[हिन्दी]

श्रम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अंजैया) : माननीय सदस्यों को मालूम है कि श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 के अधीन श्रमजीवी पत्रकारों के लिए न्यायमूर्ति श्री दिवेतिया की अध्यक्षता में प्रथम मजदूरी बोर्ड गठित किया गया था जिसके निर्णय मई, 1958 में प्रकाशित किए गए थे। श्रमजीवी पत्रकारों के लिए दूसरा मजदूरी बोर्ड न्यायमूर्ति श्री शिन्डे की अध्यक्षता में 1963 में गठित किया गया था और सरकार ने इसकी अधिकांश सिफारिशों को 1967 में स्वीकार कर लिया था। गैर-पत्रकारों के लिए दूसरे

**कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

मजदूरी बोर्ड और श्रमजीवी पत्रकारों के लिए तीसरे मजदूरी बोर्ड का गठन क्रमशः जून, 1975 और फरवरी, 1976 में किया गया था। इन मजदूरी बोर्डों के कार्यकरण में अनुभव की गई कठिनाइयों को देखते हुए, सरकार ने 1955 के अधिनियम में संशोधन करने का निर्णय लिया ताकि मजदूरी बोर्डों के स्थान पर एक व्यक्ति की अध्यक्षता वाले अधिकरणों को गठित किया जा सके। तदनुसार इस अधिनियम में 1979 में संशोधन किया गया। इन अधिकरणों ने सरकार को अगस्त, 1980 में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कीं और कुछ परिवर्तनों के अध्यधीन सरकार ने उनकी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया जिन्हें कि दिसम्बर, 1980 में अधिसूचित किया गया था।

सरकार को श्रमजीवी पत्रकारों और गैर-पत्रकार समाचार-पत्र कर्मचारियों-दोनों के लिए नए मजदूरी बोर्डों के गठन के लिए लगातार अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं। तदनुसार इस उद्देश्य के लिए नए मजदूरी बोर्डों को गठित करने का निर्णय लिया गया है। अब हम इन मजदूरी बोर्डों को गठित करने की कार्रवाई कर रहे हैं। मैं श्रमजीवी पत्रकारों तथा गैर-पत्रकार कर्मचारियों और समाचारपत्र प्रतिष्ठानों के प्रबंधकों के सभी प्रतिनिधियों से अपील करता हूँ कि वे सरकार को अपना सहयोग दें ताकि इन बोर्डों की रिपोर्टों को शीघ्र अन्तिम रूप दिया जा सके और उनकी सिफारिशों को लागू करने के बारे में विचार किया जा सके।

1.32 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री खुर्शीद आलम खाँ दोपहर 2 बजे श्रीलंका पर वक्तव्य देंगे। अब नियम 377 के अधीन मामले लिये जायें।

(एक) विभिन्न रोगों से बचाव के लिए बच्चों को टीके लगाने के लिए पर्याप्त धन आवंटित करने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्रीमती माधुरी सिंह (पूर्णिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत बोल रही हूँ।

बच्चे देश की अमूल्य सम्पत्ति हैं क्योंकि स्वस्थ बच्चों पर देश का भविष्य निर्भर करता है। हमारे देश का भविष्य स्वस्थ बच्चों पर निर्भर है। वर्तमान में देश में बच्चों को विभिन्न प्रकार के रोग हो रहे हैं। पेचिश, खांसी, पोलियो, क्षय रोग आदि बीमारियां बच्चों को ग्रस्त कर रही हैं। अतः बच्चों को रोग निरोधक टीके लगाने की आवश्यकता है। यद्यपि बच्चों को रोग निरोधक टीके लगाने का उत्तरदायित्व पूरे तौर पर केन्द्रीय सरकार पर है परन्तु अब तक केवल 50 प्रतिशत बच्चों को ही इस योजना के अन्तर्गत शामिल किया गया है। इस कार्य पर छठी योजना में केवल 60 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई थी। देश के सब राज्यों में इस योजना का लाभ अभी बच्चों को नहीं मिल रहा है। टीकों के देश में उत्पादन या आयात

[श्रीमती माधुरी सिंह]

की पूरी व्यवस्था अभी नहीं हुई है क्योंकि रोग-निरोधक टीके लगाने के कार्यक्रम से इनके उत्पादन का प्रश्न भी जुड़ा हुआ है। इसके साथ ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर बच्चों को विटामिन ए देने का भी पूरा प्रबन्ध होना चाहिये।

सरकार से मेरा अनुरोध है कि देश के सब भागों के बच्चों को रोग निरोधक टीके लगाने की विस्तृत योजना शीघ्र लागू की जाये और इसके लिए आवश्यक रकम आवंटित की जाये ताकि यह कार्य शीघ्र शुरु हो सके।

1.34 म० प०

(श्री जैनुल बशर पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

(दो) श्रमिकों को भुखमरी से बचाने के लिये फुलवाड़ी काटन मिल्स, पटना (बिहार) को पुनः चालू करने की आवश्यकता

श्री सी० पी० ठाकुर (पटना) : महोदय, बिहार में पटना की फुलवाड़ी काटन मिल्स बड़े अरसे से रुग्ण चल रहा है। कुछ श्रमिक मौत के मुंह में चले गये हैं और शेष भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। इस सम्बन्ध में मामला कभी राज्य सरकार के पास पहुंचता है तो कभी केन्द्र सरकार के पास किन्तु समाधान होता नजर नहीं आता। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करें तथा इन मिलों को पुनः चालू करवायें ताकि हजारों श्रमिकों को भुखमरी से बचाया जा सके।

(तीन) बाहरी दिल्ली में 1981 से पहले बने अनधिकृत मकानों में रहने वाले लोगों को बिजली के कनेक्शन देने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री भरत सिंह (बाह्य दिल्ली) : सभापति महोदय, बाहरी दिल्ली में लाखों परिवारों की संख्या में पुराने अन-अथोराइज्ड मकान सन् 1981 से पहले के बने हुए हैं और इन मकानों में गरीब स्तर के लोग रहते हैं। लाखों की संख्या में बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। दिन में तो स्कूल जाते ही हैं, परन्तु बिजली की लाईट के बिना वे घर में नहीं पढ़ सकते। जो बच्चे उन मकानों में मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ते हैं, पूरी रोशनी न होने के कारण उनकी आंखें कमजोर हो जाती हैं। इन आबादियों में जो बाहरी दिल्ली में जगह-जगह पर बसी हुई है, स्ट्रीट लाईट न होने के कारण अंधेरा रहता है और चोरियां हो जाती हैं, जिससे इन गरीब परिवारों को नुक्सान होता है। इन देहाती क्षेत्रों की गलियों में पानी भरा रहता है। 612 कालोनी हर गांव से मिलते हुए लाल डोरे से बाहर हैं। इनको बिजली की अत्यंत आवश्यकता है। सन् 1981 से पहले जो मकान बने हुए हैं, चाहे गांव में हैं या कालोनी में, उनको बिजली के बिना बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बीस-सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत गरीब लोगों को बिजली व पानी देने का जल्दी से जल्दी प्रबंध करें।

(चार) पश्चिम बंगाल के विशेष रूप से हावड़ा के, रुग्ण और बन्द पड़े कारखानों को फिर से चालू करने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी (हावड़ा) : महोदय हावड़ा को हमारे देश के औद्योगिक मान-चित्र में भारत का शेफील्ड अथवा बर्मिघम कहा जाता था। किन्तु पिछले अनेक वर्षों से ऊर्जा संकट, कुप्रबन्ध, सट्टेबाजी के करण समय पर कच्चे माल की पूर्ति न होने तथा वित्तीय संस्थाओं तथा बैंकों द्वारा सहानुभूति का रवैया न अपनाये जाने के कारण वहाँ उद्योग रुग्ण हो गये हैं तथा पटसन तथा इन्जीनियरिंग क्षेत्र में अनेक छोटे बड़े उद्योग बन्द हो गये हैं। 40,000 से अधिक मजदूर भुखमरी का सामना कर रहे हैं।

प्रमुख उद्योगों की सहायक ईकाइयां ऊर्जा संकट के कारण बन्द होने जा रही हैं।

हावड़ा की प्रतिष्ठित बन ऐंड स्टेंडर्ड कम्पनी वेगन निर्माताओं के आदेशों में अत्यधिक कमी आ जाने के कारण प्रभावित हुई है।

कुप्रबन्ध को समाप्त करने की सरकार की नीति को शीघ्र ही वास्तविक रूप से लागू किया जाना चाहिए।

उद्योग मन्त्री महोदय को पश्चिम बंगाल विशेषकर हावड़ा में रुग्ण एवं बन्द पड़े एककों के मामले पर शीघ्र विचार करने के लिये वित्त तथा वाणिज्य मन्त्रालयों के अधिकारियों तथा पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधियों की बैठक तुरन्त बुलानी चाहिए।

हावड़ा में उद्योगों को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से उद्योग मन्त्री तथा वित्त मन्त्री को हावड़ा में बड़ी औद्योगिक इकाइयां अथवा संयन्त्र स्थापित करने हेतु सातवीं योजना के लिए विस्तृत योजनाएं पेश करनी चाहिये ताकि वहां के सहायक उद्योगों को बचाया जा सके।

(पांच) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली नौकाओं से कम गहरे पानी में मछली पकड़े जाने से निर्धारित कानूनों का उल्लंघन तथा उनके द्वारा मछली पकड़ने के कार्य को 200 मीटर से अधिक गहराई वाले क्षेत्र तक सीमित करने की आवश्यकता

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : पूर्वीतट पर गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले लगभग 80 आधुनिक ट्रालरों के आजाने के परिणामस्वरूप वहाँ के परम्परागत मछुआरों तथा यन्त्रीकृत नौकाओं के मछुआरों की आजीविका खतरे में पड़ गई है। ट्रालरों से अंधाधुंध मछली पकड़ने के कारण पूर्वी तट से गहरे पानी में मछलियों की उपजातियां विलुप्त होती जा रही हैं।

बड़ी-बड़ी समुद्री खाद्य निर्यातक कम्पनियों द्वारा लिए गए ये ट्रालरें प्राय: मछली पकड़ने के आधारभूत नियमों का भी पालन नहीं करते। वे प्राय: कम गहरे पानी में मछलियां पकड़ कर निर्धारित कानूनों का उल्लंघन करते हैं। इसके अतिरिक्त, इन ट्रालरों द्वारा निर्धारित मात्रा से अधिक मछलियां पकड़े जाने के कारण बंगाल की खाड़ी की रेत पट्टियों में झींगा मछलियों के प्रजनन स्थलों को भी खतरा पैदा हो गया है।

यदि इन ट्रालरों के कार्यचालन पर नियन्त्रण करने के लिये कदम न उठाये गये तो पूर्वी तट पर समुद्रीय संसाधन समाप्त हो जायेंगे। इन ट्रालरों को पश्चिमी तट के समीप भी

[श्री सोमनाथ रथ]

मछलियां पकड़ने से रोकना चाहिए क्योंकि उनके द्वारा वहां मछलियां पकड़ने से समुद्री संसाधनों में कमी आ गई है। इस प्रकार का प्रतिबन्ध पूर्वी तट पर भी लगाना होगा।

मैं यह मांग करता हूँ कि इन ट्रालरों के लिये लाइसेंस जारी न किये जायें और इनके संचालकों को 200 मीटर से अधिक गहरे पानी में से ही मछलियां पकड़ने के लिए बाध्य किया जाए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये ट्रालर मछली पकड़ने सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन न करें, समुद्री गश्त आरम्भ की जानी चाहिए।

(छः) **सांगोद (कोटा) में टेलीफोन आपरेटरों का अभद्र और उपेक्षापूर्ण व्यवहार तथा उपभोक्ताओं की शिकायतों को दूर करने तथा राष्ट्रीयकोष का नुकसान न होने देने की आवश्यकता।**

[हिन्दी]

श्री शांति धारीवाल (कोटा) : माननीय सभापति महोदय, मैं अपने संसदीय क्षेत्र कोटा के अन्तर्गत सांगोद नगर के टेलीफोन उपभोक्ताओं को टेलीफोन एक्सचेंज-कोटा में उनके द्वारा नगर से बाहर बुक करायी जाने वाली ट्रंक कालों में बरती जा रही अनियमितताओं एवं लापरवाही के संबंध में यह मामला उठाना चाहता हूँ।

जब स्थानीय टेलीफोन उपभोक्ताओं के द्वारा कोटा टेलीफोन एक्सचेंज में किसी भी बाहर के स्थान के लिए ट्रंक काल बुक कराने हेतु फोन किया जाता है तो कोटा का टेलीफोन एक्सचेंज या तो फोन उठाता ही नहीं है या फिर उठाता भी है तो काफी देर के पश्चात्। साथ ही जब उपभोक्ता द्वारा वहां के अधिकारियों से अपनी ट्रंक काल बुकिंग का टिकट नम्बर मांगा जाता है तो स्पष्ट उत्तर देते हैं कि कोई टिकट नम्बर नहीं मिलेगा। यदि आप हमारी शिकायत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं एवं अब आपकी इस ट्रंक काल पर बात नहीं करायी जाएगी। ऐसी स्थिति में वहां का आम उपभोक्ता काफी परेशान है।

मैं आपके ध्यान में यह भी लाना चाहता हूं कि कोटा-सांगोद एक व्यापारिक एवं औद्योगिक बाहुल्य क्षेत्र हैं एवं यहां के उपभोक्ताओं द्वारा प्रतिदिन सैकड़ों ट्रंक कालें कोटा-सांगोद से बाहर के लिए बुक करायी जाती हैं। ऐसी परिस्थिति में यहां के व्यापार पर इसका विपरीत असर पड़ रहा है। साथ ही विभाग को भी प्रतिमाह लाखों रुपए के राजस्व की हानि उठानी पड़ रही है।

मेरा माननीय संचार मंत्री जी से निवेदन है कि कृपया मामले की गंभीरता को देखते हुए इस पर तुरन्त कार्यवाही कराकर ऐसी व्यवस्था कराने की कृपा करें ताकि उपभोक्ताओं को होने वाली परेशानियों का निराकरण कराया जा सके एवं विभाग को होने वाले भारी राजस्व की हानि को भी रोका जा सके।

(सात) **पश्चिम बंगाल में विद्युत संकट तथा पश्चिम बंगाल की कलकत्ता विद्युत पूर्ति निगम और रवन पन-बिजली परियोजना के लिए ब्रिटेन और हंगरी द्वारा टी०जी० यूनिटों तथा टर्बो जेनरेटरों की आपूर्ति के प्रस्ताव पर विचार किए जाने की आवश्यकता**

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बंकुरा) : पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता विद्युत पूर्ति निगम के लिए टी० जी० एकक तथा पश्चिम बंगाल में रमन पन-बिजली परियोजना के लिए 4 टर्बो जेनेरेटरों के आयात के लिए दो प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को भेजे थे। ब्रिटेन से टी० जी० यूनिट आयात करने सम्बन्धी पहले प्रस्ताव के लिए केन्द्र सरकार ने आश्वासन दिया था कि वे ब्रिटेन द्वारा सहायता देने के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए तैयार हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने इस सम्बन्ध में वित्त मंत्री तथा उद्योग मंत्री के साथ बातचीत की थी। किन्तु तत्कालीन वित्त मंत्री ने पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री को सूचित किया था कि ब्रिटेन के प्रस्ताव पर अन्य उद्देश्य के लिए विचार किया गया था और उन्होंने सलाह दी थी कि इसके लिए राज्य सरकार को 'भेल' के साथ विचार-विमर्श करना चाहिए। किन्तु भेल द्वारा निर्मित टी. जी एकक का मूल्य ब्रिटेन से आयात किये जाने वाले एकक से अपेक्षाकृत अधिक है। कलकत्ता बिजली आपूर्ति निगम ने टी. जी. एकक के आयात करने के लिए ऋण लेने की अनुमति के लिये कहा है तथा अपने प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेज दिए हैं। केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को सूचित किया है कि चूंकि 'भेल' ने कीमतें कम कर दी हैं, कलकत्ता विद्युत पूर्ति निगम को भेल से सम्पर्क स्थापित करना चाहिये। पश्चिम बंगाल की सरकार के रमन पन-बिजली परियोजना के सम्बन्ध में भी यही स्थिति है। चूंकि हंगरी के मूल्य भेल के मूल्यों की तुलना में कम थे और भेल दीर्घकालीन ऋण अदायगी की प्रस्ताव भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था जबकि हंगरी ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया।

अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि राज्य में गम्भीर विद्युत संकट का सामना करने के लिए सरकार को इस पेशकश पर शीघ्र विचार करना चाहिए।

1.44 म०प०

संघ लोक सेवा आयोग के 32वें तथा 33वें प्रतिवेदनों तथा उनमें उल्लिखित आयोग की सलाह को न मानने के मामलों के सम्बन्ध में सरकार को ज्ञापन सम्बन्धी प्रस्ताव जारी

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा कार्य सूची की मद संख्या 10 पर विचार करेगी।

श्री रामचन्द्र रेड्डी अपना भाषण जारी रखें।

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी (हिन्दूपुर) : कल सभा को स्थगित किए जाने के समय में मैं बेरोजगारी की समस्या तथा भर्ती की आयु बढ़ाने के बारे में बोल रहा था। आज मैं बेरोजगारी की समस्या से सम्बन्धित कुछ तत्यों का उल्लेख करूंगा। बेरोजगारी की समस्या हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है। मोटे तौर पर अनुमानत: लगभग 450 लाख व्यक्तियों के नाम रोजगार कार्यालयों में दर्ज हैं। हर साल यह संख्या 10 से 12 लाख तक बढ़ जाती है और संघ लोक सेवा

[श्री के० रामचन्द्र रेड्डी]

आयोग का यह दायित्व है कि इनमें से सरकारी सेवा के योग्य व्यक्तियों का चयन करे। किन्तु ऐसा करते समय यहां मतभेद इस बात का है कि जहां तक ग्रामीण व्यक्तियों का प्रश्न है, वे शहर में निवास करने वाले व्यक्तियों का मुकाबला नहीं कर पाते हैं। ग्रामीण लोगों को वैसी ही सुविधायें प्राप्त नहीं हैं जैसी कि शहरी व्यक्तियों का प्राप्त हैं। इसलिए, ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले व्यक्तियों के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग को एक संशोधित फार्मूला तैयार करना चाहिए।

जहां तक ग्रामीण लोगों का संबंध है, वे लोग रोजगार कार्यालयों में एक बार अपना नाम दर्ज करा देने के बाद अपने-अपने गांवों को लौट जाते हैं और कृषि कार्य में व्यस्त हो जाते हैं। तेलगु शिक्षकों के लिए साक्षात्कार लेते समय मुझे एक विशेष मामले की जानकारी मिली। ग्रामीण क्षेत्र के एक उम्मीदवार से, जिसने 10 या 12 वर्ष पूर्व अपना नाम दर्ज कराया था, जब मैंने उससे तेलग भाषा के बारे में प्रश्न पूछे तो उसने कहा कि सम्पर्क में न रहने के कारण वह भूल गया है। वह चाहता था कि उसे रोजगार दे दिया जाय और इसके बाद वह दोबारा भाषा की कमी को पूरा कर लेगा। जब स्थिति यह है कि जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों को वापस चले जाते हैं, वे वहीं बस जाते हैं तथा वे विषय से सम्पर्क नहीं रख पाते हैं और परिणाम-स्वरूप समान स्तर की प्रतियोगिता में शहरी क्षेत्रों के व्यक्तियों का मुकाबला नहीं कर पाते हैं; तब ऐसी स्थिति में कोई न कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले व्यक्तियों को रोजगार दिया जा सके। इसके लिए उचित यह होगा कि ग्रामीण व्यक्तियों के लगभग 70 से 80 प्रतिशत स्थान आरक्षित कर दिए जायें और शेष स्थान शहर में रहने वालों के लिए छोड़ दिये जायें।

इसके अलावा महोदय, जो पहले से ही सेवा में हैं, उनके पुत्रों, पुत्रियों और संबंधियों को उन लोगों से अधिक रोजगार प्राप्त हो जाते हैं, जो सरकारी सेवा से संबद्ध नहीं हैं। यह सर्वेक्षण किया जाना चाहिये कि जो लोग सरकारी सेवा में हैं उनसे संबद्ध कितने व्यक्तियों ने नाम दर्ज कराये थे और कितने व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हो गया है। इससे पता चलेगा कि उनके पुत्रों और संबंधियों को अधिक रोजगार प्राप्त हुए हैं जिससे उन ग्रामीण व्यक्तियों को हानि हुई जिन्हें रोजगार की आवश्यकता है। इसलिए, मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि वह कृपा करके एक सर्वेक्षण करायें और यह देखें कि कर्मचारियों के कितने संबंधियों को रोजगार प्राप्त है और ग्रामीण बेरोजगारों के लिए कुछ स्थान निर्धारित करने के बारे में भी सुनिश्चित करें। मेरा विचार है कि प्रति परिवार कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार अवश्य मिलना चाहिए।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों के बारे में यदि उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिलते हैं तो उन स्थानों को नहीं भरा जाता है। उन स्थानों को 2-3 वर्ष तक और कुछ मामलों में 5-6 वर्ष तक रिक्त रखा जाता है। यदि चिकित्सा सेवाओं, कालेजों और स्कूलों आदि से संबंधित इन स्थानों को रिक्त रखा जाता है तो अन्ततोगत्वा जनता को ही असुविधा होती है। इसलिये, मेरा सुझाव यह है कि उपयुक्त उम्मीदवारों के न मिलने की स्थिति में, इन पदों को अधिक समय तक रिक्त नहीं रखा जाना चाहिए अपितु अन्य जातियों के उपयुक्त उम्मीदवार भर्ती कर लिए जाने चाहिए। अधिक समय तक इन पदों को रिक्त रखने की पद्धति समाप्त कर देनी चाहिए। सरकार ने कुछ कोटि के पदों के लिए छूट देकर उन्हें संघ लोक सेवा आयोग के नियंत्रण से बाहर रखा है। सरकार का कहना है कि इन पदों की भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नहीं की जानी चाहिये। इस प्रकार जो लोग अपने प्रभाव का उपयोग कर सकते हैं

वे इन नौकरियों को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे पदों पर मंत्रालय और विभाग अपने प्रियजनों को और उन लोगों को भर्ती कर लेते हैं जो उन्हें प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए रोजगार के मामले में छूट देने की पद्धति कड़ाई के साथ समाप्त कर देनी चाहिये। सरकार को चाहिए कि वह किसी को भी छूट न दे। ये सारी बातें संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से होनी चाहिये।

जहां तक अनियमित नियुक्तियों का संबंध है मंत्रालयों और विभागों का यह रवैया रहा है कि वे अपनी रुचि के लोगों को 4 या 5 वर्ष तक नियुक्त रखते हैं। इसके बाद वे आयोग से यह कहते हैं ये व्यक्ति 4 या 5 अथवा 6 वर्षों से नियुक्त है इसलिये चयन करते समय इन व्यक्तियों को कुछ छूट दी जाये अथवा कुछ प्राथमिकता प्रदान की जाये जिससे कि इन व्यक्तियों को लिया जा सके। महोदय, अब मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह एक बुरी पद्धति हैं और इसे समाप्त कर देना चाहिए। ये सभी पद लोक सेवा आयोग के क्षेत्राधिकार में रहने चाहिए। ऐसे मामलों में संघ लोक सेवा आयोग की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। इन व्यक्तियों की अन्य बेरोजगार व्यक्तियों के बराबर समझा जाना चाहिए और इस आधार पर कि उन्होंने 4 या 5 अथवा 6 वर्ष तक सेवा की है, कोई प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए। यह मेरा प्रस्ताव है।

इसके अतिरिक्त, जहां तक अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों की नियुक्ति का प्रश्न है, उसके लिए साक्षात्कार लिया जाता है। जब साक्षात्कार के लिये पर्याप्त उम्मीदवार नहीं आते हैं, तब इन पदों को कई वर्ष तक रिक्त रखा जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इन पदों को अन्य श्रेणी के उपलब्ध उम्मीदवारों से भर लेना चाहिए।

जहां तक पुलिस सत्यापन का सम्बन्ध है, जब भी आयोग किसी व्यक्ति को नियुक्त करता है, तो पुलिस सत्यापन 6 महीने या एक वर्ष के भीतर हो जाना चाहिए। इसके लिये समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए। इस बात को आधार बना कर कि सत्यापन में समय लगता है, विभाग और मंत्रालय पहले से ही तदर्थ आधार पर या अनियमित रूप से नियुक्त व्यक्तियों को काम पर लगाये रखते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिये। इस पद्धति को समाप्त कर दिया जाये। मैं चाहता हूँ कि आयोग इस व्यवस्था का कोई नियम बनाये कि भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद इन व्यक्तियों को एक निर्धारित अवधि के भीतर अर्थात् 6 महीने या एक वर्ष के भीतर नियुक्त कर लिया जाए चाहे सत्यापन हो पाए अथवा न हो पाए। यह मेरा प्रस्ताव है। इस प्रयोजन के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए।

अनुशासनात्मक कार्यवाही के मामलों के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चुने गए उम्मीदवारों में से काफी उम्मीदवार राज्य सरकार की सेवाओं में काम करते हैं। कर्त्तव्य पालन में बरती गई किसी न किसी अनियमितता के कारण उक्त राज्य सरकारें कभी कभी ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करती हैं। ऐसे निलम्बन आदेशों को केन्द्र किसी न किसी आधार पर निरस्त कर देता है। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने अनुशासन के आधार पर 4 कर्मचारियों को निलंबित किया था। किन्तु केन्द्र ने उनके निलंबन आदेशों को निरस्त कर दिया और उन्हें उसी राज्य में तैनात कर दिया। ऐसी स्थिति में राज्य सरकारों को ऐसे मामलों से निपटने तथा नियम का पालन न करने वाले ऐसे सरकारी कर्मचारियों से काम लेने में बहुत कठिनाई होती है। ऐसी बातों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ऐसे मामलों का निर्णय तथा इस बात की जांच का मामला संघ लोक सेवा आयोग पर छोड़ देना चाहिए कि निलम्बन यथावत रखा जाय अथवा नहीं। ऐसा मेरा सुझाव है।

[श्री रामचन्द्र रेड्डी]

अब यह मेरा आखरी मुद्दा है। यह मुद्दा स्वयं संघ लोक सेवा आयोग के लिये नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों के संबंध में है। आयोग के लिये केवल उन्हीं व्यक्तियों को नियुक्त किया जाये जिनमें असाधारण योग्यता हो तथा जिनकी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी बेदाग हो। जिन व्यक्तियों का अतीत संदिग्ध रहा हो, ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा होने पर ही आयोग का कार्यनिष्पादन ठीक हो सकता है। विभिन्न लोक सेवा आयोगों का प्रबंध करने के लिये उपयुक्त व्यक्तियों के चुनाव के समय सरकार को बहुत सावधानी बरतनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ तथा आपने मुझे जो समय दिया, उसके लिये आपको धन्यावाद देता हूँ।

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : सर्व प्रथम, मैं माननीय मंत्री जी को, उनके परिचयात्मक भाषण के लिये धन्यवाद देता हूँ।

सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आयोग के तेतीसवें प्रतिवेदन तथा उसके अन्तर्गत उठाये गये कुछ मुद्दों की ओर दिलाना चाहता हूँ।

महोदय, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों का समुचित मूल्यांकन करने के लिए आयोग के 33वें प्रतिवेदन में यह कहा गया है:

> "(पांच) आयोग को यह कहते हुए दुःख होता है कि अपने पिछले प्रतिवेदनों में इस बारे में उसके द्वारा बार-बार अभिमतव्यक्त करने के बावजूद इस तरह के मामले निरन्तर होते रहे हैं जिनमें भावी उम्मीदवारों की जानकारी के लिए आयोग की परीक्षाओं की सूचनाओं में प्रकाशित करने के लिए मंत्रालय/विभाग रिक्त पदों की अनुमानित संख्या बताने में असमर्थ रहे हैं।"

उन्होंने अपनी सारणी में यह भी उल्लेख किया है कि अधिसूचित पदों की संख्या और अन्तिम रूप से बताई गई पदों की संख्या के बीच अनुभाग अधिकारियों/आशुलिपिकों आदि के मामलों में वृद्धि का प्रतिशत 683.33 और आशुलिपिक परीक्षा, 1982 के मामले में 781.82 हो गया था। इसलिए जब विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कतिपय पदों की संख्या का पूर्वानुमान लगाया जाता है तो बेहतर यह है कि सरकार आवश्यकता के अनुसार पदों का पता लगाए और इसकी सूचना लोक सेवा आयोग को दे, ताकि विभिन्न पदों को भरने के लिए विज्ञापन देते समय संघ लोक सेवा आयोग उसका उल्लेख करे। इस प्रकार उम्मीदवार विभिन्न श्रेणियों में खाली पदों की संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेगा और तदनुसार वे इस बात पर निर्णय ले सकेंगे कि क्या उन्हें एक विशेष श्रेणी के पदों के लिए आवेदन करना चाहिए या नहीं। अन्यथा परीक्षा के बाद एक विशेष श्रेणी के लिए बहुत कम पद उपलब्ध होने के कारण यदि उम्मीदवार चयन सीमा में नहीं आ सकता है तो उन्हें कई समस्याओं का सामना पड़ता है और वे बहुत समय तक बेरोजगार रहते हैं।

दूसरे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग हमेशा यह कोशिश करता है कि उनका चयन करके उन्हें प्रत्येक श्रेणी में उनके लिए

आरक्षित पदों के अपेक्षित प्रतिशत के द्वारा ही भरा जाए। लेकिन कई पद खाली रहते हैं और वे इन उम्मीदवारों से इन पदों को नहीं भर पाते हैं। इससे प्रशासन में बाधा ही नहीं पड़ती बल्कि बेरोजगारी की समस्या को सुलझाने में भी बाधा पड़ती है। इस विषय पर सरकार को तुरंत कार्रवाई करने की आवश्यकता है। इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग ने अपने प्रतिवेदन में यह भी बताया है कि कई मामलों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों को नहीं भरा जा सका है क्योंकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में अपेक्षित अर्हताओं के साथ नहीं आ रहे हैं या वे संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं में नहीं बैठ रहे हैं। ऐसी स्थिति में जैसा कि मेरे माननीय दोस्त ने बताया है कि यदि कई वर्षों तक पदों को खाली रखा जाएगा तो इसका प्रशासन पर प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा पिछले समय से बकाया पदों की संख्या बढ़ती जाएगी और एक समय ऐसा आयेगा जबकि सारे पद नहीं भरे जा सकेंगे और अन्य उम्मीदवार रोजगार का लाभ नहीं उठा सकेंगे। इस मुद्दे पर सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिए और जैसा कि माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि यदि एक अमुक वर्ष में अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या मे उपलब्ध न हो तो इन पदों को अनारक्षित कर दिया जाना चाहिए। मैं नहीं जानता कि इन पदों को अन्य उम्मीदवारों के द्वारा क्यों नहीं भरा जाता।

लोक सेवा आयोग ने अधिकारियों को स्थायी बनाने और उनकी पदोन्नति के मामलों में विलम्ब के बारे में भी संकेत दिया है। यदि उन्हें स्थायी करने में बिलंब होता है तो अधिकारी को काम में संतोष प्राप्त नहीं होता है। इसलिए मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि वह उचित समय के भीतर अधिकारियों को स्थायी करने पर विचार करें ताकि वे कार्य में संतोष के साथ प्रोत्साहन भी प्राप्त कर सकें।

संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया गया है:

"मंत्रालय/विभागों की ओर से होनेवाला इस प्रकार का विलंब न केवल सेवाओं के हित में है बल्कि इसका बुरा प्रभाव पड़ता है और इससे सेवा पद्धति के सभी लाभ खतम हो जाते हैं।"

कृपया इस पर विचार किया जाए और उन्हें समय पर स्थायी किया जाना चाहिए।

2.00 म० प०

आयोग ने प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण/स्थायी करने के मामलों को अन्तिम रूप देने के संबंध में होने वाले बिलम्ब को समाप्त करने के उपाय के बारे में भी जिक्र किया है। जब कभी किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता है तो पद के लिए उसकी उपयुक्तता का मुख्य मानदण्ड ध्यान में रखना चाहिए न कि यह कि अधिकारी अच्छा नहीं है तथा कुछ स्पष्ट कारणों से उसकी सेवा की आवश्यकताएं नहीं हैं इसलिए उसे कहीं और प्रतिनियुक्ति पर भेज दिया जाए। मानदण्ड यह होना चाहिए कि क्या संबंधित व्यक्ति के पास पद के लिए निर्धारित अहर्ताएं हैं या नहीं।

[श्री रामचन्द्र रेड्डी]

इसके अतिरिक्त प्रतिवेदन में आनिश्चित नियुक्तियों और बिलंब के संबंध में संकेत दिया है। इस मामले पर तुरंत कार्यवाही करने की आवश्यकता है। 33वें प्रतिवेदन के पैरा 26 में यह उल्लेख किया गया है :

"आयोग को यह नोट करते हुए दुःख हुआ है कि वे मामले जिन पर आयोग के साथ परामर्श करने में असाधारण विलंब हुआ या जिनमें शुरु से ही अनियमित नियुक्तियां हुई वर्ष के दौरान होते ही रहे। ऐसे कुछ मामलों का विवरण जिन्हें आयोग को भेजने में असाधारण बिलंब हुआ था और उन मामलों का विवरण जिनमें अनियमितताएं हुई हैं इसको दृष्टिगत रखते हुए आयोग ने उन नियुक्तियों को नामंजूर करने का निर्णय लिया है, परिशिष्ट अठारह और अठारह-क में दिया गया है।"

'प्रारंभ से' शब्द पर जोर दिया गया है, जहां तक संभव हो इससे बचना चाहिए।

इसके बाद, मैं मंत्री जी को उनके इस कथन पर बधाई देता हूं कि अब हमारे देश में आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं में उम्मीदवारों को अपनी भाषा में बैठने की छूट दी जा रही है। आयु में छूट सम्बन्धी प्रश्न पर भी दोबारा विचार करने की आवश्यकता है। क्या यह बेरोजगारी को समाप्त करेगी या यह बेरोजगार को बढ़ायेगी इस बात को ध्यान में रखते हुए इस पर विचार किया जाना चाहिए।

विरोधी दल से मेरे माननीय दोस्त ने कुछ विभागों के कुछ अधिकारियों को संघ लोक सेवा आयोग की सीमा से छूट देने की मंजूरी के बारे में बताया है। इस नियम के द्वारा किसी विभाग में नियुक्त अधिकारियों को संघ लोक सेवा आयोग के सामने पेश नहीं होना पड़ता है। मेरे विचार में इस प्रकार की छूट आवश्यक है। उदाहणार्थ कतिपय रक्षा संगठनों के लिए, या संसद सचिवालय आदि के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उन पर और आगे विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी किए गए ज्ञापन की एक प्रति मेरे पास है जिसमें संघ लोक सेवा आयोग की सलाह न मानने के कारण बताए गए हैं। इस प्रकार का एक मामला लगभग 3 व्यक्तियों का है जिन्होंने कतिपय सामान खरीदने के मामले में अनियमितताएं बरती थीं। केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने एक अधिकारी को दोष मुक्त करने की सिफारिश की है और अन्य दो अधिकारियों को साधारण दण्ड दिया गया है, आगे जांच के बाद संबंधित मंत्रालय ने प्रस्ताव किया कि दूसरे अधिकारी को कोई दण्ड नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि वह अन्य मामले में पहले से ही अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जा चुका है लेकिन जहां तक तीसरे का प्रश्न है, यह बताया गया है कि क्योंकि आयोग ने उसे भूल से दण्ड दिया है उसको बरी कर देना चाहिए। मैं माननीय मंत्री से स्पष्टीकरण चाहता हूं कि जब दूसरे अधिकारी को अपराधी पाया गया तो वह कब सेवानिवृत्त हो गया तथा यह अनिवार्य सेवानिवृत्त हुआ है। तीसरे अधिकारी को उसकी बराबरी पर कैसे रखा गया। यह एक प्रश्न है।

दूसरा प्रश्न दिल्ली दुग्ध योजना में ड्राइवर के बारे में है। हांलाकि उसकी अपील खारिज की गई थी और उसने बाद में माननीय राष्ट्रपति को याचिका पेश की थी तथा बिना

संचित प्रभाव से दो वर्षों के लिए वेतन में दो वेतन वृद्धि पर रोक लगाने का सुझाव आयोग ने दिया। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूँ कि चूंकि उसे सेवा से निकाल दिया गया है और सेवा में है और चूंकि यह मामला माननीय राष्ट्रपति को भेजा गया है तथा आयोग ने दो वेतन वृद्धि को बन्द करने का सुझाव भी दिया है तो क्या इससे न्याय प्राप्त होता है यदि उसे अनिवार्य सेवानिवृत्त किया जाता है ? जहां तक अन्य दो मामलों का संबंध है मेरा विचार है कि यह सही है कि सरकार ने इस संदर्भ को स्वीकार नहीं किया है क्योंकि यह प्रशासनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है।

अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि जब भी इस सम्मानित निकाय के लिए सदस्य चुने जाएं तो यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों को ही चुना जाए जो बुद्धिमान हों, निष्ठावान हों और सच्चरित्र हों क्योंकि वे कई मामलों में नियुक्ति के लिए सरकार को सिफारिश करते हैं। जिन्हें न केवल प्रशासन को चलाना होता है बल्कि देश को चलाने में भी योगदान करना होता है। धन्यवाद।

सभापति महोदय : श्री खुर्शीद आलम खां विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री अब एक वक्तव्य देंगे।

2.06 म०प०

श्रीलंका की स्थिति के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

विदेश मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : प्रधानमंत्री ने विदेश सचिव को श्रीलंका की यात्रा पर जाने के लिए कहा था और कोलम्बो की यात्रा करने के बाद वे कल स्वदेश वापस आ गए हैं।

चूंकि माननीय सदस्यगण श्रीलंका की स्थिति के बारे में बेहद चिन्तित हैं, इसलिए मैं उनकी यात्रा का और यात्रा के नतीजों का ब्यौरा दे रहा हूं। मैं इस बात का जिक्र करना चाहूंगा कि श्रीलंका के प्राधिकारियों ने एक प्रैस विज्ञप्ति जारी की थी जिसके अंश हमारे यहां कल के अखबारों में छपे हैं। यह न तो संयुक्त वक्तव्य था, न विज्ञप्ति।

विदेश सचिव ने श्रीलंका की यात्रा पर पहुँचने के बाद पहले ही दिन वहां के राष्ट्रपति से प्रारम्भिक विचार-विमर्श के लिए मुलाकात की थी। कोलम्बो से स्वदेश लौटने से पहले विदेश सचिव ने राष्ट्रपति से विस्तृत चर्चा के लिए फिर मुलाकात की।

विदेश सचिव ने अन्य लोगों के अतिरिक्त वहां के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री, गृह मंत्री तथा ग्रामीण एवं औद्योगिक विकास मंत्री से भी मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने अनेक प्रमुख व्यक्तियों से भी मुलाकातें कीं। इन मुलाकातों से उन्हें निःसंकोच विचार-विमर्श करने का मौका मिला और उनकी यह बातचीत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई।

[श्री खुर्शीद आलम खां]

विदेश सचिव की इस यात्रा का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय और द्विपक्षीय, दोनों प्रकार के मामलों पर विचार-विमर्श करना था। उनकी इन मुलाकातों के दौरान श्रीलंका की जातीय समस्या पर उसके सभी पहलुओं से विचार-विमर्श किया गया। श्रीलंका में हिंसाओं का सिलसिला जारी रहने पर और वहां की अस्थिर स्थिति पर दोनों ही ओर से चिन्ता व्यक्त की गई। श्रीलंका की स्थिति से जहां तक भारत पर प्रभाव पड़ने का सवाल है, इन पहलुओं पर भारत की चिंता से विदेश सचिव ने श्रीलंका के नेताओं को अवगत कराया। इनमें शरणार्थियों का प्रश्न और बड़ी मात्रा में उनका भारत में प्रवेश तथा मछेरों की स्थिति का मसला भी शामिल है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमारे प्रधानमंत्री ने हाल ही में बलपूर्वक यह बात कही है कि शरणार्थियों के लिए ऐसी परिस्थितियां पैदा की जानी चाहिएं जिनमें वे सुरक्षा और सम्मान की भावना के साथ अपने घरों को वापस जा सकें। उन्होंने भारतीय मूल के राज्यविहीन व्यक्तियों जैसे दूसरे मुद्दे भी अपनी बातचीत में उठाए।

विदेश सचिव ने आग्रहपूर्वक यह कहा कि जातीय समस्या का कोई ऐसा समाधान तत्काल खोजा जाना चाहिए जो सभी सम्बद्ध पक्षों को स्वीकार्य हो और जिससे तमिल समुदाय की जायज शिकायतें दूर हो सकें। यह काम बातचीत के जरिये किया जाना चाहिए। शत्रुता, लड़ाई, तनाव, शंका और अविश्वास की मौजूदा परिस्थितियां इस लक्ष्य के विपरीत काम कर रही हैं।

श्रीलंका का लक्ष्य अब यह होना चाहिए कि मौजूदा स्थिति सुधारी जाये, हिंसा को समाप्त किया जाए, सुरक्षा सेनाओं को हटाया जाए और स्थिति को सामान्य बनाया जाए। इससे राजनीतिक बातचीत का मार्ग प्रशस्त होगा।

जहां तक हमारा सवाल है, हम श्रीलंका की स्वतंत्रता, उसकी अखंडता, एकता और उसकी गुट-निरपेक्ष स्थिति के प्रति अपने समर्थन की पुनः पुष्टि करते हैं। श्रीलंका के विकास और प्रगति के लिए हम हर तरह से सहयोग देने के लिए तैयार हैं।

हम उम्मीद करते हैं कि श्रीलंका पिछले कुछ वर्ष के आघात से शीघ्र ऊपर उठ सकेगा और यह भी कि वह स्थायित्व और समृद्धि के मार्ग पर फिर से चलने लगेगा जो कि जातीय संकट के कारण अस्त-व्यस्त हो गया था। इस बात पर जोर दिया गया कि शांतिपूर्ण आर्थिक विकास तभी संभव हो सकेगा जबकि इस द्वीप राज्य में स्थिति सामान्य हो जाए। तमिलों की जायज आकांक्षाओं को पूरा करना स्पष्टतः श्रीलंका के नेताओं की जिम्मेदारी है। उन्होंने हमें यह आश्वासन दिया है कि इस बात की ओर से वे किसी दूसरे के मुकाबले में खुद ज्यादा इच्छुक हैं और वे इसकी गंभीरता की चुनौती और उसका मुकाबला करने की जिम्मेदारी की ओर से भी उतने ही सजग हैं। सहानुभूति और चिन्ता करने वाले मित्र-पड़ौसी के रूप में हम पूरी ईमानदारी के साथ अपना दोस्ती का हाथ उनकी ओर बढ़ाने को तैयार हैं। हमें श्रीलंका के नेताओं की ओर से भी ऐसे ही सद्भाव का विश्वास दिलाया गया है।

हमारे दोनों देशों के बीच सामान्य वाणिज्य को मजबूत किया जा रहा है और जहां यह अस्त-व्यस्त हो गया था, वहां संपर्क को पुनः स्थापित किया जा रहा है। इस बात पर सहमति हुई है कि जल्दी ही कोलम्बो और तूतीकोरन के बीच एक जहाजरानी सेवा शुरू की जाएगी और

इससे हमारे दोनों देशों के राष्ट्रिकों को लाभ पहुंचेगा। इस बात पर भी सहमति हुई कि अधिकारी स्तर पर दोनों देशों के बीच नियमित रूप से विचार-विमर्श के लिए संपर्क रहेगा जिसमें वे विभिन्न मसलों पर विचार-विमर्श करेंगे जिनमें दोनों देशों के बीच के मौजूदा परम्परागत और मैत्रीपूर्ण संबंधों को कायम रखने तथा उन्हें और मजबूत करने की मौजूदा समस्या भी शामिल रहेगी।

विचार-विमर्श का अगला मौका बहुत जल्दी मिलेगा जबकि श्रीलंका के विदेश मंत्री गुट निरपेक्ष समन्वय ब्यूरो की मंत्री-स्तरीय बैठक के लिए नई दिल्ली पधारेंगे।

2.12 म०प०

"संघ लोक सेवा आयोग के 32वें तथा 33वें प्रतिवेदन तथा उनमें उल्लिखित आयोग की सलाह को न मानने के मामलों के सम्बन्ध में सरकार के ज्ञापन संम्बन्धी प्रस्ताव"

(श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

श्री एन० टोम्बी सिंह (आंतरिक मणिपुर) : सभापति महोदय, संघ लोक सेवा आयोग के 32वें और 33 वें प्रतिवेदन पर चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। प्रारम्भ मे मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान 33वें प्रतिवेदन के पृष्ठ 36 पर उल्लिखित शीर्षक "पदोन्नतियां और स्थायी नियुक्तियां" की ओर आकर्षित करना चाहूँगा, जिसमें कहा गया है कि:

"इसके अतिरिक्त जम्मू और काश्मीर तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा और नागालैण्ड हेतु भारतीय वन सेवा के सभी तीनों संवर्गों के लिए पिछले तीन वर्ष से चयन समिति की कोई बैठक नहीं हुई है, क्योंकि सम्बन्धित राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था। तीन राज्यों–अर्थात–उत्तर प्रदेश, बिहार और मणिपुर–त्रिपुरा (भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा) के मामले में समिति की बैठकें इस कारण नहीं हो सकीं, क्योंकि जो तारीखें आयोग ने सुझाई थीं वे राज्य सरकारों को सुविधाजनक नहीं थी।"

यह एक गम्भीर भूल है, क्योंकि कतिपय क्षेत्र में तथा कतिपय समुदायों के लिए पदोन्नति कोटा एक बहुत ही गम्भीर मसला है क्योंकि जब एक बार समय पर पदोन्नति न देने पर यह सम्भव है कि अनेक अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा अथवा भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नति पाने का मौका प्राप्त किए बगैर ही सरकारी सेवा से निवृत्त हो जाएंगे। तथाकथित विशेष मामले में सूची में 192 पद भारतीय प्रशासनिक सेवा के, 153 पद भारतीय पुलिस सेवा तथा 94 पद भारतीय वन सेवा के थे। चयन समिति की बैठक तीन वर्ष तक नहीं हो सकी, जबकि इसमें अधिकारियों का कोई कसूर नहीं था।

[श्री एन० टोम्बी सिंह]

कतिपय मामलों में यह निश्चित नहीं होता है कि ऐसी बैठकें कब होंगी । सरकार को ऐसी खामियों को दूर करने का तरीका खोजना चाहिए । मणिपुर जैसे क्षेत्र की स्थिति विशेष प्रकार की है, क्योंकि यहां की एक-तिहाई आबादी अनुसूचित जन-जातियों की है तथा दो तिहाई गैर अनुसूचित जन जातियों की है । परन्तु, दूसरी ओर अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों को संरक्षण मिलने की वजह से तमाम आबादी का सामाजिक और शैक्षणिक स्तर एक जैसा है । वहां के अधिकारियों में गम्भीर असंतुलन उत्पन्न हो गया है, क्योंकि मणिपुर राज्य में 'मैतेई' समुदाय का बहुमत है, जो कि कुल आबादी का दो-तिहाई भाग है । वे योग्यता के आधार पर बाकी देश के लोगों के साथ मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि वे भी वही लोग हैं । अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों को संरक्षण मिला है, यह बड़ी अच्छी बात है; हमें इस संरक्षण से कोई ईर्ष्या नहीं है तथा हम आरक्षण के खिलाफ भी नहीं हैं परन्तु उल्लेखनीय मुद्दा यह है कि शेष देश में भी कुछ अन्य ऐसी जातियां अवश्य होंगी, जिन्हें ऐसी ही समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो । उन्हें सामान्य जाति का दर्जा दिया गया है परन्तु ऐसी प्रतियोगिताओं के लिए वे सामान्य जाति के दर्जे में नहीं आतीं । इस प्रकार, सीधे चयन के आधार पर बिना कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त किए वे दशाब्दियों से कष्ट उठा रहे हैं । जहां तक 'मैतेई' समुदाय का सम्बन्ध है भारतीय प्रशासनिक सेवा में तथा भारतीय पुलिस में उनके अधिकतम एक अथवा दो उम्मीदवार ही सीधे चयन में आते हैं । इस संदर्भ में, सरकार को चाहिए कि वह ऐसे समुदाय जो इस प्रकार की प्रतियोगिता में बेड समुदाय के लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते उसे कुछ संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करे । अत: भारतीय प्रसासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा अथवा अन्य भारतीय सेवाओं में इस समुदाय के लिए पदोन्नति का कोटा इतना अधिक महत्त्वपूर्ण है कि गृह मंत्रालय को ऐसे किसी तंत्र की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि सम्बन्धित राज्य सरकारें इन अधिकारियों की पदोन्नति के लिए आवश्यक सामग्री प्रस्तुत करने में असफल न हों ।

लोक सेवा आयोग को देश की एकता में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ती है, क्योंकि भारतीय सेवाओं को, चाहे वह पुलिस सेवा हो, अथवा प्रशासनिक सेवा अथवा वन सेवा जैसी कोई अन्य सेवा, इनके सदस्यों को न केवल प्रशासनिक मामलों और प्रबन्ध सम्बन्धी मामलों में ही प्रशिक्षण देना चाहिए बल्कि उन्हें वास्तविक स्थिति तथा उस उद्देश्य के बारे में, जिसकी पूर्ति उन्हें देश के विभिन्न भागों में, जहां उन्हें तैनात किया जाना होता है प्रेरित करने में देना चाहिए । उनके मन में यह भाव होता है कि वे उसी इंडियन सिविल सर्विस की परम्परा में हैं जो औपनिवेशिक युग में व्याप्त थी । वे ऐसा दृष्टिकोण लेकर विभिन्न स्थानों पर और पिछड़े इलाकों में जाते हैं तथा लोगों को और अपने अधीन काम करने वाले अधिकारियों को नीची नजर से देखते हैं । हमें उन्हें ऐसी आवश्यक प्रेरणा देनी चाहिए कि उनको न केवल प्रशासनिक मामलों का ही प्रशिक्षण दिया जाए बल्कि उन्हें प्रेरक तत्वों का प्रशिक्षण भी दिया जाए ।

भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के लोगों के लिए जहां भी वे सेवा का कार्य करें, वहां की स्थानीय भाषा सीखना अनिवार्य होना चाहिए । यह एक आवश्यकता है । औपनिवेशिक युग में यह अनिवार्य था कि सिविल सेवा के सदस्य को उस क्षेत्र की भाषा सीखनी चाहिए जहां उसे सेवा करनी है तथा उसे वहां के हालातों से भी परिचित होना चाहिए । परन्तु लगता है अब इस बात पर अधिक जोर नहीं दिया जाता है ।

मैं अब मंत्री जी का ध्यान लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के माध्यम की ओर दिलाना चाहूंगा। यहां आठवीं अनुसूची को दोहराना संगत है। आठवीं अनुसूची में संशोधन करने के बारे में लम्बी बहस हो चुकी है। बहुत सी भाषाएं आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की प्रतीक्षा में हैं। मैं उनके नाम का उल्लेख नहीं करना चाहता। परन्तु स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गान्धी के जीवन-काल में यह वचन दिया गया था कि कुछ अन्य भाषाओं के साथ मणिपुरी के मामले पर भी विचार किया जाएगा। चूंकि कतिपय भाषाओं में परीक्षा परीक्षाएं आयोजित की जाने लगी हैं, इसलिए यह प्रश्न बहुत महत्त्वपूर्ण हो गया है। तदुपरान्त वह समुदाय जिसकी भाषा राज्य की राजभाषा हो, जिसकी भाषा अनुवाद, उपन्यास, नाटक, निबन्ध, कविता और आधुनिक तथा सम-सामयिक साहित्य, आदि के प्रत्येक क्षेत्र अथवा उसकी प्रत्येक विभाग में पर्याप्त आगे हो सुविकसित हो इसकी मांग करती ही है। जब कुछ समुदायों को इससे वंचित रखा जाता है तो यह उसे मूलभूत रूप से वंचित करना है। मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि जब तक आठवीं अनुसूची में संशोधन नहीं किया जाता, तब तक यदि सभी परीक्षाएं हिन्दी और अंग्रेजी से भिन्न अन्य भाषाओं में आयोजित करनी पड़ें तो साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त सभी भाषाओं को परीक्षा का माध्यम बनाया जाना चाहिए। केवल तभी छोटे समुदायों और छोटे राज्यों की वैध मांगों की पूर्ति हो सकेगी।

इसके बाद, मैं जिस दूसरे मुद्दे का उल्लेख करना चाहूंगा वह परीक्षा की प्रक्रिया के बारे में है। मुझे परीक्षाओं के विरुद्ध कुछ नहीं कहना है, परन्तु उनकी प्रक्रिया में बड़ा समय लगता है। यह पहले वर्ष जनवरी में आवेदन पत्र देने से प्रारम्भ होती है, उसके पश्चात् अप्रैल में कभी प्रारम्भिक परीक्षा होती है, जिसका परिणाम जून-जुलाई में आता है. तत्पश्चात् नवम्बर में मुख्य परीक्षा होती है और उसके बाद मुख्य परीक्षा का अन्तिम परिणाम मार्च-अप्रैल में निकलता है। इसमें एक वर्ष से अधिक का समय लग जाता है। इस प्रकार इस परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों को एक वर्ष से अधिक समय तक इन्तजार करना पड़ता है। इसमें केवल समय ही नष्ट नहीं होता बल्कि इससे उम्मीदवारों की शारीरिक और मानसिक क्षमता पर प्रभाव भी पड़ता है। साथ ही बहुत से उम्मीदवार कई महीनों तक प्रतीक्षा करने की स्थिति में नहीं होते, क्योंकि यह निश्चित नहीं होता कि वे पास हो जाएंगे अथवा उन्हें दूसरा विकल्प चुनना होगा। इसलिए परीक्षा की इस समय लेने वाली प्रक्रिया पर विचार किया जाए। हमारा सुझाव है कि समय कम से कम आधा कर दिया जाए।

एक और बात जिसका हम उल्लेख कर सकते हैं वह आयु सीमा को 28 वर्ष से घटा कर 26 वर्ष करने के संबंध में है। इसमें समुचित आधार पर कमी की गई थी। परन्तु इसको किसी पूर्व सूचना के बगैर लागू कर दिया गया जबकि वैधानिक रूप से कम से कम तीन वर्ष का समय दिया जाना चाहिए था। 28 वर्षीय उम्मीदवारों को दूसरा अवसर भी दिया जाना चाहिए। यदि उन्हें अवसर भी दिया जाए तो यह एक अच्छी बात होगी। यह परिस्थिति की मांग है कि उन्हें दूसरा अवसर दिया जाए, ताकि जिन उम्मीदवारों को अवसर मिलना अपेक्षित था तथा जिनके अवसर कम होकर दो रह गए थे, उनको एक और अवसर मिल सके। यदि ऐसा कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत से उम्मीदवारों की शिकायतें दूर हो जाएंगी।

श्री सुधीर राय (बर्दवान) : आयोग के 32वें और 33वें प्रतिवेदन से इस बात का पता चलता है कि उसको कितना भारी-भरकम काम करना पड़ता है। और उन्होंने अपने काम को

[श्री सुधीर राय]

बहुत ही प्रंशसनीय ढंग से पूरा किया है। हमें यह जान कर प्रसन्नता है कि आयोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सभी पदों के लिए उम्मीदवारों की सिफारिश कर सका। यह भी सच है कि परीक्षा प्रणाली में सुधार तथा क्षेत्रीय भाषाओं को परीक्षा का माध्यम बनाए जाने की वजह से ग्रामीण क्षेत्र से अधिक से अधिक उम्मीदवर संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में बैठे हैं तथा उनमें सफल हुए हैं। परन्तु इसमें अभी भी कुछ ऐसी खामियां हैं जिनका मैं उल्लेख करना चाहूँगा।

सबसे पहले, यह देखा गया है कि भारत सरकार में अभी भी बड़े पैमाने पर तदर्थ अथवा अनियमित नियुक्तियां करने की परम्परा जारी है। यह कानून का उल्लंघन है, क्योंकि एक लोक-तंत्रीय देश में सार्वजनिक नियुक्तियां सार्वजनिक सम्पत्ति हैं तथा वे योग्यता और अनुभव के आधार पर ही की जानी चाहिएं। ऐसी तदर्थ और अनियमित नियुक्तियां अक्सर राजनैतिक कृपा के आधार पर की जाती हैं। इसलिए सरकार को इस प्रथा को खत्म कर देना चाहिए।

दूसरे, देखा गया है कि उम्मीदवारों को नियुक्ति का प्रस्ताव काफी देरी से भेजा जाता है। अतः स्वभाविक ही है कि जब सफल उम्मीदवारों को नियुक्ति का प्रस्ताव भेजा जाता है तो वे सरकारी सेवा में नहीं आ सकते। इसी बीच वे किसी और जैगह रोजगार खोजने लगते हैं और उन्हें दूसरी जगह काम मिल जाता है। परिणामस्वरूप चयन प्रक्रिया में लगा श्रम और बड़ा खर्चा निष्फल हो जाता है। अक्सर यह बहाना बनाया जाता है कि चरित्र की जांच पड़ताल और पूर्ववृत्त पूरे नहीं हुए। हमें आशा है कि आगे से चरित्र की जांच पड़ताल और पूर्ववृत्त समय पर पूरे कर लिए जाएंगे।

यह भी देखने में आया है कि सरकार भर्ती नियमों को अधिसूचित नहीं करती। यद्यपि कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ने 13 अगस्त, 1969 को तथा दोबारा 22 मई, 1979 को ऐसे स्पष्ट निदेश दे दिए थे कि आयोग की सलाह प्राप्त होने के चार सप्ताह के अन्दर-अन्दर भर्ती नियम अधिसूचित हो जाने चाहिए तथापि ऐसे मामले कम ही हैं जहां इतनी शीघ्र अधिसूचना की गई हो। मैं आयोग के प्रतिवेदन से उद्धरण देता हूं :

> "जिन 720 मामलों में अधिसूचना की जानी है उनमें से 92 मामलों में पांच वर्ष पश्चात् भी भर्ती नियम अधिसूचित नहीं किए गए हैं 32 मामलों में चार वर्ष से अधिक समय, 33 मामलों में तीन वर्ष के पश्चात्, 81 मामलों में दो वर्ष पश्चात्, 102 मामलों में एक वर्ष पश्चात् तथा 95 मामलों में छः महीने पश्चात् भी भर्ती नियम अधिसूचित नहीं किए गए हैं"

भर्ती नियम न होने से सरकार को अनियमित और तदर्थ नियुक्तियां करने की शह मिलती है। इसलिए सरकार को भर्ती नियम यथाशीघ्र अधिसूचित करने चाहिए।

हम देखते हैं कि अधिकतर दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, बंगलौर विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर जैसे महानगरीय विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी ही संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते हैं। इसका मतलब है कि आज भी सफल उम्मीदवारों में बहुमत शहरी उच्च मध्यम वर्ग का है। राष्ट्र तो गांव में रहता है।

सरकारी सेवाओं में सभी वर्गों के लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। विशेष रूप से इन सेवाओं में ग्रामीण क्षेत्र के अधिक से अधिक युवकों, अधिक से अधिक अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों तथा जातिय तथा भाषायी अल्पसंख्यकों के उम्मीदवारों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। अन्यथा इन सेवाओं में शहरी सम्भ्रान्त वर्ग का वर्चस्व स्थापित हो जाएगा। यह शहरी सम्भ्रान्त वर्ग ग्रामीण लोगों की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता। अतः यह अच्छा होगा कि सभी राज्यों के विश्वविद्यालयों के तत्त्वावधान में प्रशिक्षण केन्द्र चलाए जाएं। राज्य के विश्व विद्यालयों को इसके लिए भारत सरकार से वित्तीय सहायता मिलनी चाहिए। यह भी देखा गया है कि पदोन्नति, वरीयता, दण्ड आदि के मामले ताक पर रख दिए जाते हैं तथा आयोग को समय पर सूचना नहीं दी जाती। स्वाभाविक ही है कि इससे आयोग शीघ्रता से निर्णय नहीं ले सकता। परिणामस्वरूप जन सेवक निराशा के शिकार होते हैं। इसलिए पदोन्नति, अनुशासन, आदि के मामले यथा शीघ्र आयोग के पास भेजे जाएं।

सरकार ने अनेक सेवाओं को आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा हुआ है। संघ लोक सेवा आयोग के अधिकार में यह कमी ठीक नहीं है। सरकार को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे संघ लोक सेवा आयोग का अधिकार कम हो। अन्त में मैं फिर किसी विद्वान मित्र द्वारा दिए गए विचारों को दोहराऊँगा कि संघ का सदस्य केवल उन्हीं लोगों को बनाना चाहिए जिनकी सत्यनिष्ठा पूर्णतया असंदिग्ध हो।

इन शब्दों के साथ मैं भाषण समाप्त करता हूँ।

श्री रामसिंह यादव (अलवर) : सभापति महोदय, मैं मन्त्री जी को बधाई देता हूँ जिन्होंने सदन को दो प्रतिवेदन प्रस्तुत किए हैं। यह एक सन्तोष की बात है कि तदर्थ नियुक्तियों के बारे में सरकार की कार्यवाई से संघ सहमत है, क्योंकि आयोग को लगातार यही शिकायत रहती थीं कि सरकार बिना आयोग की सलाह लिए तथा बिना वर्तमान रिक्तियों के बारे में सूचना दिए तदर्थ नियुक्तियां कर लेती है। परन्तु वर्तमान प्रतिवेदन में संघ ने अपना सन्तोष व्यक्त किया है। तेतीसवें प्रतिवेदन के पांचवे पृष्ठ पर वे कहते हैं :

> "कि आयोग को यह कहते हुए प्रसन्नता है कि चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा तदर्थ नियुक्तियों की संख्या में कमी आई है। मन्त्रालय/विभाग अब तदर्थ नियुक्तियां फिर से करने के संबंध में अधिक सावधान है। मन्त्रिमंडल की नियुक्ति संबंधी समिति द्वारा तदर्थ नियुक्तियां करने अथवा नियमित रिक्तियों के स्थान पर तदर्थ नियुक्तियों को बनाये रखने के लिए अनुमति न देने से ऊँचे पदों पर तदर्थ नियुक्तियां करने की प्रक्रिया पूरी तरह रुक गई है।"

इसीलिए जहां तक ऊँचे पदों के लिए प्रत्याशियों के चयन का प्रश्न है, यह एक बहुत ही अच्छा संकेत है। परन्तु मैं माननीय मन्त्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि उच्चत्तम आयु सीमा 28 वर्ष से घटा कर 26 वर्ष कर दी गई है, शायद ऐसा कोठारी आयोग की सिफारिश के कारण किया गया है। परन्तु इसके साथ ही कुछ मामलों में आयोग ने खुद ही उच्चतम आयु सीमा 28 वर्ष करने की सिफारिश की है। तेतीसवें प्रतिवेदन के ग्यारहवें पृष्ठ पर उन्होंने कहा है :

[श्री रामसिंह यादव]

"कि सन् 1982 तक इंजीनियरिंग सेवाओं की परीक्षा के लिए निर्धारित उच्चत्तम आयु सीमा 27 वर्ष थी। सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त होने पर आयोग ने इस परीक्षा के लिए उच्चतम आयु सीमा को सिविल सेवा परीक्षा की उच्चतम आयु सीमा के बराबर लाने के लिए 28 वर्ष तक करना मान लिया है। यह संशोधित उच्चत्तम आयु सीमा 1983 की इंजीनियरी सेवा परीक्षा से लागू होगी।"

अतः आयोग ने भी अपने स्वविवेक से यह ठीक समझा कि भारतीय इंजीनियरी सेवा की उच्चत्तम आयु सीमा 28 वर्ष होनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि इसके पीछे क्या तर्क था क्योंकि समिति को ही इस मामले पर विचार करना था तथा हो सकता है कि ऐसा करने के लिए काफी कारण हों। जब मन्त्री जी इस मामले पर सरकार के विचार स्पष्ट कर रहे थे तो उनका भी यही ख्याल था कि इस उच्चत्तम आयु सीमा को लागू करने से यदि शहरी जनता को अधिक अवसर नहीं मिलेंगे तो ग्रामीण जनता को इससे सहायता मिलेगी। परन्तु बात इस तरह से नहीं है क्योंकि सामान्यतः 10+2+3 पास करने के बाद तथा स्नात्कोत्तर या एल०एल०बी० करने के बाद जो व्यक्ति सिविल सेवा परीक्षा में बैठने के योग्य होते हैं उनकी आयु लगभग 23 वर्ष की हो जाती है तथा उसे कम-से-कम 2 या 3 अवसर मिलने चाहिए। कोठारी आयोग ने प्रारम्भिक परीक्षा भी शुरु कर दी है जिसमें एक लाख प्रत्याशियों में से लगभग 15000 प्रत्याशी सफल हुए हैं। जो प्रत्याशी प्रारम्भिक परीक्षा में सफल होते हैं केवल उन्हें ही मुख्य परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाता है। इसीलिए इन सभी बातों पर मद्देनजर रखते हुए आयु सीमा में कोई कमी नहीं करनी चाहिए तथा मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि आयु सीमा 26 से बढ़ाकर 28 वर्ष कर दी जाए ताकि शिक्षित लोगों को इस परीक्षा में बैठने के अधिक से अधिक अवसर मिलें।

अब दो परीक्षाएं हैं—प्रारम्भिक तथा मुख्य। यदि कोई प्रत्याशी प्रारम्भिक परीक्षा में पास हो जाता है तथा मुख्य परीक्षा में फेल हो जाता है तो उसे अगले वर्ष पहले प्रारम्भिक परीक्षा मे फिर बैठना पड़ेगा। एक बार जो प्रत्याशी प्रारम्भिक परीक्षा में पास हो जाता है उसे इसमें दोबारा बैठने को क्यों कहा जाता है? उसे आप मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति क्यों नहीं देते। इस बात पर विचार किया जाए।

सामान्यतया ऐसा महसूस किया जा रहा है कि इंजीनियर, चिकित्सक तथा अन्य पेशेवर लोग भारतीय प्रशासनिक सेवा में आना अधिक पसन्द करते हैं। अखिल भारतीय इंजीनियरी सेवा, अखिल भारतीय स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सेवा तथा अखिल भारतीय शैक्षिक सेवाओं का सृजन करके हम इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। इन तीनों संवर्गों के सृजन के बारे में 1963 से समय-समय पर प्रश्न उठाए गए हैं। अब समय आ गया है कि सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता तथा सहानुभूति पूर्वक विचार करे।

प्राक्कलन समिति ने सिफारिश की है कि इन सेवाओं को कुछ और फायदे दिए जाएं। यह आवश्यक है क्योंकि भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को सन् 1960 से उतना ही वेतन मिल रहा है जितना पाँच वर्ष के 'सुपर टाइम स्केल' में मिल रहा था। सरकार को इस मामले की जाँच करनी चाहिए तथा उनके वेतन की वृद्धि के बारे में विचार करना चाहिए जैसी कि संसद की प्राक्कलन समिति ने सिफारिश की थी।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के कुछ अधिकारियों को सेवा निवृत्ति के पश्चात् विदेशी सरकारें रोजगार दे देती हैं। वास्तव में इनमें से कुछ अधिकारी विदेशी सरकारों द्वारा नियुक्ति प्रदान करने से पहले बहुत ही महत्त्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके होते हैं। मैं 24 अप्रैल 1984 के 'पैट्रिओट' से उद्धृत कर रहा हूं :

> "जब सरकार अखिल भारतीय सेवाओं को भौतिक लाभ देने पर विचार करती है तो उन्हें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि न्यायाधीशों के वेतन में बहुत समय से कोई परिवर्तन नहीं किया गया है तथा मुद्रा-स्फीति से उनकी आय में ह्रास हुआ है। इसके अतिरिक्त अब समय है कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि क्या सरकार सेवा निवृत्ति के पश्चात् मिलने वाले लाभों को, जो बहुत से कर्मचारी विदेशी सरकारों तथा गैर सरकारी व्यापारिक फर्मों से ले रहे हैं, नियन्त्रित करना चाहिए ? विदेशी सरकारों ने भारत के पूर्ववर्ती विदेश-सचिवों को नौकरियों पर लगा रखा है। एक अधिकारी को आज भी अमरीकी 'पेंटागान' में अधिकारी के रूप में कार्यरत बताया जाता है। इसकी औचित्यता तथा गरिमा की बात तो दूर रही क्या यह राष्ट्रीय सुरक्षा तथा आवश्यकता के अनुरूप है ? भारत उन भौतिक लाभों का मुकाबला कैसे कर सकता है जो कि आने वाली विदेशी सरकारें या गैर सरकारी व्यापारी उन वरिष्ठ सिविल अधिकारियों से उस सूचना तथा साख को खरीदने के लिए, दे सकते हैं, जो उन्होंने अपने वरिष्ठ सिविल अधिकारी होने के दौरान हासिल की थी ?"

इस पहलू पर भी विचार करना चाहिए। ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो रक्षा सचिव या विदेश सचिव के पद पर रह चुका हो किसी भी विदेशी पद को स्वीकार करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। एक अधिकारी ने जो यहां विदेश सचिव थे, अमरीका में एक उच्च कार्यपालक अधिकारी का पद ग्रहण कर लिया है। इस तरह की बातें समाप्त होनी चाहिएं। उनकी सेवा शर्तों में यह शामिल होना चाहिए कि उन्हें सेवा निवृत्ति के बाद ऐसे किसी भी पद को स्वीकार करने नहीं दिया जायेगा।

सदन को सरकार के इस निर्णय से बड़ी प्रसन्नता है कि सेवाओं में भर्ती किए गए लोगों में से 50 प्रतिशत को उनके अपने गृह राज्य से बाहर तैनात किया जाए। परन्तु मेरा मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि इसके साथ-साथ दूसरे पहलू पर भी विचार किया जाए। पदोन्नत अधिकारी स्थानीय राज्य या अपने गृह राज्य में मिलीभगत से हेराफेरी करते हैं। इसीलिए यह बात पदोन्नत अधिकारियों पर भी लागू होना चाहिए। इसका मतलब है कि पदोन्नत अधिकारियों में से 50 प्रतिशत अधिकारियों को उनके अपने गृह राज्य में नहीं भेजा जाना चाहिए। इन राष्ट्रीय सेवाओं का सृजन अंग्रेजी शासन के दौरान सेक्रेट्री ऑफ स्टेट फार इण्डिया (भारत के लिए राज्य सचिव) द्वारा किया गया था, पर इन्होंने देश के लिए कुछ अच्छे कार्य भी किए हैं। पहला है राष्ट्रीय एकता। दूसरा है कि ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी न केवल कार्यपालक के रूप में ही कार्य करते हैं परन्तु कभी-कभी ये देश की नीति के निर्माण पर भी प्रभाव डालते हैं। इसीलिए इसे नई दिशा देने की आवश्यकता है। हमने ये प्रतिवेदन पढ़ लिए हैं परन्तु इनमें ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है। इन अधिकारियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आना चाहिए। जहां तक सरकार की वर्तमान नीतियों का सम्बन्ध है, इन अधिकारियों के रुख में तबदीली आनी चाहिए। सचाई तो यह है कि

[श्री रामसिंह यादव]

वह केवल नौकरशाह ही नहीं है बल्कि सचिव या भारत सरकार के सलाहकार का पद ग्रहण करने के पश्चात् वह एक अन्य भूमिका, मन्त्री के या मंत्रालय के सलाहकार की भूमिका, अदा करने लग जाता है। उस हैसियत के अधिकारी की प्रकृति तथा कार्य करने का तरीका बहुत ही महत्व रखता है। इसीलिए इसे दिशा देने की आवश्यकता है।

मैं यह भी कहूँगा कि एक मिश्रित संवर्ग होना चाहिए। यह राष्ट्रीय एकीकरण में सहायक होगा क्योंकि विविधता में एकता ही भारतीय संस्कृति तथा भारतीय राष्ट्र का लक्ष्य है। इसलिए यह बहुत ही आवश्यक है कि हमारे उन अधिकारियों को जो सरकार के उच्चतम पदों पर कार्य कर रहे हैं, इस संस्कृति को आत्मसात करना चाहिए।

अन्त में धारा 311 पर विचार करते हुए हमने यह देखा है कि कुछ अधिकारियों ने इस तरह का व्यवहार किया है जो इस संवर्ग के नाम पर धब्बा है। हाल ही में मेरे राज्य राजस्थान में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी के बारे में ऐसे कुछ मामले हुए हैं। इसलिए यदि वे ऐसी कोई हरकत करते हैं या भ्रष्टाचार फैलाते हैं या ऐसा कोई कार्य करते हैं जो उस संवर्ग के अधिकारी को शोभा नहीं देता तो उन्हें अनुच्छेद 311 की आड में हमेशा ही नहीं छोड़ना चाहिए। इसीलिए ऐसा कोई रास्ता अपनाना चाहिए ताकि इन बाधाओं को दूर किया जा सके क्योंकि जब तक वे संघ लोक सेवा आयोग का अनुमोदन नहीं ले लेते उनके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसीलिए सरकार को इस पर विचार करना चाहिए ताकि गलती करने वाले तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जा सके। वास्तव में आजकल इन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने में बहुत समय लग जाता है। सबसे पहले जाँच होनी चाहिए तथा यदि वह दोषी पाया जाए तो तत्काल उसके विरुद्ध कार्रवाई शुरु कर देनी चाहिए। इसीलिए इस पर विचार करना आवश्यक है।

मन्त्री जी द्वारा नए निर्देश देने तथा सरकारी सेवा में सुधार हेतु आयोग की प्रशंसा के लिए, इन शब्दों के साथ मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ।

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्टसगंज) : सभापति महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने के लिए बुला लिया। मैं सबसे पहले अपने प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी, जिन्होंने अभी दो रोज पहले विभिन्न राज्यों को पत्र लिखा है, का ध्यान उसकी ओर दिलाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है कि पब्लिक सर्विस कमीशन में वे लोग रखे जायें जिनकी एफिशेंसी और जिनकी इंटेग्रिटी पर किसी प्रकार का संदेह न हो। मान्यवर, यह बताता है कि हमारी सरकार और नए प्रधान मन्त्री का डायरेक्शन क्या है, दिशा क्या है, नीति क्या है, खासकर इस महत्त्वपूर्ण विषय के सम्बन्ध में।

श्री नारायण चौबे : पहले नहीं थी।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया भाषण जारी रखिए। इनकी तरफ बिल्कुल ध्यान न दें।

श्री रामप्यारे पनिका : मैं बिल्कुल परेशान नहीं हुआ हूं।

सभापति महोदय : परेशान नहीं। कृपया इनकी तरफ ध्यान मत दीजिए।

श्री रामप्यारे पनिका : बिल्कुल नहीं। मैं केवल अध्यक्ष पीठ की तरफ ध्यान रखूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि मैं सबसे पहले अपने प्रधान मन्त्री जी और अपने नए युवा मन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि जो उन्होंने कल विचार प्रकट किए हैं वह स्वागत के योग्य हैं।

हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन का बहुत ही गौरवमय इतिहास रहा है। इन्होंने बड़ी ही ईमानदारी और निष्ठा से, जो इनके ऊपर उत्तरदायित्व सौंपा गया है, उसको निभाया है। आज अभी भी देश में पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में जन मानस में बहुत अच्छी धारणा है। लोगों का कहना है कि बाकी तमाम जगह एप्रोच चल सकती है, लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन में ऐसा नहीं होता है। इसके लिए मैं, पब्लिक सर्विस कमीशन में जो लोग लगे हैं, उनको भी धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। साथ ही कुछ चन्द सुझाव भी देना चाहता हूं।

मान्यवर, हमने यह रिपोर्ट देखी है। इसमें कोई शक नहीं कि जो वीकर सैक्शन के लोग हैं शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब, उनकी संख्या उत्तरोत्तर स्वतंत्रता के बाद से बढ़ती गई है, लेकिन अभी भी हम जो स्तर रखे हैं, उस स्तर के नीचे ही वह हैं। इसलिए मैं मन्त्री जी से चाहूंगा कि जो आपने विभिन्न यूनिवर्सिटीज में ट्रेनिंग स्कीम चलायी है, कोचिंग की स्कीम चलायी है, इसको और बढ़ावा दें। जो 40-50 यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें कोचिंग सेंटर खोलें। पिछड़े इलाकों में इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए जिससे उनका स्तर ऊंचा हो।

उपाध्यक्ष महोदय, संविधान में हमको समता का अधिकार दे रखा है, लेकिन उसको कोई मानता नहीं है। अभी भी देश में एक तरफ विभिन्न दूर-दराज के आदिवासी इलाकों में प्राइमरी स्कूल तक के लिए भवन नहीं हैं, उनके बैठने का ठीक इंतजाम नहीं है और दूसरी तरफ बड़े-बड़े शहरों में पब्लिक स्कूल खुल रहे हैं। वहां के पढ़े हुए ग्रेजुएट स्टूडेंट और आदिवासी इलाकों के पढ़े हुए ग्रेजुएट स्टूडेंट में बहुत असमानता है।

अभी मैं प्रेलिमिनरी टैस्ट के बारे में कहना चाहता था, जिसको आप आबजेक्टिव टैस्ट कहते हैं, इसमें आपने ऐसा बना रखा है कि काफी लोग एलिमिनेट हो जाते हैं। परपज ही है एलिमिनेट करने का। लेकिन कौन एलिमिनेट होते हैं? आम-तौर से वह लड़के होते हैं जो दूर-दराज देहातों के होते हैं, जो आधुनिक सुविधाओं से कोसों दूर हैं। आज हमें ऐसी नीति अपनानी चाहिए, जिसमें हम देखें कि उन लोगों का क्या हो जो हजारों की संख्या में ऐसे नौजवान हैं जो तेज हैं, जिनकी नीयत अच्छी है या वह अच्छा काम कर सकते हैं, कौन-सी ऐसी फैसिलिटी उनको दी जाय कि आधुनिक वातावरण में पले लड़कों के साथ वह मुकाबला कर सकें। इसमें आपको थोड़ी सी नयी चिकिंग लानी पड़ेगी।

[श्री रामप्यारे पनिका]

इसके अलावा यही नहीं कि आप कुछ कैडर्स तक ट्रेनिंग को सीमित रखें, दूसरे सारे क्षेत्रों में भी इसको फैलाना होगा। अभी जो आपने पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने काम सौंपें हैं, मैं समझता हूँ कि यदि आप देश में इंटीग्रेशन लाना चाहते हैं तो पावर सर्विसेज को आप लीजिए, इस समय देश में पावर की क्या हालत है ? बावजूद तमाम सुधारों के, केन्द्र के डायरेक्शंस के, एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सुधर नहीं रहे हैं। इसलिए कि वह एक सर्विस नहीं है, एक कंडीशन नहीं है इंजीनियर्स की, अगर देश के सारे इंजीनियर्स की एक सर्विस कंडीशन हो जाय, उनके लिए एक सर्विस कमीशन हो जाय तो रोज जो मांगों को लेकर आन्दोलन होते हैं वह न हों। इसी तरह से और बहुत सी सर्विसेज हैं जिनमें प्रान्त का ही अधिकार है। आल इंडिया स्तर पर वह सर्विसेज हो जाएं जिसके लिए लोग आन्दोलित हैं जैसे मैडिकल है, इंजीनियरिंग है तो बहुत काफी सुधार हो सकता है। कुछ तो आपने किया है फारेस्ट वगैरह का लेकिन काफी अभी बाकी है, इनको भी आप करें ताकि देश के कल्याण में सहयोग मिले और जो रीजनल इम्बैलेंस की और इंटीग्रेशन की समस्या है वह भी इससे दूर हो।

एक बात और कहना चाहता हूँ—यह जो आई०ए०एस० और आई०पी०एस० का आपस का झगड़ा है, हम प्रैक्टिकल क्षेत्र में देखते है कि आई०ए०एस० वर्सस, आई०पी०एस० काफी चलता है तो आपको कोई-न-कोई ऐसा इन्तजाम करना चाहिए जिससे जो ये आपस में लड़ाई करके सारा प्रशासन खराब करते हैं, एस०पी० कहता है कि मैं बड़ा और कलैक्टर कहता है कि मैं बड़ा और कभी-कभी तो हमारे नौजवान कलैक्टर के अधीन पुराने आई०पी०एस को लगा देते हैं, कभी-कभी ऐसा हो जाता है, तो इसमें भी कुछ करने की जरूरत है।

अभी जो माननीय सदस्य कह रहे थे कि जो आप प्रोमोशन दे रहे हैं प्रान्तों की सर्विसेज में, मैं समझता हूँ वह ठीक है, लेकिन कुछ राज्यों में तो आई०ए०एस० से अधिक प्राविशियल सर्विसेज की तनख्वाह बढ़ा देते हैं जिससे आई०ए०एस० में बड़ा असन्तोष हो रहा है। जब आई० ए०एस० को आपने टाप पर रखा है और अगर क्रीम आफ दि सोसाइटी वह लोग हैं तो आपको देखना यह होगा कि प्रान्तीय सर्विसेज के आदमियों को उनसे ज्यादा तनख्वाह न मिले। सारे ही देश के आई०ए०एस० में इस तरह से असंतोष पैदा करना मैं ठीक नहीं समझता हूँ। दूसरा सुझाव मैं दूंगा कि जब आप प्रान्त के लोगों को आई०ए०एस० का दर्जा देते हैं तो आई०ए०एस० का दर्जा एग्जीक्यूटिव सर्विसेज में ही न दीजिए इंजीनियरिंग में भी दीजिए, एग्रीकल्चर में भी दीजिए और यही नहीं कि जिस स्टेट में वह रह रहे हैं वहीं, बल्कि दूसरी स्टेट्स में भी उनके लिए कुछ परसेंटेज रखें—25,30,35 या 40 जो भी चाहें रख दें। ये सब काम बुनियादी तौर पर करने पड़ेंगे।

एक बात और कहूँगा कि कभी-कभी कमीशन की बात सरकार नहीं मानती है तो इसके ऊपर भी ध्यान देना होगा। पिछले साल की जो रिपोर्ट आई है उससे ऐसा कुछ आभास होता है कि बड़े अधिकारियों की बात जब आती है तो आप नहीं मानते हैं लेकिन छोटे कर्मचारियों की बात होगी तो तुरन्त मान लेते हैं। इससे आपकी नीति यह लगती है कि आप बड़े अफसरों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। यह नीति ठीक नहीं है। इस नीति में परिवर्तन करना होगा।

मैं कमीशन का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने बड़ी खोजबीन के साथ एक बात का पता लगाया। एक डाक्टर, राम मनोहर लोहिया या किसी अस्पताल में जाली सर्टिफिकेट शेड्यूल्ड

कास्ट का देकर अपने को नियुक्त करा लिए। चूंकि शेड्यूल्ड कास्ट के लिऐ रिजर्वेशन है तो प्रोमोशन के लिए भी वह लड़ेंगे। कुछ डाक्टर्स हमारे पास इस केस को लाए। मैं बड़ा आभारी हूं पब्लिक सर्विस कमीशन का कि उन्होंने छानबीन की और शासन को लिखा कि इसमें यह अनियमितता हुई है, फर्जी सर्टिफिकेट देकर नौकरी ली है। तो होम मिनिस्ट्री को या चिकित्सा विभाग को इसे लेना चाहिए। मुझे दुःख है कि शासन ने अभी तक कमीशन की बात को नहीं माना है और वह अभी भी एज शेड्यूल्ड, कास्ट कंटिन्यू कर रही है। (व्यवधान) मैं समझता हूं कि जो हमारा कमीशन है और उसमें जो अच्छे अधिकारी बैठे हुए हैं उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए और यह दिखाने के लिए भी कि वे निष्पक्ष ढंग से कार्य करते हैं, यह आवश्यक है कि उनकी रेकमेंडेशन्स को स्वीकार किया जाए। और जिनके खिलाफ चार्जेज हैं उन अधिकारियों के खिलाफ ऐक्शन लिया जाए। हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत से आई० ए० एस० अधिकारियों के सम्बन्ध में विजिलेन्स ने खराब रिपोर्ट दी है लेकिन उनके विरुद्ध कोई ऐक्शन नहीं लिया जाता है। जो आई० एस० आफिसर्स का अपना एसोसिएशन है वह अन्य कामों के लिए तो अच्छा हो सकता है लेकिन इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि आज देश मे आम तौर से यह धारणा बनती जा रही है कि किसी आई०ए०एस०अधिकारी को दण्ड नहीं मिल सकता है, अन्ततोगत्वा वे छोड़ ही दिए जाते हैं।

अन्त में मैं मन्त्री जी के प्रयास की सराहना करता हूं, एक अलग से मन्त्रालय भी खोल दिया गया है, और आशा करता हूं कि मैंने जो सुझाव दिए हैं उनको वे ध्यान में रखेंगे। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री गिरिधर गोमांगो (कोरापुर) : सभापति महोदय, संघ लोक सेवा आयोग का यह प्रतिवेदन महत्त्वपूर्ण है। कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग जो पहले गृह मंत्रालय के अधीन था अब सीधे प्रधानमंत्री के नियंत्रण में है। गृह मंत्रालय से इसे अलग करने के पीछे प्रशासनिक तंत्र पर, जिसने देश को चलाना है तथा देश के विकास की गति को बढ़ाना है बल देने की मंशा है, जैसा कि लोग चाहते हैं। लोक तंत्र क्या है? लोकतंत्र की परिभाषा है : लोगों द्वारा, लोगों के लिए तथा लोगों की सरकार है। नौकरशाही क्या है? नौकरशाही : सरकार द्वारा, सरकार के लिए तथा सरकार का तंत्र है। सरकार क्या है? सरकार लोगो द्वारा बनाई जाती है, जो लोगों के लिए कार्य करती है और जो लोगों के प्रति जवाबदेह होती है : अगर हम इन तीन परिभाषाओं को इकट्ठा लें तो इन परिभाषाओं का अर्थ होगा कि दोनों, राजनीतिज्ञ तथा कर्मचारी वर्ग, देश के विकास के लिए और लोगों को अच्छे कानून, सामाजिक तथा राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए है।

कल माननीय मंत्री ने चर्चा को आरम्भ करते हुए कहा था कि उन्होंने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों को राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण दिया है। मैं उनसे सहमत हूं। लेकिन इन लोगों को आरक्षण देने के पीछे वास्तविक मंशा यह है कि इन लोगों का देश के विकास में सहयोग प्राप्त हो ताकि ये लोग अपने ही लोगों को न्याय देने योग्य बन सकें। अगर इन्हें उपयुक्त प्रशिक्षण तथा शिक्षा दी जाये केवल तभी इच्छित फल प्राप्त करना संभव होगा। आजादी के बाद बहुत संख्या में अनुसूचित जाति के लोग भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा अन्य अखिल भारतीय सेवाओं तथा राज्य की सेवाओं में आ गये हैं। प्रश्न यह है कि क्या अनुसूचित जनजाति के लोग अन्ततः कम से कम अनुसूचित

[श्री गिरिधर गोमांगो]

जाति के लोगों की स्तर तक भी पहुंच पाये हैं या नहीं। आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा के अवसर अत्यंत अपर्याप्त हैं जिसके कारण बहुत कम आदिवासी लोग प्रशासनिक सेवाओं में आते हैं। अतः मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि इन आदिवासी लोगों को उपयुक्त शिक्षा देने के लिए सरकार कौन-कौन से कदम उठाने का प्रस्ताव करती है ताकि कम से कम ये लोग इतने स्तर तक आ सकें जिससे वह अपने क्षेत्रों का प्रशासन संभालने के लिए प्रशासनिक सेवाओं में आ सकें।

3.00 म० प०

दूसरी बात आज कल जो महत्त्वपूर्ण है वह प्रशासनिक सुधार है। एक प्रशासनिक सुधार आयोग बनाया गया था। इस आयोग का प्रतिवेदन लगभग 30 000 पृष्टों का है। उस प्रतिवेदन में पिछड़े या आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के सम्बन्ध में कहीं भी उल्लेख नहीं था। उसमें आदिवासी प्रशासन के किसी भी पहलू पर जोर नहीं दिया गया। इसका मतलब यह है कि पिछड़े तथा आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में कुछ भी जाँच पड़ताल नहीं की गई। सरकार के अनुसार, देश में प्रशासनिक सुधारों का अर्थ है आदिवासी तथा पिछड़े क्षेत्रों को छोड़कर सारे देश के लिए सुधार। क्या यह ठीक नहीं है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा मध्य भारत के आदिवासी क्षेत्रों और देश के अन्य पिछड़े क्षेत्रों के आर्थिक विकास और वहां के लोगों को सामाजिक तथा कानूनी न्याय देने के लिए एक पृथक प्रशासनिक व्यवस्था की आवश्यकता है ?

आम तौर पर यह माने लिया जाता है कि प्रशासन विकसित क्षेत्रों के लिए तथा ऐसे क्षेत्रों में ही कुछ नियमों तथा प्रक्रियाओं को लागू करने के लिए होता हैं। लेकिन वास्तव में यह प्रशासन नहीं है। अगर प्रशासक का रवैया तथा कार्यशैली पिछड़े क्षेत्रों तथा पिछड़े लोगों के विकास के प्रति उदासीन है तो उसे सच्चा प्रशासन नहीं कहा जा सकता और हम उस प्रकार का प्रशासन नहीं चाहते।

यह बहुत ही दिलचस्प बात है कि हम योजना बनाते हैं और धनराशि की व्यवस्था करते हैं तथा योजनाओं को लागू करके हम कुछ लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं। योजनाओं को क्रियान्वित करने में जनता के प्रतिनिधियों, मंत्रियों और कर्मचारियों, तीनों को अपना-अपना कार्य करना होता है। जनता के प्रतिनिधियों को नीतियां बनानी होती हैं और कर्मचारियों को उन्हें क्रियान्वित करना होता है तथा लोगों को उनका फल प्राप्त होता है। लेकिन, दुर्भाग्यवश, जनता के प्रतिनिधियों और मंत्रियों तथा कर्मचारियों के बीच कोई समन्वय नहीं है। इससे पहले कि हम योजनाओं की व्याख्या करें हम अचानक उनके क्रियान्वित करने वाले पहलू पर छलांग लगा देते हैं। अगर योजनाओं को ठीक प्रकार से क्रियान्वित नहीं किया गया हो और अगर उनमें असफलता हुई हो तभी हम अपनी असफलता के कारणों का विशलेषण करते हैं। तब ही हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या योजना या स्कीम की सही इरादे की ठीक से व्याख्या की गई थी या नहीं।

अतः मैं सुझाव दूंगा कि सबसे पहले आपको यह स्पष्ट होना चाहिए कि संक्षेप में आपकी नीति क्या है जिस पर आप चलना चाहते हैं और तब आपको अपनी नीतियों को क्रियान्वित करना चाहिए।

पहले योजना को क्रियान्वित करने में प्रत्येक व्यक्ति की दिलचस्पी होती थी। उस समय पर कोई व्यक्तिगत या 'निहित स्वार्थ नहीं होता था और न ही हितों का टकराव होता था। लेकिन अब, केवल एक ही हित है और वह है निहित स्वार्थ। यही कारण है कि योजनाओं का ठीक से कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा है।

सरकार अब डिग्रियों का रोजगारों से संबंध समाप्त करने का प्रस्ताव कर रही है। यह बात बहुत पहले हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू ने सोची थी।

7 जून, 1952 को नई दिल्ली में श्री जवाहर लाल नेहरू ने अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित क्षेत्रों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र पर बोलते हुए कहा था :

> "एक बिलकुल अशिक्षित व्यक्ति को, जिसने कोई परीक्षा पास नहीं की है भेजना बेहतर है, जब तक कि वह उन लोगों के पास दोस्ती और प्रेम के साथ जाता है और ऐसे रहता है जैसे उनमें से ही एक हो। ऐसा व्यक्ति उस व्यक्ति से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकता है जो प्रखर बुद्धि तो है पर जो समस्या के मानवीय पहलू से अनभिज्ञ है।"

चाहे वह आदिवासी क्षेत्र हो या पिछड़ा क्षेत्र अथवा कोई अन्य क्षेत्र, यही मन्शा और यही रुख हम चाहते हैं।

मैं माननीय मन्त्री से यह अनुरोध करूंगा कि अब एक और आयोग की कोई बात नहीं होनी चाहिए। उन्हें अपने विभाग में पिछड़े, आदिवासी तथा अन्य क्षेत्रों की समस्या का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन यह पता लगाने के लिये करना चाहिये कि वहां क्या कठिनाइयां हैं और किस तरह से इन कठिनाइयों को समाप्त किया जा सकता है तथा किस प्रकार के कर्मचारी इन क्षेत्रों में नियुक्त किये जाने चाहिये।

मैं सुझाव दूंगा कि आप एक अलग संवर्ग, अनुसूचित क्षेत्र प्रशासनिक सेवा के नाम से बनायें। 'अनुसूचित क्षेत्रों का तात्पर्य उन क्षेत्रों से है जो पांचवीं तथा छठी अनुसूची के अन्तर्गत आते हैं। छठी अनुसूची में पूर्वोत्तर क्षेत्र आते हैं जबकि पांचवीं अनुसूची में अन्य आदिवासी क्षेत्र आते हैं। कर्मचारियों को यह छूट दी जानी चाहिये कि वे पहाड़ी क्षेत्रों या मैदानी क्षेत्रों या अन्य क्षेत्रों में से किसी में भी सेवा कर सकते हैं।

मैं इन सुझावों के साथ अपना भाषण इस आशा के साथ समाप्त करता हूं कि हमारे नये मंत्री महोदय एक नयी विचारधारा का प्रशासन में सूत्रपात करेंगे और हमें इच्छित फल प्राप्त होंगे।

श्री के०आर० नटराजन (डिंडीगल) : महोदय, केन्द्रीय सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 15 (4) और 16(4) के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जन संख्या के संदर्भ में आरक्षण की व्यवस्था की है। आरक्षण पर्याप्त नही है। यहां तक कि आरक्षित पद भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों से नहीं भरे जाते हैं। अतः नियुक्तियों में उन्हें उनका उचित हिस्सा मिलना चाहिये।

संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार में और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पिछड़े वर्गों के लिए भी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था उनकी जन-

[श्री के०आर० नटराजन]

संख्या के संदर्भ में की जानी चाहिए थी। पिछड़े वर्गों की जन संख्या लगभग 75 प्रतिशत है। कम से कम तीस प्रतिशत नौकरियां पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित होनी चाहिए।

अनधिसूचित जन जातियों, खानाबदोश कबीलों और अर्ध-खानाबदोश कबीलों के उम्मीदवारों को विशेष लाभ मिलना चाहिए था। पन्द्रह प्रतिशत नौकरियां उनके लिये आरक्षित होनी चाहिये। ब्रिटिश काल में अनधिसूचित कबीले के लोगों को अपराधी समझा जाता था उन्हें पासपोर्ट के बिना एक गांव से दूसरे गांव जाने की अनुमति नहीं थी।

तमिलनाडु में पीराभलाई कल्लार समुदाय एक लड़ाकू जाति है। उनकी जनसंख्या लगभग 35 लाख है। ब्रिटिश काल में उन्हें सर्वाधिक खतरनाक अपराधी समझा जाता था। चाहे कोई व्यक्ति कितना ही धनी हो, कितना ही बड़ा हो, कितना ही अच्छा हो उसे अपराधिक जनजाति अधिनियम के अन्तर्गत अपराधी समझा जाता था। उनका एकमात्र अपराध यह था कि उन्होंने उन दिनों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हृदय से समर्थन किया और कांग्रेस के लिये कुर्बानी दी। इस प्रकार अंग्रेजों ने उन पर 1917 में आपराधिक जनजाति अधिनियम लागू कर दिया। पीराभलाई कल्लार समुदाय ने इसका कड़ा विरोध किया। इक्कीस व्यक्तियों को गोली मार दी गई। तमिलनाडु के तत्कालीन कांग्रेस नेताओं जार्ज जोसफ, वैद्यनाथ अय्यर, सत्यमूर्ति गुत्थुरामलिंग थेवर, राजाजी, कामराज और एन० एम० आर० सुब्बारामन ने तमिलनाडु के पीराभलाई कल्लार और मारावार कबीलों पर अत्याचारों का और आपराधिक जनजाति अधिनियम लागू करने का विरोध किया। पीराभलाई कल्लार समुदाय के लोगों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हृदय से समर्थन करने के लिए खतरनाक अपराधी समझा जाता था। जिला पुलिस अधीक्षक के पद के समकक्ष एक विशेष पुलिस अधिकारी 'कल्लार पुलिस अधीक्षक' के पदनाम से नियुक्त किया गया और उनकी सहायता के लिये बहुत से अधीनस्थ पुलिस अधिकारी नियुक्त किए गये। पुलिस निरीक्षक, उप-निरीक्षक और अन्य पुलिस अधिकारी रात के समय पीराभलाई कल्लार समुदाय क्षेत्रों का दौरा किया करते थे। उन्होंने प्रत्येक गांव में पीराभलाई कल्लार लोगों का एक उपस्थिति रजिस्टर रखा हुआ था। उप-निरीक्षक या निरीक्षक अथवा अन्य कोई पुलिस अधिकारी आधी रात के समय उनकी हाजिरी लिया करता था। यदि कोई अनुपस्थित पाया जाता था तो गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता था। अनुपस्थित व्यक्तियों को सजा दी जाती थी और जेल भेजा जाता था। पीराभलाई कल्लार समुदाय के लोगों को पासपोर्ट के बिना एक गांव से दूसरे गांव जाने से रोका जाता था। इस प्रकार उन्हें काम-धन्धा करने के लिये पूर्णतया रोका गया। उनकी आर्थिक स्थिति पूर्णतया छिन्न-भिन्न हो गई। वे पूर्णतया तबाह हो गये पांच शताब्दी पीछे चले गये। वे आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक दृष्टि से अत्यधिक अशक्त हो गये। उन्हें अपराधी कहा जाने लगा। इस प्रकार अब केन्द्रीय सरकार का यह दायित्व है कि वह यह देखे कि इनका पुनर्वास हो और ये उन्नति करें। अतः संघ लोक सेवा आयोग और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधीन नौकरियों में से कम से कम तीन प्रतिशत नौकरियां उनके लिये आरक्षित की जाएं।

नौकरियों के लिये उम्मीदवारों का चयन मुख्यतः लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर किया जाता है। प्रतियोगिता असमान उम्मीदवारों के बीच है। पिछड़े वर्गों और अनधिसूचित जनजातियों का सम्बन्ध सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों से होता है। उनमें से अधिकांश

गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं। वे गांव के विद्यालयों में, कालेजों में ग्रामीण वातावरण में पढ़ते हैं। अध्यापक प्रतिभाशाली और योग्य नहीं होते। पुस्कालय नाम-मात्र के लिए भी नहीं होते। वहां उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं मिलती। समाजिक दृष्टि से उन्हें कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता। आर्थिक दृष्टि से वे सर्वाधिक पिछड़े हुये हैं। अतः वे प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत अच्छी तैयारी करने की बात सोच भी नहीं सकते। अतः प्रतियोगिता उन लोगों के बीच होनी चाहिये जो एक ही वर्ग के हों। पिछड़े वर्ग अथवा अनधिसूचित जनजाति अथवा पीराभलाई कल्लार जनजाति के एक व्यक्ति का यदि एक बार किसी पद पर चयन हो जाता है तो वह अपने पद के कार्यों के निर्वहन में किसी के मुकाबले कम नहीं होगा। अतः उन्हें भी सरकारी नौकरी करने का अवसर मिलना चाहिए। उन्हें ऐसे अवसर से वंचित नहीं किया जाना चाहिये। इस प्रकार नौकरियों के लिये चयन करने के तरीकों में परिवर्तन करना चाहिये और एक ऐसा तरीका अपनाना चाहिए जिससे उनका भी चयन हो सके।

मैं माननीय प्रधान मंत्री के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूँ कि न केवल निर्धन और दलित अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अनधिसूचित खानाबदोश कबीलों के लोग इन तमाम वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पक्ष में मतदान करते रहे हैं बल्कि उनके पूर्वजों ने भी स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष किया और अपनी जानें दीं। इस प्रकार देश का नागरिक होने के नाते वे नौकरियों में उचित और समान हिस्सा पाने के हकदार हैं। उन्हें किसी भी आधार पर सरकारी सेवा से बाहर रखना अनैतिक और अलोकतान्त्रिक है। मुझे विश्वास है कि माननीय प्रधान मंत्री जी विवेकानन्द और गांधी जी के शिष्य होने के नाते तथा इन्दिराजी के बेटे होने के नाते निश्चय ही व्यक्तिगत रूप से इस मामले की ओर ध्यान देंगे और निर्धन और दलित पिछड़े वर्गों तथा अनधिसूचित खानाबदोश कबीले के लोगों की उनकी जनसंख्या को शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए, नौकरियों में उचित हिस्सा पाने में सहायता करेंगे। अतः यह केन्द्र सरकार का कर्त्तव्य है कि वह यह देखे कि इन लोगों का पुनर्वास हो और केन्द्र सरकार तथा उसके उपक्रमों में नौकरियों का उन्हें उचित हिस्सा मिले।

[हिन्दी]

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, एक 1984 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है :

[अनुवाद]

> "लोक सेवा आयोग जैसे एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि किसी भी पद पर उपलब्ध सुयोग्य व्यक्तियों की नियुक्ति हो और नियुक्तियों में मनमानी और भाई-भतीजावाद से बचा जाए। इसका गठन अत्यन्त योग्य विविध प्रकार के अनुभवी तथा निर्विवाद रूप से ईमानदार व्यक्तियों से किया जाता है और इसके अतिरिक्त उनकी सहायता इस विषय के विशेषज्ञ भी करते हैं।"

[हिन्दी]

सबसे बड़ा सवाल तो देश में प्रशासन करने का है। उसको अच्छी तरह से चलाने के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन में लोग लिये जाते हैं। उनके बारे में एक छोटा सा आर्टीकल 9 जुलाई, 1984 के इकोनोमिक टाइम्स में छपा है। उसमें से कोटेशन देना चाहता हूँ...

[श्री मूलचन्द डांगा]

[अनुवाद]

लोक सेवा आयोगों का अभिशाप : 9 जुलाई, 1984 ।

पंजाब और हरियाणा में नागरिक प्रशासन खराब होने का मुख्य कारण लोक सेवा आयोगों का राजनीतिकरण है जिसके परिणामस्वरूप अपने कृपा पात्रों को इन सम्मानित निकायों का, जिनसे मही सिविल अधिकारियों की नियुक्ति करने और स्वस्थ परम्पराओं की स्थापना करने की अपेक्षा की जाती है, अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त किया जाता है ।

'पंजाब और हरियाणा में लोक सेवा आयोग-संगठन, कार्य और भूमिका' के संबंध में किए गए अध्ययन से पता चलता है कि चयन करने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति करते समय उनकी शैक्षिक योग्यता का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता है । उदाहरण के लिए मुख्य मंत्री का कृपापात्र एक राजनीतिज्ञ, जिसने कभी औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की, पंजाब में पांच वर्ष तक लोक सेवा आयोग का सदस्य रहा और बाद में छः वर्षों तक हरियाणा लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष रहा । अध्यक्ष की शैक्षिक और सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि का उल्लेख करते हुए इस अध्ययन में कहा गया है कि पंजाब में केवल एक अध्यक्ष के पास 'मास्टर आफ आर्ट्स' की उपाधि थी और एक के पास एल०एल०बी० की उपाधि थी तथा एक के पास बी०एड० की उपाधि थी जबकि अन्य तीन केवल स्नातक थे । 1966 से 1982 के दौरान नियुक्त किए गए 23 सदस्यों में से एक तो मैट्रिक भी नहीं था, एक विज्ञान में इन्टर था, पांच स्नातक थे एक प्रशिक्षित स्नातक था, पाँच के पास स्नानतकोत्तर उपाधि थी, पाँच विधि-स्नातक थे, एक एम०एस०सी० (इंजीनियरिंग) था तथा एक बी०एस०सी० (इंजीनियरिंग) था ।

[हिन्दी]

पब्लिक सर्विस कमीशन में जो अप्वाएंटमेंट होती हैं उनसे आपको मालूम होगा कि किस प्रकार के लोग आपके पास काम करने के लिए आते हैं :

[अनुवाद]

"राज्य सरकार के एक अधिकारी को रेल मंत्रालय द्वारा रेलवे बोर्ड में सहायक निदेशक राजभाषा के पद पर 1 मई, 1975 से तदर्भ आधार पर नियुक्त किया गया । 1 सितम्बर 1976 को रेल मंत्रालय ने उपर्युक्त अधिकारी की तदर्भ नियुक्ति को 30 नवम्बर, 1976 तक जारी रखने के लिए आयोग की सहमति मांगी । आयोग के 30 सितम्बर, 1976 के पत्र, जिसमें कुछ सूचना मांगी गई थी, के उत्तर में मंत्रालय ने बताया कि इस पद के भर्ती नियमों के मसौदे को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और स्वीकृति हेतु आयोग को भेज दिए जाएंगे ।"

[हिन्दी]

दूसरी बात यह है कि जब सरकार की ग्वाईस के आदमी सरकार को नहीं मिलते हैं तो वह अप्वाएंटमेंट नहीं करती है । उनकी जगह पर एडहाक अप्वाएंटमेंट करती है । सालों तक न कोई रूल्स बनते हैं, न कोई पालिसी बनती है, न कोई बाई लाज बनते हैं । पब्लिक सर्विस कमी-

शन लिख कर देता हूँ कि बाई लाज बनाकर दीजिए, सरकार परवाह हीं नहीं करती। उसके बाद भी एडहाक अप्वाएंटमेंट होती रहती हैं। आप इसको नोट करेंगे तो आपको मालूम होगा कि दो-दो साल तक किस तरह से मामले पड़े रहते हैं।

[अनुवाद]

उन नियमों को कभी नहीं भेजा गया। वह अधिकारी 31 दिसम्बर, 1977 तक उस पद पर तदर्थ आधार पर काम करता रहा। यह स्थिति है।

[हिन्दी]

न तो आप पब्लिक सर्विस कमीशन को ईमानदार बनाना चाहते हैं। पहले तो आप उन आदमियों को अपाएंट करिए जो ईमानदार और निष्ठावान हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन की दशा क्यों बिगड़ी है। वे सैकड़ों बार अपनी एडवाइस देते हैं, कोटेशन पर कोटेशन देते हैं, सारे रूल्स हैं, लेकिन आप परवाह नहीं करते। सरकार की एडहाक अपाएंटमेंट करने की नीति गलत है। रूल्स आफ रिक्रूटमेंट्स आपके बनते नहीं हैं। दे आर नाट लेड आन दी टेबल आफ दी हाउस। एक मेंडेटरी प्रोवीजन है कि रूल्स रेगूलेशंस विद इन सिक्स मंथ बनाइएगा और सदन की मेज पर रखिएगा, लेकिन आपको तो अपने पक्ष के लोगों को लगाना होता है सर्विस में और आप एडहाक अपाएंटमेंट करते हैं। दस-दस साल तक के इंस्टांसेस हैं। किताब को पढ़ने के बाद पता चलता हैं कि किस प्रकार से आप अपाएंटमेंट्स करते हैं और उनकी कोई मियाद नहीं होती। एडहाक अपाएंटमेंट्स को कंटीन्यू करते हैं। बार-बार पब्लिक सर्विस कमीशन रिमाइंड करता है कि इसको अवाइड करिए, बट दे डोंट केयर। एक उत्तर देखिए पेज 32 पर है। एक बात मुझे यह कहनी है कि हर रिपोर्ट हर साल डिसकस होनी चाहिए। टुडे वी आर डिसकसिंग टू रिपोर्ट्स, आज हम दो रिपोर्ट डिसकस कर रहे हैं। मुझे बताइए कि यह रिपोर्ट आज क्यों रखी गई है, दो साल बाद क्यों डिसकस हो रही है। 1982 की रिपोर्ट 1982 में डिसकस हो जानी चाहिए या 1983 में लेकिन आज 1982 की रिपोर्ट डिसकस हो रही है। इसको आपको सदन की मेज पर रखना चाहिए, लेकिन यहाँ तो दो-दो साल की रिपोर्ट डिसकस होती हैं। इस तरह से इन रिपोर्टस का कोई फायदा नहीं है। आप इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं।

[अनुवाद]

प्रतिवेदन में 'उपयुक्त उम्मीदवारों का अभाव' शीर्षक के अन्तर्गत यह कहा गया है। मैं उस अंश को पढ़ देता हूँ :

"जैसा कि उपर्युक्त उप-पैरा (एक) में कहा गया है, आयोग को विभिन्न स्तरों पर ऐसे 352 पदों के लिए जिनमें विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता की आवश्यकता थी, उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिले। इनमें से 112 पद अनुसूचित जातियों के लिए और 117 अनुसूचित जनजातियों के लिए और 18 पद अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित थे। शेष 105 पद अनारक्षित थे इन पदों का ब्यौरा प्रतिवेदन के परिशिष्ट नौ में दिया गया है।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : इसके लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है। क्या यह सच नहीं है ?

श्री मूलचन्द डागा : ऐसा कुछ नहीं है। प्रतिवेदन में लिखा है कि यह स्थिति है।

[हिन्दी]

तो आप यह बताइए कि रिक्रूटमेंट जो आप करते हैं वह किस तरह से होता है। किसी को तो आप फौरन कलेक्टर बना देते हैं और किसी को कुछ महीनों के बाद बनाते हैं और किसी को उसी जगह पर रखते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन कहता है कि हम सरकार से जवाब मांगते हैं तो महीनों जवाब नहीं आता। एक-एक रिप्लाई के लिए 6,8 और 12 महीने लग जाते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन इंडिपेंडेंट बाडी है, उसकी बाइंडिंग है इन पर, पर उसको भी ये नहीं मानते। जब सरकार समझती है कि हमारी चायस का आदमी नहीं है तो उसको सर्विस में नहीं लेती है। इतनी शिकायतें इसके अन्दर लिखी हैं कि बल्कि सर्विस कमीशन की रिपोर्ट और रिकमन्डेशन्स को एक यू० डी० सी० टर्न डाउन कर देता है। यह कह देता है कि इसमें यह कमी रह गई है। आज के प्रशासन में अगर भ्रष्टाचार को मिटाना है तो पहले यह जांचना होगा कि जिस आदमी को हम रखने जा रहे हैं, वह ईमानदार और निष्ठावान है या नहीं। उसके लिए क्या क्राइटेरिया है और कैसे जांच की जाती है। क्या पब्लिक सर्विस कमीशन के दो-चार मिनट के इन्टरव्यू में जांच हो जाती है। आज आम बात यह है कि पब्लिक सर्विस कमीशन में सर्विस लगानी है तो लोग कहते हैं कि सिफारिश चाहिए। जैक है तो नौकरी मिल जायेगी नहीं तो नहीं मिलेगी। यह हालत है। पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि सरकार भी उनको इजाजत नहीं देती और वे भी सरकार की बातों को नहीं मानते। दोनों का आपस में को-आर्डिनेशन नहीं है। इस रिपोर्ट को मैम्बर्स पूरी तरह से पढ़ नहीं पाते हैं। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि सरकार काम के प्रति जागरुक नहीं है और उसको परवाह नहीं है। देश में प्रशासन चुस्त, ईमानदार और निष्ठावान नहीं आ सकता। अगर देश को सुधारना है तो प्रशासन को सुधारने के लिए ईमानदार और निष्ठावान लोगों को लाना होगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा। अब यहां पर कानून मंत्री आ गए हैं इन्हें चाहिए कि ईमानदार आदमी लाएं।

[अनुवाद]

श्री विजय एन० पाटिल (इरन्दोल): उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि लोक सेवा आयोग के समक्ष अधिक कार्य होने के कारण उसकी सदस्य संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए। दूसरे, मेरी राय यह है कि आयोग को अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिये जो मामले भेजे जाते हैं उससे उस पर कार्य का अतिरिक्त भार हो जाता है। एक पृथक मन्त्रालय की स्थापना हो जाने से वहां एक तन्त्र की व्यवस्था की जा सकती है जिसे आयोग के माध्यम से भर्ती किये गये व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के मामले भेजे जा सकते हैं।

हम यह देखते हैं कि आयोग पर अधिक कार्यभार के कारण विभागीय पदोन्नति समितियों की स्थापना में विलम्ब हो जाता है। दूसरे, जैसाकि मेरे माननीय मित्र श्री डागा ने कहा है, अनेक मामलों में तदर्थ नियुक्तियां की जाती हैं और वे वर्षों तक बनी रहती हैं। चिकित्सा तथा इन्जीनयरिंग विभागों में ऐसा ज्यादा हो रहा है।

अन्त में, हम यह देखते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा मुख्य सेवाओं में चयन से इस प्रवृत्ति का पता चलता है कि अधिकांश व्यक्ति दिल्ली अथवा दिल्ली के इर्दगिर्द रहने वाले लोगों में से चुने जाते हैं और ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि केन्द्रीय सेवाओं पर कतिपय विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों का एकाधिकार है। एकाधिकार ग्रहों, व्यापारिक गृहों की भांति एकाधिकार सेवा गृह भी हैं। कुछ परिवारों में मां और बाप दोनों सेवा-निवृत आई०ए०एस० अधिकारी होते हैं तो उनका बेटा और बहू तथा बेटी तथा दामाद आई०एस०ए० अधिकारी अथवा किसी केन्द्रीय सेवा में होते हैं। पूरा परिवार केन्द्रीय सेवा में होता है ?

प्रो० एन० जी० रंगा : किन्तु उनका चयन होता है । क्या स्थिति ऐसी नहीं है ?

श्री विजय एन० पाटिल : किन्तु यह एकाधिकार सेवा हो जाती है। जैसाकि दूसरी ओर से मेरे मित्रों ने कहा है, मैं भी यहीं कहना चाहता हूं कि अधिकांश व्यक्ति जो चुने जाते हैं, वे दिल्ली राजस्थान, पंजाब और अधिकांशतः इलाहाबाद विश्वविद्यालय के होते हैं। इसलिए यदि हम परीक्षा में बैठे व्यक्तियों की संख्या को देखें.... ।

उपाध्यक्ष महोदय : केवल एक मिनट का समय शेष है। क्या माननीय सदस्य अपना भाषण समाप्त करना चाहेंगे अथवा किसी अन्य समय अपना भाषण जारी रखना चाहेंगे ? आप जानते हैं कि हमें अब गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर बहस आरम्भ करनी है ।

श्री विजय एन० पाटिल : महोदय, मैं अपना भाषण सोमवार को जारी रखूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर विचार आरम्भ करेंगे । पहले, पुरःस्थापन के लिए विधेयक लिए जाएं ।

3.32 म०प्र०

संविधान (संशोधन) विधेयक
(नए अनुच्छेद 16क का अंतःस्थापन, आदि)

[अनुवाद]

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री जो० ए० बनातवाला : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ ।

3.33 म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक
(अष्टम अनुसूची में संशोधन)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सत्यगोपाल मिश्र के संविधान (संशोधन) विधेयक पर आगे चर्चा आरम्भ करने से पहले मैं सभा को याद दिलाना चाहता हूँ कि नियत की गयी दो घन्टे की अवधि में से 1 घन्टा और 57 मिनट का समय समाप्त हो चुका है क्या हम एक घन्टे का समय और बढ़ाएं ।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : किन्तु अन्य कार्य कब होगा ।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : अन्य मदों पर बाद में बहस की जा सकती है । ऐसा क्यों नहीं हो सकता ? ऐसी प्रथा रही है ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप इस विषय पर चर्चा नहीं करना चाहते तो मैं मन्त्री महोदय से उत्तर देने के लिए कहूंगा । यदि आप चर्चा चाहते हैं तो मैं समय बढ़ा दूंगा । मैं यह निर्णय सभा पर छोड़ता हूँ । मैं सभा की राय जानना चाहता हूँ ।

श्री सुरेश कुरुप (कोट्टायम) : कतिपय प्रथाएं हैं । जिन सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लेने के लिए अपने नाम दिये हैं, वे उसमें भाग ले सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : इसीलिये तो मैं सभा की राय जानना चाह रहा हूँ । एक माननीय सदस्य कहते हैं कि वह समय को बढ़ाना चाहते हैं । किन्तु अन्य नहीं चाहते हैं ।

श्री नारायण चौबे : आप अपना दिमाग लगाइये ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा कर सकता हूँ किन्तु मैंने आपको कहा है कि मैं आपकी राय जानना चाहता हूं ।

श्री ई०अय्यापु रेड्डी (कुरनूल) : महोदय, आप तो जानते हैं कि गैर सरकारी सदस्यों की कार्यसूची बहुत लम्बी है । जिन सदस्यों ने विधेयकों की सूचनाएं दी हैं, उनमें से अधिकांश को अपने विचार करने का अवसर दिया जाना चाहिए... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए । समस्या यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने समय को सीमित नहीं कर रहा है । किन्तु मैं उनका समय 10 या पांच मिनट करना चाहता हूँ । परन्तु प्रत्येक सदस्य आधा घन्टा अथवा उससे अधिक समय ले लेता है । वे बोलते ही रहते हैं ।

एक माननीय सदस्य : आप सभा को चलाइए ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूं । मैं सदस्यों की सहायता करना चाहता हूं । किन्तु उन्हें भी मुझे सहयोग देना चाहिए ।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : अभी कितने सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त करने हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : चार सदस्य रह गये हैं ।

श्री जी० एम० बनातवाला : इन चारों सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति दीजिये किन्तु पांचवे सदस्य को बिल्कुल नहीं । इतनी जिद करने की क्या आवश्यकता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है । मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने विचार संक्षेप में रखें । अब हम निर्धारित समय के अनुसार चलेंगे ।

केवल चार सदस्य शेष हैं । बस इतना ही है । श्री व्यास अपने विचार व्यक्त करेंगे किन्तु उन्हें केवल पांच मिनट का समय दिया जा रहा है ।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : पांच मिनट में मैं विषय के साथ न्याय कैसे कर पाऊंगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : पांच मिनट के बाद जो भी बोला जायेगा, कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायगा । जब मैं पहली घन्टी बजाऊंगा तो वह चेतावनी होगी दूसरी घन्टी के बाद कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा ।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो कांस्टीट्यूशन अमेंडमैंट बिल श्री मिश्र ने रखा है, उसके लिए मेरे दो सुझाव हैं । एक तो उन्होंने सैक्शन 18-ए में राइट आफ एम्पलायमैंट की बात कही है । उसमें—

[अनुवाद]

"भारत के प्रत्येक नागरिक को 18 वर्ष से 65 वर्ष की आयु सीमा के भीतर रोजगार का अधिकार होगा.....।"

[हिन्दी]

यह जो एज लिमिट 65 वर्ष की है, मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है ।

[अनुवाद]

श्री सत्य गोपाल मिश्र (तामलुक) : महोदय, वह एक भिन्न विधेयक पर बोल रहे हैं ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं जब छानाकर्षण प्रस्ताव पर बोल रहा था तो यही बात हुई थी ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी अपने विचार व्यक्त करेंगे।

[हिन्दी]

श्री के०डी० सुल्तानपुरी (शिमला) : उपाध्यक्ष महोदय, नेपाली भाषा के विधेयक के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। नेपाल के लोगों की यहां आबादी के बारे में जिक्र किया गया कि 10 हजार लोग हिन्दुस्तान में रहते हैं और वे हिन्दुस्तान के सिटीजन हैं इसलिए उनकी नेपाली भाषा यहां होनी चाहिए।

जहां तक नेपाली लोगों का सवाल है, वह बड़े बहादुर हैं, अच्छे लोग हैं। मुख्तलिफ जगहों पर कोई नेपाली भूटान की भाषा बोलता है, कोई सिक्किम की, कोई बंगला बोलता है। नेपाली हमारे अरुणाचल, हिमाचल और काश्मीर के इलाकों में भी बसे हुए हैं। इन लोगों का इस बिल को लाने का एक निशाना है कि जो नेपाली दार्जिलिंग और बंगाल में रहते हैं, ये उनके मत प्राप्त कर लें। सिर्फ इसीलिए उनका कहना है कि यह भाषा आ जाये।

हम सब भाषाओं का आदर करते हैं। साउथ की सारी भाषाएं हिन्दुस्तान में बोली जाती हैं। उनको बढ़ावा देने के लिए सरकार काम करती है। जहां तक राष्ट्र भाषा का सवाल है राष्ट्रभाषा तो हिन्दी ही है वैसे तमिल, तेलुगु, मलयालम आदि सारी भाषाओं को हमने विधान में रखा है। विधान के अन्दर जो चीज हैं, उनके बारे में यह कहना कि भारत सरकार उनके बारे में न्याय नहीं करती है, यह बात उचित नहीं है।

मैं कहता हूं कि हिन्दुस्तान में 10 लाख नेपाली नहीं रहते हैं। नेपाली भाषा, जैसी उन्होंने बोली सारी हिन्दी भाषा में लिखी जाती है। हमारे हिमाचल में पहाड़ी भाषा बोली जाती है। उसे बोलने वाले भी 42 हजार लोग हैं, वह भी अपनी भाषा की बातें करते हैं। उनकी एकादमी भी बनी हुई है, उसमें हमारे श्री पाराशर जी उपाध्यक्ष हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अगर भाषाओं का इतना भारी विस्तार करेंगे कि हर आदमी यह कहे कि हमारी भाषा विधान में शामिल होनी चाहिये, मैं समझता हूं कि यह अच्छी बात नहीं है। यह सिर्फ वोटों का मामला है। वहां पर सिर्फ उनके एक्सप्लायटेशन की बात है।

मेरा कहना यह है कि सभी भाषाएं प्यारी भाषाएं हैं। नेपाली हो, बंगाली हो या कोई भी भाषा हो, हिन्दुस्तान में चप्पे-चप्पे पर हर गांव में हर जगह इलाके में अपनी-अपनी भाषाएं बोली जाती हैं, सब को विधान में डाल दें तो कहां तक ठीक होगा। हमको एक राष्ट्र भाषा बनानी है, एक राष्ट्र के नाते हमें सब भाषाएं सीखनी चाहिए। हम बंगला भी सीखना चाहते हैं, मलयालम, तेलुगु भी सीखना चाहते हैं, सब प्यारी लगती हैं। जहां तक उनके इलाके का सवाल है, वहां उन्हें बढ़ाएं। जिनके वोट आपने मांगने हैं।

हरेक नेपाली भाषी को पता लगे। वहां आप असेम्बली में रखें ताकि वहां वह भाषा स्कूलों में चले।

राष्ट्र की जो भाषायें हैं, उन्हें दर्जा उचित दिया जा रहा है। उनको बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए सरकार प्रयत्नशील है और यह कहना कि सरकार इसकी तरफ ध्यान नहीं देती मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं हूं।

जिस सदस्य ने, इसको विधान में संशोधन के लिए रखा है कि इसको शामिल कर लिया जाये मैं उनसे कहूंगा कि वह उसको वापिस ले लें और ठीक यही होगा कि उनके एक्सप्लायटेशन में न जायें। लोगों का भला इसी में होगा कि हम उन भाषाओं का आदर करें जो हमारी राष्ट्रीय भाषायें हैं।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

[अनुवाद]

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : मैं आठवीं अनुसूची में नेपाली भाषा को शामिल करने का समर्थन करता हूँ। नेपाली भाषा एक भारतीय भाषा है। चूंकि यह भाषा नेपाल में बोली जाती है, इसलिए यह भारतीय भाषा नहीं है। मेरे विचार से कामरेड अशोक दा इस बात से सहमत नहीं होंगे। बंगाली, बंगला देश में तथा पश्चिम बंगाल में बोली जाती है, इसका यह अर्थ नहीं है कि बंगाली भारतीय भाषा नहीं है। अतः यह तुलना गलत है। यही बात कभी श्री मोरारजी देसाई ने कही थी। मैं जानता हूं कि आप भी इससे सहमत नहीं हैं। मेरे विचार से यह एक भारतीय भाषा है और इसे आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए।

नेपाली को आठवीं अनुसूची में सम्मिलित न करने के पीछे यह भय है कि यदि इसे आठवीं अनुसूची में सम्मिलित कर दिया गया तो सभी ओर से सभी प्रकार की भाषाओं को उसमें शामिल करने के लिए कहा जाने लगेगा। मेरे विचार से इस महान भारत को ऐसी बातों से कभी नहीं डरना चाहिए। ऐसा होना है। ऐसा करना पड़ेगा। आज जो जागृत नहीं है, कल उनमें जागृति की भावना पैदा हो जाएगी, आज जिनकी भाषाएं उपेक्षित हैं कल उनकी भाषाएं विकसित होंगी। भारत एक बहुभाषी राज्य है। अनेक भाषाएं विकसित होंगी। उदाहरण के तौर पर पिछड़े हुए संथालियों की भाषा जो आज अविकसित है अन्य अनेक भाषाएं आज अविकसित हैं विकसित होंगी और निश्चय ही संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित होने के लिए संघर्ष करेंगी और इससे गणराज्य के रूप में भारत का स्तर बिगड़ेगा नहीं। यह तो हिन्दी भाषी लोगों की उग्र राष्ट्रीय प्रवृत्ति है जो आठवीं अनुसूची में ऐसी भाषाओं को शामिल करने के लिए रुकावट डालती है। हमें इस सम्बन्ध में सचेत रहना चाहिए।

आप आठवीं अनुसूची में सिंधी भाषा को शामिल कर चुके हैं। कम से कम भारत में सिंधी भाषा भाषी की अपेक्षा नेपाली भाषा भाषी अधिक हैं। मैं इस बात को नहीं जानता, मेरे विचार से प्रो० रंगा मुझे बता सकते हैं कि क्या इस सम्बन्ध में धन की भी भूमिका होती है, क्योंकि सिंधी अमीर होते हैं, अतः उनकी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया है। किन्तु निर्धन नेपाली, कृषक नेपाली आपकी स्वतन्त्रता के लिए, आपके राज्य की सीमाओं पर संघर्ष रत हैं : आपको उनकी भाषा को आठवीं अनुसूची में क्यों शामिल नहीं करना चाहिए ? यदि आप सिंधी को स्वीकार कर सकते हैं तो नेपाली भाषा को क्यों स्वीकार नहीं किया जा रहा है। हम इस पर सहमत क्यों नहीं हो रहे हैं ?

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी ने एक भाषा की बात कही है और उन्होंने कहा है कि सोवियत रूस में सभी रूसी लोग रूसी भाषा सीख रहे हैं। यह बात सच नहीं है। सोवियत रूस

[श्री नारायण चौबे]

में प्रत्येक रूसी को एक अन्य रूसी भाषा सीखने के लिए बाध्य किया जाता है। और सभी गैर-रूसियों से रूसी भाषा सीखने का अनुरोध किया जाता है। आप इस अन्तर को समझने का प्रयास करें। सभी रूसी लोगों को एक रूसी भाषा अनिवार्य रूप से सीखनी होती है और गैर-रूसी लोगों से यह आशा की जाती है कि वे रूसी भाषा सीखेंगे।

एक माननीय सदस्य : यह अनिवार्य नहीं है।

श्री नारायण चौबे : यह अनिवार्य नहीं है। अतः वहां स्थिति ऐसी है कि रूसी भाषा सब सीखते हैं। अतः सभी रूसी भाषा जानते हैं। यदि हमने यहां उसी सिद्धांत का अनुसरण किया होता तो आज यहां भी हिन्दी समूचे देश में स्वीकार की जाती। चूंकि उग्र हिन्दी भाषा भाषियों ने दक्षिण भारत तथा भारत के पूर्वी भाग पर हिन्दी लादने का प्रयास किया है, अतः इस सम्बन्ध में मतभेद है। यदि आप सचमुच हिन्दी से प्रेम करते हैं, तो आपको सोवियत रूस के सिद्धांत का अनुसरण करना चाहिये और आप देखेंगे कि हिन्दी धीरे-धीरे फैल जायेगी।

एक माननीय सदस्य : एक समान लिपि होनी चाहिए।

श्री नारायण चौबे : मैं इस समय समान लिपि के बारे में नहीं बोल रहा हूँ।

1980 के कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में यह कहा गया था कि नेपाली भाषा आठवीं अनुसूची में शामिल की जानी चाहिये। मेरे विचार से उस समय उन्होंने जनता पार्टी को चुनावों में परास्त करना था क्योंकि 1977-79 में यह दल सत्ता में था और उन्होंने यह सोचा था कि यदि वह नेपाली को आठवीं अनुसूची में शामिल करने की बात कहेंगे तो उन्हें वोट मिलेंगे। और जब भी श्रीमती इन्दिरा गांधी दार्जिलिंग गईं—मेरे विचार से श्री मोरारजी देसाई स्पष्ट वक्ता और ईमानदार व्यक्ति थे, वह बात को जैसे समझते थे वैसे ही स्पष्ट बोलते थे—श्रीमती गांधी ने इसका उल्लेख किया था। किन्तु तथाकथित महान व्यक्ति जिनकी भावनाओं में दंभ भरा था जब भी दार्जिलिंग गये, उन्होंने नेपाली को आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने का पक्ष लिया। पश्चिम बंगाल की विधान सभा में इन कांग्रेसी लोगों ने सर्व-सम्मति से संकल्प पारित किया था कि नेपाली को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए। किन्तु जब वे यहां आये तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं किया जा सकता। अतः सत्तारूढ़ दल के इस पाखण्डवाद को मैं समझ नहीं पाया हूँ किन्तु मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि यदि नेपाली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाता है तो आसमान धरती पर नहीं गिर पड़ेगा और भूतल कांप नहीं उठेगा। हम विधि मन्त्री महोदय से अनुरोध करते हैं कि नेपाली को शीघ्र ही स्वीकार कर लिया जाना चाहिए।

प्रो० एन० जी० रंगा : नहीं, नहीं।

श्री नारायण चौबे : आप नहीं कह सकते हैं। आप विघटनकारी प्रवृत्तियों को जन्म दे रहे हैं। आज नेपाली लोगों की बात है कल अन्य लोग होंगे जो यह महसूस करेंगे कि उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। किन्तु विघटनकारी प्रवृत्तियों का उदय इन्हीं क्षेत्रों पहाड़ी क्षेत्रों, पिछड़े क्षेत्रों से होता है जब यहां की जनता यह महसूस करती है कि उनकी भाषा

को स्वीकृति नहीं दी जा रही है, उनके अधिकारों को कम किया जा रहा है तब वे यह सोचते हैं, कि हम भारत के अंग नहीं हैं.....हमारे अधिकार कम किये जा रहे हैं। अतः मैं विधि मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि नेपाली को आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाए । केवल उग्र हिन्दी भाषा भाषी लोग ही यह नहीं चाहते हैं। कृपया इसे मत रोकिए। इससे बुरा ही होगा अच्छा नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से सभी अच्छी तरह सहयोग दे रहे हैं। और पांच मिनट से कम समय में तीन अथवा चार मिनट में ही अपना भाषण समाप्त कर रहे हैं। मेरा विचार है कि भविष्य में भी इसका अनुसरण किया जाना चाहिए। श्री टोम्बी सिंह।

श्री एन० टोम्बी सिंह (आंतरिक मणिपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का बहुत ही विशेष महत्व है क्योंकि कई भाषाओं के ग्रुपों से आठवीं अनुसूची में संशोधन की मांग आई है। अतः जब हम नेपाली भाषा पर विचार करते हैं तो अन्य भाषाएं सामने आती हैं। इसलिए वास्तव में हमें एक ऐसे नेतृत्व, एक ऐसी राष्ट्रीय विचारधारा की तलाश है जिसके द्वारा हम राष्ट्र को व्यापक दृष्टि से देख सकें।

मुझे याद आता है कि जब हम उत्तर पूर्व में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अलग राज्यों और अलग प्रशासन की मांग कर रहे थे तो इसी तरह देश के कई भागों में भी लोग यही मांग कर रहे थे। यह ठीक उसी प्रकार की प्रसिद्ध लोकोक्ति की तरह था जिसमें छः अन्धे व्यक्तियों ने एक हाथी को नजदीक से छूकर उसका वर्णन किया। लेकिन पंडित जवाहर लाल नेहरू तथा उनके योग्य उत्तराधिकारी शास्त्री जी और बाद में श्रीमती इन्दिरा जी ने व्यापक दृष्टि अपनाकर पूर्वोत्तर प्रदेश का पुनर्गठन किया। इससे पूर्वोत्तर प्रदेश एक साथ लाया गया जिससे मणिपुर, नागालैण्ड, मेघालय तथा त्रिपुरा जैसे राज्य अस्तित्व में आये।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश।

श्री एन० टोम्बी सिंह : मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया।

लेकिन यदि आप इनके आकार को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कुछ छोटे राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र अधिकतर उत्तर प्रदेश के जिलों से भी बहुत छोटे हैं। तथ्य यह है कि अन्य बातों पर भी विचार किया गया। नेपाली भाषा के अतिरिक्त कई भाषा ग्रुप हैं। मैं समझता हूँ कि अन्य भाषाओं में विचार करने पर मणिपुरी भाषा सबसे ऊपर आती है क्योंकि यह न्यायालय और प्रसासन की भाषा रही है और जनसमूह द्वारा बोली जाती है तथा मणिपुर राज्य में इसका बहुत विकसित साहित्य भी है। भारतीत संघ में इसके विलय से पहले यह भाषा बहुत पहले से एक स्वतंत्र राज्य की भाषा रही है।

आठवीं अनुसूची में मणिपुरी भाषा को शामिल करने की मांग दशकों से चली आ रही है। जब हमने राज्य का दर्जा प्रदान करने की मांग की थी तो हमने यह भी मांग की थी कि आठवीं अनुसूची में मणिपुरी भाषा को शामिल किया जाना चाहिए। तब हमारे नेताओं ने कहा था कि सभी बातें एक समय नहीं कही जानी चाहिए, हालांकि इसके लिए औचित्य था। उन्होंने विश्वास दिलाया कि इसे उचित समय पर करेंगे। वह उचित समय कहां है ? आठवीं अनुसूची

[श्री एन० टोम्बी सिंह]

में संशोधन करना चाहिए। इस तरह के तर्क दिए गए हैं कि आठवीं अनुसूचि बहुत बड़ी है। यदि आठवीं अनुसूची में 15 भाषाएं हो सकती हैं तो इसमें 16 या 17 भाषाएं भी बहुत अच्छी तरह से रखी जा सकती हैं। हमारा यह तर्क होना चाहिए। अब प्रश्न यह है कि इसके लिए क्या मानदण्ड होने चाहिए ? मैं नेपाली भाषा के विरुद्ध नही हूँ। इसी तरह मैं अन्य भाषाओं के विरुद्ध नही हूँ। साहित्य अकादमी द्वारा जो भी भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं उन सबको आठवीं अनुसूची के लिए लिया जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें शैक्षिक हैसियत से ये मान्यता प्राप्त है। यदि ये सारी भाषाएं आठवीं अनुसूची में रखनी है तो हमें मणिपुरी और अन्य भाषायें इसमें शामिल करनी होंगी, नहीं तो कई माननीय सदस्यों द्वारा बताए गए सुझावों के अनुसार इस अनुसूची में भाषाओं की संख्या को या तो बढ़ाया जाए या हिन्दी और अंग्रेजी के अतिरिक्त सभी भाषाओं को हटा दिया जाए। यदि ऐसी बात है तो इसपर व्यापक रूप से चर्चा की जाए। मैं उन राष्ट्रीय नेताओं से जो पडित जी, शास्त्री जी और इन्दिरा जी के योग्य उत्तराधिकारी रहे हैं तथा अब श्री राजीव जी से अपील करता हूँ कि वह राष्ट्रीय हित को व्यापक रूप से देखें और छः अन्धे व्यक्तियों वाली लोकोक्ति जिसमें उन्होंने हाथी के विभिन्न अंगों को छूकर उसका वर्णन किया था, से बचें। हमारा विशाल देश है। हमें आठवीं अनुसूची को विस्तृत रूप से देखना चाहिए तथा मणिपुरी और अन्य पात्र भाषाओं को इसमें शामिल करके इसका संशोधन करें। भाषाओं की संख्या कोई मानदण्ड नहीं होना चाहिए बल्कि मानदण्ड किसी और का होना चाहिए महान भाषा वैज्ञानिक डा० सुनीति कुमार चटर्जी, जो मणिपुरी से सम्बन्धित नहीं थे, ने कहा कि मणिपुरी भाषा को कम लोगों द्वारा बोली जाने के बावजूद यह देश की अधिक समृद्ध भाषाओं में से एक है। जनसंख्या के आधार पर हम कम नहीं हैं। देश में हमारे पास लगभग 20 लाख मणिपुरी हैं। यह राज्य की राज भाषा है और माध्यमिक स्तर तक की परीक्षाओं तथा पढ़ाई का माध्यम भी यह भाषा है। यह भाषा आनर्स अध्ययन का एक विषय है। कोई भी व्यक्ति इस विषय में एम० ए०,एम० 'फिल' कर सकता है। मणिपुरी के न्यायालयों की यह भाषा है। इस भाषा का इतिहास प्राचीनकाल से चला आ रहा है जो मध्यकाल, आधुनिक काल तथा समकालीन से चली आ रही है। हमारे पास साहित्य का मूल्यवान भण्डार है जिसमें मूल लेख अनुवाद जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इसमें अनूदित रूप में समूचा हिन्दू वैदिक साहित्य वेद, उपनिषद, पुराण, गीता, रामायण और महाभारत आता है। इसमें बंगाली, हिन्दू, अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाओं के महान लेखकों की रचना के अनुवाद हमारे पास उपलब्ध हैं। इसकी मूल रचनाओं में उपन्यास, नाटक, प्रस्ताव, कविता तथा कहानी शामिल है। अतः यह भाषा अपने ही कारण न कि विशेष विचार के कारण आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की पात्र है। इसलिए इस भाषा को इसमें शामिल करने के लिए भाषाओं के मुकाबले इस पर विचार किया जाना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से हमारी प्रार्थना है कि इस मामले को और आगे लम्बा न खींचा जाए, क्योंकि यदि हम इसे और आगे बढ़ाते रहें तो इससे केवल आन्दोलन और विरोध ही सामने आएंगे जिसके लिए स्वर्गीय प्रधान मंत्री ने यह महसूस किया था कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप आन्दोलन पसंद नहीं करते हैं तो हमें सांविधानिक, वैधानिक रीति से और विनम्रता के साथ [illegible] की जाएगी।

विधि और न्याय मंत्री (श्री ए० के० सेन) : उपाध्यक्ष महोदय, अनुच्छेद 344, जिससे आठवीं अनुसूची संबद्ध है, की उपयोगिता और कार्य के बारे में बहुत गलत फहमी रही है । अनुच्छेद 344 को केवल विशेष प्रयोजन के लिए अर्थात हिन्दी की समृद्धता और विविधता के प्रयोजन के लिए केवल कुछ भाषाओं के नाम का उल्लेख करने के लिए अन्तः स्थापित किया गया है और इसका कोई प्रयोजन नहीं है ? क्या मैं सदन की सुविधा के लिए एक बार फिर अनुच्छेद 344 पढ़ सकता हूँ :

> "344 (1) राष्ट्रपति, इस संविधान के प्रारम्भ से पाँच वर्ष की समाप्ति पर तथा तत्पश्चात् ऐसे प्रारम्भ से दस वर्ष की समाप्ति पर...."

10 वर्षों के प्रयोजन के लिए, हम जनवरी 1960 को वापस चलते हैं और मुझे याद है कि 1960 में जब मैं विधि मंत्रालय का प्रभारी मन्त्री था तब इस आयोग को गठित किया गया था :

> "आदेश द्वारा एक आयोग गठित करेगा जो एक सभापति और अष्टम अनुसूची में उल्लिखित भिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा....."

संविधान के आरम्भ होने से 10 वर्षों के बाद राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग गठित किया जाएगा जिसका आठवीं अनुसूची में बताए गए आठ भाषा वैज्ञानिक प्रतिनिधित्व करेंगे और किस प्रयोजन के लिए ? इसे उप अनुच्छेद (2) में बताया गया है :

> "(2) राष्ट्रपति को सिफारिश करने का आयोग का कर्त्तव्य होगा...."

राष्ट्रपति को सिफारिश करने के लिए यह केवल कर्तव्य होगा; और किस प्रयोजन के लिए ?—

> "....बारे में
>
> (क) संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी भाषा के उत्तरोत्तर अधिक प्रयोग के....."

—न कि किसी अन्य भाषा के उत्तरोत्तर प्रयोग के लिए, भारत में विभिन्न स्थानों में हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग के लिए यह आयोग राष्ट्रपति के उपायों की सिफारिश करेगा । इसमें आगे कहा गया है :

> "(ख) संघ के राजकीय प्रयोजनों में से सब या किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बंधन
>
> राज्यों को नहीं—
>
> "(ग) अनुच्छेद 348 में वर्जित प्रयोजन में से सब या किसी के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के,
>
> (घ) संघ के किसी एक या अधिक उल्लिखित प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के रूप के,

[श्री ए०के० सेन]

(ङ) आयोग से पूछा किए हुए किसी अन्य विषय के....."

और सिफारिश करते समय उन्हें ध्यान में क्या रखना चाहिए वह उप-अनुच्छेद (3) में बताया गया है :

"(3) खंड (2) के अधीन अपनी सिफारिशें करने में आयोग भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का तथा लोक-सेवाओं के बारे में अहिन्दी भाषीभाषी क्षेत्रों के लोगों के न्यायपूर्ण दावों और हितों का सम्यक् ध्यान रखेगा।"

अत: यहां पता चलता है कि अहिन्दी भाषाभाषी क्षेत्रों के हितों को ध्यान में रखने की भी उनकी सिफारिश की गई है और इसमें नेपाली भाषा बोले जाने वाले क्षेत्र दार्जिलिंग, सिक्किम, आदि जैसे क्षेत्र शामिल हैं। और उप-अनुच्छेद (4) में यह उल्लेख है :

"(4) तीस सदस्यों की एक समिति गठित की जाएगी जिसमें से बीस लोकसभा के सदस्य होंगे जो कि क्रमशः लोकसभा के सदस्यों तथा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार....."

आप देखेंगे कि यह केवल उसी प्रयोजन के लिए है। जो भाषाएं विशेष भौगोलिक क्षेत्रों में बोली जाती हैं। उनके प्रयोग के लिए संविधान के अनुच्छेद 345 और 347 में बड़ी सावधानी पूर्वक व्यवस्था की गयी है।

4.00 म० प०

प्रत्येक भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने के बारे में सब लोग सोचते हैं तो वे इस बात पर ध्यान नहीं देते। अनुच्छेद 345 देखें।

"अनुच्छेद 346 और 347 के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा ....."

बंगाल के उत्तर में जिसे दार्जिलिंग जिला कहा जाता है, वहां नेपाली भाषा बोली जाती है। इन क्षेत्रों में रहने वाले अधिसंख्यक लोग लेपचा बोली बोलते हैं। वहां कुछ लोग नेपाली, कुछ सिक्किमी तथा कुछ भूटिया बोली बोलते हैं। इस जिले में ये चारों बोलियां बोली जाती हैं। सिक्किम में सिक्किमी और नेपाली भाषाएं बोली जाती हैं। अब सिक्किमी और नेपाली कहते हैं कि सिक्किमी तथा नेपाली भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए। अनुच्छेद 345 में इन दोनों भाषाओं को उस क्षेत्र विशेष की राजभाषाएं माना गया है। अनुच्छेद 345 में कहा गया है :

"राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं में से एक या अनेक को अंगीकार कर सकेगा"

उन्हें आठवीं अनुसूची में शामिल करने की बात नहीं कही गई है। अत: किसी राज्य विशेष में रहने वाले किसी विशेष भाषी समूहों के संबंध में किसी भाषा का प्रयोग, आठवीं अनुसूची द्वारा विनियमित नहीं होता है बल्कि अनुच्छेद 345 द्वारा होता है। तथा राज्य को, किसी भाषा विशेष का प्रयोग कैसे हो इसके लिए कानून बनाना पड़ेगा।

श्री नारायण चौबे ने सत्तारूढ़ दल पर छींटा कशी की है। मैं उसका जरा भी बुरा नहीं मानता क्योंकि हमें आरोपों और प्रत्यारोपों की आदत है। क्या मैं उन्हें याद दिलाऊं कि प० बंगाल में वामपंथी मोर्चे की सरकार है जिसका मुख्य घटक कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) है। मेरे माननीय मित्र का दल भी उसी मोर्चे का घटक है। उस सरकार ने तीन जिलों में अर्थात् दार्जिलिंग, कलिम्पोंग तथा कुरसियान जिलों में नेपाली भाषा के प्रयोग के लिए कानून बनाया है। मैं दोहराऊंगा कि इन क्षेत्रों में, इन सब डिवीजनों में काफी बड़े वर्ग द्वारा बंगाली बोली जाती है, दार्जिलिंग सब-डिवीजन में काफी बड़े वर्ग द्वारा सिक्किमी बोली जाती है, काफी बड़े वर्ग द्वारा भूटिया बोली जाती है, काफी बड़े वर्ग द्वारा नेपाली बोली जाती है तथा चाय बागानों और अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले लेप्ची श्रमिकों द्वारा लेपची भाषा बोली जाती है। लेकिन उक्त सरकार ने समस्त राज्य में नेपाली के प्रयोग की व्यवस्था नहीं की है। यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण तथ्य है। मैं उन पर छींटा कशी नहीं कर रहा हूं। उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि जहां संथाली बोली जाती है वहां नेपाली का प्रयोग असंगत होगा। उस क्षेत्र में शायद ही कोई नेपाली, नेपाली बोलता होगा। इसलिए उन्होंने नेपाली भाषा का राजभाषा के रूप में प्रयोग इन तीन सब-डिवीजनों में ही सीमित रखा है।

सिक्किम में अधिसंख्यक लोग नेपाली भाषा भाषी हैं। लेकिन सिक्किमी बोलने वालों की भी वहां काफी संख्या है। आप जानते हैं वहां राज-परिवार सिक्किमी है। वहां सिक्किमी बोलने वाली जनसंख्या भी बहुत है। इसके अलावा वहां हिन्दी भाषी तथा बांगला भाषी लोग भी हैं। इसलिए सिक्किम में अनुच्छेद 345 के अन्तर्गत सिक्किमी को राजभाषा बनाया गया है जैसा कि तमिलनाडु में तमिल, कर्नाटक में कन्नड़, आंध्र प्रदेश या तेलगू देशम् में तेलगु, महाराष्ट्र में मराठी तथा गुजरात में गुजराती को राजभाषा बनाया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : केवल दल का नाम तेलगू देशम है।

श्री ए० के० सेन : कोई बात नहीं। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश ही रहेगा। सतवाहनों की प्राचीन भूमि आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश ही रहेगा। भारतीय इतिहास में उनका बहुत ऊँचा स्थान है। एक समय ऐसा भी था जब सतवाहनों का समस्त देश पर अधिपत्य था। चालुक्यों के बारे में एक अद्भुत चित्रकारी आपको अभी भी एलोरा, अजंता तथा अन्य स्थानों पर देखने को मिलेगी।

बहरहाल, भारत को नेपाल सहित सभी पर गर्व है। हमें नेपाली भाषा पर गर्व है। नेपाली हमारी जनसंख्या के ही अंग हैं। लेकिन हमें भावनात्मक प्रश्नों को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए जैसाकि पंजाब में हुआ है गुरुमुखी को आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है फिर भी वह पंजाब की राजभाषा है। गलतफहमी इसलिए पैदा होती है कि कोई भी इस बात पर ध्यान नहीं देता कि आठवीं अनुसूची का उद्देश्य क्या है तथा अनुच्छेद 345 और अनुच्छेद 347 का उद्देश्य क्या है जिनके अन्तर्गत किसी भाषा विशेष भाषी जनसमुदाय की भाषा को उनके अपने क्षेत्र की और यदि जरुरत हो तो समस्त राज्य की भाषा बनाए जाने की प्रक्रिया दी गई है। अनुच्छेद 345 के अन्तर्गत वह शक्ति राज्य को प्राप्त है पश्चिम बंगाल सरकार ने उस शक्ति का प्रयोग नहीं किया है। अनुच्छेद 345 के अनुसार मणिपुर की राजभाषा मणिपुरी है जिन भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है वे भी राजभाषा बन सकती हैं। अनुच्छेद 347 भी बहुत महत्त्वपूर्ण है उसमें कहा गया है :

[श्री ए० के० सेन]

"तद्विषयक मांग की जाने पर यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाए कि किसी राज्य के जनसमुदाय का पर्याप्त अनुपात चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली कोई भाषा राज्य द्वारा अभिज्ञात की जाए तो वह निदेश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र राजकीय अभिज्ञा दी जाए।"

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : उस अनुच्छेद के होते हुए भी कुछ नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में उर्दू के स्थान के बारे में तत्कालीन राष्ट्रपति को लाखों व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन पेश किया गया था लेकिन उसका अभी तक जवाब नहीं मिला है।

श्री एन० के० सेन : मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपने अनुच्छेद 347 के आशय को ठीक से नहीं समझा है। उसमें दिया है "जनसमुदाय का पर्याप्त अनुपात"। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 7 करोड़ के लगभग है। पर्याप्त अनुपात कम से कम 50 प्रतिशत होना चाहिए था यानि कम से कम 3½ करोड़ उर्दू भाषा-भाषी होते तो यह पर्याप्त अनुपात बनता। लाखों लोगों का अभिप्राय 3½ करोड़ लोग नहीं है। माननीय मंत्री गणित भूल रहे हैं। इस समय उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 11 करोड़ है। इससे सदस्य महोदय को और कठिनाई होगी। कम से कम 5½ करोड़ लोगों को अभ्यावेदन करना चाहिए। अतः अनुच्छेद 347 की भाषा वह है जिसका मैंने अभी उल्लेख किया है लेकिन अनुच्छेद 345 में उस सीमा को भी समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 345 के अनुसार पर्याप्त मांग न होने पर भी विधान सभा इस संबंध में कानून बना सकती है। इसलिए अनुच्छेद 347 का ध्यान नहीं रखा जाता।

मैं इस बारे में इसलिए जानता हूँ क्योंकि कलकत्ता में उर्दू भाषा-भाषी मुस्लिमों का एक पर्याप्त समुदाय हमेशा मुझसे वही कहा करता था जो माननीय सदस्य मुझसे कह रहे हैं। मैं उन्हें तो विश्वास नहीं दिला सका लेकिन माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूँ कि "पर्याप्त संख्या" का तात्पर्य पर्याप्त संख्या से है न कि थोड़े से लोगों से।

श्री जी० एम० बनातवाला : ऐसे में तो इस गारंटी का कोई अर्थ नहीं है क्योंकि आपके अनुसार 'पर्याप्त' साढ़े तीन करोड़ से बनेगा जबकि उत्तर प्रदेश में उर्दू भाषा-भाषी लोगों की संख्या लगभग 2 करोड़ है तथा 40 से अधिक लाख लोगों ने हस्ताक्षरित ज्ञापन राष्ट्रपति को पेश किया था।

श्री ए० के० सेन : अनुच्छेद 347 गारंटी नहीं है। यह तो शक्ति है।,

श्री जी० एम० बनातवाला : फिर यह कागजी गारंटी है।

श्री ए० के० सेन : माननीय सदस्य भूल रहे हैं कि भाषा की गारंटी अनुच्छेद 29 में दी गई है जिसके अनुसार जनसंख्या के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा अपनाने तथा उसका विकास करने की स्वतंत्रता है। माननीय सदस्य कृपया अनुच्छेद 29 पढ़ें। अतः अनुच्छेद 347 में शक्ति प्रदत्त है न कि गारंटी। दिक्कत तभी होती है जब संविधान की व्याख्या करते समय भावनाएं आड़े आ जाती हैं।

अनुच्छेद 29 के अनुसार—

"भारत के राज्य-क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी भाग को जिसकी अपनी विशेष भाषालिपि या संस्कृति है उसे बनाये रखने का अधिकार होगा।"

यह गारन्टी है। मैंने अनेक बार अल्प भाषायी समुदाय जैसे पंजाब में आर्य समाज की वकालत की है। जब कुछ स्कूलों से हिन्दी को शिक्षा के माध्यम से हटाये जाने की मांग की गई तो उच्चतम न्यायालय ने इस आधार पर इसे रद्द कर दिया कि आर्य समाज समुदाय को, जोकि हिंदी भाषा भाषी है अपनी संस्कृति तथा लिपि की रक्षा का अधिकार है। इसी तरह अन्य भाषाएं भी हैं। यदि अनुच्छेद 26 देखें तो इसके अनुसार—

"सार्वजनिक व्यवस्था सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय अथवा उसके किसी विभाग को—(क) धार्मिक और पूर्व प्रयोजनों के लिए संस्थानों की स्थापना और घोषणा का। (ख) अपने धार्मिक कार्यों सम्बन्धी विषयों का प्रबन्ध करने के लिए" आदि आदि।

उत्तर प्रदेश में बहुत से धार्मिक संस्थानों तथा अन्य स्थानों में शिक्षा का माध्यम उर्दू है। इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती।

दूसरे, अनुच्छेद 14 एक और गारन्टी है जिसमें कहा गया है....

श्री एन० टोम्बी सिंह : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं निवेदन करूंगा कि हम न्यायालय के समक्ष निवेदन नहीं कर रहे बल्कि एक ऐसे मंच के समक्ष निवेदन कर रहे हैं जो कानून बना सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप निवेदन कर रहे हैं या व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं।

श्री एन. टोम्बी सिंह : माननीय विधि मंत्री संविधान के अनुसार बचाव कर रहे हैं। जबकि इस विधेयक का उद्देश्य संविधान में संशोधन करना है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सदस्य से पूछता हूं आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

श्री एन० टोम्बी सिंह : मेरा व्यवस्था का यह प्रश्न है।

[अनुवाद]

श्री ए० के० सेन : व्यवस्था का प्रश्न (प्वाइंट आफ आर्डर) का अर्थ है ऐसा नियम जिससे उस चर्चा पर पूरा प्रतिबन्ध लग जाता है। उसे ही व्यवस्था का प्रश्न कहते हैं।

हम संविधान की आठवीं अनुसूची पर ही चर्चा कर रहे हैं। इसीलिये मैं कह रहा हूं कि अष्टम अनुसूची कोई गारन्टी नहीं देती। तब तो देश में बोली जाने वाली प्रत्येक भाषा को अष्टम अनुसूची में शामिल करना चाहिए। इसमें केवल यह कहा गया है कि संविधान के लागू होने के दस वर्ष बाद जो आयोग गठित किया जायेगा उसमें भाषाओं के प्रतिनिधि होंगे—किस प्रयोजन के लिए?—राष्ट्रपति को यह सलाह देने के लिये कि हिंदी का विकास कैसे हो सकता है न कि इस बारे में कि मणिपुरी या नेपाली या दूसरी भाषाओं का विकास कैसे होना चाहिए।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : उनकी अपनी भाषा के बारे में नहीं।

श्री ए० के० सेन : उनकी अपनी भाषाओं का विकास उनके अपने राज्यों में ही होना चाहिये। राज्यों को अनुच्छेद 345 के अधीन यह अधिकार दिया गया है तथा अनुच्छेद 347 में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है। मान लीजिए कि अधिकांश लोग जैसाकि सिक्किम में अधिकांश लोग नेपाली बोलते हैं—जनसंख्या का लगभग 51 प्रतिशत भाग नेपाली भाषी है। मान लीजिए वे कहते हैं कि 'नेपाली को सरकारी भाषा बना दिया जाए' तथा राज्य सरकार सिक्किमी भाषा को सरकारी भाषा लागू कर देती है, तब राष्ट्रपति को लिखा जा सकता है कि वहां के अधिकांश लोग इस भाषा को राज्य की सरकारी भाषा बनाना चाहते हैं परन्तु राज्य सरकार ऐसा नहीं कर रही है। इस पर राष्ट्रपति उसे लागू कर सकता है। इसीलिए ये शर्तें हैं परन्तु उन लोगों का यह महसूस करना गलत है कि जो अनुसूची आठ में नहीं है उसे घटिया दर्जा दिया गया है ऐसी बात नहीं है। बहुत सी भाषाएं हैं, उदाहरण के लिए मणिपुरी अपने में एक समृद्ध भाषा है बहुत समृद्ध और सौभाग्य से इसे बंगला लिपि में लिखा गया है तथा मैं इसे पढ़ता हूं।

[व्यवधान]

श्री एन० टोम्बी सिंह : आपको उस पर हंसना नहीं चाहिए।

श्री ए० के० सेन : मैं हंस नहीं रहा, मैं सराहना कर रहा हूं। मुझे खेद है कि जब भाव आता है तो मुझे वह बताना पड़ता है। मुझे इसमें खुशी होती है। भाग्यवश मैं ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि मैं इसे उसी लिपि में पढ़ता हूं। जब उर्दू की बात आती है, तो मैं उसे नहीं पढ़ सकता, मेरी अपनी सीमा है जबकि उर्दू कितनी समृद्ध भाषा है। ऐसा ही मैथिली भाषा के बारे में है, मैं इसे इसलिए पढ़ता हूं क्योंकि मैथिली बंगला लिपि में है। मैथिली तथा बंगला की लिपि एक है तथा उनकी पद्धति बहुत ही करीब है। मैं असमी पढ़ लेता हूं क्योंकि असमी बंगला लिपि में है।

प्रो० एन० जी० रंगा : तथा इसका सभी को फायदा होता है।

श्री ए० के० सेन : मैं आपको बताऊंगा कि क्यों। असमी तथा बंगला की अपेक्षा उड़िया तथा बंगला कहीं अधिक समान हैं परन्तु फिर भी मैं उड़िया नहीं पढ़ सकता क्योंकि उड़िया की लिपि भिन्न है। मैं यह कह रहा हूं कि जब हम संविधान की बारीकियों पर विचार करते हैं तो उस समय हमें भावुक नहीं होना चाहिए। जैसा मैंने कहा, मैंने एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया कि गुरमुखी अष्टम अनुसूची में नहीं है तथा फिर भी जैसा कि पंजाब चाहता है कि गुरमुखी सरकारी भाषा है तथा आप दिल्ली में देखते हैं कि दिल्ली की गलियों में नाम हर जगह गुरमुखी में लिखे हैं। एक दिन मैं राजा जी मार्ग पढ़ रहा था जो गुरमुखी में लिखा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हर भाषा को अष्टम अनुसूची में शामिल करना उचित नहीं है तब हमारे ऊपर बहुत से भाषाई-समूहों का बोझ आ पड़ेगा। अष्टम अनुसूची में शामिल करने के लिए किसकी सिफारिश मानी जाए, संविधान बनाने वालों ने, हिन्दी को समृद्ध बनाने या हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए, उसे आवश्यक नहीं समझा। बस, यही बात है। यदि ऐसा है तथा प्रयोजन से भी सहमति है तो मैं समझता हूं कि इन मांगों को छोड़ देना चाहिए। इससे अधिक महत्त्वपूर्ण है कि

प्रत्येक राज्य में भाषाई-समूहों को उचित मान्यता मिलनी चाहिए। यदि वे हर भाषा को अष्टम् अनुसूची में शामिल करने के प्रयास की बजाय उस भाषा को राज्य की सरकारी भाषा बनाने के लिए बहुमत बना लें, जैसा कि सिक्किम में सिक्किमी भाषा के प्रति है, तो यह बेहतर होगा। यदि वे हर भाषा को अष्टम अनुसूची में शामिल करना शुरु कर दें तो संख्या लगभग 100 तक पहुंच जाएगी। आपको मैथिली को भी शामिल करना पड़ेगा। आपको मुन्डा, कोंकन तथा विभिन्न अन्य भाषाओं को भी शामिल करना पड़ेगा। परिसीमन मामलों के अध्यक्ष के रूप में उस समय जो मुख्य न्यायमूर्ति थे उनके अनुसार कोंकन एक अलग भाषा है तथा मैं वह मुकदमा हार गया। मैंने यह तर्क दिया कि कोंकन किसी और भाषा की केवल एक बोली है परन्तु वह अपनी बात पर डटे रहे कि कोंकन एक अलग भाषा है। इसीलिए हमें इस तरह के विचार छोड़ देने चाहिए कि जो भाषा अष्टम अनुसूची में नहीं है उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। उनकी बहुत अधिक उपयोगिता है। आप दार्जिलिंग जाइए, कुर्सियोंग जाइए, कालिपोंग जाइए, काफी संख्या में लोग वहां नेपाली बोलते हैं। स्कूलों में भी नेपाली बोली जाती है। यहां तक कि बंगला तथा हिन्दी भाषी लोग भी नेपाली बोलते हैं। निःसन्देह नेपाली हमारी भाषा के काफी करीब है, यह हिन्दी से अधिक बंगला के करीब है तथा यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। मुझे यह नहीं पता कि नेपाली की कभी अपनी लिपि थी। परन्तु नेपाली, जैसा कि हम जानते हैं, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है तथा यह निश्चय ही संस्कृत तथा पाली से आई है। इसीलिए यह हिन्दी से अधिक हमारे समीप है। जब मैं आकाशवाणी से नेपाली कार्यक्रम सुनता हूं तो मैं इसका एक-एक शब्द समझ लेता हूं ऐसा इसलिए है कि औरों की अपेक्षा हम नेपाली बहुत ही सरलता से समझ लेते हैं। इसीलिए इस वक्त यदि हम यह विचार छोड़ दें कि यदि कोई भाषा अष्टम अनुसूची में नहीं है, तो यह उस भाषा का अपमान है, और मैं समझता हूं कि यह मांग अपने आप ही समाप्त हो जाएगी।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मन्त्री से विधेयक वापस लेने का आग्रह करूंगा। अन्यथा इसका विरोध करना हमारा कर्त्तव्य होगा। इसमें राजनीति मत लाइए। श्री नारायण चौबे सोच रहे हैं कि नेपाली को अष्टम अनुसूची में शामिल कराने से उन्हें नेपालियों के कुछ वोट मिल जाएंगे।

श्री सत्यगोपाल मिश्र (तामलुक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया तथा वाद-विवाद में बहुत योगदान दिया। विशेष रूप से मैं विरोधी दल के माननीय सदस्यों का जिसमें मेरे अन्नाद्रमुक के मित्र भी शामिल हैं, और भी आभारी हूं जिन्होंने इस विधेयक का बिना शर्त समर्थन किया। मैं माननीय विधि मन्त्री का भी आभारी हूं जिन्होंने वाद-विवाद में हस्तक्षेप किया तथा शायद इस विधेयक के विरोध में कुछ कहा।

मैं सदन का अधिक समय नहीं लूंगा। माननीय मन्त्री जी ने कुछ संवैधानिक तथ्य उद्धृत किए हैं। उन्होंने अनुच्छेद 344, 345 तथा 347 का उल्लेख किया है। यदि मैं उनका तर्क स्वीकार कर लूं तो सिन्धी भाषा का शामिल किया जाना भी अनुचित हो जाता है। यह सम्भव नहीं है। उन्होंने इस विधेयक को गलत दिशा में ले जाने का प्रयास किया है। सन् 1967 में जब सिन्धी भाषा को शामिल किया गया था तो उस समय संविधान में अनुच्छेद 344, 345

[श्री सत्यगोपाल मिश्र]

तथा 347 भी मौजूद थे। माननीय विधि मन्त्री ने लिपि के बारे में भी कहा। बहुत-सी भाषाओं की अपनी लिपि है तथा बहुत-सी भाषाओं की अपनी लिपि नहीं है। यहां तक कि हिन्दी की भी अपनी कोई लिपि नहीं है। वह देवनागरी लिपि का ही पालन कर रही है।

श्री मूलचन्द्र डागा : देवनागरी एक लिपि है।

श्री सत्य गोपाल मिश्र : यह हिन्दी लिपि नहीं है। किसी भी भाषा को अष्टम अनुसूची में शामिल करने की अनुमति देते वक्त केवल लिपि का ही नहीं बल्कि उसके अन्य पहलुओं पर भी विचार करना चाहिए।

साथ ही माननीय विधि मन्त्री ने यह भी कहा है कि किसी और भाषा को अष्टम अनुसूचि में शामिल नहीं करना चाहिए। क्या यह ही मन्शा सत्ताधारी दल या सरकार की है? क्या आप अष्टम अनुसूची पर पूर्ण-विराम लगाने जा रहे हैं?

प्रो० एन० जी० रंगा : केवल सीमित प्रयोजन के लिए।

श्री सत्य गोपाल मिश्र : एक बार तो आप सिन्धी को शामिल कर लेंगे पर दूसरी बार आप नेपाली या मणिपुरी या कोंकनी को शामिल करने के लिए मना कर देंगे। इसमें कोई तर्क नहीं है। मैं नहीं समझता कि अष्टम अनुसूची एक पूर्ण सूची है। एक भाषा को अष्टम अनुसूची में शामिल करते समय किसी मानदण्ड को तो सामने रखना चाहिए। हमारे देश में अनेक भाषाएं हैं तथा सभी ने हमारी राष्ट्रीय अखण्डता तथा मिश्रित संस्कृति में अपना मूल्यवान योगदान दिया है। प्रत्येक भाषा उन्नति कर रही है। किसी भाषा को ऐसे उचित समय पर अष्टम अनुसूची में शामिल करना चाहिए जब वह विकास के ऐसे स्तर पर पहुँच जाए कि वह निर्धारित मानदण्ड पर पूरी उतर सके। यही मुख्य बात है। सन् 1967 में सिन्धी विकास के जिस स्तर तक पहुंची थी, आज आप इस बात से इन्कार नहीं कर सकते कि नेपाली भाषा ने आज वही स्तर हांसिल कर लिया है। कुछ न कुछ मानदण्ड होना चाहिए। भारत में जब कोई भाषा विकास के किसी स्तर पर पहुँच जाए तो उसे अष्टम अनुसूची में शामिल कर लेना चाहिए। हमारे देश के सभी वर्गों के लोगों की तथा भाषाई समूहों की वही एक राय होनी चाहिए। मेरे विचार से नेपाली भाषा ने विकास का वही स्तर हांसिल कर लिया है जो स्तर सन् 1967 में सिन्धी भाषा, का जो अष्टम अनुसूची में शामिल करने के समय स्वीकार किया गया था। मुझे दूसरी भाषाओं के प्रति भी कोई आपत्ति नहीं है चाहें वह मणिपुरी है, या भोजपुरी है या कोंकनी है या राजस्थानी है आदि। मैं यह कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि सभी भाषाएँ विकासशील भाषाएँ हैं तथा जब ये विकास का कोई स्तर हांसिल कर लें तो इन्हें अष्टम अनुसूची में शामिल कर लेना चाहिए। मेरा निवेदन यह है कि नेपाली भाषा विकास के उस स्तर पर पहुँच गई है तथा इसे इसी वक्त अष्टम अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए।

मैं 13 तथा 27 जून 1980 को सातवीं लोकसभा में हुई चर्चा का उल्लेख करना चाहता हूं। इसी तरह का एक विधेयक श्री चित्तबसु द्वारा तथा एक अन्य विधेयक डा० कर्णसिंह द्वारा पेश किया गया था। श्री चित्तबसु के विधेयक में नेपाली को तथा डा० कर्णसिंह के विधेयक में नेपाली और डोगरी को अष्टम अनुसूची में शामिल करने को कहा गया था। उस समय की सर-

कार का क्या उत्तर था ? कृपया कार्यवाही-वृतान्त देखिए। उस समय सरकार ने यह कहा था कि वे इस मामले को जल्द से जल्द हल करने के लिए पूरे राष्ट्र की जनता की आम राय लेंगे। यह कार्य-वाही वृतान्त में है। अब माननीय विधि मन्त्री संविधान के कुछ अनुच्छेदों का उल्लेख कर रहे हैं। मेरा प्रश्न है कि क्या तत्कालीन विधि मन्त्री जिन्होंने वाद-विवाद में हस्तक्षेप किया था संविधान के उन अनुच्छेदों के बारे में जानकारी नहीं रखते थे ? उस समय जोरदार शब्दों में यह कहा गया था कि बहुत ही कम समय में जनता की आम राय ली जाएगी। परन्तु पाँच वर्ष बीत गए हैं, तथा अब माननीय विधि मन्त्री मुझे, बिना किसी तथ्य के, बिना किसी तर्क के, विधेयक वापस लेने के लिए कह रहे हैं।

दूसरी बातें भी यहाँ मौजूद हैं। श्री मूलचन्द डागा तथा श्री के० डी० सुल्तानपुरी ने, अपने ही ढंग से, 'वोट बैंकों' के बारे में कहा है। विपक्षी दल ऐसे नहीं हैं जो इन सब चीजों के माध्यम से वोट माँगते हैं, ये तो आप ही हैं जो स्थिति का नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं।

मैं पश्चिमी बंगाल की विधान सभा की एक बात का उल्लेख करना चाहता हूँ। 2 जून 1977 को पश्चिमी बंगाल विधान सभा द्वारा सर्व सम्मति से एक प्रस्ताव स्वीकार किया गया था जिसमें केन्द्रीय सरकार से नेपाली को अष्टम अनुसूची में शामिल करने का अनुरोध किया था, जिसका कांग्रेस पार्टी ....(व्यवधान) पश्चिमी बंगाल में इस पर सर्व सम्मति थी तथा यहाँ आप कह रहे हैं कि हम वोट माँग रहे हैं आदि। मैं कुछ और चीजें भी जोड़ दूँगा। सन् 1980 में, पश्चिमी बंगाल के कांग्रेस (आई) के चुनाव घोषणा-पत्र में भी यह मांग शामिल की गई थी। अब आप यह कह रहे हैं कि ऐसा नहीं किया जा सकता। 'वोट' के लिए कौन दौड़ रहा है ? जब भी प्रधान मन्त्री दार्जिलिंग या गंगटोक, सिक्किम में गए हैं उन्होंने यह कहा है कि वह इसे सिद्धान्त रूप में स्वीकार करते हैं तथा इस मामले पर विचार करेंगे।

वे वहां हमेशा इस ढंग से कहते हैं और यहाँ वे उसके विपिरीत कह रहे हैं। अतः मैं श्री मूलचन्द डागा और श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी को यह स्मरण कराना चाहता हूँ कि हमें मतों का लालच नहीं है।

मैं यहां पश्चिम बंगाल की हाल ही की घटना के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरे पास इसी महीने की 27 तारीख का समाचार पत्र 'दी टेलीग्राफ' है। वहाँ उर्दू के लिए और उर्दू को पश्चिमी बंगाल की दूसरी भाषा बनाये जाने का आन्दोलन चल रहा है। कांग्रेस पार्टी के कुछ विधान सभा सदस्य इस आन्दोलन के साथ हैं। यहाँ आप कुछ और कह रहे हैं और देहात में कुछ और कहते हैं।

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : यह सच नहीं है। यह वचन तो पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार ने चुनावों से पूर्व दिया था। मांग केवल यही है कि उर्दू भाषी लोगों के लिए प्रश्न-पत्र उर्दू भाषा में ही रखे जाने चाहिए। उर्दू वालों ने ही यह आंदोलन चलाया है और मांग रखी है। भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) इसे राजनीतिक दृष्टि से बदनाम करने का प्रयास कर रहा है।

श्री सत्यगोपाल मिश्र : यह समाचर-पत्र में प्रकाशित हुआ है। आपको हैरानी होगी कि लोकप्रिय गीत:

[श्री सत्यगोपाल मिश्र]

[हिन्दी]

"सारे जहां से अच्छा हिन्दुस्तान हमारा"

[अनुवाद]

अब वे कह रहे हैं

[हिन्दी]

"·····उर्दू स्तान हमारा"

[अनुवाद]

क्या आप इन सब बातों को सहन करेंगे ?

कुमारी ममता बनर्जी : इसके पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें समाप्त करने दीजिए ?

श्री सत्यगोपाल मिश्र : मैं माननीय महिला सदस्य का पूर्ण सम्मान करता हूँ ····

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इन सब बातों की अनुमति नहीं देता हूँ।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : असंगत बात न कहिए।

श्री सत्यगोपाल मिश्र : पश्चिम बंगाल में मत प्राप्त करने के लिए वे उर्दू स्ता का समर्थन कर रहे हैं।

इसके बाद में श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी पर आता हूँ। उन्होंने एक वाक्य कहा था कि वह विधेयक का समर्थन करते हैं परन्तु चर्चा के दौरान उन्होंने वास्तव में विधेयक का विरोध किया है उन्होंने काफी समय तक हिन्दी का समर्थन किया। मुझे हिन्दी भाषा पर कोई आपत्ति नहीं है परन्तु यह हिन्दी के विकास पर अथवा हिन्दी या अंग्रेजी भाषा को सम्पर्क भाषा बनाने के बारे में चर्चा करने का समय नहीं है।

इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि यह उचित समय है कि हम में पूर्ण सहमति हो और नेपाली भाषा को अष्टम अनुसूची में सम्मिलित करें। विधि मंत्री यहां उपस्थित हैं, गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री भी यहां उपस्थित हैं कृपया पिछली लोक सभा की कार्यवाही को देखें। पांच साल बीत गए हैं। और प्रतीक्षा मत कीजिए। मैं श्री टोम्बीसिंह से सहमत हूँ कि प्रतीक्षा का अर्थ है और विवाद तथा आन्दोलन को निमन्त्रण देना। यह उचित समय है कि हम कुछ और भाषाओं को स्थान दें और नेपाली भाषा को भी सम्मिलित करें।

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

इस चर्चा में भाग लेने वाले माननीय सदस्यों को मैं धन्यवाद देता हूँ और मैं सभा के सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूँ, सारी सभा से अनुरोध करता हूँ कि मेरे विधेयक को स्वीकार करें।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री डागा जी, क्या आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : जी हाँ, मैं संशोधन वापस लेना चाहता हूँ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सत्यगोपाल मिश्र जी, क्या आप इसके लिये आग्रह कर रहे हैं ?

श्री सत्यगोपाल मिश्र : जी हाँ, महोदय, मैं चाहता हूँ कि यह विधेयक पारित किया जाए। मैं सभी माननीय सदस्यों से इसके पक्ष में मतदान करने का अनुरोध करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्योंकि यह संविधान संशोधन विधेयक है अतः इससे पूर्व कि मैं विधेयक पर विचार करने के लिए रखे गए प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रखूं मैं बता दूं कि मतदान मत विभाजन से होगा। दीर्घाएं खाली की जाएं।

अब दीर्घाएं खाली हो गई हैं प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

पक्ष में

1. बनातवाला, श्री जी० एम०
2. भूपति, श्री जी०
3. चौबे, श्री नारायण
4. चौधरी, श्री सैफुद्दीन
5. दंडवते, प्रो० मधु
6. घोष गोस्वामी, श्रीमती विभा
7. अय्यर, श्री वी० एस० कृष्णा
8. काबुली, श्री अब्दुल रशीद
9. मिश्र, श्री सत्यगोपाल
10. पेंचालैया, श्री पी०
11. राव, श्री श्री हरि
12. रियान, श्री बाजुबन
13. राय प्रधान, श्री अमर
14. साहा, श्री अजित कुमार
15. तिरकी, श्री पीयूष

विपक्ष में

अब्दुल गफूर, श्री (सोवन)
आजाद, श्री गुलाम नबी (वाशिम)
कुजूर, श्री मारिस (सुन्दरगढ़)
कुप्पुस्वामी, श्री सी० के० (कोयम्बटूर)
कुरेशी, श्री अजीज (सतना)
खां, श्री मोहम्मद अयूब (झुन्झुनू)
खिरहर, श्री राम श्रेष्ठ (सीतामढ़ी)
गाडगिल, श्री वी० एन० (पुणे)
गुप्ता, श्रीमती प्रभावती (मोतीहारी)
गोमांगों, श्री गिरिधर (कोरापुट)
चार्ल्स, श्री ए० (त्रिवेन्द्रम)
जनार्थनन, श्री कादम्बुर (तिरुनेलबेली)
जैन, श्री डालचन्द्र (दमोह)
जैन, श्री वृद्धि चन्द्र (बाड़मेर)
टोम्बीसिंह, श्री एन० (आंतरिक मणिपुर)
डागा, श्री मूलचन्द (पाली)
तिग्गा, श्री साइमन (खूंटी)
तिवारी, प्रो० के० के० (बक्सर)
दिग्विजय सिंह, श्री (सुरेन्द्रनगर)
नवल प्रभाकर, श्रीमती सुन्दरवती (करोलबाग)
निर्मला कुमारी, प्रो० (चित्तौरगढ़)
नीखरा, श्री रामेश्वर (होशंगाबाद)
नेहरू, श्री अरुण कुमार (रायबरेली)
पनिका, श्री रामप्यारे (राबर्ट्सगंज)
पराशर, प्रो० नारायण चन्द (हमीरपुर)
पांडे, श्री मनोज (बेतिया)
पाइखट, श्री राजेश (दौसा)
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (भुवनेश्वर)
पासवान, श्री राम भगत (रोसेरा)
पुष्पा देवी, कुमारी

फर्नान्डीस, श्री ओस्कर (उदीपी)
बघेले, श्री प्रताप सिंह (धार)
बनर्जी, कुमारी ममता (जादवपुर)
बसवाराजू, श्री जी० एस० (टुमकुर)
बीरेन्द्रसिंह, श्री (हिसार)
बैरागी, श्री बालकवि (मंदसौर)
भगत, श्री एच० के० एल० (पूर्वी दिल्ली)
भरतसिंह, श्री (बाह्य दिल्ली)
भारद्वाज, श्री परसराम (सारंगढ़)
मल्लिक, श्री लक्ष्मण (जगतसिंहपुर)
महन्ती, श्री बृजमोहन (पुरी)
महाजन, श्री वाई० एस० (जलगांव)
महाबीर प्रसाद, श्री (बांसगांव)
मिश्रा, डा० प्रभात कुमार (जंजगीर)
मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर (कनकपुरा)
यादव, श्री डी० पी० (मुंगेर)
यादव, श्री श्याम लाल (वाराणसी)
योगेश्वर प्रसाद, श्री (चतरा)
रंगनाथ, श्री के० एच० (चित्रदुर्ग)
रंगा, प्रो० एन० जी० (गुंटूर)
रथ, श्री सोमनाथ (आस्का)
राम, श्री रामस्वरूप (गया)
राव, श्री के० एस० (मछलीपटनम्)
व्यास, श्री गिरधारीलाल (भीलवाड़ा)
शंकरानन्द, श्री बी० (चिकोड़ी)
शास्त्री, श्रीहरि कृष्ण (फतेहपुर)
सिंह, श्री लाल विजय प्रताप (सरगुजा)
सिदनाल, श्री एस० बी० (बेलगाम)
सिद्दीक, श्री हाफिज मोहम्मद (मुरादाबाद)
सिन्हा, श्रीमती राम दुलारी (शिवहर)
सुल्तानपुरी, श्री के० डी० (शिमला)
सेठी, श्री अनंत प्रसाद (भद्रक)
सेन, श्री ए० के० (कलकत्ता उत्तर पश्चिम)

4.39 म०प०

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि * के अध्यधीन मत विभाजन का परिणाम निम्नलिखित है—

पक्ष में 15
विपक्ष में 63

प्रस्ताव को अपेक्षित बहुमत नहीं मिला है। प्रस्ताव प्रक्रिया नियमों के नियम 157 के अनुसार और भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबन्धों के अनुसार स्वीकार नहीं हुआ। प्रस्ताव अस्वीकृत किया जाता है।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

4.40 म०प०

संविधान (संशोधन) विधेयक

[अनुच्छेद 44 का लोप]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब श्री जी०एम० बनातवाला के भारत संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार करेगी। विचार के लिए विधेयक को लेने से पूर्व हमें विधेयक के लिए समय निर्धारित करना है।

क्या हम दो घंटे निर्धारित कर दें ? क्या ठीक है ?

श्री जी०एम० बनातवाला (पोन्नानी) : कोई समय सीमा निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : हमें समय सीमा निर्धारित करनी है। क्या हम दो घण्टे निर्धारित कर दें ?

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां।

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रकार इस विधेयक के लिए 2 घन्टे का समय निर्धारित किया जाता है। अब श्री जी०एम० बनातवाला।

---

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान किया :

पक्ष में : श्री एस० एम० भट्टम, श्री मानिक रेड्डी, श्री ए०जे०थी०वी महेश्वर राव, डा० चिन्ता मोहन, श्री सी०सोम्बु, डा० जी० विजय राम राव

विपक्ष में : श्री एच०वी० पटेल, श्री राधा कांत डिगाल, श्री खलन राम जांगड़े, श्री जुझार सिंह, श्री तिलकधारी सिंह, श्री कालीचरण राम रतन, श्री कादम्बुर जनार्धनन

श्री जी०एम० बनातवाला (पोन्नानी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

इस विधेयक का उद्देश्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 का लोप करना है।

अनुच्छेद 44 निम्नलिखित है :

"भारत के समस्त राज्य-क्षेत्र में नागरिकों के लिए राज्य एक समान व्यवहार संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा।"

इस अनुच्छेद का उद्देश्य यही है कि अन्त में विभिन्न समुदायों के स्वीय विधियों को समाप्त किया जाये।

इसका अन्तिम उद्देश्य यह है कि विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, विरासत तथा अन्य ऐसे मामलों के संबंध में स्वीय विधि की अपनी पृथक प्रणाली से शासित होने की बजाए वे एक ही विधि प्रणाली से शासित हों।

महोदय, यह कहा गया है कि यह समान विधि-प्रणाली उन मामलों पर भी लागू होनी चाहिए जिनके लिए नागरिक अपनी पृथक-स्वीय विधि प्रणाली का पालन करते हैं। जैसा कि मैंने कहा है कि मेरे संशोधनकारी विधेयक का उद्देश्य भारत के संविधान के 44 वें अनुच्छेद का लोप कराना है।

मुझे यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि इसाई और पारसी लोगों की विवाह और तलाक सम्बन्धी अपनी पृथक संहिताबद्ध विधियां है। इसके अतिरिक्त दक्षिण भारत में इसाई लोगों की विधियों के अतिरिक्त उनके लिए स्थानीय विधान भी हैं। यहूदियों की विवाह विधि भी अभी असंहिताबद्ध है। ऐसे मामलों में भारतीय मुसलमान अपनी स्वीय विधि से जिसे दूसरे शब्दों में 'शरीयत' कहते हैं शासित होते हैं।

कुछ और कहने से पहले मैं मुस्लिम स्वीय विधि के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। मेरा यह निवेदन है कि मुस्लिम स्वीय विधि इस्लामी समाज देशों का एक अपरिवर्तनीय अंग है। एक मुसलमान को इसका दृढ़ता से पालन करना चाहिए अन्यथा मुसलमान धर्म छोड़ देना चाहिए।

अतः महोदय आप देखेंगे कि मुसलमानों पर लागू करने के लिए मुस्लिम स्वीय विधि का न तो निरसन हो सकता है और न ही उसे एक समान सिविल संहिता से बदला जा सकता है जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में परिकल्पना की गई है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्मानित सभा को सारांश में मुस्लिम स्वीय विधि की बुनियादी विशेषताओं से अवगत कराना चाहता हूँ। कुरान और सुन्नत में विवाह, मेहर, तलाक खुला इद्दत्त, विरासत, वसीयत, वक्फ आदि के बारे में विशेष नियम दिए गए हैं। इसमें केवल विशेष नियम ही नहीं हैं। इन नियमों का सम्बन्ध इस धर्म के बुनियादी मूल्यों और आदर्शों से है। वे केवल एच्छिक नहीं हैं। इनसे एक सीमा बन गई है जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। मैं इस सभा का ध्यान इन सीमाओं की ओर आकर्षित करने की अनुमति चाहता हूँ। कुरान में विवाह सम्बन्धी नियमों में लिखा है :

[श्री जी० एम० बनातवाला]

"यह अल्लाह का नियम है और आप इसका पालन करने के लिए बाध्य हैं।" (3:240)

मैं एक और उदाहरण दे सकता हूँ—

"यह आपके लिए अल्लाह का आदेश है। (IV : 24)

मैं एक और व्यवस्था का उल्लेख करता हूँ :

"यह अल्लाह का फैसला है। वह आपके बीच में न्यायाधीश है।" (एल.एक्स. 10)

इसी प्रकार तलाक और खुला से सम्बन्धित नियमों के निर्धारण के बाद कुरान कहता है :

"ये सीमाएं अल्लाह द्वारा फरमाई गई हैं। इनसे बाहर मत जाइये और यदि कोई इन सीमाओं का उल्लंघन करता है तो वह पापी है।" (2:229)

उत्तराधिकार का नियम निर्धारित करने के बाद कुरान कहता है :—

"यह नियम अल्लाह द्वारा बनाया गया है।" (4.11)।

महोदय, आप देखेंगे कि मुस्लिम स्वीय विधि में इस्लामी समादेश है और जहां तक मुसलमानों का सम्बन्ध है, ये समादेश धार्मिक दृष्टि से उनके लिए बाध्य हैं। उनका उल्लंघन अपराध और पाप है। मैं पुनः कुरान से उद्धृत करता हूँ और जब मैं यह कहता हूँ कि मैं उद्धृत करता हूँ तो इसका जो अर्थ है वह मैं सभा की सुविधा हेतु अंग्रेजी अनुवाद में दे रहा हूँ :

"और जो इस प्रकार अल्लाह का और उसके सन्देशवाहक का तथा उसकी सीमाओं का उल्लंघन करेगा, वह उसे आग में फेंक देगा और वह व्यक्ति सदा वहीं रहेगा और यह उसके लिए एक शर्मनाक तथा कयामत का दिन होगा।" (IV : 14)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम स्वीय विधि अपरिवर्तनीय शरीयत का अंग है। यहां तक कि पैगम्बर को भी, अल्लाह उसे शांति प्रदान करे, कुरान के समादेशों में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। क्योंकि इनका सृजन उसने नहीं किया। अल्लाह ने उसे इनकी जानकारी दी। वह एक अत्यन्त उच्च श्रेणी का सन्देशवाहक था जिसने लोगों को इनकी जानकारी दी। मुस्लिम स्वीय विधि प्रत्येक मुस्लिम के लिए धार्मिक बंधन है। मुसलमान होने के नाते इसका पालन करना अत्यंत आवश्यक है। एक मुसलमान शरीयत के किसी भाग को छोड़ने की बजाय अपना जीवन देने के लिए तैयार रहेगा। इसके एक भाग को भी नहीं छोड़ा जा सकता। इसका पूर्णरूपेण पालन करना होगा, यही शर्त है। इसके अतिरिक्त मैं इस पर अवश्य बल दूंगा कि मुसलमानों का यह विश्वास है कि मुसलमानों का कल्याण धर्म के किसी भाग को छोड़ने में नहीं अपितु सारे धर्म का पालन करने में है।

इसलिये, मैं इस सभा का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करता हूँ कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44, जो विभिन्न जातियों के वैयक्तिक कानून के रद्द होने की परिकल्पना करता है, को जारी रखने से पैदा होने वाली गम्भीर स्थिति पर शान्त दिमाग से विचार करे।

एक समान आचार संहिता की अवधारणा स्वतन्त्रता संघर्ष के दौरान किसी समय भी नहीं थी। किन्तु जब संविधान सभा हमारे लिए संविधान निर्माण में व्यस्त थी तो यह अवधारणा अचानक ही सामने आ गई। 28 मार्च, 1947 को मूल अधिकार उप-समिति की बैठक में श्री एम०आर० मसानी ने सुझाव दिया था कि सभी नागरिकों पर एक समान सिविल कोड के लिए एक उपबन्ध मूल अधिकारों में सम्मिलित किया जाए। इस प्रकार की संहिता का सुझाव पहली बार दिया गया था। इस सुझाव को 4 के मुकाबले 5 मतों के बहुमत से अस्वीकार कर दिया गया। बाद में इस विषय पर जोर दिया गया किन्तु जैसाकि मैंने कहा है इसे 28 मार्च, 1947 को मूल अधिकार उप समिति की बैठक में अस्वीकार कर दिया गया था। इस सुझाव पर 30 मार्च, 1947 को जोर दिया गया। तब मूल अधिकार उपसमिति ने सामाजिक नीति के निदेशक तत्वों में एक समान आचार संहिता संबंधी एक खंड शामिल करने के लिए अल्प बहुमत से निर्णय किया। तदनुसार, निदेशक तत्वों में अनुच्छेद 44 को स्थान मिला।

जब संविधान सभा इस उपबन्ध पर बहस कर रही थी, तो इस अनुच्छेद के लिए चार संशोधन प्रस्तुत किये गये थे। यह संशोधन मोहम्मद इस्माईल साहिब, नजीरुद्दीन अहमद, महबूब अली बेग साहिब तथा बी० पोकर साहिब द्वारा प्रस्तुत किये गये थे। जैसाकि मैंने निवेदन किया है, स्वतन्त्रता संघर्ष के दौरान, न तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, न ही सर्व दलील सम्मेलन अथवा सपरू समिति ने एक समान आचार संहिता का सुझाव दिया था।

4.53 म०प०

(श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए)

यह अवधारणा बिल्कुल सामने नहीं आई थी। केवल यही ही नहीं, बल्कि 1933 में कांग्रेस के 47वें अधिवेशन में एक संकल्प पारित किया गया था, जिसमें अल्पसंख्यकों की संस्कृति, भाषा तथा लिपि की सुरक्षा की बात कही गई थी तथा यह भी कहा गया था कि धर्म द्वारा परिकल्पित जीवन दर्शन ही उस धार्मिक समूह की संस्कृति का आधार था।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 'अप्रैल, 1933 को कलकत्ते में हुए 47वें अधिवेशन में 'मूल अधिकार, कर्त्तव्य एवं आर्थिक कार्यक्रम' शीर्षक के अन्तर्गत एक संकल्प स्वीकार किया गया था। इस संकल्प में 17 अनुच्छेद थे और इस बात का ब्यौरा देने के लिए मैं कम से कम इस सभा का समय नहीं लूंगा। इन अनुच्छेदों को 4 शीर्षकों के अन्तर्गत विभाजित किया गया था। संकल्प में कहा गया था :

> "कांग्रेस की यह राय है कि कांग्रेस द्वारा परिकल्पित 'स्वराज' को जनता को समझाने के लिए कांग्रेस यह समझती है कि उसे जनता की भाषा में ही जनता को समझाया जाना चाहिए।"

इस संकल्प में आगे यह कहा गया है :

> "इसलिए कांग्रेस यह घोषणा करती है कि इसकी ओर से स्वीकृत संविधान ऐसा होना चाहिए कि उसके अन्तर्गत या स्वराज सरकार द्वारा निम्नलिखित·····की व्यवस्था की जाए।"

[श्री जी०एम० बनातवाला]

और इसके साथ मूल अधिकार एवं कर्त्तव्य के शीर्षक के अन्तर्गत यह कहा गया है :

"1 (iii) अल्पसंख्यकों तथा भाषाई क्षेत्रों की संस्कृति, भाषा और लिपि की सुरक्षा की जाएगी।"

इसीलिए, मैंने यह निवेदन किया था कि अनुच्छेद 44 अथवा एक समान आचार संहिता स्वतन्त्रता पूर्व की विचार धारा तथा विविधता में एकता की हमारी इच्छित नीति के सर्वथा प्रतिकूल है। हमने कभी भी एकरूपता पर बल नहीं दिया है। हमारी नीति सर्वदा विविधता में एकता की पोषक रही है। मेरा यह निवेदन है कि एक समान आचार संहिता पर बल यह संकेत करता है कि संविधान के अनुच्छेद 25 तथा 26 द्वारा प्रदत्त धार्मिक स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप हो रहा है तथा अनुच्छेद 29 के अन्तर्गत अल्पसंख्यक संस्कृति की सुरक्षा को पूर्णतया समाप्त करता है। महोदय, इसलिए हमारे संविधान में अनुच्छेद 44 को निदेशक तत्व के रूप में, जिन्हें कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, भी जारी रखने से हमारा संविधानवाद ही बदनाम हो जाएगा।

सभापति महोदय,, समान आचार संहिता में निहित विचार, जैसाकि संविधान सभा के दौरान हुई बहस में बताया गया था, जीवन के रहन सहन को धर्म से अलग करना था। संविधान सभा में इस शब्दावली का प्रयोग किया गया था। जीवन के रहन-सहन से धर्म को पृथक करने सम्बन्धी धारणा के बारे में मैं सादर इस सभा का ध्यान इस विषय पर उपलब्ध महत्त्वपूर्ण मत-सम्मत की ओर दिलाना चाहता हूं।

महोदय, न्याय शास्त्र पर पाठ्य पुस्तक में प्रो० डब्ल्यु पेटन पृष्ठ 105 पर कहते हैं कि गुस्ताव राडब्रुच का यह "विचार है कि विधिक दर्शन को विधिक मूल्यों का अध्ययन करना चाहिये उनमें से चयन करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। चयन विज्ञान का नहीं अपितु चेतना का विषय है...।"

महोदय, इसी प्रकार एल०एल० फुल्लर का भी यह विचार है कि विधि अपने अन्वेषण में रत है। डब्ल्यु फाइडमान कहते हैं कि धर्म के मार्ग दर्शन के अभाव में न्याय के शुद्ध सिद्धान्त निर्धारित करना सम्भव नहीं है।

अतः अनुच्छेद 44 में निहित समूची परिकल्पना, जीवन से धर्म को पृथक करने की परिकल्पना एकदम खोखली है और किसी भी परीक्षण पर पूरी नहीं उतरती। डब्ल्यु० फाइडमान ने "विधि सिद्धान्त" नामक अपने शोध ग्रन्थ में पृष्ठ 414 पर कहा है और मैं उसे उद्धृत कर रहा हूं :

"धर्म शास्त्र न्याय के शुद्ध सिद्धान्तों के लिए सबसे सहज एवं वास्तविक आधार प्रदान करता है।"

अतः धर्म को जीवन से क्या पृथक किया जा सकता है ?

5.00 म०प०

इन्हीं डब्ल्यु० फाइडमान ने अपने अध्याय 30 में न्याय के शुद्ध सिद्धान्तों की खोज का विवरण देते हुए कहा है :

मैं पृष्ठ 416 से उद्धृत कर रहा हूं :

"धर्म के आधार के अतिरिक्त न्याय के शुद्ध मानक स्थापित करने के सभी भिन्न-भिन्न प्रयासों से असफलता ही हाथ लगी है। किन्तु धर्म अन्ततः इलहाम् एवं आस्था का विषय है। परमात्मा द्वारा स्थापित सिद्धान्तों पर अपनी धार्मिक आस्था के अनुरूप ही विश्वास किया जाना चाहिए।"

डा० डब्ल्यु० विंडेलबन्द ने 'दर्शन का इतिहास' के अपने शोध ग्रन्थ में वोल्तेयर—जो न परमात्मा में और न ही इस प्रकार की किसी अवधारणा में विश्वास करते थे—कि इस विचारधारा का प्रतिपादन करते हैं, किन्तु वे भी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। वोल्तेयर की विचारधारा के सम्बन्ध में डा० विंडेल बन्द कहते हैं—और मैं उसी शोध ग्रन्थ के पृष्ठ 495-496 से उद्धृत कर रहा हूं :

"वे दिव्यता एवं अमरता को नैतिक भावनाओं के अनुरूप ही मानते हैं, इनमें आस्था नैतिक कार्य के लिए केवल एक शर्त है .....।"

श्री मूलचन्द डागा : खड़े हुए।

श्री जी०एम० बनातवाला : मैं इस समय उनकी कोई बात नहीं सुनूंगा। बाद में जब इस विधेयक पर बहस होगी, हम उनकी बात सुन सकते हैं। उपरोक्त लेखक अपनी बात जारी रखते हुए कहते हैं :

"यदि यह विश्वास भंग हो जाए तो उनके विचार से ईमानदार आचरण के लिए प्रेरणा तथा इस प्रकार सामाजिक व्यवस्था की नींव ही ध्वस्त हो जाएगी।"

इसी प्रकार, मैं इस सभा से प्रो० पेटन की पुस्तक 'न्याय शास्त्र की पाठ्य पुस्तक' के पृष्ठ 104 से उद्धरण देने की अनुमति चाहता हूं :

"एक आदर्श विधिक व्यवस्था को कौन-से हितों की सुरक्षा करनी चाहिए ? मूल्यों सम्बन्धी इस प्रश्न के बारे में विधि दर्शन की बड़ी महत्त्वपूर्ण भूमिका है। यद्यपि अन्य शब्दावली का प्रयोग किया जा सकता है किन्तु वास्तव में यह समस्या प्राकृतिक विधि के सम्बन्ध में है। किन्तु, हम दर्शन शास्त्र से कितना ही मार्गदर्शन की इच्छा करें यह मिल पाना कठिन है। मूल्यों के मानदण्डों के बारे में सर्व सम्मति अभी नहीं हो सकी है। वास्तव में, धर्म में हमें यह आधार प्राप्त हो सकता है और धर्म के सत्य, आस्था तथा अंतः प्रज्ञा से स्वीकार किए जाने चाहिए मात्र तर्क के आधार पर नहीं।"

मैं उन्हीं प्रो० पेटन से एक और उदाहरण दूंगा और इसके पश्चात् ऐसे उद्धरणों से सभा का समय नहीं लूंगा। इसी पुस्तक के पृष्ठ 109 पर उन्होंने कहा है—मैं उद्धृत कर रहा हूं :

"परम्परागत प्राकृतिक विधिक सिद्धांत धर्म के उद्घाटित सत्यों के सिद्धांतों पर आधारित हैं। यदि हम न्याय शास्त्र को धर्म-निरपेक्ष बनाने का प्रयास करेंगे तो हम सर्वमान्य मूल्य कहां से प्राप्त करेंगे ?"

[श्री जो० एम० बनातवाला]

मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं कि न्याय शास्त्र के क्षेत्र में स्थापित महान दार्शनिकों की यह और इसी प्रकार की विचार धारा है। किन्तु मैं यह भली भांति समझता हूँ कि एक समान आचार संहिता के प्रतिपादकों की, जो जीवन के तरीकों को धर्म से पृथक करना चाहते हैं, यह धारणा है कि विवाह, तलाक, उत्तराधिकार आदि कार्य शुद्ध भौतिक कार्य हैं और पूजा तथा धार्मिक जीवन से इसका सम्बन्ध नहीं है। वे कहते हैं, "इन बातों का परमात्मा की पूजा से क्या संबंध है ?" वे कहते हैं कि वह पृथक मामला है और विवाह, तलाक, उत्तराधिकार आदि बातों का मानव की ईश्वरीयोपासना से कोई संबंध नहीं है। इसलिए वे इन्हें धर्म से अलग करना चाहते हैं और एक समान आचार संहिता चाहते हैं। उनका कहना है कि इन बातों का सम्बन्ध समाज, संस्कृति तथा आर्थिक क्षेत्र से है और यह धर्म का भाग नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि अनेक धर्म भौतिक जीवन को अस्वीकार करते हैं और मानते हैं कि यह जीवन मानव को परमात्मा से दूर करता है। इन धर्मों के अनुसार व्यक्ति परमात्मा की खोज में गुफाओं और जंगलों में एकांत की खोज में निकल पड़ता है, क्योंकि इसी तरह मनुष्य और परमात्मा में सीधा सम्बन्ध स्थापित हो सकता है। किन्तु इसलाम में इस प्रकार की विचाराधारा नहीं है : इसलाम में अल्ला को प्राप्त करने का रास्ता संसार में जीवन के कार्य कलापों से ही होकर जाता है। सांसारिक जीवन में विभिन्न क्रिया कलापों के दौरान, जिनमें विवाह, तलाक आदि भी सम्मिलित हैं, अच्छे आचारण से ही व्यक्ति परमात्मा को प्रसन्न कर सकता है तथा मृत्यु पश्चात् जीवन में खुशी प्राप्त कर सकता है। इसलिए, यद्यपि एक समान आचार संहिता के प्रतिपादक कतिपय धर्मों के बारे में सही कह रहे होंगे किंतु इसलाम धर्म के बारे में उनका यह तर्क लागू नहीं होता है।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : क्या वे अन्य विश्वासों एवं धर्मों का हवाला दे सकते हैं ? ऐसे भी लोग हैं जिनके कतिपय विश्वास होते हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : वे अन्य धर्मों की आलोचना नहीं कर रहे हैं।

श्री मूल चन्द डागा : उन्होंने इस बारे में कहा है।

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं सभी का बहुत सम्मान करता हूँ। किन्तु मैं तो केवल मुसलमानों की आचार संहिता के तत्वों का उल्लेख कर रहा हूँ।

श्री मूल चन्द डागा : कृपया हमें यह बात बताएं कि इससे मुसलमानों की भावनाओं को कैसे ठेस पहुंचती है ? संविधान 1950 में लागू किया गया था। आप उससे कैसे प्रभावित हुए हैं ?

श्री जी०एम० बनातवाला : उनमें धैर्य नहीं है। वे केवल अपनी जिद् का प्रदर्शन कर रहे हैं और कुछ नहीं।

श्री वाई०एस० महाजन (जलगांव) : क्या उनके बोलने की कोई समय-सीमा भी है ?

श्री मूल चन्द डागा : उन्होंने 40 मिनट का समय ले लिया है और उन्होंने समस्त अंग्रेजी लेखकों एवं दार्शनिकों को उद्धृत कर दिया है। (**व्यवधान**)

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं यह बताना चाह रहा था कि मुसलमानों की आचार संहिता का पालन करना सभी का तथा प्रत्येक मुसलमान का धार्मिक कर्त्तव्य है। अब समान आचार संहिता के तौर तरीकों में एकरूपता से राष्ट्रीय अखण्डता और एकता को बढ़ावा मिलेगा। किन्तु मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे देश में विविधता में एकता है न कि बहुजातीय समाज में एकरूपता जिससे भारत की अखण्डता और एकता मजबूत होती है। हमारे यहां अनेक समान कानून, सिविल प्रक्रिया संहिता आदि हैं। इनके होते हुए भी हमारी राष्ट्रीय एकता और अखण्डता को खतरा क्यों बना हुआ है ? अतः मैं यह कहने का प्रयास कर रहा था कि भारत एक बहुजातीय देश है और इसका आधार विविधता में एकता सिद्धांत का पालन करना है। मुसलमानों की आचार संहिता किसी की भावनाओं को आघात नहीं पहुंचाती। उसे ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, यदि कोई मुसलमान शरीयत के नियमों का पालन करता है तो उन्हें उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि मैंने कहा है शरीयत के नियम अपरिवर्तनीय हैं और उसके मूल सिद्धांतों पर पुनर्विचार नहीं किया जा सकता है।

महोदय, कई बार यह तर्क दिया जाता है कि कतिपय अन्य देशों में मुसलिम देशों में आचार संहिता में परिवर्तन किये गये हैं। कभी-कभी इस प्रकार का तर्क दिया जाता है। मैं यहां यह उल्लेख कर देना चाहता हूँ : विश्व के विभिन्न भागों में इस समय कम से कम इसलामी कानून की सात विचार धाराएं प्रवर्तन में हैं। यह हनाफी, शफई, मल्की, हम्बाली, इथना अशारी, इसमाइली तथा जैदी हैं। अब हर मुसलमान व्यक्ति को इन सात में से किसी एक के सिद्धांतों का पूर्णतया पालन करना होता है और वह न्याय शास्त्र के इन अनेक सिद्धांतों में से अपनी पसन्द के कानून नहीं चुन सकता।

साऊदी अरब, लीबिया, यमन, बहरीन, उत्तरी नाइजीरिया, गाम्बिया, सोमालिया, मौरीटेनिया, चाड और अफगानिस्तान में से किसी ने भी स्थानीय इसलाम के परम्परागत कानूनों में परिवर्तन करने के लिए कभी कोई विधान प्रस्तुत नहीं किये हैं।

फिर भी यू० ए० आर० सूडान, लेबनान, जोर्डन, सीरिया, मोरोक्को, अल्जीरिया, ईराक, ईरान तथा पाकिस्तान में विधान मण्डलों द्वारा एक विचारधारा के कानूनी उपबन्धों के स्थान पर जिनका वहां के नागरिकों द्वारा सामान्यतया पालन किया जाता है, दूसरी विचारधारा के उसी प्रकार के सिद्धांतों को रखा गया है। इस प्रकार आप देखेंगे कि इन परिवर्तनों के पीछे उद्देश्य यह है कि उन सिद्धांतों को रखा जाए जो स्थानीय परिस्थितियों के सर्वाधिक अनुकूल हों, इसलाम का न्यायशास्त्र इस बात की अनुमति देता है। वह परिवर्तन अनुमेय सीमाओं के अन्तर्गत हैं।

अतः यह मानना नितांत भ्रामक है कि किसी पश्चिमी कानूनी सिद्धांतों के हक में मुस्लिम देशों ने शायद एक अथवा दो ऐसे देशों को छोड़कर जहां वैयक्तिक कानून को पुनः अपनाने की बात पहले से ही चल रही हैं, इस्लाम कानून का परित्याग कर दिया है।

एक समान सिविल संहिता के पक्षधरों का तर्क है कि मुस्लिम वैयक्तिक कानून के कतिपय उपबन्ध पुराने अथवा दोषपूर्ण आदि हैं। यहां मैं आपको बता दूँ कि शरीयत कानून के इन उप-

[श्री जी०एम० बनातवाला]

बन्धों पर आक्रमण करने का साहस उनको पश्चिमी मूल्यों के खोखले सिद्धान्तों की चकाचौंध से मिला है।

यदि आप औरतों के ही विषय में बात करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम महिलाओं ने स्वयं बम्बई, नागपुर, नांदेड़, परमनी, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद, लखनऊ, इलाहाबाद, बंगलौर, कलकत्ता और कानपुर जैसे देश के विभिन्न भागों में बड़े-बड़े सम्मेलन किये हैं। हजारों महिलाओं ने इन सम्मेलनों में भाग लिया है तथा उन्होंने मुस्लिम वैयक्तिक कानून के समर्थन में अपनी आवाज उठाई है।

एक अन्तर्राष्ट्रीय इस्लाम सम्मेलन 3 अप्रैल, से 12 अप्रैल, 1976 तक लंदन में हुआ था जिसके एक सत्र में महिलायें और इस्लाम पर ही चर्चा हुई। इसमें पश्चिम की पृष्ठ भूमि में पली दो महिलाओं ने भाषण दिये जिनमें एक अंग्रेज तथा दूसरी जर्मन महिला थी।

फातिमा हीरेन ने अपने पत्र "वूमेन इन इस्लाम" के अन्त में यह कहा है :

> "आम लोगों की निगाह में जो समाज जितना अधिक परिपूर्ण होगा, कट्टर इस्लामी परिवार में बड़े नाजोनखरों से पले लोगों को उस समाज की व्यक्तित्वहीन सामाजिक उपलब्धियां उतनी ही अधिक हृदय-विदारक लगेंगी।"

एक अन्य महिला प्रतिनिधि ने भी इस सम्मेलन में सभी नियमों की प्रशंसा करते हुए अपना भाषण दिया।

अन्त में, मैं कह सकता हूं कि भारत अनेक समाजों वाला देश है। यह अनेक संस्कृतियों का उद्गम स्थल है। हमारे देश की एकता और अखण्डता 'अनेकता में एकता' लाने में निहित है। एक समान सिविल संहिता और इससे पड़ने वाले प्रभाव की बात अल्प संख्यकों विशेष रूप से मुसलमानों को क्षुब्ध करते हैं। समान सिविल संहिता की बात सहिष्णुता की परम्परागत भावना और हमारे समाज के धर्म निरपेक्ष के आदर्शों पर प्रहार है। केवल एक समानता के आधार पर हम अपने समाज को नहीं बचा सकते। एकरूपता से हमारे बहुविध समाज का मूल आधार ही नष्ट हो जाएगा। इससे व्यर्थ और परिहार्य संघर्ष और टकराव का द्वार खुल जाएगा। मैंने इसलिये ही मैंने मुस्लिम वैयक्तिक कानून की किस्म तथा अनुच्छेद 44 के प्रभाव तथा अनुच्छेद 44 को जारी रखने की बात कही है जिसकी बदौलत कतिपय वर्गों को अपने अभियान जारी रखने का प्रोत्साहन मिलेगा जिससे झगड़े खड़े होंगे, उनमें रोष फैलेगा और कई आन्दोलन कारी पैदा होंगे। अतः मैं इस सभा में भारत के संविधान से अनुच्छेद 44 का लोप करने का संशोधन कारी विधेयक पेश करता हूं तथा सभा से विधेयक स्वीकार करने का अनुरोध करता हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए"

श्री मूलचन्द डागा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को उस पर 31 जुलाई, 1985 तक जनमत् जानने के लिए परिचालित किया जाय"।

[हिन्दी]

श्री बुद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, श्री बनातवाला ने जो कांस्टीच्युशन अमेन्डमैंट बिल प्रस्तुत किया है, मैं उसका विरोध करता हूँ।

[अनुवाद]

भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए राज्य एक समान व्यवहार संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा।

[हिन्दी]

इसमें जो प्रोविजन किया गया है, उसमें यह स्पष्ट है कि हम यह कोशिश करेंगे कि इस देश में एक यूनिफार्म सिविल कोड हो। पहले जब ब्रिटिश राज था तो उस समय भी हमने इस प्रकार के कानून पास किए, जो शरियत के भी विरुद्ध हैं। ट्रान्सफर आफ प्रापर्टी एक्ट, कान्ट्रेक्ट एक्ट पास किए। लॉ आफ क्राइम्स में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और आइ० पी० सी० पास किये हैं। वे पूरे भारत में लागू हैं। बेगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट्स एक्ट भी इसी तरह लागू है। अगर कुरान पढ़े तो इसके बारे में कुरान में टेनेट्स, नियम और कानून बनाए हैं। इन कानूनों में उसकी अवहेलना है। सभी ने सपोर्ट किया है। किसी ने भी विरोध नहीं किया है। हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे देश के अन्दर इस प्रकार का सिविल कोड हो ताकि हमारे देश की एकता कायम हो सके और सेक्युलर पालिसी में हम सक्सेसफुल हो सकें और कांसटीट्यूशन में सैक्यूलर पौलिसी पर विशेष रूप से जोर दिया गया है। इसलिए हमने एक प्रयास किया ताकि हम एक यूनिफार्म सिविल कोड बना दें तो उचित रहेगा।

यदि हम हिन्दू लॉ की ओर देखते हैं तो उसमें भी सक्सेशन एक्ट अलग से है, मयूखा का सक्सेशन एक्ट भी अलग से है, मिताक्षरा में भी से लॉ बना हुआ है, बंगाल में भी दबाबाघा का अलग एक्ट बना है, इसी तरह शिया और सुन्नी मतानुयायियों का अलग से सक्सेशन एक्टबना है और उनमें से किसी में भी आपस में यूनिफार्मिटी नहीं पाई जाती। शिया और सुन्नी मतों के मानने वालों में भी कुछ कम्युनिटीज ऐसी हैं जो उनको नहीं मानतीं। इसलिए इस दृष्टिकोण को भी हमें अपने सामने रखना चाहिए, स्थिति को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा नार्थ वैस्ट फ्रन्टियर प्रौविन्स में हिन्दू लॉ के सक्सेशन एक्ट को ही पालन किया जाता है। कहने का अर्थ यह है कि हमारे देश में अभी इस विषय पर संघर्ष चल रहा है और जिन बातों का जिक्र मैंने किया है उनमें प्रमुख इन्हैरिटैंस लॉ और मैरिज लॉ हैं। मैरिज लॉ में ही डाइवोर्स लॉ भी शामिल है। इन्हैरिटैन्स लॉ में हम चाहते हैं कि इस प्रकार के कानून बनाये जाएं जिसमें महिलाओं को और मनुष्यों को समान अधिकार प्राप्त हों। शरियत में भी, कुरान में भी महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार और दर्जा प्राप्त नहीं है और साथ ही हिन्दू लॉ में भी महिलाओं को पुरुषों के समकक्ष नहीं रखा गया लेकिन आज के मोडर्न युग में हम उनको बराबर के अधिकार देना चाहते हैं और बराबरी पर रखना चाहते हैं। यही कारण है कि हमने कानून में परिवर्तन किए हैं, इन्हैरिटैंस

[श्री वृद्धि चन्द्र जैन]

लॉ में परिवर्तन किया है और हम प्रोपर्टी में भी महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार देना चाहते हैं । पहले से चले आ रहे कानूनों में हमने काफी परिवर्तन किया है और हम लगातार इस प्रयास और कोशिश में हैं कि समय के अनुकुल और परिवर्तन करते जाएं । इसलिए मेरी आपसे रिक्वैस्ट है कि इन लॉज में हम जिस तरह से परिवर्तन करते जा रहे हैं और हिन्दूज् उनको मान्यता दे रहे हैं, उसी तरह मुस्लिम्ज भी कोई रिजिड़ रुख अख्तयार न करें, कड़ा रुख न अपनायें बल्कि बदलती हुई परिस्थतियों को, बदलते हुए समय को देखते हुए महिलाओं के साथ किस प्रकार से इंसाफ किया जा सकता है, न्याय हो सकता है और किस प्रकार हम मिलकर विकास के रास्ते पर आगे जा सकते हैं, विकास की दौड़ में आगे जा सकते हैं, उस दृष्टिकोण से सोचना चाहिए ।

इस सम्बन्ध में कांस्टीट्यूशन में जो प्रावधान किए गए थे, वह संविधान के आर्टिकल 35 में दिए गए हैं और उनमें परिवर्तन के लिए समय-समय पर अमैंडमैंटस भी मूव होते रहे हैं । उदाहरण के लिए नजरीउद्दीन अहमद साहब ने, मि० मौहम्मद इस्माइल ने, महबूब अली बेग साहब बहादुर ने, डी० पोकर साहब ने और इसी प्रकार हुसैन इमाम साहब ने अमैंडमैंटस प्रस्तुत किए । उन सब में इस बात पर जोर दिया गया कि इस प्रकार का कोई प्रावधान कांसटीट्यूशन में नहीं रखा जाना चाहिए, लेकिन आपने जो संविधान में संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसमें आप बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारे पुराने लॉज् में कोई परिवर्तन हो । बल्कि जो हमारा पहले से लॉ बना हुआ है, जो हजारों वर्ष पहले का बना हुआ है, वह वैसे-का-वैसा ही रहे । हम देखते हैं कि कि सोसायटी में परिवर्तन होते रहते हैं, समाज में परिवर्तन होते रहते हैं और उन परिवर्तनों के साथ-साथ हमारे कानून में भी परिवर्तन होते रहते हैं । हम आज ऐसी सोसायटी या समाज में नहीं रहना चाहते जिसमें परिवर्तन न होते हों, ऐसे देश में नहीं रहना चाहते, जिसमें परिवर्तन न होते हों क्योंकि हम जानते हैं कि परिवर्तन के बिना हम तरक्की नहीं कर सकते । यदि कानून वही रहेंगे तो हम कैसे प्रगति कर पायेंगे और परिवर्तन के बिना हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता । इसीलिये मैं इस कानून का पूरी तरह से विरोध करता हूँ । हमारी गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिये कि मुस्लिम्स, क्रिश्चियन्स और हिन्दुओं के लीडर्स से सम्पर्क करें और इस प्रकार की स्थिति पैदा करें कि कोई भी इस प्रकार का कानूनी परिवर्तन अगर करना हो जिसमें प्रगित हो सके, हम विकास की ओर आगे बढ़ सकें तो वह करें ।

इन्हीं शब्दों के साथ, श्री बनातवाला जी ने जो कांस्टीट्यशन अमैंडमैंट बिल रखा है, मैं उसका विरोध करता हूँ ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : आदरणीय सभापति जी, 26 जनवरी, 1950 को संविधान बना था । उसके बाद आज कई अखबारों में देखा जाता है कि जो प्रगतिशील लोग हैं, वह चाहते हैं कि विज्ञान, साइंस और टेक्नोलाजी ने जो तरक्की की है, उसके मुताबिक जीवन के अन्दर कुछ आगे बढ़ने का तरीका हो । इस मामले में सरकारी नीति बिल्कुल स्पष्ट है ।

मुझे यह मालूम नहीं हुआ कि श्री बनातवाला साहब को ऐसा कानून लाने की जरुरत क्यों पड़ी ? उन्होंने अपने भाषण में यह नहीं बताया कि इस कानून को लाने के क्या कारण हैं ?

1950 के बाद आज तक हिन्दुस्तान की सरकार बार-बार कह रही है कि विविधता में हम एकता मानते हैं । यहां मन्दिर, मस्जिद, गिरिजाघर और चर्च सब रहेंगे । सब का हम

स्वागत करते हैं। लेकिन हिन्दुस्तान में अगर कोई मुसलमान अपनी बात कहना चाहता है तो सरकार ने तो यह बात पहले ही कह दी है। पहला क्वैश्चन यहां पर ला-मिनिस्टर साहब के सामने रखा गया था और उसका आन्सर सरकार की तरफ से 1983 में दिया गया था।

[अनुवाद]

वर्ष 1983 में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में कहा गया था, कि :

"एक समान सिविल संहिता अधिनियमित करने से अल्पसंख्यक समुदाय के वैयक्तिक कानूनों में परिवर्तन करना होगा। जब तक स्वयं अल्पसंख्यक समुदाय की ओर से इसकी पहल न की जाये तब तक अल्पसंख्यक समुदाय के वैयक्तिक कानूनों में कोई परिवर्तन करने की सरकार की नीति नहीं है।"

[हिन्दी]

इसके बाद फिर एक आन्सर तत्कालीन ला-मिनिस्टर श्री जगन्नाथ कौशल ने यहां दिया था।

[अनुवाद]

15 मार्च, 1982 को श्री शिवचन्द्र झा द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का तत्कालीन विधि मंत्री ने उत्तर दिया था। मैं प्रश्न और उत्तर दोनों को ही पढ़ रहा हूँ।

".....क्या सरकार का पूरे देश में एक समान सिविल कानून के लिए विधेयक लाने का प्रस्ताव है; और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?"

मन्त्री महोदय ने उत्तर दिया :

"जी, नहीं; इसका प्रश्न नहीं उठता। सम्पूर्ण देश के लिए एक समान सिविल कानून बनाने से अल्पसंख्यक समुदाय के वैयक्तिक कानून में बहुत से परिवर्तन करने होंगे। जब तक स्वयं अल्पसंख्यक समुदायों की ओर से इसकी पहल न की जाये तब तक अल्पसंख्यक समुदायों के वैयक्तिक कानूनों में कोई परिवर्तन करने की सरकार की नीति नहीं है।"

[हिन्दी]

इस सदन में 4 बार पूछने के बाद यह वर्शन मिला। अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ लोग गये हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शादी के मामले में कुछ ऐसी मूलभूत बातें हैं जिनमें हम कभी इंटरफीयर नहीं करना चाहते हैं।

आपने जो कुछ कहा है कि अल्लाह का कानून है और उस कानून को तोड़ने वाला पापी होगा। इस पाप-पुण्य की भाषा मैं नहीं समझ पाया, यह क्या है ? पाप और पुण्य जो आप हमें समझाना चाहते हैं, अल्लाह ने हुक्म दिया था पैगम्बर साहब को। और उन्होंने जो हुक्म दिया, वह आज कानून रहेगा। हम लोग तो आज भी यहां तक कहते हैं कि आदमी की समझ और बुद्धि हर वक्त बढ़ती है, उसका विकास होता है। हम लोग समझें कि मनुष्य की बलि देवियों के सामने होनी चाहिए, क्या वह विश्वास आज भी लागू रहेगा। आपने कह दिया कि मान लीजिए कोई चार

[श्री मूलचन्द डागा]

शादी करता है। अभी यह सवाल सुप्रीम कोर्ट में उठा है। उसमें पूछा गया है कि आपका क्या कानून है। इस बारे में मेरे पास अभी कटिंग नहीं है। नहीं तो उसको आपके सामने पेश करता।

आपमें तो ऐसा होता है कि तीन बार कोई कह दे तलाक, तलाक, तलाक, उसको तलाक दे दिया जाता है। आप इसको अच्छा मानते हैं। हम कब कहते हैं कि अब आप इस कानून को चाहते हैं, इस वक्त परिवर्तन न हो। इस बारे में रूस में अलग कानून है, चीन में जहां मुस्लिम लोग भी रहते हैं, अलग कानून है। सारे कानून के पाबंद हैं। आप कहते हैं कि शरीयत कुरान हमें इजाजत देता है। लेकिन हम लोगों का दिमाग बिल्कुल खुला हुआ है।

आज हम देखते हैं कि आप दाढ़ी लगा लेते हैं। आप कहते हैं कि दाढ़ी बराबर रहनी चाहिए। कहते हैं कि यह खुदा का नूर है। इस प्रकार यह ऐसी बातें करते हैं। मैं इस विषय में कहना चाहता हूं कि यह चीज पैदा कैसे हुई? हमने अपने कानून के अन्दर तलाक के कानून को सख्त बनाया और दहेज कानून में रद्दो-बदल किया। हम कहते हैं कि हमको आगे बढ़ने के लिए कानून चाहिए। लॉ ने जो हमें हुक्म दिया है, हम उसे मानते हैं।

यह कौन जानता है कि कब उन्होंने कोई हुक्म किस हाल में दिया। कौन-सी परिस्थिति थी जब हुक्म दे दिया। हम हिन्दू लोग जब भगवान का नाम लेना हो तो स्नान करते हैं। आप में अभी भी हमने देखा है कि आप न हाथ धोयेंगे, न पांव धोयेंगे, क्योंकि पानी कम था, इसलिए वह कानून बन गया। कानून क्या है? कानून तो जो दिमाग की सूझबूझ है उससे वह कानून बन जाता है। तुलसीदास जी ने कहा है :

"ढोल गवांर शुद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी"

यह उन्होंने कैसे और किस हाल में कहा। बनातवाला जैसे विद्वान ने ऐसी बातें कैसे कह दीं, समझ में नहीं आता।

मेरे पास ओपीनियन नहीं है। नहीं तो बताता कि मुसलमानों ने कहा कि हमारे कानून में परिवर्तन होना चाहिए। एक जमाना था इन देशों के अन्दर कि अलग-अलग कबीले होते थे और कबीलों के जो सरदार होते थे उनके हरम में सैकड़ों बीवियां रहती थीं, कोई गिनती उनकी नहीं होती थी कि कितनी हैं। मौहम्मद साहब ने देखा कि यह क्या है, इतनी बीवियां एक कबीले के सरदार के पास? उन्होंने चार कर दिया कि चार से ज्यादा किसी की बीवियां नही होंगी। उन्होंने उस समय की हालत को देखा कि जो भी लड़की दिखाई पड़ी उसको कहा कि चलो हरम में। तो उन्होंने इसको चार तक सीमित कर दिया। भगवान कृष्ण के बारे में आता है कि वह एक हजार औरतों के साथ नृत्य करते थे। तो क्या हम भी वैसा ही करें? हम भी इन रुढ़ियों को मानें? पहले जब मैं छोटा था तो मानता था कि जमीन नहीं घूमती है, सूरज और चांद घूमते है। बड़ा हुआ तो मालुम हुआ कि साइंस कहती है कि जमीन घूमती है। तो ये मान्यताएं तो बदलती रहती हैं।

फिर यह सवाल कैसे पैदा हुआ? किसकी फीलिंग्स को हम इनजर कर रहे हैं? हिन्दुस्तान की खूबी तो यही है– सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा – सारे देशों से अच्छा हमारा

यह देश है कि जिसमें टालरेंस सबसे ज्यादा है। हम तो चाहते हैं कि मस्जिद में मुल्ला बाग दे, हम तो उसको अच्छा मानते हैं, उसको आदर देते हैं। मगर यह एक नयी बात आपने शुरु कर दी कि इस कानून को हटा दीजिए। मैं तो कहूँगा कि आप भी इसमें सहायक बनिए। मुस्लिम के अंदर बहुत सी ऐसी रुढ़ियां हैं जिसमें महिलाओं की ऐसी हालत है कि वह बहुत दुख पाती हैं। तलाक के कारण या जो मेहर या और उसके तरीके हैं उससे उनको तकलीफ होती है, उसमें कुछ परिवर्तन हों, इस प्रकार का सुझाव आप देंगे, ऐसी आशा आपसे की जाती थी। मगर आपने तो ऐसा सुझाव दे दिया कि यह आर्टिकल ही हटा दिया जाय। मैं तो नास्तिक हूँ, ईश्वर को भी नहीं मानता हूँ। मैं कर्म को मानता हूँ मैंने न तो ईश्वर को देखा और न मैं उसे मानता हूँ। मैं तो मानता हूँ कि पुरुषार्थ सबसे बड़ी चीज है। हमारे पास सोचने की शक्ति है, विवेक है, वही सब कुछ है। आपने तो विज्ञान के इस युग के अन्दर एक नयी बात इस तरह से पैदा कर दी। आप जानते हैं यह लॉ नहीं है, वाइंडिंग नहीं है. यह डायरेक्टिव प्रिंसिपल का हिस्सा है। इसमें लिखा है कि शैल एनडेवर, यह कहीं वाइंडिंग नहीं है। उसके लिए आपने यह बिल ला दिया। मेरा ख्याल है कि इसको लाकर आप चाहते हैं कि एक प्रचार पैदा हो। मैं तो कहता हूँ कि जितने आप हिमायती हैं मुस्लिम हितों के, उसकी रक्षा के लिए जितना आप प्रयत्न करते हैं, हम लोग उससे ज्यादा हिमायती हैं, उससे ज्यादा प्रयत्नशील हैं। मैं यह कहूँगा कि वही मुसलमान है जो हिन्दुओं के हकों की रक्षा करता है और अपने धर्म की भी रक्षा करता है और वही हिन्दू है जो मुसलमानों के हितों की रक्षा करता है। हम भी उतने ही हकदार हैं कि हम मुसलमानों के हितों की पूरी-पूरी रक्षा करें, वह हम करते हैं तभी हम हिन्दू हैं। हम तो यह मानते हैं कि एक मजहब वाले दूसरे मजहब का उसी तरह आदर करें और सभी लोग इसके लिए एन्डेवर करें कि सभी के लिए शादी का विवाह का या और इस तरह की बातों का एक कामन कोड बन जाय। जब हिन्दू कोड बना और वह कानून लागू हुआ तो लड़कियों को उसमें कुछ अधिकार मिले जो पहले नहीं थे और लड़कियों को हम ने फ्रैंचाइज दिया जो कि इंग्लैंड में भी नहीं था। हिन्दुस्तान की गवर्नमेंट ने उनको फ्रैंचाइज दे दिया। आज उनको मत देने का अधिकार है। मगर ये बड़े-बड़े विद्वान लोग भी कभी-कभी ख्यालात को लेकर इस तरह की बात कर देते हैं। मैं तो कहूँगा कि यह वोट लेने का जो तरीका है इसको अब बन्द करें। जैसे पहले उन्होंने नेपाली भाषा के लिए कहा कि इसको एट्थ शेड्यूल में शामिल करो। उन्होंने देखा कि दार्जिलिंग वाले तो इससे कम से कम खुश होंगे। यह वोट लेने का तरीका उन्होंने निकाला..... (व्यवधान).....

हमारे बनातवाला जी बड़े समझदार पार्लमेन्टेरियन हैं। उनके भाषण को मैं बड़े गौर से सुन रहा था। अगर मेरे पास समय होता तो मैं यहाँ पर कुछ कोट करके सुनाना चाहता था लेकिन अब समय नहीं है कि कितने लोगों ने, कितने मुस्लिम भाइयों ने, कितने प्रोग्रेसिव लोगों ने इस बात को जगह-जगह उठाया है, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कहा है कि कुछ ऐसे प्राविजन्स और ऐसी बातें हैं जो कांस्टीट्यूशन को हिट करती हैं। इसलिए मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे इसको छोड़ें और अपने दिमाग को दूसरी तरफ लगायें। यदि सभी रेलिजन्स में यूनिफार्मिटी होगी तो सभी में एक नयापन आयेगा क्योंकि धर्म जो है वह तो एक अन्दर की चीज है। शादी, ब्याह, तलाक और सक्सेशन से धर्म का कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिए। धर्म तो हृदय और आत्मा की चीज है। आप सभ्यता और संस्कृति को एक समझते हैं, कल्चर और रेलिजन एक है। मैं कहता हूँ आप जो काम करते हैं उससे किसी को दुःख न पहुँचे वह एक चीज

[श्री मूलचन्द्र डागा]

है और जो रेलिजन है वह अलग चीज है। मैं किसी रेलिजन में इन्टरफेन्स नहीं कर रहा हूँ, मैं उन बातों के लिए कह रहा हूँ जिससे कि व्यक्ति के जीवन को सुख पहुँचे। आपके रेलिजन्स के मामलों में हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसी बातें हों जिनसे कि एक अच्छा समाज बने। जो पुराने ढर्रे हैं वह समाप्त हों। आदमी और औरत – दोनों को समान अधिकार मिलें – यह तो आप भी चाहते होंगे। प्रापर्टी में दोनों को बराबर का हक होना चाहिए डाइवोर्स का भी इस तरह से उपयोग नहीं होना चाहिए। इसलिए कानून में जो इस तरह की बातें हैं उनको दूर करने में आप मदद कीजिए और इस विधेयक को आप बाइज्जत वापिस ले लीजिए – यही मेरा निवेदन है।

[अनुवाद]

श्री वाई० एस० महाजन (जलगांव) :—सभापति, महोदय मुझे खेद है कि श्री बनातवाला हमारी व्याख्या से सहमत नहीं हो सके। उनके प्रस्ताव को दो तरह से निपटाया जा सकता है। पहला तो यह है कि जैसा कि मेरे मित्र श्री डागा ने कहा, कि सरकार ने एक बार नहीं अनेक बार यह घोषणा की है कि वह मुस्लिम वैयक्तिक कानून में परिवर्तन नहीं करना चाहती है। जब तक इस मामले में मुस्लिम अल्प संख्यक समुदाय पहल नहीं करता तब तक हम इस देश में एक समान वैयक्तिक कानून लागू करने का कोई कदम नहीं उठाएंगे। पिछले 40 वर्षों से हमारी यही नीति रही है और हमने इस सभा में अनेक बार उसे दोहराया है। परन्तु श्री बनातवाला अभी भी अनुच्छेद 44 का लोप कराने का प्रस्ताव करते हैं। इस प्रस्ताव का कोई औचित्य ही नहीं है। एक समान वैयक्तिक कानून को कोई खतरा नहीं है। उनके प्रस्ताव से निपटने का यह एक औपचारिक तरीका है।

परन्तु मैं कहूँगा कि श्री बनातवाला ने इसके पक्ष में वे तर्क प्रस्तुत नहीं किए हैं जो इस सदन के सदस्यों द्वारा स्वीकार किए जा सकते हैं। मुस्लिम वैयक्तिक कानूनों और हिन्दू वैयक्तिक कानूनों में विवाह, उत्तराधिकार वंशागति और बच्चों के संरक्षण का विवेचन किया गया है। इन मामलों में रुढ़िगत परम्परा ने कुछ कानून-कायदे बनाए हैं। श्री बनातवाला का तर्क यह है कि मुसलमानों की वर्तमान परम्परा एं स्वयं अल्लाह, "पैगम्बर मोहम्मद" ने ही बनाई हैं। मैं समझता हूँ कि यह कहना कि मोहम्मद ने जो कहा है वह अटल है एक मूलतत्ववादी रवैया है जिसे संसार भर के धार्मिक लोग भी तब तक मानने के लिए तैयार नहीं है जब तक कि उनका समाज में मनमुटाव करने में विश्वास न हो। जहाँ कहीं भी इस प्रकार का रवैया अपनाया गया है वहाँ एक शान्तिप्रिय, विकासशील और प्रगतिशील समाज नहीं पनप सका है।

अब यदि हम इस तर्क को मान भी लें तब वे इस बात से क्योंकर सहमत हो सकते हैं कि संसार में सात प्रकार के विचार हैं। यदि वह अटल ही है तब उसके सात अलग-अलग विचार कैसे संभव हो सकते हैं उस पर भी वह कहते हैं यदि आप इसे मानते हैं तो आप मुसलमान हैं, अन्यथा आप मुसलमान नहीं हैं। हमारे पड़ोसी देश, पाकिस्तान, श्रीलंका और इंडोनेशिया जैसे देशों ने भी दो विवाह करने की अनुमति के कानून को विनियमित करने के लिए "आर्बीट्रेशन कौंसिल" जैसी संस्थाओं को अधिकार दे रखे हैं। किसी को भी दूसरी शादी करने से पहले

'आर्बीट्रेशन कौंसिल' की अनुमति लेनी पड़ती है। उन्होंने इसमें फेर-बदल की है, परिवर्तन किया है। क्या वे मुसलमान नहीं हैं यदि बनातवाला जी कहें कि वे मुसलमान नहीं है तो वे उनसे सहमत नहीं होंगे।

इसके अलावा ईरान, इराक, सिंगापुर और सीरिया जैसे देश हैं, जहां पति को दूसरा विवाह करने से पहले न्यायालय से अनुमति लेना आवश्यक है। यह एक और भिन्नता है।

और फिर तुर्की जैसे देश हैं जिनमें बहु-विवाह प्रथा को कानून द्वारा समाप्त कर दिया गया है। ट्यूनेशिया में भी अनेक पत्नियां रखना मना है। रूस और चीन के मुसलमानों पर एक-विवाह का कानून लागू होता है।

इस पर यह कहना कि वे मुसलमान नहीं हैं तथा आप ही एकमात्र मुसलमान हैं, तो वे विश्वास नहीं करेंगे। वे इससे सहमत नहीं होंगे। धर्म के अटल नियमों में ऐसा धार्मिक विश्वास रखना, जो किसी भी अवस्था में नहीं बदलते हैं, आधुनिक युग के लोगों के प्रगतिशील विचारों से मेल नहीं खाता।

हम हिन्दू हैं। परन्तु हमने हिन्दू कानून में इतना अधिक परिवर्तन कर दिया है कि उसका मूल स्वरूप पहचानना कठिन हो गया है। इसे अपने देश की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों के अनुकूल बनाने के लिए हम हिन्दू कानून में अनेक परिवर्तन करने के लिये हमेशा ही तैयार हैं ताकि प्रगति करना आसान हो जाए। हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने भारतीय समाज की विविधता में भी एकता देखी है। हम विविधता में एकता में विश्वास करते हैं। हम विखण्डता में एकता में विश्वास नहीं करते। विविधता तथा विखण्डता में अन्तर है। अगर एक समान नागरिक कानून होगा तो देश समरूप अखण्ड, शक्तिशाली तथा आधुनिक देश होगा। इससे विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का पूरा लाभ उठाया जायेगा और विश्व के राष्ट्रों में हमारे देश का गौरवपूर्ण स्थान होगा। हमारी अभिलाषा यही है। हम गरीबी को समाप्त करना चाहते हैं और हम विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के आधुनिक तरीकों को अपनाना चाहते हैं ताकि हमारे यहां के लोग खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकें।

जो लोग मुस्लिम कानून में विश्वास करते हैं, वे क्या कहते हैं ? मुस्लिम वैयक्तिक कानून के अनुसार, ये लोग अपनी आधी आबादी यानि कि महिलाओं को अपने अधीन करके रखते हैं। मुसलमान महिलाओं को मुसलमान पुरुषों के बराबर का दर्जा प्राप्त नहीं है। जहां तक तलाक का संबंध है मुसलमान महिलाओं को समान अधिकार नहीं हैं। अगर मुसलमान महिला तलाक चाहती है तो उसे अदालत में जाना पड़ेगा। हमने उनके वैयक्तिक कानून में परिवर्तन कर दिया है। महिला को अदालत में जाने की आवश्यकता होती है। इसमें काफी समय तक मुकदमेबाजी चलती रहती है। परन्तु अगर मुसलमान पुरुष तलाक चाहता है तो उसे सिर्फ तीन दफे तलाक शब्द कहना पड़ता है। इस तरह पुरुष और महिला के मामले में कोई समानता नहीं है। हमारे संविधान निर्माता न्याय तथा अवसर की समानता में विश्वास करते थे। हम महिला तथा पुरुष की समानता में विश्वास करते हैं। महिलाओं को भी वही अधिकार होने चाहिये। वे हमारी मताएं, बहनें और लड़कियां हैं। उन्हें पुरुषों से अधिक अधिकार मिलने चाहिये। अतः महिलाओं को वस्तीभूत करना, मुसलमान महिलाओं को अपने अधीन करके रखना संविधान में विद्यमान लोकतंत्र के सिद्धांत तथा समानता के सिद्धांत का तिरस्कार है।

[श्री वाई० एस० महाजन]

यह सम्पूर्ण विश्व में मान्य है और बहुत से मुसलमान बुद्धिजीवियों का मत है कि कुरान के तहत बहुविवाह प्रथा की अनुमति एक अपवाद है। अपवाद के रूप में, इसे बहुत सी बुराइयों का उपचार बताया गया था। इस पुरुष प्रधान समाज में नियमों को महिलाओं के प्रतिकूल प्रतिपादित किया गया है। अन्यथा क्यों नहीं हमारी मस्ताओं, बहनों और लड़कियों को बराबर के अधिकार दिये जाते ?

मुझे खेद है कि मैं श्री जी० एम० बनातवाला से सहमत नहीं हो सकता। उनके विचार, रुढ़िवादी, दकियानूसी तथा पुरातन हैं। ये न्याय तथा समता के आधुनिक उद्देश्यों के अनुकूल नहीं हैं। इस संकल्प को औपचारिक रूप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि सरकार की ओर से किसी ने भी ऐसा आश्वासन नहीं दिया था कि समान नागरिक कानून के लिए वे ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अयूब खां (झुंझुनु) : सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान मुस्लिम लॉ की तरफ ले जा रहा हूँ। सऊदी अरब में मक्का-मोअज्जमा से पहाड़ का सिलसिला चलता है जो अराफ़त की तरफ जाता है। उस पहाड़ के दामन में एक नाम है—गारेहीरा। जिस गार के अंदर हमारे मुकद्दस "मुहम्मदउररसूल लल्लाह स लल्लाहवालहे वसल्लम" ने इबादत की थी। जब उनकी उम्र 40 साल के करीब हुई तो अल्लाह ताला ने एक मखसूस फरिश्ता "जिबराइल-अलइस्लाम" को उनके पास भेजा। जब "जिबराइल-अलइसलाम" उनकी खिदमत में पहली बार आते हैं तो पहली तालीम देते हैं—

इकराबे इस्मे रब्बिकल लजीं खलक्का

पढ़ो। इसका मतलब है "अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया है शुरु करो। यह पहली आयत है। जो खुदा की तरफ हुजरु सल्लिाहू अलेहीवसल्लम को दी गई। यह रिश्ता आखिर तक कायम रहा और इस तरह से यह "वही" नाजिल और वारिद होती रहीं हैं। "वाहियों" के मजमूए को कुरान शरीफ कहते हैं।

इस मुकद्दस कुरान के अन्दर हम सब के लिये यह साफ़-साफ़ लिखा है कि जिस देश में तुम रहते हो, वह तुम्हारा वतन है। अगर तुम उस देश के वफादार नहीं हो तो तुम्हें उस देश में रहने का कोई हक नहीं है। ये मुकद्दस कुरान के अलफ़ाज हैं। मैं आपसे साफ कहता हूँ—अगर कोई मुसलमान इस पर ईमान नहीं रखता तो वह मुसलमान नहीं है। यह मैं लैक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, यह वह बात है जो "शरियत" की बात है। अगर मैंने कोई गलत बात कही तो कल ही मुझ पर फ़तवा लग जायगा। इसलिये यह बात हकबजानिब है और यह बात "तौरेत, बाइबल, इन्जील" में भी है और रामायण और गीता में भी है। अब मैं यह विनति करता हूँ कि उसी किताब में फिर एक जगह हुकुम मिला है, यह खाली मुसलमानों के लिये नहीं है, क्योंकि वहाँ पर लिखा है— "अलहमदुल्लिलाही रब्बिल आलमीन"। अगर यह मुसलमानों के लिये होता तो "रब्बिल मुसलमीन" होता। इसलिए तमाम मखलुक के लिए यह हुकुम है। अल्लाहुक्ला इसी कुरान में···· आगे कहते हैं कि मैं तुमको अजमाऊंगा हर मैदान में, औरत से, औलाद से और, तुम

पर एक ऐसा जालिम हाकिम मुसल्लत करूंगा, जो तुम को हर तरह से तंग करेगा। यह फ़क़त तुम्हारे इम्तिहान के लिए है। अल्लाह ताला उस कौम की हालत नहीं बदलता, जो कौम अपनी हालत खुद नहीं बदलना चाहती।

अब मैं अपनी शरीअत पर आता हूँ। हमारे यहां एक से ज्यादा शादी की जरुर गुंजाइश रखी है लेकिन उसके लिए बहुत सख्त कानून है। कोई मुसलमान अगर दूसरी शादी करता है, तो वह तभी कर सकता है, जबकि वह पहली औरत और दूसरी औरत में एक राई का फ़र्क न रखे और कोई सरुश इस जमाने में इस दुनिया में ऐसा नहीं मिलेगा। इसी तरह से वह तीसरी और चौथी शादी तभी कर सकता है, जब उसके मन में एक राई का फ़र्क भी नहीं होगा। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि एक से ज्यादा शादी करना कितना मुश्किल है। अब अगर कोई आदमी दूसरी शादी अपनी हविस के लिए करता है, तो वह गुनाहगार है।

अब मैं आपको तलाक के बारे में बतलाता हूँ। हमारे जो बोलने वाले हैं, जैसे डागा जी बोले, वे लेक्चर के लिए बोले। उनमें कोई जज्बात नहीं हैं और उनको यह पता नहीं है कि शरीअत क्या चीज होती है। वे सिर्फ अपना नाम पार्लियामेंट की लिस्ट में लिखवाने के लिए बोले लेकिन मैं अपनी शरीअत के इल्म के तहत बता रहा हूँ कि तलाक का जो सिस्टम इस्लाम में है, उसको जनाब बनातवाला अच्छी तरह से जानते हैं और उससे बखूबी वाकिफ हैं। किसी मुसलमान के लिए इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं है। अगर वह अपनी औरत को तलाक दे सकता है, जबकि औरत में कोई ऐसी बात हो। मैं ऐसा कोई लफ्ज यहां पर नहीं बोलना चाहता। जहां औरत में कोई ड़बा गुनाह है, कोई ऐसी बात है, तो उसके लिए तलाक देना मना नहीं है और वह अपनी औरत को तलाक दे सकता है। इतनी सख्त पाबन्दी तलाक देने के लिए है और इतना सख्त कानून दूसरी शादी करने के लिए है। अगर कोई मुसलमान अपनी हविस के लिए दूसरी शादी करता है, तो वह मुसलमान, मुसलमान नहीं है। इस्लाम में चार शादियां करने की गुंजाइश है और एक आदमी चार शादी तक कर सकता है, लेकिन यह फ़र्ज नहीं है और तलाक के लिए भी ऐसी ही बात है। कोई आदमी तलाक सिर्फ उन कंडिशन में देता है जब कोई ऐसी हालत पैदा हो। यह कोई फ़र्ज नहीं है। तलाक देना और दूसरी शादी करना कोई मजाक नहीं है। इसमें मजहब के सेन्टीमेंट्स की बात है।

सबसे पहली तालीम जो हमारा मजहब देता है, वह यह है कि देश के प्रति वफ़ादार रहो और यह वफ़ादारी का जजबा सबसे बड़ी दौलत है और ईमान है।

इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं इस विषय का समर्थन करती हूँ परन्तु विधेयक के उद्धरण या सार का मैं विरोध करती हूँ। मुझे अंग्रेजी, बंगला, संस्कृत, हिन्दी और उर्दू में बोलने की इजाजत दी जाय क्योंकि विविधता में एकता ही भारत की विशेषता है और हम इसे सिद्ध करना चाहेंगे।

[कुमारी ममता बनर्जी]

[हिन्दी]

हम लोग बंगला में बोलते हैं :

"दिवे आर निबे मिलावे मिलिवे जाबेना फिरे
एइ भारतेर महमानवेर सागर तीरे।"

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अगली बार अपना भाषण जारी रख सकती हैं।

6.01 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 1 अप्रैल, 1985/11 चैत्र, 1907 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

मुद्रक : प्रिन्टवैल प्रिन्टर्स, 126 पटपड़गंज, दिल्ली–92